सप्तम माला, 30 जनवरी, 1980/1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण
(पहला सत्र)

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 8, बुधवार, 30 जनवरी, 1980/10 माघ, 1901 (शक)

शहीदों की स्मृति में मौन	...	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 37, से 39, 42, और 43	...	1-16
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 41, 44, से 48, 51 से 53, 55 और 56	...	16-23
अतारांकित प्रश्न संख्या 72 से 88, 90 से 123 और 125 से 132	...	23-57
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	...	57-60
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	60-70
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	71-81
देश के विभिन्न भागों में बिजली की कमी का समाचार	...	71-75
श्री राम स्वरूप राम	...	71-73
श्री ए. बी. ए. गनी खाँ चौधरी	...	71-74
श्री चित्त बसु	...	73-74
लन्दन हवाई अड्डे पर श्री रमेश चन्द्र को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रवेश की अनुमति न दिये जाने की घटना के बारे में वक्तव्य	...	75-78
श्री पी. वी० नरसिंह राव	...	75-77
भारत रतन और पद्म उपाधियों को देना पुनः आरम्भ करने के बारे में वक्तव्य	...	78-81
श्री पी० शिवशंकर	...	78-81

किसी नाम पर अंकित * चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

कार्य मंत्रणा समिति

पहला प्रतिवेदन ... 81-82

नियम 377 के अधीन मामले ... 83

(एक) प्रैस आयोग के बारे में ... 83

प्रो. मधु दन्डवते ... 83

(दो) 3-1-1980 को जनता एक्सप्रैस के एक डिब्बे में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा दो महिलाओं के साथ बलात्कार करने का समाचार ... 83

श्रीमती गीता मुखर्जी ... 83

(तीन) गणतन्त्र दिवस परेड में विभिन्न वर्शो की सशस्त्र सेनाओं के दिखाये जाने के बारे में

श्री रशीद मसूद ... 83

(चार) उड़ीसा में भयंकर सूखे की स्थिति का समाचार

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ... 83-84

(पाँच) श्रीलंका के नौसेना कर्मचारियों द्वारा तमिलनाडु के मछेरों के पकड़े जाने के समाचार के बारे में ... 84

श्री एम. एस. के. सत्येन्द्रण ... 84

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री जी. एम. बनातवाला ... 84-105

श्रीमती इन्दिरा गाँधी ... 84-104

संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, विचार करने का प्रस्ताव ... 86-105

श्री एडूआर्डो फैलीरो ... 105

श्री वी. कुलन्दईवेलू ... 110

श्री कमला मिश्र मधुकर ... 111-112

श्री योगेन्द्र मकवाना ... 112

खंड 2, 3 और ।

पास करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ... 112-113

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, 1979-80

श्री गदाधर साहा ... 116-119

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ... 119-144

श्री के. मायातेवर ... 123-126

श्री. ए. आर. मालू ... 126-127

श्री रामावतार शास्त्री ... 127-129

श्री एस. ए. दोराई सेवशियन ... 129-130
श्री टी. आर. शमन्ना ... 130-132
श्री जी. एम. बनातवाला ... 132-136
श्री ईरा मोहन ... 136-138
श्री बापू साहेब परूलेकर ... 138-145
श्री आर. वेंकटरमण ... 140-146

विनियोग विधेयक, 1980—पुरःस्थापित ... 147

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक ... 147

श्री आर. वेंकटरमन ... 148-149
श्री कमला मिश्र मधुकर ... 149
खंड 2,3 और । ... 150
पास करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में

अनुदानों की अनुपूरक मागें (रेल), 1979-80

श्री मुहम्मद इस्माइल ... 153-155
श्री मलिक एम. एम. ए. खान ... 155
श्री एस. मुरूगैय्यन ... 157-158

लोक सभा

बुधवारी, 30 जनवर, 1980/10 माघ, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

शहीदों की स्मृति में मौन

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसाकि आपको मालूम है, राष्ट्र आज उन शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रख रहा है, जिन्होंने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में अपना जीवन बलिदान किया था । तोप छोड़ी जाने पर तो हम दो मिनट मौन खड़े होंगे ।

(तत्पश्चात् सदस्य दो मिनट के लिये मौन खडे हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मेघालय में गैर आदिवासी

*37. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अक्तूबर, 1979 में मेघालय से गैर-आदिवासियों के निष्कासन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस निष्कासन को रोकने और राज्य में गैर-आदिवासियों की जान और माल के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) राज्य में शान्ति और सामान्य स्थिति लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) से (ग) : राज्य में हाल के दंगों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के अपने घरों को छोड़ने की सूचना है । मेघालय सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1789 व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा स्थापित कैम्पों में

ठहराया गया है। उन व्यक्तियों की निश्चित संख्या जो सम्भवतः राज्य छोड़कर चले गये हैं, ज्ञात नहीं हैं।

राज्य सरकार ने सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिये कानून और व्यवस्था तन्त्र को सुदृढ़ करने हेतु प्रशासनिक उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त, निम्न उपाय भी किये हैं :

(एक) पर्याप्त निवारक कार्यवाही करने के लिये 26 दिसम्बर, 1979 को मेघालय निवारक नजरबन्दी अध्यादेश, 1979 उद्घोषित किया गया।

(दो) असुरक्षित और सवेदनशील क्षेत्रों में गश्त कड़ी कर दी गई है।

(तीन) जमींदारों द्वारा अभित्रस्त किये जाने पर कार्यवाही करना, भा. दं. सं. की धारा 506 के अधीन अपराध संजय और गैर जमानतीय बना दिये गये हैं।

(चार) शांति तथा सौहार्द का वातावरण बढ़ाने में सहायता करने के लिये राजनैतिक दलों तथा स्थानीय प्रैसों से अपील की गई है।

(पाँच) प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि विस्थापित अपने मूल घरों को वापस जा सकें।

केन्द्र, राज्य सरकार के साथ लगातार सम्पर्क बनाये हुए है और शांति और सामान्य स्थिति वहाल करने की तुरन्त आवश्यकता पर वल दे रहा है। राज्य सरकार की स्थिति से निपटने के लिये केन्द्र द्वारा सहायता भी दी गई।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि उत्तर से यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार को वहाँ की स्थिति की गम्भीरता का पता नहीं है। पिछले दिन मैंने सीलोन की, मेघालय अल्पसंख्यक समन्वय समिति द्वारा प्रधान मत्री के नाम भेजे गये अभ्यावेदन का उल्लेख किया था ज़िसमें यह बताया गया है कि कितनी घटनायें घटी हैं, कितने मकान जल गये हैं, आदि 50 मकान जलकर राख हो गये, हत्याओं के 18 मामले हुए हैं, 235 दुकानें लूटी गई, जलाई गईं और नष्ट की गईं, 3500 लोग बेघर कर दिये गये, जिनमें से 2500 लोग विभिन्न कैम्पों में रह रहे हैं। एक विधान सभा सदस्य, श्री मानिकदास और एक अन्य भूतपूर्व विधान सभा सदस्य की हत्या की गई है। क्या केन्द्रीय सरकार अब उन लोगों की सदाशयता पर भरोसा करेगी, जो राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध यह आन्दोलन कर रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को सीलोन "बन्द" के बारे में जानकारी है, जो 25 अक्तूबर, 1979 को आयोजित किया गया था। मेघालय से गैर-आदिवासियों को निकालने के लिये सुनियोजित प्रयास किया गया है और प्रो० मार्टिन मेजर, जिसका नाम मैंने पहले भी बताया था। नाम का एक व्यक्ति इसको उकसा रहा है। अतः इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं—उन व्यक्तियों को जो वेघर हो गये हैं, न केवल राहत देने के लिये अपितु वहाँ पर कानून तोड़ने वाले उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार को कहना चाहिये जो देश के एक भाग से भारतीय राष्ट्रिकों को निकालने के लिये जानबूझ कर आन्दोलन कर रहे हैं—इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर से आन्दोलनकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री पी. वेंकटसुब्बया : मैंने अपने वक्तव्य में बताया है कि वहाँ पर कई घटनायें घटी हैं

और उनमें से कुछ, जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने बताया है, वर्ष 1979 में हुई जब एक विधान सभा सदस्य, एक भूतपूर्व विधान सभा सदस्य और एक नेपाली आदिवासी की हत्या कर दी गई थी। इस तरह की अनेक घटनाएं हुई हैं, और हम मेघालय सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं और उन पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने और उन व्यक्तियों, जिनका जीवन खतरे में है, को सुरक्षा प्रदान करने के लिये यथासंभव कदम उठाने चाहिये। मैंने निवारक नजरबन्दी अध्यादेश का भी उल्लेख किया है, जो मेघालय सरकार द्वारा प्रख्यापित किया गया है। हम मेघालय सरकार को जितनी सहायता उन्हें चाहिये, जिसमें सेना भी शामिल है, दे रहे हैं। सेना की कुछ टुकड़ियां राज्य सरकार की सहायता के लिये वहाँ भेज दी गई हैं। हम स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम संविधान की सीमाओं के भीतर जो कुछ भी सम्भव होगा वह कार्यवाही करेंगे। वहाँ पर कानूनी तौर पर निर्वाचित सरकार है और संविधान क अनुसार जो कुछ भी संभव है, वह किया जायेगा। हम सभा को आश्वासन देते हैं कि हम कानून और व्यवस्था को बनाये रखने और उन लोगों में, जो हिंसा का शिकार हुए हैं, सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये यथासंभव कार्यवाही करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अल्प संख्यक समिति के उस अभ्यावेदन में अनेक माँगें की गई हैं, जैसेकि घटना की न्यायिक जाँच कराई जाये और पीड़ित परिवारों को या मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दिया जाये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन माँगों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कोई राजनीतिक हल निकालने की माँग की गई है। यह इस कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 अक्तूबर को और बाद में कई नारे लगाये गये थे जैसाकि 'बंगालियो, निकलो' 'विदेशियो के नाम नहीं हटाये जायें', 'ज्योति बसु होशियार' आदि और ज्योति बसु और देवकान्त बरुआ जैसे आसामी नेताओं के पुतले भी जलाये गये थे। वहाँ पर यह सब कुछ हुआ। अतः राजनीतक हल निकालना भी जरूरी है। केन्द्रीय स्तर पर भारत सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाने के लिये क्या कदम उठा रही है तादि यदि इसे बन्द न भी किया जा सके तो कम से कम इसे शीघ्र रोका जा सके, इस पर चर्चा की जा सके ? यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और मैं केन्द्रीय सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ ताकि लोग देश के उस भाग के लोगों के हालात जान सकें।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : जहाँ तक राहत कार्यों का सबंध है, राहत शिविर स्थापित किए गए हैं और विस्थापित व्यक्तियों की देख-भाल की जा रही है। इन राहत कार्यों के लिए 1,50,000 रुपए स्वीकृत किये गये हैं और इन उत्पीड़ित लोगों को अपने घरों में वापस जाने के लिये हर संभव सहायता दी जा रही है। हम उनका भय दूर करने और उन्हें आवश्यक संरक्षण प्रदान करने के लिये भरसक प्रयास कर रहे हैं।

जहाँ तक इस समस्या के राजनीतिक हल का संबंध है, मैं माननीय सदस्य के साथ पूर्णतया सहमत हूँ। प्रधान मंत्री स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं। हम सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ वार्ता करने और सर्व-सम्पत्ति से ऐसा फार्मूला, जिससे सभी संबंधित पार्टियाँ सन्तुष्ट हो सकें, ढूंढ़ निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री पी० ए० संगमा : मेघालय में जो कुछ हुआ, वह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है। अभी•

अभी मंत्री जी ने बताया है कि एक विधान सभा सदस्य और एक भूतपूर्व विधान सभा सदस्य की हत्या कर दी थी। ये घटनायें 13 दिसम्बर, 1979 को घटीं थीं और आज जनवरी, 1980 समाप्त होने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन मामलों में किसी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और यदि नहीं तो ऐसे मामलों में इतना समय बीत जाने के बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे प्रश्न का यह पहला भाग है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि मेघालय में या इस प्रयोजनार्थ पूर्वोत्तर क्षेत्र में, स्थिति अत्यन्त जटिल है। इसके अनेक कारण हैं—एक कारण यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को यह आशंका है कि अन्य देशों से, हमारे देश से नहीं, भारी संख्या में विदेशी राष्ट्रिकों को वे रोक टोक आने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के मूल लोगों की संख्या कम हो जायेगी। जब तक उन लोगों के मन से यह आशका दूर नहीं की जाती, मेरे विचार में पूर्वोत्तर क्षेत्र में समस्या का आसान हल नहीं निकल सकता। इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछता हूं कि इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सरकार उसे दूर करने के लिये कोई उपाय कर रही है, जैसाकि कांग्रेस (आई) के चुनाव घोषणा पत्र में वचन दिया गया है इसमें 'आदिवासी लोगों को संरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत यह कहा गया है :

"भारत के पूर्वोत्तर तथा अन्य राज्यों में उनके मूल घरों से उन्हें बेघर किये जाने से रोकने के लिये पर्याप्त उपाय किये जायेंगे।" वहाँ के लोगों की इस आशंका को, कि बाहरी लोगों के वहाँ पर आ जाने से उनकी संख्या कम हो जायेगी, दूर करने के लिये चुनाव घोषणा पत्र में दिये गये वचन के अनुसार सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : जहाँ तक हत्या करने वाले उन अपराधियों पर मुकदमा चलाये जाने या उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही का सम्बन्ध है, अभी तक इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हम मेघालय सरकार से सम्पर्क करेंगे और यह पता लगायेंगे कि इन हत्याओं के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की जा रही है···

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या नहीं।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : मैं जानकारी दूंगा। स्थानीय लोगों की इस आशंका के बारे में कि विदेशियों के आने से उनकी संख्या कम हो जायेगी, मेघालय सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। मेघालय में पाँच स्थानों पर अर्थात् सिव्वारी, पाईनुरसला, भावसिनरम, चेरापूंजी और खिलिहरात पर चैक-पोस्ट पर काम आरम्भ हो गया है।

घुसपैठ को रोकने के लिये किये गये उपायों को कारगर ढंग से लागू करने के लिये पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक सेल स्थापित किया गया है।

संदिग्ध विदेशियों की नागरिकता की शीघ्र जाँच करने के लिये मेघालय के राजनीतिक विभाग में एक सेल स्थापित किया गया है।

राज्य सरकार विदेशी राष्ट्रिकों के सम्बन्ध में दो ट्रिब्यूनल स्थापित करने का भी विचार कर रही है ताकि विदेशी राष्ट्रिक पाये जाने वाले व्यक्तियों को वापस अपने देश भेजा जा सके।

इस विषय पर सार्वजनिक शान्ति बनाये रखना संशोधन विधेयक, 1979 नामक एक विधान भी राज्य विधान सभा के गत सत्र में पुनः स्थापित किया गया था।

विदेशियों के आगमन को रोकने के लिये राज्य सरकार ने ये कदम उठाये हैं। परन्तु हमें उठाये गये उपायों के परिणामों पर निगरानी रखनी है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम राज्य सरकार के साथ सतत सम्पर्क बनाये रखेंगे और यह देखेंगे कि घुसपैठ न हो।

श्री चन्द्रजीत : यह राष्ट्रीय महत्त्व का मामला है कि देश के कुछ भागों में आदिवासी गैर-आदिवासी, आसामी और गैर-आसामी जैसा गम्भीर बातें हो रही हैं। इसमें दो प्रकार की आशंकायें हैं। (1) विदेशी राष्ट्रिक क्यों वहाँ जा रहे हैं और सरकार कारगर कदम क्यों नहीं उठा पा रही है ? मेघालय सरकार द्वारा कुछ चौकियाँ स्थापित करना और कुछ अधिकारियों को नियुक्त करने का यह प्रश्न नहीं है : यदि देश के किसी भाग के नागरिकों को यह आशंका है कि विदेशियों की संख्या उनकी संख्या से बढ़ जायेगी, तो यह केवल उस विशेष राज्य का प्रश्न नहीं है, यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है कि विदेशियों को, जो गैर-कानूनी रूप से आ रहे हैं और जो देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर देश के संवेदनशील क्षेत्रों में आ रहे हैं, रोका जायेगा और क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में देश को आश्वासन देंगे कि भविष्य में ऐसा नहीं होने दिया जायेगा ?

इससे उत्पन्न होने वाला दूसरा प्रश्न यह है कि भारतीय राष्ट्रिकों को देश के किसी भी भाग में बसने का पूरा अधिकार प्राप्त है। अतः यदि कुछ ऐसे तत्व हैं, जो क्षेत्र या भाषा या कबीले या धर्म के नाम पर अपने भाइयों के विरुद्ध ऐसा आन्दोलन चला रहे हैं और यदि वे ऐसा आन्दोलन कर रहे हैं या इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो उन लोगों के विरुद्ध कारगर कार्यवाही की जानी चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो और सभी नागरिकों को यह विश्वास हो कि वे देश के किसी भाग में सहयोगी-नागरिक के रूप में रह सकते हैं। क्या मंत्री जी इस समझ को इस प्रकार का आश्वासन देंगे ?

श्री वेंकट सुब्बया : पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें आसाम भी शामिल है, एक अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र है और वहाँ की समस्याएं बड़ी जटिल हैं। पिछले दिन प्रधान मंत्री ने समस्या पर प्रकाश डाला था और स्थिति से निपटने के लिये मतैक्य पर पहुचने के लिये सभी विपक्षी दलों का सहयोग माँगा था। वह इस पर विचार कर रही हैं और मुझे विश्वास है कि इस समस्या का उस समय समाधान हो जायेगा जब वह अन्य विपक्षी दलों के नेताओं और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से मिलेगी।

जहाँ तक स्थानीय लोगों का सम्बन्ध है, इनमें कुछ लोग, जिनके निहित स्वार्थ हैं, इस समस्या को प्रोत्साहन दे रहे हैं और हम उनका पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी लोगों का कुछ भय जायज है और हमें उस भय की अवहेलना नहीं करनी चाहिये और वे महसूस करते हैं बाहरी व्यक्ति, यहाँ तक कि देश अन्य भागों से भी व्यक्ति यहाँ आते हैं और वाणिज्य तथा व्यापार पर उनका वर्चस्व है और उनका एकाधिकार है तथा वे भूमि खरीदते हैं और उनकी संख्या स्थानीय लोगों की संख्या से अधिक है•••।

श्री एन. जी. रगा : वे महाजन भी हैं।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : दूसरे, उनकी आशंका तथा भय इस हद तक पहुच गया है कि वे यह भी नहीं चाहते कि शिलाँग में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय स्थापित किये जायें। शिलांग में एक छावनी स्थापित करने का एक प्रस्ताव था, परन्तु उन्होंने कहा, 'हम इस छावनी को भी नहीं चाहते। अत: हमें उनका भय तथा आशंका दूर करनी है। इसी कारण एक कानून बनाया गया है जिसके द्वारा एक गैर-आदिवासी द्वारा किसी आदिवासी से भूमि खरीदने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है।

कुछ आदिवासी लोगों ने जमीदारों को यह धमकियाँ दी हैं कि उनके खेतों में काम करने वाले बगाली पट्टेधारियों और नेपाली पट्टेधारियों को बेदखल किया जाये। इस प्रयोजनार्थ भी मेघालय सरकार एक कानून बना रही है। दोनों पक्षों को इस प्रकार के भय है। इस मामले की जांच की जानी है क्योंकि यह एक जटिल समस्या है। हम इसका सीधा समाधान नहीं कर पायेंगे। प्रधान मंत्री ने भी यही कहा था।

साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण हुई मौतें

*38. श्री मधु दंडवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-77 और वर्ष 1977-79 के दौरान साम्प्रदायिक दंगों के कारण होने वाली मौतों की वार्षिक दर क्या रही है ?

(ख) क्या इन तुलनात्मक आंकड़ों से इस दर में कमी दिखाई देती है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (ज्ञानी जेल सिंह) (क) से (ग) तक : सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

साम्प्रदायिक झगड़ों में मारे गए व्यक्तियों की 1966 से 1979 तक का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1966	45
1967	251
1968	133
1969	674
1970	298
1971	103
1972	70
1973	72
1974	87
1975	33

1976	39
1977	36
1978	110
1979	260

1966-77 का वार्षिक औसत 153 है। 1967 से 1970 तक की अवधि में साम्प्रदायिक तनाव बहुत अधिक था। फिर भी, संगठित प्रयासों तथा लगातार निगरानी से स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ और इसके कारण साम्प्रदायिक झगड़ों तथा मौतों की संख्या में भी काफी कमी हुई और वर्ष 1972 से 76 के दौरान मारे गये व्यक्तियों का वार्षिक औसत केवल 60 था। 1978 और 1979 के दौरान साम्प्रदायिक झगड़ों की घटनाओं में फिर वृद्धि हो गई जिसके कारण 1977-79 का वार्षिक औसत बढ़कर 135 हो गया।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखे गए विवरण में 1966 से 1979 तक मारे गये व्यक्तियों की संख्या बताई गई है।

मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं कि उन्होंने जो आँकड़े दिये हैं उनको ध्यान में रखते हुए साम्प्रदायिक उपद्रवों तथा साम्प्रदायिक दंगों के प्रश्न को राजनीतिक रूप देना गलत है। परन्तु यह बात सच है कि सरकार के ढाँचे के बावजूद समाज-विरोधी साम्प्रदायिक तत्व ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। दिये गए आँकड़ों से स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक उपद्रवों तथा दंगों के लिये किसी दल विशेष को उत्तरदायी ठहराना गलत है। अत: क्या यह सच नहीं है कि आपने जो आंकड़े दिये हैं उनसे पता चलता है कि तथाकथित प्रगतिशील दशक में वार्षिक मृत्यु दर 170 है जबकि 1977 से 1979 में यह 135 थी जिसे आपने स्वयं स्वीकार किया है। क्या सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सच्ची धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को विश्वास में लेगी और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि साम्प्रदायिक उपद्रव न हों ?

श्री जैल सिंह : माननीय सदस्य की आशंका दुरुस्त नहीं है। 1966 से लेकर 1979 तक के जो आंकडे हैं उनको देखने से पता चल सकता है कि जो ज्यादा घटनाएं हुई हैं वे 1966 से लेकर 1970 तक हुई हैं। रांची, बिहार में हुई, मालेगाँव, महाराष्ट्र आदि में हुई है। रांची में 184 मर्डर हुए और उसके लिए रघुबर दयाल कमीशन बनाया गया था दूसरे के लिये रघुबर दयाल कमीशन बनाया गया था। उस वक्त बिहार में जो सरकार थी वह एस. वी. डी. थी। ला एण्ड आर्डर का जो विषय है यह स्टेट सबजैक्ट है। उस वक्त सेंटर में सरकार श्रीमती इंदिरा गाँधी की थी लेकिन स्टेट में जो सरकार थी वह मिली जुली थी, जिसको खिचड़ी सरकार कहते हैं वह थी। यह 1967 की बात है। 1968 में नागपुर में 26 मर्डर हुए। मेरठ में 16 हुए। मुजफ्फर नगर में 7 हुए। करीम गंज असम में 7 हुए। तब उत्तर प्रदेश में जो मर्डर हुए, उस वक्त भी वहाँ एस. पी. डी. की सरकार थी और चौधरी चरण सिंह जी उसके मुख्य मंत्री थे।

श्री मधु दण्डवते : कुछ सदस्यों ने उनसे वे प्रश्न पूछे हों।

श्री जैल सिंह : मेरे सत्कार सहयोगी, आपने जो सप्लीमेंटरी किया उसमें आपने यही कहा कि यह जो आंकड़े दिखाये गए हैं उनमें सियासी दलों को बताया गया है, कम्युनल बात नहीं बताई गई। मैं उसी का विवरण आपको दे रहा हूं।

इसी तरह से 1969 में गुजरात में रायट ह्वस उसमें 79 मर्डर हुये और जगन्नाथ रेड्डी कमीशन वहां बैठाया गया और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में क्रमशः 18, 17 और 16 मर्डर हुए। 1970 में भिवानी, जलगाँव··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, मेरी दिक्कत यह है कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं मिल रहा है और जो सवाल नहीं पूछा, उसका वह जवाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंटरी कीजिये।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर होम मिनिस्टिर साहब चाहते हैं तो हम हर बार सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि सप्लीमेंटरी भी लिखकर देने के लिये तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरी सप्लीमेंटरी कीजिये। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, मैं दर्खास्त करना चाहता हूँ होम मिनिस्टर से, मेरा जो सवाल है कि जिसने फिरकापरस्ती की वजह से दगे फसाद हो रहे हैं उनको रोकने के लिये आगे चलकर, जैसे कई साल पहले कश्मीर में नेशनल इंटेगरेशन काउन्सिल का एक जलसा हुआ था जिसमें कई फैसले हुए थे और उन फैसलों पर अमल करने का तय हुआ था, इस तरह से सियासी सवाल पैदा करने के बजाय सभी शक्तियों को साथ लेकर इस सवाल को हल करने की आप कोशिश करेंगे कि नहीं ?

श्री जैल सिंह : अध्यक्ष जी, मैं मेम्बर साहब के इस सुझाव से सहमत हूँ। हम नेशनल इंटेगरेशन काउन्सिल, जो बिल्कुल इनइफैक्टिव हो गई थी, काम नहीं करती थी, उसको रिवाइव करने के लिए सोच रहे हैं। हमारा इस बात पर भी ध्यान है कि सिर्फ डंडे से नहीं बल्कि परसूएशन और निगोशियेशन्स से हम इस मामले को सुधारेंगे ताकि नेशनल इंटेगरेशन के लिए यह चीजें अच्छी रहें।

श्री मगन भाई बरोत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि यह 1977 से 1979 के जो आँकड़े दिये गए हैं क्या उनकी जाँच में यह बात पाई गई कि आर० एस० एस० जैसी संस्थाओं और उनके कार्यकर्त्ताओं की वहाँ चलती हुई सरकार और यहाँ भी सरकार में उनके लोग बैठे हुए थे उनको साथ लेकर ज्यादा से ज्यादा जमशेदपुर, अलीगढ़ आदि इन इलाकों में हुए दंगों में उनका हाथ रहा और सरकार की आँख मिचौली रही ? क्या यह बात सही है ?

श्री जैल सिंह : ज्यादातर जो फिरकेवाराना फसाद हुए यह 1978 और 1979 में हुए। इसके लिये सरकार पिछली बातों के लिये कोई और कमीशन बैठाये या कोई जानकारी करे इसको हमेशा के लिये खत्म करने के लिये और आइन्दा ऐसे दंगे फसाद न हों इस बारे में उपाय किये जायेंगे।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या यह सही है कि अलीगढ़ में जनता सरकार के जमाने में जो बलवा हुआ,

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वह बराबर एक साल तक उस बलवे को कंट्रोल करने में फेल रही, जो आज तक हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ । क्या यह सही है कि अलीगढ़ के उस बलवे के लिये मि० नवमान पूरे-पूरे जिम्मेदार थे, जो जनता पार्टी के प्रेजिडेंट थे ? क्या यह भी सही है कि अलीगढ़ और जमशेदपुर के बलवों में माइनारिटी का जितना भी नुकसान हुआ, वह पी० ए० सी० और सी. आर. पी. के पहुँचने के बाद हुआ ? रायट्स को कट्रोल करने के लिये एक रायट फोर्स बनाने के बारे में बराबर प्रोपोजल आ रहे हैं, जिसमें माइनारिटी कम्युनिटी को बराबर रिप्रेन्टेशन हो । क्या सरकार इस तरफ भी तवज्जुह दे रही है ?

श्री जैल सिंह : यह सही है कि अलीगढ़ में दो बार. अक्तूबर और नवम्बर में रायट्स हुए । अक्तूबर में 12 और नवम्बर में 16 कत्ल हुये और जो जख्मी हुये उनकी गिनती 47 और 32 थी । यह मामला गम्भीर है । इस पर हम विचार करेंगे और इसके पीछे क्या कारण थे, ये रायट्स कैसे हुए, इसकी जानकारी भी करेंगे ।

श्री मलिक एम० एम० ए खान : मैंने रायट फोर्स बनाने के प्रोपोजल के बारे में भी पूछा है । उसका जवाब नहीं दिया गया है ।

श्री जैल सिंह : इस पर भी गौर किया जा सकता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय यद्यपि यह सच है कि इन साम्प्रादायिक उपद्रवों में विभिन्न समुदायों के लोगों का थोड़ी बहुत हानि होती है, तथापि क्या यह सच नहीं है कि 'साम्प्रदायिक उपद्रव' की बात कर गंभीर तथ्यों पर पर्दा डाला जाता है, और इन साम्प्रदायिक उपद्रवों का शिकार होने वाले व्यक्तियों में अधिक संख्या अल्प संख्यक समुदायों के व्यक्तियों की होती है ?

महोदय, मैं इस बारे में स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मरने वाले व्यक्तियों की संख्या बताई है परन्तु इससे यह पता नहीं चलता कि इन अत्याचारों तथा दंगों का शिकार होने वाले व्यक्ति अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं । मैं मत्री महोदय स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हू कि यह सच है या नहीं । दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हू···· (व्यवधान) यदि यह बात इतनी स्पष्ट है, तो उन्हें साम्प्रदायिक उपद्रव न कहिए । वे मुस्लिम विरोधी सामूहिक हत्या के कार्य हैं । अत्याचार किये जा रहे हैं और उन्हें 'साम्प्रदायिक उपद्रवों' का नाम दिया जा रहा है ।' दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस बल के उन व्यक्तियों, अधिकारियों तथा अन्य लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जो जादतियों, कमियों या कर्तव्य की उपेक्षा या इन उपद्रवों में साँठ गाँठ के लिए उत्तरदायी हैं । उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, ' जिन पर किसी को भी इस बात के लिए विश्वास नहीं है कि वे इस स्थिति से निपट सकेंगे ।

श्री जैल सिंह : मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस बात की जानकारी करनी चाहिए कि कौन सी कम्युनिटी के लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ, मगर सरकार के पास जो आँकड़े आये हैं, उनमें यह नहीं बताया गया कि कौन से मजहब के लोगों को नुकसान पहुंचा और कौन से लोग थे, जिन्होंने उनको मारने में ज्यादा काम किया । लेकिन कमीशन की रिपोर्टों को पढ़ने से इसकी जानकारी की जा सकती है । मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम यह जानकारी भी करेंगे कि क्या सिर्फ माइनारिटी को तो ही नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता

हूँ, कि 1979 में 297 साम्प्रदायिक घटनाएं और 912 साम्प्रायिक तनाव की घटनाएं घटी थीं। इस वर्ष में 8 बड़े साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। अप्रैल और अगस्त में जमशेदपुर में दो दंगे हुए थे। मई और जून में अलीगढ़ में दो दंगे हुए थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता। दो प्वाँइंट्स मैंने पूछे हैं, एक माइनारिटीज के बारे में और एक पुलिस ऐडमिनिट्रेशन के बारे में।

श्री जैल सिंह : मैं उनके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ कि हमारी सरकार अभी अभी आई है. इस बात की हमने जानकारी नहीं की। हमारे पास इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस वाले उसमें शामिल थे या नहीं थे और कैसे उनका हाथ रहा है, मगर मैं यकीन दिलाता हूँ, हम इस बात पर गौर करेंगे।

डा० राजेन्द्र कुमार वाजपेयी : क्या मन्त्री जी यह बताएंगे कि जनता सरकार और लोकदल सरकार के समय बहुत ज्यादा रायट्स हुए हैं हमारे देश में और उस समय हमारी जानकारी है **(व्यवधान)**...

चिलाने से कुछ नहीं होगा, जो फैक्ट्स हैं उनको मान कर चलें।

उस समय हमारी जानकारी है कि कम्यूनल फौर्सज हमारी सरकार के अन्दर थीं। तो क्या वर्तमान सरकार ऐसी जो ताकतें हैं जिनमें कि आर. एस. एस. और जमायते इस्लामी की संस्थाएं हैं जोकि ज्यादा तरीके से रायट्स को स्प्रेड अप करती हैं उनको बैन करने के लिए इम्मीडिएटली कदम उठाएगी ?

श्री जैल सिंह : इस मामले में हमने बैन करने के लिए तो कोई गौर नहीं किया मगर सरकार का यह पोख्ता इरादा है कि कम्यूनल फोर्सेज किसी भी शकल में हों, किसी भी नाम से हों, उनको सिर उठाने नहीं दिया जाएगा और उसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

जो पिछली सरकार के वक्त में हुआ वह इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं थी और गवर्नमेंट में जो मंत्रि गण थे वे सभी के सभी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते थे।

श्री भागवत झा आजाद : मैं एक छोटे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 60 मील दूर अलीगढ़ में पिछले दो वर्षों में हर महीने दंगे होते रहे, हर महीने वहाँ पर कर्फ्यू लगता रहा, फिर भी सरकार उस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई ? क्या पुलिस की अक्षमता थी या राजनैतिक नेतृत्व की नपुंसकता थी जिससे जनता पार्टी के कृष्णकान्त जैसे मेम्बरों के कहने के बावजूद भी कि वहाँ जनता पार्टी के सभापति नौमान ऐसे व्यक्तियों ने दंगे कराए, दंगे नहीं रुके ? क्यों ? नपुंसकता राजनैतिक नेतृत्व की थी या पुलिस की अक्षमता ? इसका स्पष्ट उत्तर दीजिए।

श्री जैलसिंह : स्पष्ट उत्तर तो इसका यही है कि इसमें इतना कसूर पुलिस का या ऐडमिनिस्ट्रेशन का नहीं था जितना बाहर से मदाखलत की और सरकार में कई तरह के तत्व जो शामिल थे वह किसी न किसी की मदद करते थे और उन्होंने पुलिस को डिमारेलाइज कर दिया था जिसकी वजह से ये फसाद होते थे। **(व्यवधान)**

मगर स्पीकर साहब, मैं एक प्रार्थना करूंगा—यह जो क्वेश्चन आया है यह पिछली सरकार के जमाने का है, इसलिए जो सही बात है वह तो बतलानी पड़ेगी। मगर जब बतलाता हूं, तो वे समझते हैं कि उनको उत्तर नहीं मिला, ऐसी हालत में उत्तर और किस तरह से मिल सकता है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : मोहतरिम स्पीकर साहब, जो आदादो-शुमार दिये गये हैं, वे यह बतलाते हैं कि जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान फिसादात में बे-पनाह इज़ाफ़ा हुआ। क्या यह हकीकत नहीं है कि नेशनल इन्टीग्रेशन कान्सिल ने यह सिफारिश की थी कि अगर किसी जगह पर कोई बड़ा दंगा या फिसाद होता है तो उसके लिए वहाँ के कलैक्टर और वहाँ के बड़े पुलिस अफसर को जिम्मेदार करार किया जायगा ? क्या यह हकीकत नहीं है कि जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान उस वक्त के वजीरे-आजम ने एलान किया था कि वह इस उसूल को नहीं मानते हैं ? क्या यह हकीकत नहीं है कि इन बातों की वजह से पुलिस अफसरान के अन्दर इस किस्म की चीज पैदा हो गई थी जिसकी वजह से फिसादात में बे-पनाह इजाफा हुआ ? क्या यह हकीकत नहीं है कि उस वक्त यह मुतालबा किया गया था कि पुलिस के अन्दर अकलीयतों की, खास तौर पर मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाय ? अगर ऐसा था तो इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत का क्या रवैया है ? क्या अकलीयतों और मुसलमानों की तादाद को मुनासिब तौर पर पुलिस कमेटी में बढ़ाने के लिए इकदामात उठाये जायेंगे ? मैं चाहूंगा कि वजीर साहब साफ और वाजा तौर पर इसका जवाब दें।

श्री जैलसिंह : मैं बाजा तौर पर इसका जवाब देता हूं। तीन-चार प्रश्न तो जो आपने इस तरह से किये हैं कि क्या यह सही नहीं है, क्या यह सही नही नहीं है, मैं यह कहूंगा कि जिन बातों के लिये आपने कहा कि सही नहीं है, मैं कहता हूं कि वे सही हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी है—क्या अकलीयतों की, खास तौर पर मुसलमानों की पुलिस में तादाद बढ़ाने के लिए सरकार कोई कदम उठायेगी, इसके लिए मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार माइनारिटीज का खास तौर पर ध्यान रखकर, कि उन पर किसी किस्म का जुल्म न हो, हर मुनासिब कदम उठायेगी और यह बात भी यकीनी तौर पर आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि माइनारिटीज हों या मैजोरिटी हो, हिन्दुस्तान के हर शहरी को एक ही तरह ट्रीट किया जायगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : स्पीकर साहब, मेरी बा रह गयी। नेशनल इंटीग्रेशन कान्सिल की रिकमेण्डेशन में बारे में कुछ नहीं कहा गया, वह उसको मानते हैं या नहीं ?

श्री जैलसिंह : मैंने कहा है—आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। नेशनल इन्टीग्रेशन कान्सिल का जो फैसला था या जो सिफारिश थी, उस सिफारिश को जनता सरकार ने नहीं माना···

(व्यवधान)

श्री चरणसिंह : जो जवाब गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, उस जवाब के मुताबिक ये आंकड़े सही हैं या नहीं, जिनको मैं पढ़कर सुनाता हूं। जैसा आपने कहा है कि जनता गवर्नमेंट के जमाने में ज्यादा रायट्स हुए और हमारे माननीय मित्र ने भी यही फरमाया है, लेकिन वाक्या यह है कि जो आपका जवाब है, वह ठीक उसके उलट है। होम मिनिस्टर साहब कहते हैं।···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री चरणसिंह : सन 1969 में 519 इन्सीडेन्ट्स हुए। सन 1970 में···

अध्यक्ष महोदय : उत्तर में यह बताया गया है।

श्री चरण सिंह : उसको छिपाकर कहा जा रहा है···व्यवधान · कहा यह गया है कि 1977-78 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, तब इन्सीडेन्ट्स ज्यादा हुए। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो जवाब दिया गया है···(व्यवधान) आप जरा उस जबाब को सुननें की कोशिश कीजिए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हस्तक्षेप करने का यह कोई तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइये। यह बात गृह मंत्री स्पष्ट करेंगे आप नहीं।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति सभा में काम करने का यह तरीका उचित नहीं है।

श्री चरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय होममिनिटर ने यह फरमाया कि जब जनता पार्टी की सरकार थी, तब रायट्स ज्यादा हुए। उन्होंने जो यह जवाब दिया है, ठीक इसके विपरीत है और मैं आपको पढ़कर आंकड़े सुना देता हूं :

1977 में 188 इन्सीडेंट्स हुए
1978 में 230 " "
जबकि 1869 में 519 " "
1970 में 521 " "
1871 में 321 " "
1972 में 240 " "
1973 में 242 " "

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका जो जवाब दिया हुआ है, उसके खिलाफ क्योंकि सब के पास जवाब नहीं हैं, होम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं। तो क्या यह क्वेश्चन आफ प्रिविलेज नहीं है कि वे गलत बयानी कर रहे हैं ?···(व्यवधान)···

श्री जैलसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मेम्बर चौधरी चरण सिंह ने जो आंकड़े मैंने दिये हैं, उनके बारे में कहा गया है। मैं उनकी शंका को दूर करना चाहता हूं। आपने मेरे दिये हुये आंकड़ों से ही यह सावित करने की कोशिश की इसमें हमारा ज्यादा कसूर है व्यवधान··· गवर्नमेंन्ट के ये आंकड़े हैं। पहले मेम्बर साहबान ने कहा था कि मैंने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने उनको बताया था कि कैसे-कैसे यह हुआ :

1966 में 45
1967 में 251
1978 में 133
1969 में 674
1970 में 298

ये जो आंकड़े हैं, ये सही बोलते हैं लेकिन इसमें कसूर किस का है। इन सालों में, जरा

गौर से सुनिये, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रान्तों में जो सरकारें थीं, वे यूनाइटेड फ्रन्ट की सरकारें थीं और उन्हीं सरकारों का यह मामला है। स्पीकर साहब, चौधरी चरण सिंह जी को यह बात अपने जहन ए रखनी चाहिए कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार कायम हुई 1977 में वह रही और 1979 में जनता (एस) की सरकार हो गई जबकि खुद चौधरी साहब प्रधान मत्री थे। अब आप देखिए कि इस जमाने में ज्यादा मर्डर हुये हैं, या उस जमाने में ज्यादा मार्डर हुए हैं जबकि इन भाईयों की सरकारें थीं

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न 39

श्री सूरजभान : हरिजन भी मरे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री रशीद मसूद : हैदराबाद में कितने रायट्स पिछले महीनों में हुए हैं···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब नहीं। मैं अगले प्रश्न के लिए कह चुका हूँ।

श्री सूरज भान : रायट्स में हरिजन भी मरे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न के लिए कह चुका हुँ। अब प्रश्न 39.

बम्बई में भान्डुप गांव में सड़क निर्माण के लिए नमक भूमि का दिया जाना।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई के उपनगरीयय क्षेत्र में भान्डुप गांव के लिए पहुँच मार्ग बनाने हेतु नमक भूमि देने के लिए नमक आयुक्त, उद्योग मंत्रायल से अनुरोध किया है,

(ख) यदि हाँ, तो कब और तत्वसम्बन्धी ब्यौर क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने नमक आयुक्त को निदेश दिया है कि उक्त भूमि महाराष्ट सरकार को दे दी जाये।

उयोग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन) : (क) तथा (ख) जी हाँ। बम्बई नगर निगम द्वारा दातार कालोनी से भन्डुप के लेविल क्रासिंग तक, जो सर्वेक्षण संख्या 21,246 तथा 275 का भाग है, मार्ग का निर्माण करने हेतु भण्डुप में नमक विभाग की जमीन के हस्तान्तरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सितम्बर, 1979 में नमक आयुक्त के पास एक प्रसस्ताव भेजा था।

(ग) मामला विचाराधीन है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वह कोई समयावधि बतायेंगे, क्योंकि यह अनेक वर्षों से लम्बित पड़ा हुआ है और वह यह भी बतायेंगे कि क्या यह मामला किसी विशेष समयावधि के भीतर तह हो जायेगा।

श्री आर. वेकटारमन : मैं यहाँ पर 2-सप्ताह से हूं और उनकी सरकार 2½ वर्ष तक रही। मैं इसके लिये शीघ्र कार्यवाही करवाने का प्रयास करूंगा। यह एक सार्वजनिक पामला है और में इस पर शीघ्र कार्यवाही करने का प्रयास करूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह मालूम है कि वास्तव में कम से कम समूचे बम्बई उपनगरीय श्रेत्र में, जिसा मैं इस संसद में प्रतिनिधित्व करता हूं, नमक आयुक्त की भूमि के बड़े-बड़े भू-भाग हैं। इस भूमि पर नमक नहीं बनाया जाता

है । अत : क्या वह नमक भूमि के बारे में क्या किया जाये, इस सामान्य नीति के प्रश्न पर विचार करेंगे, विशेषकर जबकि इस क्षेत्र में आवास की भारी कमी है ?

श्री आर० वेंकटारमन : यह एक नीति सम्बन्धी मामला हैं जिसका उत्तर प्रश्न काल के दौरान नहीं दिया जा सकता । तथापि मैं यह बता दूं कि जहाँ कहीं ऐसी भूमि, नमक के उत्पादन के लिये जिसकी आवश्यकता नहीं है सरकार के ध्यान में लाई जायेगी तो सरकार इस प्रश्न पर विचार करेंगी कि नमक-भूमि का आरक्षण किस प्रकार समाप्त किया जाये ।

श्री टी. ए. पाटिल : मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में निर्णय लेने के लिये क्या सिद्धान्त था मापदण्ड अपनाये जा रहे हैं । क्या ये सामान्य तौर पर लागू किये जायेंगे । इसका कारण यह है कि नमक आयुक्त की भूमि पर सड़कें बनाने के लिये जगह-जगह पर माँग की जा रही है और उन माँगों पर अभी तक विचार नहीं किया गया है और उन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है । अत: मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले के निर्णय लेने के लिये क्या सिद्धान्त अथवा मापदण्ड अपनाये जा रहे हैं और क्या इन्हें सामान्य रूप से लागू किया जायेगा ।

श्री आर. वेंकटारमन : इस मामले पर जनहित में विचार किया जायेगा । यदि जनता की मांगें बहुत जरूरी हैं, तो नमक भूमि का आरक्षण समाप्त किया जायेगा और उस पर सड़कें बनाने की अनुमति दी जायेगी । जैसा कि मैंने कहा कि जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी ।

बंगलादेश के साथ सीमा पर मुठभेड़

*42. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस महीने हमारी सेना और बंगला देश की सेना के बीच सीमा पर मुठभेड़ हुई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (ज्ञानी जैल सिंह) (क) और (ख) : जी नहीं, श्रीमान । किन्तु दक्षिणी त्रिपुरा के बेलोनियाँ उप-मंडल में मुहुरी चारलैंड में भारतीय राष्ट्रिकों को अपनी फसलों को काटने से रोकने के लिए बंगला देश राइफल्स कार्मिकों ने अकारण गोली चलाई । भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा के लिये सी० सु० बल ने जवाब में गोली चलाई ।

श्री पी. राजगोपाल नायडू : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रिकों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और उन्होंने फसलें काट ली हैं । क्या उन्हें चोटें आई हैं । बाद में फसलें काटने के लिये उन्हें क्या संरक्षण प्रदान किया गया है ?

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, जहाँ तक नेशन को प्रोटेक्ट करने का सवाल है, उसके लिए हमारे बी० एस० एफ० के जवान और हमारे फौजी भाई वहाँ पर तैनात हैं । मगर मैं यह चाहता हूँ, चूंकि 8 जनवरी के बाद वहाँ कोई वाक्या नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रश्न पर ज्यादा सप्लीमेंट्रीज न हों । यह बार्डर का मसला है और इसे हम एमीकेवली सेटिल करने को तैयार हैं और उसमें कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए ।

श्री पी० राज गोपाल नायडू : क्या इस मामले पर हमारे प्रधान मंत्री और बंगला देश के राष्ट्रपति, जब वह हाल में यहाँ आये थे, के बीच चर्चा की गई थी ।

श्री जैल सिंह : यह पी० एम० और प्रेजीडेंट की जो बात हुई है, उसके मामले में न तो मुझे बताना चाहिए और न ही, मैं कहता हूँ कि मुझे मालूम है। यह इसलिए कि पी० एम० और प्रेजीडेंट बंगला देश के दरम्यान जो बातचीत हुई उसमें मैं शामिल नहीं था। (इंटरप्शंज)

श्री जैल सिंह : आनरेबल मैम्बर साहिबान इस बात पर बेचैन न हों। मैं समझता हूं कि दो देशों के हैड्ज के दर्म्यान अगर कोई मुलाकात होती है और उसमें और कोई भी अफ्सर शामिल नहीं हंता है और मिनिस्टर भी शामिल नहीं होता है तो यह प्राइम मिनिस्टर का प्रिवलेज है कि वह बताएं कि क्या बात हुई और क्या नहीं हुई।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं वार्ता के बारे में कुछ बताने के लिये मंत्री जी से नहीं कहूंगा, क्योंकि वह कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। परन्तु जब त्रिपुरा सीमा पर दिन-प्रतिदिन गोलीबारी हो रही है, प्रेस के अनुसार बंगला देश के प्राधिकारियों ने यह आरोप लगाया है कि वे उस भूमि पर, जो नदी के मध्य में है और जिस पर भारतीय किसान खेती कर रहे हैं, काफी लम्बे अरसे से खेती कर रहे थे। वह भूमि भारत की नहीं है और यह बंगला देश की भूमि है। मैं उनसे यह नहीं पूछ रहा कि भारत के प्रधान मंत्री और बंगला देश के राष्ट्रपति, जिया-उर्रहमान के बीच क्या वर्ता हुई थी, क्योंकि उनका कहना है कि वह इसका उत्तर नहीं दे पायेंगे। फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय भारत सरकार का क्या विचार है, बाद में चाहे कैसा ही समझौता क्यों न हो। मुझे आशा है कि कुछ शान्तिपूर्ण हल निकल आयेगा। परन्तु इस समय भारत सरकार का उस तथाकथित विवादास्पद भूमि—हमारी ओर से विवादास्पद नहीं, बंगला देश की ओर से विवादास्पद—के बारे में क्या विचार है, जिसके कारण आपस में गोली-बारी हुई है ?

श्री जैल सिंह : यह सवाल दुरुस्त है और इसका जवाब मैं देता हूं। महोली रिवर जिसको प्रिंसली स्टेट के वक्त भी एक हद माना गया था उसने अपना रास्ता बदल लिया और रास्ता बदलने से कुछ एकड़ जमीन जो पहले बंगला देश में थी वह दरिया द्वारा रास्ता बदलने से भारत में आ गई और कुछ ऐसी जगह भी है जो रास्ता बदलने की वजह से भारत की जमीन दूसरी तरफ चली गई है। बंगाल देश वाले यह कलेम करते हैं कि चूंकि दरिया के बदलने से इलाका नहीं बदला जाता इस वास्ते हमको यह जमीन मिलनी चाहिए और यह हमारी है। इस मामले पर अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। बातचीत हुई थी और अभी दुबारा बातचीत होने वाली है कि उस इलाके के बारे में कैसे किया जाए। लेकिन यह मानी हुई बात है कि दरिया के दर्म्यान का इलाका जो था, दर्म्यान जो हद थी उसी को हद माना गया था और उसी को हद मान कर चल रहे हैं।

:परमाणु तथा सौर ऊर्जा का विकास

*43. **श्री राम विलास पासवान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा का संकट है; और

(ख) यदि हाँ, तो परमाणु ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) देश में बिजली की कमी है, चाहे वह परमाणु ऊर्जा से मिलने वाली बिजली हो, चाहे जीवाश्म से या पानी से।

(ख) सरकार की नीति बिजली पैदा करने के सभी साधनों का विकास करने की है, जिनमें परमाणु विजली भी शामिल है। चालू परमाणु बिजलीघर 640 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इसके अलावा, यह आशा है कि निर्माणाधीन बिजलीघर इस दशाब्द के मध्य तक 1160 मेगावाट बिजली पैदा करने लगेंगे। परमाणु बिजली के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए, जिसमें इसे बिजली में सीधे ही बदलना भी शामिल है, औद्योगिकी का विकास करने के काम को उच्च प्राथमिकता दी जाए।

श्री राम विलास पासवान : मैं जानना चाहता हूं कि अमरीका से यूरेनियम की आपूर्ति की स्थिति अभी क्या है क्योंकि आपके सभी बिजलीघर उसी पर चलते हैं ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तारापुर के लिए कोई वैकल्पिक ईंधन तैयार करने की योजना पर विचार कर रही है या पहले किया गया है ?

श्री जे० बी० पटनायक : वर्तमान स्थिति यह है कि अमरीका से जिस बढ़िया किस्म के यूरेनियम की हमें आशा है, वह नहीं आ रहा है। अतः हम किसी वैकल्पिक स्रोत, विशेषकर स्वदेशी स्रोत की बात सोच रहे हैं जिससे हम तारापुर संयंत्र को ईंधन की सप्लाई कर सकें।

श्री राम विलास पासवान : दूसरा सवाल अध्यक्ष जी मेरा है कि क्या यह सही है कि फास्ट ब्रीडर तकनीकी से बिजली उत्पादन बहुत सस्ता पड़ता है ? यदि हाँ, भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कदम उठाये हैं ? स्वतन्त्र परमाणु विकास नीति बनाई जाय और ऊर्जा आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार ने जो एक नीति अपनाई थी उसमें अभी तक क्या विकास हुआ है, प्रगति हुई है ?

श्री जे० बी० पटनायक : जहाँ तक परमाणु ऊर्जा के विकास का सम्बन्ध है, सरकार का यह आशय है कि यह इस देश में ऊर्जा के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिये। अतः हमारे यहाँ इस देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिये एक बहुत बड़ी योजना है और इस शताब्दी के अन्त तक हम 8,000 से 10,000 एम० डब्ल्यू० ई० परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगे। इस प्रयोजनार्थ, हम यूरेनियम के विदेशी स्रोतों पर निर्भर नहीं है, हमारे यहाँ देश में यूरेनियम के प्राकृतिक स्रोत है और हम इनका इस प्रयोजनार्थ विकास कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

*41 **श्री पासाला पेचालय्याह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों (पंचायत राज और नगर पालिकाएं) के पदाधिकारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हाँ, तो वे राज्य कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार ने आरक्षण करने के लिये अन्य राज्यों को निदेश जारी किये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (घ) तक : अपेक्षित सूचना सभी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है ।

आसाम में दंगे

*44. **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में दंगों के कारण गत तीन महीनों में कितने व्यक्ति मरे;

(ख) इससे कितने व्यक्ति वेघरबार हो गए; और

(ग) इसी अवधि में हिंसा तथा आगजनी की कितनी घटनाएं हुईं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क), (ख) तथा (ग) : असम सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अक्तूबर, 1979 से 20 जनवरी, 1980 तक की अवधि के दौरान असम में हिंसा तथा आगजनी की 201 वारदातें हुई हैं तथा 69 व्यक्तियों की जानें गई हैं । उपलब्ध जानकारी के अनुसार कामरूप जिले में 15,000 से अधिक लोग बेघर हो गये हैं ?

आयोगों पर हुआ व्यय

*45. **श्रीमती कृष्णा साही** :

श्री बी० एन० गाडगिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता पार्टी की सरकार द्वारा अपने शासन के दौरान नियुक्त किये गए विभिन्न आयोगों पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ख) इन आयोगों के लिये नियुक्त किये गए सरकारी वकीलों को कुल कितना शुल्क दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन आयोगों को समाप्त करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मुकवाणा) : (क) 1,28,46,943 रुपए ।

(ख) 3,42,515 रुपए ।

(ग) सभी जाँच आयोगों ने अपने प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिये थे और अब कोई भी आयोग विद्यमान नहीं है ।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का सम्मेलन

*46 **श्री सी० आर० महाटा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो सम्मेलन का क्या परिणाम रहा ।

उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास

संगठन का तृतीय महासम्मेलन इस समय नई दिल्ली में हो रहा है। यह सम्मेलन 21 जनवरी, 1 80 को आरम्भ हुआ है तथा 8 फरवरी, 1980 तक चलेगा। अतः फिलहाल इसके परिणाम बता पाना संभव नहीं है।

दल-बदल विरोधी विधेयक का पुर.स्थापित किया जाना

*47. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दल-बदल विरोधी विधेयक पुरःस्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) सरकार को अभी तक इस विषय पर विचार करने और कोई दृष्टिकोण अपनाने का अवसर नहीं मिला है।

सीमेंट की कमी और उसका आयात

*48. **श्री आर० पी० यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि कुछ वर्ष पूर्व देश से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में से एक प्रमुख वस्तु सीमेंट थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने सीमेंट का आयात करना प्रारम्भ कर लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार किया जा रहा है।

उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) यद्यपि पिछले वर्षों में सीमेंट का निर्यात किया गया था किन्तु यह निर्यात की मुख्य वस्तु नहीं थी।

(ख) तथा (ग) सीमेंट की मांग तथा आंतरिक उत्पादन से मिलने वाली मात्रा के बीच के अन्तर को आंशिक रूप से कम करने के लिए वर्ष 1978 से देश में सीमेंट का आयात किया जा रहा है।

(घ) देश के अन्दर सीमेंट की उपलब्धता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(1) भूटान तथा नेपाल को छोड़कर देश से बाहर सीमेंट का निर्यात करने पर रोक लगा दी गई है।

(2) सरकारी तथा निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए अनेक नये लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी किये गए हैं।

(3) सीमेंट के संरक्षण के लिए अपनाये गए विभिन्न अभ्युपायों पर मंत्रिमंडल की एक उपसमिति इस समय विचार कर रही है। सीमेंट के स्थान पर बुझे हुए चूने, पैंडी हस्क सीमेंट सगोल, चूने का गारा आदि भी सामग्री का इस्तेमाल करके सीमेंट संरक्षण किया जा रहा है।

(4) देश में सीमेंट का आयात किया जा रहा है।

(5) सड़क द्वारा सीमेंट परिवहन के भाड़ा प्रतिपूर्ति संबंधी विद्यमान नियमों को उदार बना दिया गया है।

(5) सरकार ने बिजली की कटौती के दौरान कैप्टिव पावर का उपयोग करने के लिए सीमेंट का उत्पादन करने के मामले में सहायता की मंजूरी दी है।

(7) सीमेंट का उत्पादन करने के लिए कोयले की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण मिट्टी के तेल का उपयोग करने के लिए सरकार ने सीमेंट उद्योग को सहायता देने की घोषणा की है।

(8) विद्यमान एककों के उत्पादन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि क्षमता का बेहतर उपयोग करने का सुनिश्चय किया जा सके।

(9) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रिकेल्सीनेटर प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

(10) चल रही परियोजनाओं के निर्माण में शीघ्रता की जा रही है।

(11) सरकार ने स्लैम का उपयोग करने के लिए इस्पात संयंत्रों पर अथवा उनके समीप सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है।

(12) सरकार ने बड़ी संख्या में छोटे सीमेंट संयंत्र लगाने को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय किया है।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

*51. **श्री के० लकप्पा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत $2\frac{1}{2}$ वर्षों के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति के निरन्तर खराब होते रहने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि प्रशासन वस्तुतः निष्क्रिय हो गया था और लोगों को दिन के समय भी अपनी जान का डर बना रहता था और स्त्रियाँ सूर्यास्त के पश्चात् अपने घरों से निकलने का साहस नहीं कर सकती थीं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इससे पूर्ववर्ती सरकार के कार्य-काल की तुलना में उक्त अवधि के दौरान डकैतियों, चाकू मारने, जंजीर झपट ले जाने, जेब काटने तथा अन्य समाज-विरोधी गतिविधियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी; और

(घ) यदि हाँ, तो पिछली सरकार के असफलताओं के लिए क्या कार्यवाही की गई है और वर्तमान सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : (क) से (घ) कुछ समय से दिल्ली के लोगों में, अपराध की घटनाओं में विशेषतः सनसनीखेज अपराधों जैसे छीना झपटी, सड़क पर रोक कर लूट लेना, महिलाओं के साथ छेड़- खानी हत्यादि विशेष रूप से तड़के सवेरे और संध्या के समय, वृद्धि के कारण असुरक्षा की भावना रही है।

2. बाहर से बड़ी संख्या में लोगों का आना, जनसंख्या में कई गुणा वृद्धि, रिहायशी कालोनियों का बहुत दूर दूर होना, अपर्याप्त पुलिस प्रबन्ध तथा असमाजिक-तत्वों की रिहाई इसके कुछ मुख्य कारण हैं।

3. अतुलग्नक विवरण में विविन्न शीर्षों के अन्तर्गत अपराधों के तुलनात्मक आँकड़े दिए गए हैं जिससे पता चलता है कि पिछले तीन बर्षों में अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है नामतः गत दो वर्षों अर्थात् 1975-76 की तुलना में 1977-79 में।

4. स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। पदभार संभालने के तुरन्त बाद गृह मंत्री ने इस विषय पर दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इसके पश्चात कई बैठकें हुई- एक बैठक में दिल्ली पुलिस के विभिन्न कर्मचारियों, इन्सपेक्टरों तथा उससे ऊपर के अधिकारियों ने भाग लिया। गृह मत्री ने उनको भरोसे में लिया, उन्हें व्यक्तियों और साधनों के रूप में आवश्यक सहायता प्रदान करने का अशवासन दिया और उनसे अपराध रोकने के लिए शीघ्र तथा दृढ़ कार्रवाई करने के लिए कहा ताकि व्यक्ति शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए पाए जाऐंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में किए गए कुछ विशिष्ट उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) शहर में विशेषतः सवेदनशील क्षेत्रों में तथा प्रातः और सायं के समय गहन गश्त आरम्भ कर दी गई है।

(ii) गश्त का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करने के लिए वरिष्ठ पुलिश अधिकारियों को अनुदेश दिये गये हैं।

(iii) संवेदनशील स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियाँ तैनात की गई हैं।

(iv) ज्ञात अपराधियों पर निगरानी कड़ी कर दी गई है और अपराधियों के अभिलेखों को अद्यतन बना दिया गया है।

(v) पुलिस नियंत्रण कक्ष को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(vi) यह निर्णय किया गया गया है कि अपराध अभिलेख कार्यालय पहले की भाँति एक पाली में कार्य करने की बजाय 24 घंटे कार्य करेगा।

(vii) दिल्ली पुलिस अधिनियम के अधीन बदमाशों को निष्कासित करना बढ़ा दिया गया है।

(viii) अच्छी पुलिस-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए नये पुलिस थाने और चौकियाँ बनाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ix) पुराने वाहनों को बदलने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

विवरण

दिल्ली राज्य के वर्ष 1975 से 1979 तक के लिए अपराध आंकड़े।

अपराध शीर्ष	वर्ष	सूचित किये गये
डकैती	1975	18
	1976	5
	1977	21
	1978	71
	1979	61

अपराध शीर्ष छीना-झपठी	वर्ष	सूचित किये गये
हत्या	1975	165
	1976	120
	1977	184
	1978	185
	1979	190
हत्या के प्रयास	1975	188
	1976	113
	1977	208
	1978	271
	1979	321
लूटपाट	1975	257
	1976	142
	1977	354
	1978	666
	1979	621
	1975	143
	1976	122
	1977	277
	1978	379
	1978	356
दंगे	1975	146
	1976	38
	1977	148
	1978	304
	1979	395
सेंधमारी	1975	2216
	1976	1589
	1977	2683
	1978	3432
	1979	2947
अन्य चोरियाँ	1975	16969
	1976	13284
	1977	21678
	1978	25268
	1979	25737

अपराध शीर्ष छीना झपटी	वर्ष	सूचित किए गये
अन्य मा० द० सं०	1975	8469
	1976	7693
	1677	10302
	1978	12831
	1979	13456

कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार

*52. **श्री एम वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री माधव राव सिंधिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई सरकार के कार्य भार संभालने के बाद से कानून और व्यवस्था की स्थिति में कहाँ तक सुधार हुआ है ; और

(ख) क्या उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों का कोई सम्मेलन बुलाया है ?

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह): (क) नई सरकार को कार्यभार संभाले केवल 16 दिन हुए हैं और बहुत बिगड़ी हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति में इतने कम समय में उल्लेखनीय सुधार की आशा नहीं की जा सकती।

(ख) इस विषय पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का विचार है।

दहेज के कारण दिल्ली में हुई मौतें

*53. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अलूरी :** क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाले एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान माँगे गये दहेज के कारण राजधानी में यूवा विवाहित महिलाओं के मारे जाने अथवा उनकी–आत्महत्या करने के लिए विवश किये जाने के कितने मामले रिपोर्ट किये गये अथवा रजिस्टर किये गये हैं ;

(ख) उनमें से ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें अपराधियों को दण्डित किया गया है ; और

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें (एक) अब तक कार्यवाही की जा चुकी है और (दो) पुलिस ने अभी तक मामलों की छान-बीन नहीं की है अथवा मामले दायर नहीं किये है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 1978 में तीन मामले और 1979 में 9 मामलों की दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट की गई।

(ख) और (ग) : पुलिस द्वारा सभी 12 मामलों में कार्यवाही की गई है। 4 मामलों में न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं और 6 में तफतीश की जा रही है। इन 10 मामलों में 20 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं। शेष दो मामलों की तफतीश जारी है किन्तु इनमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

आसाम और निकटवर्ती क्षेत्रों में उपद्रव

* 55. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में हाल ही में हुए उपद्रवों के कारण समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई पर गंभीर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी० वेंकटसुब्बयाा : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) पेट्रोलियम से बनी वस्तुएं खाद्य वस्तुएं जैसे नमक, चीनी, खाद्य तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी की सूचना वस्तुतः समस्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से मिली है । प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सभी वर्गों के लोगों में सुरक्षा की भावना को पुनः स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है । इस आन्दोलन में संलग्न छात्रों और अन्य लोगों के साथ विचार विमर्श को जारी रखने और समस्याओं का संतोषजनक हल ढूंढने के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने की सरकार की चिन्ता के विषय में उन्हें पुनः विश्वास दिलाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं ।

शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु विस्फोट

* 56. **श्री एन. के. शेजवलकर** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु विस्फोट करने के बारे में वर्तमान सरकार की नीति क्या है; और

(ख) यदि परमाणु विस्फोट करने की नीति है तो उसके क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी : (क) तथा (ख) भारत सरकार अपनी इस नीति पर कायम है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग तथा केवल शांतिमय कार्यों के लिए किया जाए, जिनमें शांतिमय न्यूक्लियर परीक्षण भी शामिल है ।

सैनिक स्कूल

72. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूलों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) इन स्कूलों को चलाने के लिये उनके वित्तपोषण तथा प्रबन्ध की प्रणाली क्या है;

(ग) उनमें 1978 और 1979 में स्कूल-वार कितने विद्यार्थी थे; और

(घ) क्या चालू केलेण्डर वर्ष में नये सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु, चुने गए स्थानों के नाम क्या है ?

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सैनिक स्कूलों की स्थापना और प्रबन्ध सैनिक स्कूल सोसाइटी करती है । यह सोसाइटी एक स्वायक्तशाली निकाय है और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है ।

सैनिक स्कूलों की स्थापना करने के लिए भूमि, भवन और उपस्कर की प्रारम्भिक लागत की व्यवस्था राज्य सरकारें करती हैं। सैनिक स्कूलों को चलाने का खर्च, फीस छात्रवृत्ति से प्राप्त आय से पूरा किया जाता है।

(ग) एक विवरण संलग्न हैं।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यवार सैनिक स्कूलों के नाम तथा उनमें दाखिल लड़कों की संख्या

सैनिक स्कूल का नाम तथा राज्य	दाखिल किए गए लड़कों की संख्या	
	31-12-78 को	31-12-79 को
सैनिक स्कूल सतारा (महाराष्ट्र)	592	625
सैनिक स्कूल कुंजपुरा (हरियाणा)	586	602
सैनिक स्कूल बालाचड़ी (गुजरात)	534	497
सैनिक स्कूल कपूरथला (पजाब)	635	637
सैनिक स्कूल चितौडगढ़ (राजस्थान)	471	494
सैनिक स्कूल, कोरू कुंडा (आन्ध्र प्रदेश)	510	519
सैनिक स्कूल काजीकूटम, (केरल)	581	612
सैनिक स्कूल पूरलिया (पश्चिम बंगाल)	442	474
सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, (उड़ीसा)	591	619
सैनिक स्कूल अमरावती नगर (तमिल नाडू)	631	605
सैनिक स्कूल, रीवा (मध्य प्रदेश)	429	457
सैनिक स्कूल तिलैया डेम (बिहार)	645	776
सैनिक स्कूल, बीजापुर (कर्नाटक)	527	518
सैनिक स्कूल, गोलपाड़ा (असम)	534	581
सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल (उत्तर प्रदेश)	401	396
सैनिक स्कूल, नगरोता (जम्मू तथा कश्मीर)	418	450
सैनिक स्कूल, (इम्फाल (मणिपुर)	355	359
सैनिक स्कूल, सुजानपुर तिरा (हिमाचल प्रदेश)	51	100

रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान में अपने हाथ में ली गई सड़कें

73. **श्री विर्धी चन्द जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल में राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले से लगती हुई निम्नलिखित सड़कें अपने नियंत्रण में ले ली हैं : (1) बाड़मेर—जेलपा—बैसाला—हरसली, (2) रायसर से चाहरण, (3) रायसर से रणसर, (4) जसाई से राखी;

(ख) उपरोक्त सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने के लिये 1979-80 के दौरान कितनी

धनराशि आवंटित की गई और कब तक कितनी धनराशि खर्च की गई और मार्च 1980 तक उन पर कितनी धनराशि बच जायेगी; और

(ग) उपरोक्त सड़कें अब तक बन कर तैयार हो जायेंगी ?

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) जी नहीं। अभी ये सड़कें नियत्रण में नहीं ली गई हैं, तथापि, इन सड़कों को नियंत्रण में लेने का काम जारी है।

(ख) वर्ष 1979-80 में इन सड़कों के लिए 54.50 लाख रुपये की रकम निर्धारित की गई है। चूंकि अभी तक इन सड़कों को राज्य लोक निर्माण विभाग से अपने नियंत्रण में नहीं लिया गया है अत: अब तक इन सड़कों पर कोई राशि व्यय नहीं की गई है। इसीलिए निर्धारित उक्त रकम राज्य कोष में वापस कर दी गई है। मार्च 1980 तक इन सड़कों पर कोई धनराशि खर्च किए जाने की संभावना नहीं है।

(ग) मार्च 1984 तक इन सड़कों का निर्माण पूरा कर लेने की योजना है।

महाराष्ट्र में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना

74. **श्री आर० के० महालगी** : क्या उद्योग मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में कुल कितने जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है और किन-किन जिलों में;

(ख) शेष जिलों में ऐसे केन्द्र कब आरम्भ किए जाएंगे तथा उन जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र में सभी जिला उद्योग केन्द्रों ने अब तक कार्यवाही योजना तैयार की है;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या और उनके नाम क्या हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ङ) महाराष्ट्र में सभी जिला उद्योग केन्द्रों के लिए कार्यवाही योजनाएँ कब तक तैयार हो जाएंगी ?

उद्योग मंत्री (श्री आर. वेंकटारमन) : (क) से (ङ) महानगरीय क्षेत्र ग्रेटर बम्बई जिले को छोड़कर महाराष्ट्र के लिए निम्नलिखित 25 जिला उद्योग केन्द्रों को, जो सारे राज्य में फैले हुए हैं, स्वीकृति दी गयी हैं। इनमें से 15 को अप्रैल, 1978 में व 10 को फरवरी, 1979 में स्वीकृति दी गई थी। जिन जिलों के लिए जिला उद्योग केन्द्र स्वीकृत किए गये हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

"अहमदनगर, औरंगाबाद, भांदड़ा, भीढ़ बुलढाना, चन्द्रपुर, (चाँदा), कोलाबा, धूलिया, जलगाँव, नादेड़ उसमानाबादा, परभानी, रत्नागिरी, वार्धा, यवतमल, थापे, नासिक, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, शोलापुर, नागपुर, अकोला और अमरावती।"

इनमें से 16 नामत: अहमदनगर, औरंगाबाद, भांदड़ा भीढ़, बुलटाना, चन्द्रपुर (चाँदा) कोलाबा, धूलिया, जलगाँव नादेड़, उसमानाबाद नासिक, परभानी, रत्नागिरी, शोलापुर, वार्धा, यवतमल ने "कार्रवाई योजनायें" तैयार कर ली है। शेष 9 जिला उद्योग केन्द्रों की कार्रवाई योजनाएँ तैयारी के विभिन्न स्तरों पर है और उनके शीघ्र पूरा होने की आशा है। साधारणतया

जिला उद्योग केन्द्र की स्वीकृतति के पश्चात शुरू के लगभग 6 महीने जिला उद्योग केन्द्र के क्रियाविधि संबन्धी मामलों अर्थात कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण व केन्द्र के संगठन आदि कार्यों में लग जाते हैं।

जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए आवंटन

75. **श्री गिरिधर गौमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनजाति उप-योजना क्षत्रों के लिए पंचवर्षीय योजना में (एक) राज्य योजना परिव्यय, (दो) केन्द्रीय मंत्रालयों, (तीन) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं, (चार) संस्थागत वित्त तथा अन्य स्रोतों से कितना धन आवंटित किया गया;

(ख) वर्ष 1979-80 में जनजाति क्षेत्रों के लिए राज्यों द्वारा कितना धन आवंटित किया गया और गृह मत्रालय द्वारा राज्यों को कितना धन दिया गया; और

(ग) राज्यों ने उस संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकाणा) (क) अनुमान है कि छठी योजना के दौरान जन जातीय उप-योजना को राज्य योजनाओं से दिया जाने वाला धन 1850 करोड़ रुपये होगा, और संस्थागत वित्त से दी जाने वाली राशि 300 करोड़ रुपये होगी। विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि 350 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय कार्यक्रमों से उपलब्ध कराये जाने वाले धन का अनुमान 500 करोड़ रुपये लगाया गया था परन्तु इसमें परिवर्तन हो जायेगा क्योंकि बहुत से केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम राज्यों को स्थानान्तरित कर दिये गए हैं।

(ख) सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) यदि 1879-90 के लिए निर्धारित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि राज्यों की रिपोर्टों से पता लगता है कि उप योजना क्षेत्रों में विशेषत: सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, भू-संरक्षण, सहकारी ऋण तथा बागवानी विकास में प्रगति हुई है। शोषण समाप्त करने को अग्रता दी गई है। उत्पाद-शुल्क नीति में संशोधन किया गया है, भूमि हस्तान्तरण की समस्या को समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में हाथ में लिया जा रहा है तथा ऋण तथा विपणन सुविधाओं को सुदृढ़ किया रहा है। इन क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न मात्राओं में सफलता मिल रही है।

विवरण

(रुपये लाख में)

राज्य का नाम	राज्य योजना से प्राप्त होने वाला धन आवटन	विशेष केन्द्रीय सहायता अब तक की गई राशि
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1537·38	314·30	244·55
असम	1000·00	323·50	153·00
विहार	6525·00	839·00	629·25
गुजरात	3920·00	558·40	250·50

हिमाचल प्रदेश	795·60	125·00	93·75
कर्नाटक	315·00	48 00	24·00
केरल	158.75	40·00	30·00
मध्य प्रदेश	7055·30	1889·90	1479·65
महाराष्ट्र	4583·60	375·10	291.35
मणिपुर	1117·00	126·00	63·00
उड़ीसा	5850·76	931·10	327·50
राजस्थान	3334·46	514.70	427·95
तमिलनाडु	204·00	55·00	27·50
त्रिपुरा	580·99	130·00	97·50
उत्तर प्रदेश	59·27	31·00	23·25
पश्चिम बंगाल	1774·31	314·00	157·00
अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूह	262·98	43·00	12·50
गोआ, दमण और द्वी	18·00	22·00	11·75
आरक्षित	——	320 00	——
जोड़	39359·80	6680·00	4444·00
कुल जोड़	39359·80	7000.00	4444·00

छह पंचवर्षीय योजनाओं पर हुआ व्यय

76. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली छह योजनाओं पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ख) दस हजार रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों पर हुए उपरोक्त व्यय की प्रतिशतता क्या है और उन्हें कितना आनुपातिक लाभ प्राप्त हुआ है ?

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी : (क) पहली योजना से लेकर पांचवीं योजना के अन्त तक कुल योजना व्यय 66,604 करोड़ रु० था।

(ख) योजना व्यय के ब्यौरों को कृषि, विद्युत आदि जैसे विकास के विशेष शीर्षों के रूप में मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है। अधिकांश योजना व्यय बिजली घरों, बांधों, सड़कों आदि जैसी सामान्य आधारिक संरचना के निर्माण से संबंधित स्कीमों पर होता है। कुछ ऐसी योजना स्कीमें हैं जो अलग-अलग लाभ ग्रहियों के लिए और जो छोटे किसानों आदि से सम्बन्धित हैं। ऐसी स्कीमों में भी व्यय को लाभग्राहियों के आय-स्तर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। इसीलिए दस हजार से कम आय वाले व्यक्तियों पर किए गए योजना व्यय का अनुपात बताना सम्भव नहीं है।

तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए सम्बन्धित यूरेनियम की सप्लाई

77. **श्री चित्त बसु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की सरकार ने तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए सम्बंधित यूरेनियम भेजे जाने की इस बीच स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हाँ तो इस बारे में कोई शर्त लगाई गई है; और

(ख) यदि हाँ तो इन शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) :ये प्रश्न उठते ही नहीं।

राज्यों के योजनाओं के लिए आबंटन

78. **श्री कृष्ण दत्त :** क्या प्रधान मंत्री गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों की योजनाओं के लिए आवंटित राशि का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी : पिछले तीन वर्षों में राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए अनुमोदित परिव्ययों का विवरण संलग्न है।

विवरण

अनुमोदित परिव्यय- राज्य योजनाएं

लाख रु०

राज्य	वार्षिक योजना 1976-77	वार्षिक योजना 1977-78	वार्षिक योजना 1978-79
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	26785	36875	44900
2. असम	7737	11939	15500
3. बिहार	25514	30694	38414
4. गुजरात	21850	29158	33500
5. हरियाणा	14179	154540	21000
6. हिमाचल प्रदेश	3784	5635	7300
7. जम्मू और कश्मीर	7999	8968	10800
8. कर्नाटक	22468	24150	30900
9. केरल	12069	14152	17600
10. मध्य प्रदेश	27550	35577	41300
11. महाराष्ट्र	46870	66180	73500
12. मणिपुर	1776	2319	2826
13. मेघालय	2022	2446	2911

14. नागालैंड	1770	1927	2453
15. उड़ीसा	13177	15400	19100
16. पंजाब	22597	26550	26000
17. राजस्थान	15240	17530	23500
18. सिक्किम	1220	1247	1580
19. तमिलनाडु	22387	26012	30500
20. त्रिपुरा	1507	1578	2270
21. उत्तर प्रदेश	53437	65475	75500
22. पश्चिम बंगाल	23300	31592	37140
जोड़—राज्य :	375226	470844	558494

बिहार में गेड आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, हेरादेह का बन्द होना

79. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कोदरमा के निकट हेरोदेह स्थिति गेड आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जोकि बिहार में स्पन पाइप की एक मात्र फैकटरी है, जुलाई, 1976 से बन्द पड़ी है और यह आरोप लगाया गया है कि उसने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के दो करोड़ रुपये का घोटाला किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि औद्योगिक बैंक ने इस कारखाने का दिवाला निकाल कर किसी प्राइवेट व्यक्ति के साथ इसकी नीलामी के लिए एक तारीख निश्चित कर दी है ;

(ग) यदि उपरोक्त भागों (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो जबरन छुट्टी किये गये 600 कर्मचारियों को स्थायी राहत देने के लिए सरकार के विचाराधीन क्या स्थायी हल है; और

(घ) यदि राहत देने का कोई प्रस्ताव है तो वह कब तक दी जायेगी।

उद्योग मन्त्री (श्री आर० वेंकटारमन) : (क) और (ख) 1960 में ग्रेड आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रवर्तन किया गया और 1969 में उसमें उत्पादन होने लगा था। प्रारम्भ से ही तकनीकी एवं प्रबन्धकीय अधिकारियों के अभाव में कम्पनी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसमें भारी परिमाण में हानियाँ हुई। जुलाई 1976 से ही यह बन्द पड़ी है। आई. डी. बी. आई. आई. एस. सी. ओ. तथा अन्य संगठनों के प्रयास तथा उनके द्वारा किए गये प्रबन्धकीय कर्मचारियों के उपक्रम को पुनरुज्जी वित करने के प्रयत्न असफल हो गये हैं। सरकार द्वारा उपक्रम को पुन: चालू करने के प्रश्न की विस्तार से जाँच की गई है तथा उद्योग की वर्तमान गिरी हुई दशा व विशेषकर कास्ट आयरन स्पेन पाइप को माँग की दर की बढ़ोतरी धीमी होने के कारण यह विवेक सम्मत नहीं समझा गया कि कम्पनी के लिये भारी निदेश किया जाये। अतएव, उद्योग (विकास तथा विनियनम) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के ही अन्तर्गत यह निर्णय किया गया है कि इस औद्योगिक उपक्रम के कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाये। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों से उपक्रम दिवालिया ठहरायी गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के

शासकीय परिसमापक ने 18 जनवरी, 1980 को आम नीलामी में उपक्रम की कुछ स्थायी सम्पत्ति बेच डाली है। शेष परिसम्पत्तियों को भी बेच देने का और प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) केन्द्र सरकार के पास प्रभावित कर्मचारियों का पुनर्वास करने की कोई भी वैकल्पिक योजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक नीति की समीक्षा

80. **श्री के० ए० राजन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई जा रही पूंजीगत वस्तुओं सम्बन्धी उदार आयात नीति से ऋयादेशों के न मिलने के कारण स्वदेशी भारी इंजीनियरिंग उद्यमों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस नीति की समीक्षा करने और इसका पुनरीक्षण करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उद्योग मन्त्री (श्री वेंकटारमन) (क) : विदेशी मुद्रा निधि में सुधार लाने के संदर्भ में सरकार ने विचार किया कि आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए उन अड़चनों की जो विदेशी मुद्रा की पहले होने वाली कमी के कारण मार्ग में आई थी; दूर करके इसका लाभ किस तरह उठाया जा सकता है। स्वदेशी पूंजीगत सामान उद्योग तथा आयात के उदारीकरण के अभ्युपायों को लागू करने के लिए संरक्षण देने की आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय प्राथमिकता के 14 चुने हुए उद्योगों में निवेश की सम्पूर्ण लागत को कम करने की दृष्टि से पूंजीगत सामान के आयात को उदार बनाने के लिए सरकार का निर्णय 1978-79 से लिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास में वृद्धि करना और स्वदेशी पूंजीगत सामान उद्योग से नियन्त्रित प्रतियोगिता करवाना था। आयात अथवा अन्यथा के गुणावगुण पर विचार करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी। अब तक विश्व निविदा योजना के अंतर्गत अधिकार प्राप्त समिति के विचार के लिए केवल 14 आवेदन आये हैं और इस प्रकार स्वदेशी पूंजीगत सामान उद्योग पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का निर्धारण करना अभी समय पूर्व है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि स्वदेशी पूंजीगत सामान निर्माता उद्योग बिजली की कमी और महत्वपूर्ण कच्चे माल की कमी और अवस्थापना सुविधाओं की अन्य अड़चनों जैसी बातों के कारण उतने कारगर ढंग से प्रतियोगिता करने में समर्थ न होता जितने कि इस योजना के अधीन परिकल्पना की गई है।

(ख) सरकार अनवरत आधार पर आयात नीति की समय-समय पर समीक्षा करती है।

सीमेंट की मांग, क्षमता और आयात

श्री जार्ज फर्नांडिस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पाँच वर्षों के लिये सीमेंट की अनुमानित आवश्यकता कितनी है,

(ख) देश में सीमेंट का उत्पादन करने की अधिष्ठापित क्षमता क्या है,

(ग) इस समय कितनी अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित की जा रही है, और

(घ) आगामी वर्ष में सरकार का विचार कितना सीमेंट आयात करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन) : (क) माँग में 8 प्रतिशत की संचयी वृद्धि होने के आधार पर वर्ष 1980-81 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है :—

	(दस लाख मी० टनों में)
1980-81	27·99
1981-82	30·22
1982-83	32·64
1983-84	35·25
1984-85	38·08

ब्रिटिश इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्री एशोसियेशन के शिष्ट मंडल की भारत यात्रा

82. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंजीनियरिंग इडस्ट्री एसोसियेशन के प्रतिनिधि मंड़ल ने जनवरी, 1980 में भारत यात्रा की थी और उसने तेल और गैस उत्पादन के उपकरणों की पेशकश की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री आर० वेंकटारमन) : (क) इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, यू० के० के एक 12 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने जनवरी, 1980 में भारत की यात्रा की थी और एसोसिएशन आफ इण्डियन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज (ए. आई. ई. आई.) के साथ विचार विमर्श किया था और अन्य बातों के साथ-साथ तेल तथा गैस उत्पादन के लिए उपकरणों और मशीनों की पेशकश की थी।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है।

तुर्की में सीमेंट का कारखाना स्थापित किया जाना

83. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में सुंकी में सीमेंट का कारखाना स्थापित किये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा सरकार और उनके मंत्रालय द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त कारखाने की स्वीकृति दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं।

उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र में उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में एक सीमेंट परियोजना स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने अक्तूबर, 1969 में एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव की जाँच की गई थी और यह पाया गया था कि इस जिले में एक सीमेंट परियोजना तब तक व्यावहारिक नहीं है जब तक दांतेवाड़ा-सुखमा-राजमुन्दरी रेल लाइन नहीं बना दी जाती है अथवा कोट्टावालसे-किरून्डल रेलवे लाइन सामान्य

वस्तुओं के लाने ले जाने के लिए नहीं खोल दी जाती है। रेलवे मंत्रालय ने जिनसे बाद वाली संभावना की जाँच करने के लिए अनुरोध किया गया था, सूचित किया है कि इस लाइन का प्रमुखतः बेलाडीला क्षेत्र से विशाखापट्टनम तक निर्यात के लिए खनिज लोहे के ढोने हेतु निर्माण किया गया था तथा इस क्षेत्र से सामान्य वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा का लाना ले जाना स्वीकार करना मुश्किल है।

जनजाति विकास सम्बन्धी कार्य दल की सिफारिशें

84. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजाति विकास सम्बन्धी कार्य दल द्वारा की गई सभी सिफारिशों को उनके मन्त्रालय ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितनी सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित किया गया है;

(ग) केन्द्रीय मंत्रालयों तथा उनके मंत्रालय द्वारा किन मुख्य सिफारिशों को अभी क्रियान्वित किया जाना शेष है ;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त सिफारिशों का अनुसरण किया है; और

(ङ) सिफारिशों की क्रियान्विति में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ङ) तक जनजाति विकास सम्बन्धी कार्य दल के प्रतिवेदन को जिसे गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को परिचालित किया गया था ताकि राज्य जनजाति उप-योजना और छठी योजना, 1978-83 के दौरान क्षेत्रीय कार्यक्रम तैयार करते समय वे इन सिफारिशों को ध्यान में रखें।

केन्द्रीय मंत्रालयों ने जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के प्रयोग के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यक्रमों से निधि के निर्धारण का कार्य शुरू कर दिया है। राज्य सरकारों ने भी यह कार्य शुरू कर दिया है। वार्षिक जनजाति उप-योजना पर विचार विनिमय करते समय ये सिफारिशें ध्यान में रखी जाती हैं।

आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए आर्थिक कार्यक्रम

85. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय देश में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए आर्थिक कार्यक्रम तैयार कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो स्वीकार और क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्यों और सम्बन्धित मन्त्रालयों द्वारा गरीब जनता के लिये आर्थिक कार्यक्रमों हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) तक सरकार अपने इस आशय की घोषणा कर चुकी है कि जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रधानतः देश की आर्थिक और सामाजिक

दृष्टि से पिछड़ी हुई जनसंख्या के लिए था उसे फिर से गतिशील किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता भी दी जायेगी जिसमें विशेष बल शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिया जायेगा। छोटे और मझौले किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को सहायता देने पर भी बल दिया जायेगा। इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटनों के ब्यौरे नई सरकार द्वारा अभी निर्धारित किए जाने हैं जिसने हाल ही में कार्यभार संभाला है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

86. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के विभागों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के सम्बन्ध में कोई कठिनाई देखी गयी हैं;

(ग) यदि हाँ, तो वह किस प्रकार की है ;

(घ) क्या जबरदस्ती हिन्दी थोपने की कोई शिकायतें भी मिली हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में हिन्दी को स्वैच्छिक रूप से सम्बन्धित करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या प्रोत्साहन दिये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हिन्दी के विस्तृत प्रयोग में मुख्य कठिनाई उन कर्मचारियों की मानसिक हिचकिचाहट है जो अंग्रेजी में कार्य के अभ्यस्त रहे हैं। सरकार का इन मानसिक अवरोधों को दूर करने तथा अपने कर्मचारियों को हिन्दी के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयत्न रहा है। अनुनय तथा हिन्दी के प्रयोग के लिए सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया गया है। अहिन्दी भाषी राज्यों पर हिन्दी थोपने का कोई इरादा नहीं है।

(च) हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :

(i) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति की स्थापना।

(ii) अलग-अलग मंत्रालयों में सम्बन्धित मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियों की स्थापना।

(iii) हिन्दी सलाहकार तथा सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति की स्थापना।

(iv) मूल संरचना नामत: तकनीकी सहायता और सन्दर्भ साहित्य को सुदृढ़ करना,

(v) हिन्दी परीक्षाएं पास करने और सरकारी कार्य हिन्दी में करने, दोनों के लिये, प्रोत्साहन करना, तथा

(vi) हिन्दी, हिन्दी टंकण, तथा हिन्दी आशुलिपिक में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये हिन्दी शिक्षण योजना का संचालन।

दिल्ली में डकैती और हत्या की घटनाएँ

87. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में समाज-विरोधी तत्व सक्रिय होने के कारण गत 6 महीनों के दौरान डकैती और हत्या की कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) 1-1-1979 से 31-12-79 की अवधि के दौरान 17 डकैती के मामले और 106 हत्या के मामलों की रिपोर्ट की गई।

(ख) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) ज्ञात बदमाशों के विरुद्ध निष्कासन की कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं।

(2) रात-दिन गहन पैदल और चलती फिरती गश्त लगाई जा रही है।

(3) सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियाँ तैनात की जाती हैं।

(4) दिल्ली में सक्रिय गिरोहों और अपराधियो का पता लगाने और आपराधिक सूचना एकत्रित करने के लिए विशेष केन्द्रीयकृत दस्ते का गठन किया गया है।

(5) ज्ञात अपराधियों पर निगरानी रखने के कार्य को कड़ा किया जा रहा है और अपराधियों के रिकार्ड को अद्यतन किया जा रहा है।

(6) शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत खोज कार्य को तीव्र किया जा रहा है।

छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन करने का विधेयक

88. **श्री आर० के० महालगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन करने वाले विधेयक का प्रारुप सरकार के पास तैयार है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार उसको संसद में कब पेश करेगी; और

(ग) भारत में विभिन्न छावनियों के सम्मेलन की सरकार द्वारा स्वीकार की गई मुख्य सिफारशें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) और (ख) छावनी अधिनियम 1924 में संशोधन करने तक के विधेयक के प्रारूप को संसद में प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) छावनियों के चुने हुए सदस्यों का अखिल भारतीय स्तर पर एक सम्मेलन 24 जनवरी 1969 को किर्की में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किये गये जिन्हें सरकार को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में शामिल किया गया था। छावनी अधिनियम के संबंध में इस सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य प्रस्ताव पारित किए गये थे :—

(1) छावनी अधिनियम में संशोधन करने में काफी विलम्ब होने की बात पर चिन्ता प्रकट की गई और यह भी कहा गया कि जब कभी इनमें कोई संशोधन होता है उनसे छावनियों को विकेन्द्रित करने और लोकतांत्रिक बनाने की बजाय अधिकारियों को और अधिक अधिकार दिए जाते हैं;

(2) छावनी बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को इन

बैठकों की अध्यक्षता न करने देने और इसके बदले में सैनिक अफसरों को अध्यक्ष बनाए जाने की निन्दा की गई;

(3) प्रत्येक छावनी बोर्ड में चुने हुए सदस्यों की संख्या प्रति 30 हजार दानदाताओं के पीछे एक चुना हुआ सदस्य के अनुपात में वृद्धि की जाये। इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारी और गैरीसन इंजीनियर सहित श्रेणी 'क' छावनियों में नामजद सदस्यों की सख्या 5 श्रेणी 'ख' में 4 और श्रेणी 'ग' में 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) चुने हुए सदस्यों की कार्य अवधि अन्य स्थानीय निकायों की तरह तीन वर्ष से बढ़ा कर 5 वर्ष की जानी चाहिए। चुने हुए सदस्यों में से ही बोर्ड का अध्यक्ष बनाना चाहिए, सैनिक पक्ष की ओर से नहीं।

उपर्युक्त सिफारिशों तथा विभिन्न व्यक्तियों से छावनी अधिनियम में संशोधन करने के बारे में प्राप्त सुझावों पर सरकार द्वारा दिसम्बर, 1972 में गठित कार्य-दल ने विचार किया था। इस कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार एक व्यापक संशोधन विधेयक का प्रारम्भ तैयार किया जा रहा है।

शिलांग डेमोक्रेटिक फोरम शिलांग से संयोजक से प्राप्त ज्ञापन

90. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दे शिलाँग डेमोक्रेटक फोरस, शिलांग के संयोजक श्री पी० सी० विस्वास से दिनाँक 20-12-79 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी० वेंकटसुब्बया : (क), (ख) और (ग) सरकार को शिलाँग डेमोक्रेटिक फोरस शिलाँग के संयोजन श्री पी० सी० विश्वास से एक ज्ञापन दिनाँक 20 दिसम्बर, 1979 को प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कहा गया है कि मतदाता सूचियों में से विदेशियों के नाम निकालने की माँग को लेकर आन्दोलन असम के अनुरूप शिलाँग में शुरू किया गया था, गैर आदिवासियों के नाम मतदाता सूचियों में से इस दलील पर हटा दिये गये थे कि वे भारतीय नागरिक नहीं थे, आदिवासी युवक शिलांग के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में से गैर-आदिवासी व्यक्तियों की देखभाल कर रहे थे, रामकृष्ण मिशन, चैरापूंजी में विस्फोट की घटना तथा श्री मनिकदास, विधायक और श्रीमती पी० मारक पर आक्रमण से स्थिति की गंभीरता स्पष्ट होती है तथा केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से सभी दलों की बैठक बुलाने तथा शाँति और मैत्री के लिए संयुक्त अपील करने पर जोर देने के लिए कहना चाहिए। ज्ञापन में यह भी सुझाव दिया गया था कि विदेशियों की समस्या का समाधान शाँति और सामान्य स्थिति के वातावरण में विधि के अनुसार किया जाना चाहिए।

यह समझते हुए कि सरकार का परम कर्तव्य शांति और व्यवस्था बनाए रखना और लोगों के भिन्न भिन्न वर्गों में सुरक्षा की भावना बहाल करना है, राज्य सरकार ने कानून और व्यस्वथा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासनिक उपाय किए हैं। किए गए उपाय इस प्रकार हैं :—

(I) रामकृष्ण मिशन, चैरापूंजी में विस्फोट तथा उस घटना की जिसमें श्री मानिकदास विधायक और श्रीमति पी० मारक की जाने गई, जाँच पड़ताल आरम्भ की गई है।

(II) पर्याप्त निवारक कार्यवाही करने के लिए 26 दिसम्बर, 1979 को मेघालय निवारक नजर बन्दी अध्यादेश, 1979 को उद्घोषित किया गया।

(III) असुरक्षित और परिवेदनशील क्षेत्रों में गस्त कड़ी कर दी गई है।

(IV) जमींदारों द्वारा अभित्रस्त किये जाने पर कार्यवाही करना, भा० दं० सं० की धारा 506 के अधीन अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय बना दिये गये हैं।

(V) शांति तथा सौहार्द का वातावरण बढ़ाने में सहायता करने के लिए राजनैतिक दलों तथा स्थानीय प्रैसों से अपील की गई है।

(VI) प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि विस्थापित अपने मूल घरों को वापस जा सकें।

केन्द्र राज्य सरकार के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है और शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की तुरन्त आवश्यकता पर बल दे रही हैं। स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सशस्त्र बलों की सहायता उपलब्ध कराई गई थी। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिये राज्य सरकारों को सशस्त्र पुलिस की अतिरिक्त यूनिटें भी उपलब्ध कराई गई थी।

हरिजनों को मतदान करने से रोके जाने संबंधी शिकायतें

91. **श्री मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के मध्यविधि चुनावों के दौरान विशेषत: उत्तर प्रदेश में हरिजनों को मतदान केन्द्रों पर जाने से रोके जाने के विरुद्ध कोई शिकायते प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इन हरिजनों के मत किन्हीं अन्य लोगों से डलवाये गए थे; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले की जांच कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र (मकवाणा) : (क) चुनाव आयोग को सातवीं लोक सभा के आम चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में हरिजनों और मतदाताओं के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति हिंसा और अत्याचार के सम्बन्धों में नौ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) अन्य लोगों से वोट डलवाने के कुछ मामले ध्यान में आये थे किन्तु यह मालूम नहीं है कि क्या जाली वोट डालने वाले हरिजनों के बदले वोट डाल रहे थे क्योंकि मतदाता सूची में मतदाता की जाति का उल्लेख नहीं होता है।

(ग) चुनाव आयोग ने अनियमितताओं और कमजोर वर्गों के मतदाताओं को डराने के सन्देह में चुनाव-अधिकारियों से शिकायतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में बारह मतदान केन्द्रों पर पुन: मतदान कराने के आदेश दिए हैं।

हरिजनों को मतदान करने से रोकने और अन्य लोगों द्वारा वोट डलवाने के बारे में मामलों को चुनाव याचिका द्वारा उठाया जा सकता है।

छेदा नगर, बम्बई में रिहायशी मकान बनाने पर आपत्तियां

92. **डा० सुब्रह्मण्यिम स्वामी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय के नमक आयुक्त ने पूर्वोत्तर बम्बई के छेदा नगर में रिहायशी मकान बनाने पर आपत्तियाँ उठाई हैं,

(ख) यदि हाँ, तो इन आपत्तियों का आधार क्या है, और

(ग) बम्बई क्षेत्र में नमक आयुक्त के अधीनस्थ भूमि पर निर्माणार्थ प्रयोजनों के लिए उपयोग करने सम्बन्धी सामान्य नीति निदेश क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री श्री बेंकटारमन : (क) और (ख) जी हाँ। नमक आयुक्त ने नमक उत्पादन के लिए पट्टे पर दी गई भूमि पर रिहायशी मकान बनाने पर आपत्ति उठाई है।

(ग) साम्राज्य नीति के अनुसार, नमक उत्पादन के प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी गई केन्द्रीय सरकारी भूमि का किसी ऐसे प्रयोजन हेतु उपयोग करने की अनुमति नहीं है जो नमक उत्पादन से सम्बन्धित न हो।

पत्नियों के जलने की दुर्घटनाएं

93. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार के शासन के दौरान पत्नियों के जलने की दुर्घटनाओं की संख्या में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार, और वर्षवार विशेष रूप से राजधानी में ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या इस बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कोई टिप्पणियाँ की गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) तक अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

अगला उपग्रह छोड़ना और उसे बनाने के लिए विदेशी सहायता

94. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हम निकट भविष्य में अगला उपग्रह छोड़ रहे हैं; और

(ख) क्या हम उपग्रह का निर्माण करने में और उसे अंतरिक्ष में भेजने में अन्य देशों से सहायता ले रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्द्रा गांधी) : (क) और (ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाये जा रहे प्रायोगिक भू-तुल्यकालिक संचार उपग्रह एरियन पैसेंजर नीतभार परीक्षण (एप्पल) को निकट भविष्य मे कौरू, फ्रेंच गियाना से छोड़ा जाना है। यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी के एरियन प्रमोचक राकेट की तृतीय विकासात्मक उड़ान द्वारा यह उपग्रह छोड़ा जायेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पुनर्गठन

95. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पुनर्गठन कर रही है, और

(ख) यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में कार्यभार संभाला है और इसने विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के पुनर्गठन के बारे में

अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। बहरहाल, यह स्पष्ट है कि यदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के विकास में उपयोगी भूमिका निभानी है तो इस विभाग को सुदृढ़ करना होगा।

आन्ध्र प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना

96. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने निर्माणाधीन हैं; और

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) इस समय, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु बिजलीघर तथा राजस्थान में परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट काम कर रहे हैं। आशा है कि राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट भी शीघ्र ही काम शुरू कर देगा। इन बिजलीघरों के अलावा, तमिलनाडु में मद्रास परमाणु बिजलीघर के दो यूनिट तथा उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु बिजलीघर के दो यूनिट निर्माणाधीन हैं।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनवरत योजना के मामले का पुनरोपण

97. **श्री पी. राजगोपाल नायडू**

श्री आर. के. महालगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनवरत योजना के मामले का पुनरोक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मत्री (श्रीमती इन्द्रा गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) नई सरकार ने हाल ही में कार्यभार संभाला है; उसके योजना पर नए सिरे से विचार करने के समय यह किया जाएगा।

लघु उद्योगों में उत्पादन के मासिक आँकड़े

98. **श्री राम विलास पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों में उत्पादन के विश्वसनीय मासिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वार्षिक आंकड़ों को तैयार करने का तरीका क्या है जबकि मासिक आँकड़े उपलब्ध नहीं है और वे कहाँ तक सही हैं;

(ग) क्या इन गलत आँकड़ों से राष्ट्रीय आय का समूचा प्राक्कलन गलत नहीं हो जाता है; और

(घ) क्या कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों का 40 प्रतिशत योगदान, जैसा कि राष्ट्रीय आय में दिखाया गया है, सही है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) तथा (ख) सम्भाव्यत: माननीय सदस्य के

विचार में समस्त विकेन्द्रीकृत औद्योगिक क्षेत्र रहा होगा जिसमें आधुनिक लघु उद्योग, हथकरघा शक्तिचालित करघा, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हस्तशिल्प तथा नारियल जटा उद्योग आते हैं। केवल उन लघु उद्योग एककों को छोड़कर जो कारखाना अधिनियम के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और वार्षिक उत्पादन आंकड़े सूचित करने के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में सम्मिलित किये जाते हैं, अन्य एककों का मासिक (और) अथवा वार्षिक उत्पादन आंकड़े। अनुमान प्रस्तुत करने का कोई दायित्व नहीं है। इस प्रकार का कोई दायित्व न होने पर उत्पादन के अनुमान निम्नलिखित ढंग से वार्षिक आधार पर तैयार किये जाते हैं :

लघु उद्योग

कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत लघु उद्योग एककों के सम्बन्ध में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत आँकड़े लिए जाते हैं। राज्य उद्योग निदेशालयों में पंजीकृत एककों के संबन्ध में उत्पादन की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने के लिए 1972 के गणना आंकड़ों पर अध्यारोपण करके 2 प्रतिशत प्रतिचयन का सहारा लिया जाता है। गैर-कारखाना तथा गैर-पंजीकृत एककों के सम्बन्ध में उत्पादन अनुमान तैयार करने के लिये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आँकड़ों का प्रयोग किया जाता है।

हथ करघे तथा शक्तिचालित करघे

(हथ करघों के सम्बन्ध में) उत्पादन अनुमानों का सम्बंध लच्छा सूत्र से तथा (शक्ति चालित करघों के सम्बन्ध में) शंकु तथा सेम (बीन्स) से है।

खादी तथा ग्रामोद्योग

उत्पादन के अनुमान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उन एककों से प्राप्त विवरणों के आधार पर तैयार किये जाते हैं जिन्हें वे सहायता देते हैं।

रेशम उद्योग

केन्द्रीय रेशम बोर्ड कच्चे रेशम के उत्पादन के अनुमान राज्य सरकारों से प्राप्त उन आंकड़ों के आधार पर तैयार करता है जो रेशम के कीड़े पालने के लिए खाद्य पोधों के अधीन क्षेत्रफल से संबंधित होते हैं।

हस्तशिल्प उद्योग

उत्पादन के आंकड़े अनुमान विभिन्न शिल्पों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों से प्रकट होने वाले मानदण्डों के आधार पर तैयार किये जाते हैं। इन सर्वेक्षणों से तत्संबंधी शिल्प समूहों में औसत उत्पादन का हिसाब लगाया जाता है। इस औसत उत्पादन को तत्सबंधी शिल्पों में नियोजित अनुमानित व्यक्तियों की सख्या के साथ गुणा किया जाता है।

नारियल जटा उद्योग

नारियल जटा रेशे का उत्पादन नारियल बागानों के अधीन क्षेत्रफल तथा प्रति एकड़ उपज से संबंधित होता है।

यह सच है कि समस्त विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के लिए आंकड़ा आधार में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) लघु उद्योगों का योगदान कुल विनिर्माणकारी क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत होता है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों द्वारा आत्म हत्या

99. **श्री समर मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के आत्म हत्या करने वाले वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 1977 से अब तक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के जिन वैज्ञानिकों और कर्मचारियों ने आत्म हत्या की, उनकी संख्या नीचे दी जा रही है :

वर्ष	वैज्ञानिक	अन्य कर्मचारी
1977	—	2
1978	—	3
1979	—	1
1980	1	1

(ख) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार, आत्म हत्या की घटनाओं के पीछे ऐसे व्यक्तिगत कारण थे, जिनका संबंध सेवा सम्बंधी मामलों से नहीं था।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई के एक वैज्ञानिक द्वारा आत्म हत्या

100. **श्री समर मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई के एक वैज्ञानिक श्री जे० आर० रामा कृष्णन द्वारा 15 जनवरी, 1980 को आत्महत्या करने की घटना की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या थे; और

(ग) क्या सरकार ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई के वैज्ञानिक कर्मचारियों आदि की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में किसी जाँच समिति का गठन किया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) तथा (ख) जी, हाँ। मृतक द्वारा छोड़े गये पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि यह आत्म हत्या का मामला है, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि आत्महत्या का कारण क्या था ?

(ग) जी, नहीं। तथापि, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव ने विभाग में प्रशासन और प्रबंध-व्यवस्था से सम्बंधित कार्य विधियों की पुनरीक्षा करने के लिए अधिकारियों की एक विभागीय समिति का गठन कर दिया है।

असम में गैर-असमवासी लोगों की सुरक्षा

101. **श्री समर मुकर्जी**

श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम में

गैर-असमवासियों विशेषकर बंगाली लोगों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : सरकार विधि और व्यवस्था को बनाए रखने और असम में सभी वर्गों के लोगों में सुरक्षा की भावना बहाल करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं।

(i) अतिरिक्त बल का लगाया जाना।

(ii) असम दंगाग्रस्त क्षेत्र अधिनियम, 1955 और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियों) अधिनियम 1958 के अधीन कुछ प्रभावित क्षेत्रों का "दंगा ग्रस्त" क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जाना ताकि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कारगर कार्रवाई की जा सके।

(iii) असम लोक व्यवस्था बनाये रखना अधिनियम 1957 के अधीन गाँवों पर सामूहिक जुर्माने करना।

इस आन्दोलन में संलग्न छात्रों और अन्य लोगों के साथ विचार विमर्श को जारी रखने और उनकी समस्याओं का संतोष जनक हल ढूंढने के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने की सरकार की चिन्ता के विषय में उन्हें पुनः विश्वास दिलाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

बिजली, कोयला, और रेलवे जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए योजनायें

102. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्पादन में वृद्धि करने और बिजली, कोयला तथा रेलवे जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए कोई योजनाएँ बनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) विद्युत्, कोयला और रेलवे जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सरकार का तात्कालिक प्रयास पहले से निर्मित क्षमता के अधिक अच्छे उपयोग के लिए उपाए करने का होगा। इसके साथ-साथ, इन क्षेत्रकों में अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने से सम्बंधित स्कीमों को पुरजोर तरीके से चलाया जाएगा। नई सरकार ने हाल ही में कार्यभार संभाला है; उसके योजना के लक्ष्यों पर नये सिरे से विचार करने पर ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

चीन के साथ सीमा पर मुठभेड़ की घटनायें

103. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत एक वर्ष (1979) के दौरान चीन के साथ सीमा पर मुठभेड़ की कितनी घटनायें हुई और उनका स्वरूप क्या है;

(ख) मुठभेड़ की प्रत्येक घटना में अलग अलग हमारे कितने व्यक्ति मारे गये/घायल हुए;

(ग) प्रत्येक मामले में हताहत व्यक्तियों/हताहत व्यक्तियों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) भविष्य में मुठभेड़ की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 1979 के दौरान चीन के साथ सीमा पर कोई मुठभेड़ नहीं हुई ?

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

पाकिस्तान के साथ सीमा पर मुठभेड़ की घटनायें

104. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष (1979) के दौरान पाकिस्तान के साथ सीमा पर मुठभेड़ की कितनी घटनाएँ हुई और उनका स्वरूप क्या है;

(ख) मुठभेड़ की प्रत्येक घटना में अलग अलग हमारे कितने व्यक्ति मारे गये/घायल हुये;

(ग) प्रत्येक मामले में हताहत व्यक्तियों/हताहत व्यक्तियों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) भविष्य में मुठभेड़ की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 1979 में पाकिस्तान के साथ सीमा पर कोई मुठभेड़ नहीं हुई । हाँ गोलाबारी की कुछ घटनाएँ अवश्य हुई ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

भूतपूर्व सैनिकों/सेवा-निवृत्त होने वाले सैनिक कर्मचारियों को संशोधित पेंशन

105. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों/सेवा-निवृत्त होने वाले सैनिक कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों की पेंशन पिछली कौनसी तारीख को संशोधित की गई थी;

(ख) प्रत्येक रैंक के मामले में संशोधन का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह संशोधन किस तारीख से किया गया था और भूतपूर्व सैनिकों/सेवा-निवृत्त होने वाले सैनिक कर्मचारियों के कौन-कौन से वर्ग इस संशोधन से प्रभावित हुये थे;

(घ) क्या संशोधन के लाभ उन सभी रैंकों अथवा वर्गों पर लागू होंगे जो सरकार द्वारा स्वीकार की गई तारीख से पूर्व सेवा-निवृत्त हो गये थे;

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में निर्णय कब लिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) सेना अफसरों और कार्मिकों के विभिन्न वर्गों की पेंशन दरें निम्नलिखित तारीखों से संशोधित की गई थीं :

(1) तीनों सेवाओं के अफसर पद से नीचे के कार्मिक	—	21-6-79
	—	25-6-79 और
	—	26-6-79
(2) तीनों सेवाओं के कमीशन प्राप्त अफसर	—	28-9-79
(3) सेना परिचर्या सेवा के अफसर	—	10-1-80

पेंशन की संशोधित दरें पहली अप्रैल 1979 से प्रभावी हैं और ये उन सभी को लागू हैं जो इस तारीख को अथवा इसके बाद प्रभावी नहीं रहे हैं/रहते हैं।

तीनों सेनाओं के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों की पेंशन की संशोधित दरों का एक विवरण सलग्न है।

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन दरों का संशोधन नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें मूल्य वृद्धि के लिए पेंशन में राहत दी जाती है। तदनुसार जो भूतपूर्व सैनिक 30-9-77 से पहले सेवा निवृत्त हुए हैं उनकी पेंशन दरों में संशोधन नहीं किया गया है। परंतु उन्हें पहली दिसम्बर 1978 से पेंशन के 5% की दर पर पेंशन में राहत की किस्त मंजूर की गई है जो न्यूनतम 5 रुपए और अधिकतम 25 रुपये प्रतिमाह है। इस समय उन्हें पेंशन के 40% के हिसाब से कुल राहत दी जा रही है जो न्यूनतम 40 रुपए और अधिकतम 200 रुपये प्रतिमाह है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सम्बंधी लाभ उनकी सेवा निवृत्ति के समय लागू नियमों से शासित होते हैं। उसके बाद पेंशन नियमों को यदि और उदार बनाया जाता है तो सामान्य नीति के अनुसार उन्हें पिछली तारीख से ही लागू नहीं किया जाता है।

विवरण

1 अप्रैल 1979 को या इसके बाद अप्रभावी होने वाले सैनिक अफसरो और अफसरों से नीचे के रैंक के कार्मिकों के लिए सेवा निवृत्ति पेंशन की दरें :

(क) स्थायी कमीशन प्राप्त अफसर

रैंक	पेंशन की दर	
	सेना परिचर्या सेवा से भिन्न अन्य अफसरों के लिए	सेना परिचर्या सेवा के अफसरों के लिए
(1)	(2)	(3)
सुबल्टर्न	525 रुपये प्रतिमाह	— रुपये प्रतिमाह
कैप्टन	750 ,,	500 ,,
मेजर	875 ,,	600 ,,
लेफ्टिनेंट कर्नल	950 ,,	725 ,,
कर्नल	1100 ,,	825 ,,
ब्रिगेडियर	1125* ,,	950 ,,
मेजर जनरल	1275 ,,	1025 ,,
लेफ्टि. जनरल	1375 ,,	— ,,
लेफ्टि. जनरल	1475 ,,	— ,,

*1 मई 1979 या इसके बाद अप्रभावी होने वालों के लिए 1175/-रुपये

(आर्मी कमांडर)		
थल सेनाध्यक्ष	1700 ,,	—

टिप्पणी : ऊपर कालम 2 में उल्लिखित दरें लेफ्टिनेंट जनरल (आर्मी कमांडर) के समकक्ष अफसरों को छोड़कर, नौसेना और वायुसेना में समकक्ष रैंकों के लिए भी लागू होंगे ।

(ख) अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक :

रैंक	पेंशन की दरें	
	न्यूनतम रुपये प्रतिमाह	अधिकतम रुपये प्रतिमाह
(1) थल सेना		
सिपाही	120	188
नायक	137	220
हवलदार	152	266
नायव सूवेदार	189	358
सूवेदार	242	463
सूवेदार मेजर	296	546
(2) नौसेना		
सीमैन 1 और समकक्ष	132	209
लीडिंग सीमैन और समकक्ष	146	258
पेटी अफसर/ मैकेनिशियन-4/ आर्टीफिशर-4	162	317
चीफ पेटी अफसर/ आर्टीफिशर-3/ मैकेनिशियन-3	197	391
आर्टीफिशर-2/ मैकेनिशियन-2	214	353
आर्टीफिशर-1/ मैकेनिशियन-1	239	394
चीफ आर्टीफिशर/ चीफ मैकेनिशियन	274	451
मास्टर चीफ पेटी अफसर-2	256	509
मास्टर चीफ पेटी अफसर-1	296	560

(3) वायु सेना

लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन	130	176
कारपोरल	144	242
सार्जेंट	170	332
जूनियर वारंट अफसर	209	430
वारंट अफसर	256	509
मास्टर वारंट अफसर	296	560

हमारी सीमाओं के निकट रुसी सेनायें

106. **श्री एम. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुसी सेनायें अफगानिस्तान में अपने हस्तक्षेप के फलस्वरूप हमारी सीमाओं के निकट आ पहुँची हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान ने भी अपनी सेनायें हमारी सीमाओं की ओर भेज दी हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इससे हमारी सीमाओं पर भी तनाव बढ़ गया है ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान के सैनिक जमाव और अफगानिस्तान में चीनी तथा रुसी सेनाओं के जमाव से आसंकित खतरे को देखते हुए भारत ने भी अपने पूरे सुरक्षा उपाय कर लिये हैं ; और

(ङ) क्या कदम उठाये जा रहे है अथवा उठाये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जैसा कि सर्वविदित है सोवियत फौजें अफगानिस्तान में हैं ।

(ख) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है जिसके अनुसार पाकिस्तानी फौजों की हमारी सीमा के आस पास विशेष हलचल के बारे में कहा जा सके ।

(ग) से (ङ) अफगानिस्तान में सोवियत सेना की उपस्थिति से हमारे पड़ोस में एक नई परिस्थिति जरुर पैदा हो गई है । हम अपनी सीमाओं के आस पास सभी स्थितियों पर पूरी चौकसी रखे हुए हैं और भारत की प्रादेशिक अखण्डता बनाए रखने के लिए आवश्यक और उपयुक्त कार्रवाई यथा समय की जाएगी ।

अमरिका द्वारा परमाणु ईधन की सप्लाई

107. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार ने परमाणु इंधन की सप्लाई के प्रश्न को अमेरिका की सरकार के हाथ उठाया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अमरीकी सरकार ने भारत सरकार को समझौते के अनुसार परमाणु इंधन की मात्रा को भारत भेजने के संबंध में आश्वासन दे दिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो नई सरकार के कार्य भार संभालने के बाद से भारत को कितनी मात्रा में परमाणु इंधन की सप्लाई की जा चुकि है; और

(घ) क्या वर्ष 1979 के लिए स्वीकृत किया गया परमाणु इंधन भारत को भेजा जा चुका है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद, अमिरिकी प्राधिकारियों ने समृद्ध यूरेनियम नहीं दिया है । तारापुर बिजली घर के लिए समृद्धयूरे नियम की पिछली खेप अप्रैल, 1979 में प्राप्त हुई थी।

(घ) जी, नहीं ।

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति

108. **श्री आर० पी० यादव :**

श्री के० लक्प्पा :

श्री मए० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री रामायण राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले कुछ समय से देश में कामून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द मकवाणा) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) कानून और व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने तथा अव्यवस्था को खत्म करने और कानून पर्वतन की एजेन्सियों को सक्रिय बनाने के उपाय करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन शीघ्र आयोजित करने का विचार है ।

बोको, असम में हत्याएँ

109. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या गृह मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय के एक विधान सभा सदस्य कैप्टन माणिक दास और एक भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, श्रीमती पर्सीलीना आर० मारक की 13 दिसम्बर, 1979 को बोको (असम) में हत्या कर दी गई थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा कोई जाँच की जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो अब तक जाँच कार्य में कितनी प्राप्ति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) अपराधिक जाँच विभाग द्वारा मामले की तफतीश की जा रही है । केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के एक वरिष्ठ पुलिस उप-अधीक्षक को तफतीश से सम्बद्ध किया गया है ।

(ग) हाल ही में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक जीप जब्त की गई है ।

असम में विदेशी राष्ट्रिक

110. **श्री एन. के. शेजवलकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम तथा उसके साथ लगे क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में विदेशी

राष्ट्रिक प्रवेश कर गये हैं जिनके फलस्वरूप देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) और (ख) असम में विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या जटिल है। असम में हाल की घटनाओं पर एक विस्तृत वक्तव्य 24 जनवरी, 1980 को सदन में दिया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए उपाय भी दर्शाए गए थे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पृथकवादी शक्तियाँ

111. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पृथकवादी शक्तियाँ पुनः सक्रिय हो गई हैं और इश्तहारों का विवरण कर शक्ति का प्रयोग करने का प्रचार कर रही हैं;

(ख) इन पृथकवादी तत्वों के विरूद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या इन तत्वों को कोई विदेशी समर्थन प्राप्त है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और इसकी संबद्ध संस्थाओं को जो अपनी पृथकवादी मागों को लेकर हिंसक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त हैं, अवैध गतिविधियाँ (निवारक) अधिनियम 1967 के अधीन 7 जुलाई, 1979 को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया है। इसी प्रकार मणिपुर में कुछ मैतयी उग्रवादी संगठनों को भी जो हिंसक गतिविधियों में अन्तग्रैस्त हैं, अवैध गतिविधियों (निवारक) अधिनियम, 1967 के अधीन 26 अक्तूबर, 1979 को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया है। मिजोरम और मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा कार्यवाई को तेज किया जा रहा है और मणिपुर में उग्रवादी संगठनों की चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को चुस्त कर दिया गया है। यद्यपि नागालैंड में स्थिति सामान्यतः शांतिपूर्ण रही है फिर भी हमारी सीमा के पार बर्मा में रह रहे भूमिगतों के दल के इरादों को निष्फल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सुरक्षा बल रिगरानी रखे हुए है।

(ग) और (घ) : यद्यपि मिजो, नागाओं और मेतयी के कुछ विद्रोही तत्वों ने बाहरी देशों से पहले कुछ सहायता प्राप्त की थी, परन्तु इस बात की कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने हाल ही के दिनों में सहायता प्राप्त की है।

असम में छात्र आन्दोलन

112. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मतदाता सूची में से "यिदेशियों" के नामों के हटाने के सम्बन्ध में माँग करते हुए असम में छात्रों द्वारा किए जा रहे आन्दोलन की जानकारी है;

(ख) क्या आन्दोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो हिंसा का स्वरूप और उसकी व्यापकता कितनी है और उसका परिणाम क्या रहा;

(घ) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या का गहन अध्ययन करने और उसका एक अनुपालनीय हल निकालने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) आन्दोलन के प्रारम्भ होने के बाद से अनेक हिंसक घटनाएं हुई हैं।

(ग) से (ङ) तक : अगस्त से सितम्बर, 1979 के बीच 26 व्यक्तियों की जानें गईं, आगजनी की लगभग 120 घटनाएं हुईं और मार-पीट की लगभग 327 वारदातें हुईं। जनवरी, 1980 में कामरूप जिले में 41 लोगों की जानें गईं और 3200 से अधिक घरों में आग लगा दी गई जिससे 15 000 से अधिक लोग बेघरबार हो गये। कछार जिले में साम्प्रदायिक झगड़ों में 6 व्यक्तियों की जानें गईं। डुलियाजान में 18 जनवरी को हिंसक घटनाओं में ऑयल इंडिया के एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी सहित 5 व्यक्ति मारे गये।

सरकार समस्या की गम्भीरता से अवगत है। प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के राज्यपाल से गहन विचार-विमर्ष किया है। प्रधान मंत्री ने विपक्ष के नेताओं के साथ भी विचार-विमर्श किया है और असम में राष्ट्रीय दलों के नेताओं और दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से बातचीत करने का निर्णय किया गया है। इस आन्दोलन में संलग्न छात्रों और अन्य लोगों के साथ विचार-विमर्श को जारी रखने और उनकी समस्याओं का संतोषजनक हल ढूँढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने की सरकार की चिन्ता के विषय में उन्हें पुनः विश्वास दिलाने के लिए भी उपाय किये जा रहे हैं।

औद्योगिक विकास में गिरावट

113. **श्री चित्त वसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में औद्योगिक विकास में स्पष्ट गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गिरावट की प्रवृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी० एस० ओ०) द्वारा जारी किये गए औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी सूचकांक अगस्त, 1979 तक का उपलब्ध है। इस सूचकांक के अनुसार अप्रैल से जुलाई, 1979 तक उत्पादन की विकास दर में गिरावट आई है किन्तु अगस्त, 1979 से इसमें वृद्धि हुई है।

(ख) औद्योगिक विकास दर में गिरावट आने के मुख्य कारण बिजली सप्लाई, मूलभूत निवेश में कमी तथा औद्योगिक अशान्ति रहे हैं।

(ग) औद्योगिक विकास में सुधार लाने के लिए उठाये गये कदमों में कमी वाले कच्चे माल, उपकरण तथा हिस्से, पुर्जों के आयात को उदार बनाना शामिल है। औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाने के लिए विद्यमान क्षमता का और अधिक उपयोग करना, श्रमिक सम्बन्धों को सुधारना तथा अवस्थापना ढाँचे सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने जैसे अभ्युपाय प्राक्कल्पित हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अन्तिम रूप देना

114. **श्री चित्त बसु :**

श्री जार्ज फर्नान्डिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के मसौदे को, इस बीच अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना के मसौदे में व्यापक फेर-बदल करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बीच, इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) तक : नई सरकार ने हाल ही में कार्यभार संभाला है; उसका योजना पर नए सिरे से विचार करने का प्रस्ताव है।

जनजाति क्षेत्रों में क्रियान्वित को गई परियोजनाएं

115. **श्री कृष्ण दत्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत ढाई वर्षों में जनजाति क्षेत्रों में क्रियान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवटित की गई और कितनी उपयोग की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) 16 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों नामत: आन्ध्र प्रदेश, असम बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा, दमण और द्वीव में विशेष जनजाति उप-योजनाएँ बनाई गई हैं। जनजाति उप-योजना क्षेत्र में इन राज्यों और सघ शासित क्षेत्रों की वे समी प्रशासनिक इकाईयाँ (अर्थात् ब्लाक, ताल्लुक) सम्मिलित है जिनमें 50 प्रतिशत और इससे अधिक आबादी जनजातियों की है। जनजाति उप-योजना क्षेत्र 180 समेकित जनजाति विकास परियोजनाओं में गठित किये गये हैं और क्षेत्र की क्षमता और लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अलग विकास कार्यक्रम बनाये गए हैं। इन कार्यक्रमों में सभी क्षेत्र, जैसे कृषि, जंगलात, पशुपालन, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सम्मिलित हैं। जनजाति उप-योजना का वित्तीय प्रवन्ध, राज्य योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता, संस्थागत वित्त और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा केन्द्रीय कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध निधि से किया जाता है।

उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए निधि का आवंटन और प्रयोग निम्न प्रकार से था :—

1977-78 :

राज्य योजनाओं से आवंटन	257.00 करोड़ रुपए
उपयोग किया गया	242.96 करोड़ रुपए
विशेष केन्द्रीय सहायता से आवंटन	55.00 करोड़ रुपए
उपयोग किया गया	54.98 करोड़ रुपए

1978-79 :

राज्य योजनाओं से आवंटन	344.00 करोड़ रुपए

उपयोग किया गया	311.11 करोड़ रुपए
विशेष केन्द्रीय सहायता से आवटन	70.00 करोड़ रुपए
उपयोग किया गया	45.54 करोड़ रुपए
(आँकड़े अधूरे हैं)	

1979-80 :

राज्य योजनाओं से आवंटन	394.00 करोड़ रुपए
विशेष केन्द्रीय सहायता से आवंटन	70.00 करोड़ रुपए

उद्योग को वित्तीय सहायता

116. **श्री कृष्ण दत्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने देश में किन उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता दी है;

(ख) क्या उसका ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा; और

(ग) क्या किन्हीं उद्योगों ने सहायता राशि का दुरुपयोग किया है और यदि हाँ, तो इन उद्योगों के नाम क्या हैं और वह राशि कितनी है ?

उद्योग मंत्री (श्री वेंकटारमन) : (क) से (ग) निश्चित विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है इस प्रकरण में जानकारी इकट्ठी करने में जो प्रयास किए जायेंगे—उनसे प्राप्त परिणाम तदनुरूपी नहीं होंगे .

बिना पार-पत्र के विदेशी राष्ट्रिक

117. **श्री कृष्ण दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या कितनी है जो गत $2\frac{1}{2}$ वर्षों के दौरान बिना पार-पत्र इस देश में आए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

श्री कान्ति देसाई के विरुद्ध मामले की जांच करने के लिए नियुक्त आयोग

118. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के पुत्र श्री कान्ति देसाई के विरुद्ध मामले की जाँच करने के लिए नियुक्त किये गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हाँ, तो आयोग के क्या निष्कर्ष रहे ?

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : (क) तथा (ग) उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति सी० ए० वैद्यलिंगम् को दिनाँक 28-4-79 को इस बात की जाँच करने के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया था कि क्या राज्य सभा में दिनांक 10-8-78 को पारित प्रस्ताव पर हुई बहस में उल्लिखित प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई और भूतपूर्व गृह मंत्री श्री चरण सिंह के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध आरोपों (मार्च 1977 में जनता सरकार द्वारा कार्य ग्रहण करने के बाद की अवधि से सम्बन्धित) के सम्बन्ध में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है, जिससे कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन कोई औपचारिक जाँच कराया

जाना न्यायोचित हो सके । श्री न्यायमूर्ति सी० ए० वैद्यलिंगम् ने अपनी जाँच रिपोर्ट 25-1-1980 को प्रस्तुत कर दी है और इसकी जाँच की जा रही है ।

पश्चिम बंगाल को अधिक शक्तियां देने की मांग

119. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में संघीय सिद्धान्त के अनुरक्षण के लिए राज्य को अधिक शक्तियाँ देने के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के दिनाँक 12 जनवरी, 1980 के "स्टेट्स मैन" (दिल्ली सस्करण) में प्रकाशित कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) सरकार को सम्बन्धित समाचार की जानकारी है ।

(ख) सरकार को अभी तक इस विषय पर विचार करने और उस पर कोई दृष्टिकोण अपनाने का अवसर नहीं मिला है ।

भाभा परमाणु ऊर्जा केन्द्र के अधिकारी संघ द्वारा की गई शिकायतें

120. **श्री आर० के० महालगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाभा परमाणु ऊर्जा केन्द्र के अधिकारी संघ ने कार्य करने की कठिन स्थिति और परमाणु ऊर्जा विभाग की कतिपय प्रबन्धकीय प्रक्रियाओं के बारे में कुछ शिकायतें की हैं ।

(ख) यदि हाँ, तो कब और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) 1971 में अनौपचारिक रूप से मान्यता मिलने के बाद, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र अधिकारी संघ ने समय-समय पर अनेक प्रतिवेदन/सुझाव भेजे हैं, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने की स्थितियाँ और अन्य विभिन्न मामलों से सम्बन्धित थे ।

(ग) प्रतिवेदनों पर, सरकार द्वारा निर्धारित कार्य-तिथियों/नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है और जहाँ भी सम्भव हुआ, वहाँ राहत दी गई है ।

आम चुनावों में हत्याएं तथा मौतें

112 **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण देश में राज्यवार चुनाव वातावरण के कारण जनवरी, 1980 में लोक सभा के आम चुनाव की अवधि में तथा उसके शीघ्र बाद कितनी हत्याएं तथा मौतें हुई हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार लोक सभा चुनाव, 1980 के सम्बन्ध में मतदान के दौरान 10 व्यक्ति मारे गए थे । राज्य बार अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार हैं :

आन्ध्र प्रदेश	1
बिहार	5
मणिपुर	1
उत्तर प्रदेश	3
	10

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी राष्ट्रिकों सम्बन्धी प्रश्न

122. **श्री सी. आर महाटा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को विदेशी राष्ट्रिकों सम्बन्धी प्रश्न के स्थाई समाधान के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा कहे जाने पर आसाम और मेघालय की सभी पार्टियों और ग्रुपों के साथ राजनीतिक विचार-विमर्श के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से कोई पत्र मिला है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हाँ श्रीमान्।

(ख) प्रधान मंत्री और गृह मंत्री का उत्तर-पूर्वी राज्यों के राज्यपाल के साथ गहन विचार-विमर्श हुआ है। प्रधान मंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भी इस मामले पर विचार विमर्श किया है और असम में राष्ट्रीय दलों के नेताओं के साथ और दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से बात चीत करने का निर्णय किया है। भारत सरकार असम और मेघालय की सरकारों के साथ भी सम्पर्क बनाये हुए हैं और राज्य में शांति और सौहार्द बनाये रखने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

बल्गारिया के जहाज की खरीद के सौदे की जांच

123. **श्री सी० आर० महाटा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तमिलनाडु सरकार द्वारा किये गए बल्गारिया के जहाज की खरीद के सौदे की जाँच करने हेतु कोई पांच आयोग गठित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री श्री जैलसिंह : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने नवम्बर, 1979 में केन्द्री सरकार को लिखा था कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से यह सूचित करने का अनुरोध करें कि क्या वह तमिलनाडु के पुम्पूहर शिपिंग कार्पोरेशन और बुल्गारिया के राज्य स्वामित्व वाले एक संगठन के बीच माल वाहक जहाजों को खरीदने के लिये किये गये सौदे के संबध में तमिलनाडु विधान सभा में विपक्ष के नेता श्री एम० करूणानिधि द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच करने के लिए' जिसकी राज्य सरकार द्वारा सहमति दे दी गयी थी, उच्चतम न्यायालय के किसी

आसीन न्यायाधीश की सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। मुख्य मंत्री के अनुरोध को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया था, जिन्होंने जांच के लिए किसी आसीन न्यायाधीश की सेवाएं उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता जाहिर की थी। तामिलनाडु के मुख्य मन्त्री को तदनुसार सूचित कर दिया गया था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी आयोग की नियुक्ति किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठा।

उड़ीसा सरकार द्वारा समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वापस की गई धनराशि

125. **श्री ए० सी० दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1978 के दौरान एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय न की गई बहुत अधिक राशि केन्द्र सरकार को वापस की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना-वार ब्यौरे सभा पटल पर रखे जाऐं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मक्वाणा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट के वितरण के लिए योजना

126. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट के वितरण के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस समय देश में सीमेंट की कितनी कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और यह कमी कब तक दूर कर दी जायेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री आर० वेंकटारमन) : (क) देश में सीमेंट का उचित मूल्य पर युक्ति युक्त विवरण तथा उपलब्धता सुनिश्चत करने के लिए उसका विनियमन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की धार 18 (छ) तथा 25 के अन्तर्गत जारी किये गये सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967) उपबन्धों के अन्तर्गत किया जाता है। देश में सीमेंट की संभावित उपलब्धता का नुअमान प्रत्येक तिमाई के प्रारम्भ में लगाया जाता है तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं केन्द्रीय सरकार के विभागों को उपयुक्त मात्रा में इक्कट्ठे सीमेंट का आवंटन किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खुदरा वितरण नियंत्रण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सीमेंट को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है।

(ख) देश के आंतरिक उत्पादन तथा सीमेंट का आयात करने से सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि होने के बावजूद सीमेंट की काफी कमी है। देश में भविष्य में मिलने वाली सीमेंट की मात्रा बढ़ाने के लिए स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये है :—

1. भूटान तथा नेपाल को छोड़कर देश से बाहर सीमेंट का निर्यात करने पर रोक लगा दी गई है।

2. सरकारी तथा निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए अनेक नये लाइसेंस तथा आशय पत्र जारी किए गये हैं।

3. सीमेंट के संरक्षण के लिए अपनाए गये विभिन्न अभ्युपायों पर मंत्रिमंडल की एक उप समिति इस समय विचार कर रही है। सीमेंट के स्थान पर बुझे हुए चूने, पैंडी हस्क सीमेंट सगोल चून का गारा आदि जैसी सामग्री का इस्तेमाल करके सीमेंट संरक्षण किया जा रहा है।

4. देश में सीमेंट का आयात किया जा रहा है।

5. सड़क द्वारा सीमेंट का परिवहन के भाड़ा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी विद्यमान नियमों को उदार बना दिया गया है।

6. सरकार ने बिजली की कटौती के दौरान कैप्टिव पावर के उत्पादन करने के लिए सीमेंट का उत्पादन करने के मामले में सहायता की मजूरी दी है।

7. सीमेंट का उत्पादन करने के लिये कोयले की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण मिट्टी के तेल का उपयोग करने के लिए सरकार ने सीमेंट उद्योग को सहायता देने की घोषणा की है।

8. विद्यमान एककों का उत्पादन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकी क्षमता का बेहतर उपयोग करने का सुनिश्चित किया जा सके।

9. उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रिकेल्सीनेटर प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

10. चल रही परियोजनाओं के निर्माण में शीघ्रता की जा रही है।

11. सरकार ने स्लैग का उपयोग करने के लिए इस्पात सयंत्रों पर अथवा उनके समीप सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने का भी निर्णय किया है।

12. सरकार ने बड़ी संख्या में छोटे सीमेंट संयत्र लगाने को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय किया है।

समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के लिए उड़ीसा राज्य को अनुदान

127. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के लिए कुल कितना अनुदान मंजूर किया;

(ख) उड़ीसा सरकार ने कुल कितनी राशि खर्च की है; और

(ग) केन्द्र सरकार को लौटाई गई बिना खर्च की गई राशि कितनी है और ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए 1978-79 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में उड़ीसा सरकार को 982 लाख रुपये दिये गए थे।

(ख) वर्ष 1978-79 के लिए खर्च के आँकड़े राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी बैंकों में खातो का पता लगाने हेतु प्रतिनियुक्त दल का प्रतिवेदन

128. **श्री रामायण राय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता सरकार गठन के बाद विश्व के बड़े बैंकों में प्रधान मंत्री तथा कुछ व्यक्तियों के खातों में जमा राशियों का पता लगाने के लिये कोई दल प्रतिनियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी बातें क्या हैं और क्या सरकार का विचार उसकी प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) जनता सरकार के गठन के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कोई भी दल अथवा अधिकारी विदेशी बैंकों में वर्तमान प्रधान मंत्री के खातों में कथित जमा राशियों का पता लगाने के लिए विदेशों में प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था। किन्तु भारत से चीनी का निर्यात करने के लिए, राज्य व्यापार निगम (एस० टी० सी०) द्वारा 1975 में एक स्विस फर्म के साथ किए गए कुछ चीनी के सौदों पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राज्य व्यापार निगम के कुछ अधिकारियों तथा अन्यों के विरूद्ध दर्ज किए गए एक आपराधिक मामले की जाँच के सम्बन्ध में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक अधिकारी को दिसम्बर, 1977 तथा मार्च, 1978 के बीच स्विटजरलैंड भेजा गया था।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उक्त मामले की अभी जाँच की जा रही है और उन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार की बुनकर सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता

123. **श्री शफीबुल्लाह अंसारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की बुनकर सहकारी समितियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि दी जानी है,

(ख) क्या बिहार की बुनकर सहकारी समितियों के लिए आर्थिक सहायता शीर्ष के अधीन 1978 में सात लाख रुपये की रकम का आवंटन किया गया था, जिसमें से मधुबनी जिले की बुनकर समितियों के लिए 1·65 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी लेकिन समिति के पदाधिकारियों जिला लेखा-परीक्षकों तथा अन्य सदस्यों के बीच चल रही खींचा-तानी के कारण यह अभी तक प्रदान नहीं की गई है, जबकि अन्य जिले की समितियों को पहले ही भुगतान किया जा चुका था,

(ग) क्या वरिष्ठ अधिकारियों को बार-बार स्मरण करवाने के बावजूद भी इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्रवाही नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप समितियों को ब्याज के रूप में पचास हजार रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा, और

(घ) यदि हाँ, तो समितियों को कब तक भुगतान किए जाने की आशा है ?

उद्योग मन्त्री (श्री आर० वेंकटारमन) (क) से (घ) : केन्द्र सरकार बुनकर सहकारी समितियों को सीधे ही कोई सहायता नहीं देती है। केन्द्र सरकार विशेष छूट की घोषणा करती है और राज्य सरकारों को उनके हिस्से की राशि की प्रतिपूर्ति करती है। राज्य सरकारें बुनकर

समितियों को उसकी अदायगी करती हैं। केन्द्र द्वारा दिए जाने वाली छूट की राशि की बिहार को दी जाने वाली कोई राशि केन्द्र सरकार द्वारा देय नहीं है।

मधुबनी जिले की बुनकर समितियों को देय छूट की राशि के सम्बन्ध में सूचना भेजने के लिए बिहार सरकार से अनुरोध किया गया है।

विशेष न्यायालय में दायर मामले

130. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमती इंदिरा गांधी एवं कुछ अन्यों के विरुद्ध विशेष न्यायायलय में दायर उन दीवानी तथा फौजदारी मामलों के ब्यौरे क्या हैं जो वापस ले लिए गए हैं अथवा जिनके वापस लेने के बारे में निर्णय लिया गया हैं; और

(ख) इसे वापस लिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा कुछ अन्यों के विरुद्ध बिशेष न्यायालयों में दायर किए गए किसी भी मामले को वापस नहीं लिया गया है और न ही मामलों को वापस लेने के बारे में अभी तक कोई निर्णय ही लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सातवीं लोक सभा के सदस्यों एवं मन्त्रियों के विरुद्ध दायर फौजदारी मामले

131. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं लोक सभा के उन सदस्यों तथा केन्द्रीय मंत्रियों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध विभिन्न आरोपों के लिए फौजदारी मामले दायर किए गए थे अथवा लम्बित हैं;

(ख) प्रत्येक के विरुद्ध विशिष्ट आरोप क्या है;

(ग) मामलों की प्रगति की स्थिति क्या है; और

(घ) मामलों के निपटान की गति तेज करने के लिए यदि कोई कार्रवाई की जा रही है तो क्या ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) माँगी गई सूचना के अन्तर्गत न केवल वे मामले शामिल किए जायेंगे, जिन पर केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों ने कार्रवाई की है, अपितु वे भी मामले किए जायेंगे जिन पर कार्रवाई राज्य सरकारों के अभिकरणों द्वारा की गई है। इस प्रकार सदन के सभा पटल पर रखे जाने से पूर्व, उस सूचना को भी एकत्रित करना होगा।

नई लोक सभा के सदस्यों का दोषी सिद्ध होना

132. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई गठित सातवीं लोक सभा के कितने सदस्यों को विभिन्न आरोपों के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया था; और

(ख) प्रत्येक के विरुद्ध क्या विशेष आरोप थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) (क) तथा (ख) : माँगी गई सूचना के अन्तर्गत न केवल वे मामले शामिल किए जायेंगे, जिन पर केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों ने

कार्रवाई की है, अपितु वे भी मामले शामिल किए जायेंगे जिन पर कार्रवाई राज्य सरकारों के अभिकरणों द्वारा की गई है। इस प्रकार सदन के सभा पटल पर रखे जाने से पूर्व, उक्त सूचना को भी एकत्रित करना होगा।

विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मैं एक घोषणा कर रहा हूँ। मुझे कुछ सदस्यों से विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचनाएं प्राप्त हुई जो श्री एन० के० सिंह, डी० आई जी. केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की कथित गिरफ्तारी के बारे में मंत्री महोदय द्वारा 29 जनवरी, 1980 को सदन में कथित गुमराह करने वाला वक्तव्य देने के बारे में है।

मैंने इन सूचनाओं को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री को भेज दिये हैं कि इस विषय में सुस्थापित परिपाटी के अनुसार पहले वास्तविक स्थिति का पता लगायें और उसके बाद मैं (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : (हाजीपुर) अध्यक्ष जी, यह कब होगा··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: 2 फरवरी, 1980 के पूर्व। (व्यवधन)

अध्यक्ष महोदय : एक समय में एक ही सदस्य बोलें।

प्रोफेसर मधुडण्डवते : (राजापुर) मैंने नियम 222 के अन्तर्गत आपसे विधि मंत्री जी के विरूद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाने की अनुमति माँगी है जिसका विवरण यह है कि कल गृह मंत्री से परामर्श करने के बाद उन्होंने सभा में यह कहा कि नया···।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह पढ़ लिया है।

प्रो० मधुदण्डवते : यह जो श्री सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया, यह बात गलत है। आज श्री सिंह ने स्वयं यह वक्तव्य दिया है कि उनको हिरफ्तार किया गया और 2000/-रु० के निजी मुचलेक पर जमानत पर छोड़ा गया है। इस प्रकार उन्होंने जान बूझ कर सदन को गुमराह किया है। यह सदन का अपमान है। यह विशेषाधिकार भंग का मामला भी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। मेरे पास सूचनाएं हैं और उन सूचनाओं के अनुसार मुझेकुछ तथ्यों का पता लगाना पड़ेगा यदि मैं तथ्यों का पता लगाये बिना निर्णय दूँगा तो वह गलत हो सकता है। अतः इससे पूर्व कि मुझे उत्तर और तथ्यों का पता चले आपको ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिये। किन्तु मैं यह निर्णय सभा के स्थगित होने के पूर्व ही दे दूँगा। इस विषय में चिन्ता न करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा तात्पर्य है 2 फरवरी, 1980 के पूर्व।

श्री इन्द्रजीत गुप्त बसारहाट : आपने अभी-अभी यह कहा है कि आप मंत्री से असल बात का पता लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या हम यह समझें कि असल बात का पता लगाये बिना उन्होंने सरकार की ओर से सभा में एक स्पष्ट वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्यों का पता लगाना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह यह कह सकते थे कि "मैं तथ्यों का पता लगा कर सदन को सूचित करूंगा।" किन्तु सरकार की ओर से उन्होंने कहा उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : (नई दिल्ली) प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय से किया गया है। मंत्री से तथ्यों का पता लगाने के लिए कैसे कहा जा सकता है। तथ्यों का पता लगाने का काम तो सभा का है।

अध्यक्ष महोदय : तथ्यों को जाने बिना अध्यक्ष निर्णय कैसे दे सकता है। पहले मैं अपनी संतुष्टि करूंगा इसके बाद अपना भी निर्णय दूंगा। (व्यवधान) मुझे तथ्यों का पता लगाना होगा। मैं अपना भी विनिर्णय तथ्यों का पता लगाने के बाद दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजम गढ़) : सच बात तो यह है कि यह जानकारी गृह मंत्री ने देनी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी मांगी है। वह इनकी सूचना मुझे देंगे। आपने सूचना दे दी है। मैं उसका पता लगाऊंगा और उसके बाद कोई निर्णय दूंगा।

श्री जार्ज फर्नानडिस (मुजफ्फरपुर) : तथ्य तो बड़े सीधे सादे हैं अर्थात या तो सदन को गुमराह किया गया है या फिर सदन को गुमराह नहीं किया गया। आज सम्पूर्ण देश को यह बताया गया है कि (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी संतुष्टि कर लेने दीजिए। यदि माननीय सदस्य अपने स्थान ग्रहण कर लें तो मैं एक एक करके सदस्यों को पुकारूं। (व्यवधान)। मैंने तथ्यों के बारे में जानकारी माँगी है। जैसे ही मुझे तथ्यों की जानकारी मिल जायेगी, मैं उसकी सूचना सदन को दे दूंगा और तदनुसार अपना निर्णय दूंगा (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया गया है, इसमें वह दोषी हैं या नहीं, यह आपको नहीं, बल्कि हाऊस को जानना होगा। उन्होंने जो कुछ कहा है, वह तो रिकार्ड पर है। इस लिए यह प्रिविलेज का केस बन जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। मैं आपको बताता हूँ। (व्यवधान) आप लोग बैठ जाइये। यह दंगा-फसाद करने की जगह नहीं है। मैं बता रहा था कि मैंने फैक्ट्स एसरटेन करने हैं और वह मैं कर रहा हूँ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : आप खुद एसरटेन करें। आप तो उनको फैक्ट्स एसरटेन करने को कह रहे हैं।

आपको अपनी संतुष्टि करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह स्थिति से मुझे अवगत करायेंगे तब मैं तथ्यों का पता लगा कर निर्णय दूंगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, दो तरह के फैक्ट्स हैं। एक तो रिकार्ड पर है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जायें। मैं फैक्ट्स को एसरटेन कर रहा हूं। एक फैक्ट आपकी तरफ से दिया गया है और एक फैक्ट दूसरी तरफ से दिया गया है। यह बात गलत होगी या सही होगी—दोनों में से एक बात होगी। इस लिए मुझे फैक्ट्स एसरटेन करने दीजिए।

जैसे ही मुझे तथ्यों का पता लगेगा मैं निर्णय दे दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपना निर्णय देना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय मैं··· (व्यवधान)

श्री एन. जी० रंगा (गुन्टुरा) : अध्यक्ष महोदय, आप अपना निर्णय दे चुके हैं। अब हम किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? (व्यवधान) आप कृपया मेरी बात सुनिये। हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? आपके विनिर्णय, निर्णय पर दोबारा चर्चा नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं भी कहता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय जो कुछ विधि मंत्री ने कहा है वह इस सदन के रिकार्ड में है। जो कुछ उन्होंने कहा है उसको बताने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्यों कि वह रिकार्ड का मामला है। यदि वह उसका बदलना चाहते हैं, तो बात अलग है। किन्तु जो कुछ उन्होंने कहा है वह रिकार्ड में है ही। बस बात मात्र यह है कि वक्तव्य सही है अथवा नहीं। इस मामले पर विशेषाधिकार समिति अथवा सभा को निर्णय लेना चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर कि वह यह उत्तर दे सकें कि वह सही था अथवा गलत। वह आपने ही वक्तव्य के बारे में निर्णय दे सकता।

अध्यक्ष महोदय : यह किसने कहा कि वह ऐसा करने जा रहे हैं? श्रीमन् चटर्जी, माननीय मंत्री महोदय द्वारा कोई आदेश निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसका निर्णय तो मैं दूंगा। (व्यवधान) मुझे स्थिति से अवत करा दिया गया है और अपना विनिर्णय दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हम आपके विनिर्णता को चुनौती नहीं दे रहे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपके निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह फैसला किया है कि मैं अपनी संतुष्टि करने के बाद अपना विनिर्णय दूंगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : महोदय, क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं। किन तथ्यों का पता लगाया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : कि उनको गिरफ्तार किया गया अथवा नहीं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी महोदय, मेरी सूचना यह है कि रिकार्ड गलत है और रिकार्ड में हेर फेर की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं (व्यवधान) वह बेकार में शक कर रहे हैं। ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है। (व्यवधान)

श्री बापू साहेब परूलेकर (रत्नगिरी) : महोदय, मैंने निगम 222/223 के अन्तर्गत सूचना दी है और मेरी बात सुनी जाये। मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। गिरफ्तारी की गई है, यह श्री सिंह के उस वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट है जोकि 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार सूचना प्राप्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, वह मेरे पास है। मैं अब उस पर विचार कर रहा हूँ।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : लोक सभा का रिकार्ड नहीं, हरयाना गवर्नमैंट क्या रिकार्ड टैम्पर किया जा रहा है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब पत्रों को सभापटल पर रखा जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नौसेना अधिनिय के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, भारतीय यूरेनियम निगम, इण्डियन ऐयर अर्थज् लिमिटेड, बम्बई इलैक्ट्रोनिक्स कोरपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड हैदराबाद कम्पयूटर मेनर्टनेंस कारपोरेशन (लिमिटेड), हैदराबाद तथा सेमीकण्डक्टर कम्पलैस लिमिटेड की वर्ष 1978-79 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मत्री (श्री जे. बी. पटनायक) : मैं श्रीमती इन्दिरा गाँधी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पटल पर रखता हूं :—

(1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :—

(एक) नौसेना (पेंशन) दूसरा संशोधन विनियम, 1979 जो दिनाँक 23 जून, 1979 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा नि० आ० 181 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नौसैनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1979 जो दिनाँक 20 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 273 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 131/80)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :—

(क) (एक) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 133/80)

(ख) (एक) इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 134/80)

(ग) (एक) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 135/80)

(घ) (एक) कम्पयूटर मेनटीनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद, के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कम्पयूटर मेनटीनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ग्रथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 136/80)

(ङ) (एक) सेमी कंडक्टर कम्पलैक्स लिमिटेड का वर्ष 1978-79 का कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सेमी कंडक्टर कम्पलैक्स लिमिटेड का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रिक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ग्रथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 137/80)

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, बम्बई, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर को समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बंगलोर के संबंध में समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में विवरण, स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली आदि के बारे में समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(क) (एक) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 138/80)

(ख) राष्ट्रीय उधु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 139/80)

(ग) (एक) हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड, जयपूर के 30 सितम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान सॉल्टस लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 30 सितम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ ।

(ग्रथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 140/80)

(घ) (एक) साँभर साल्टस लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1978 को समाप्त हु वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) साँभर साल्टस लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1978 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 141/80)

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बगलौर के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल. टी. 142/80)

(च) (एक) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) स्कूटर इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 143/80)

(छः) (एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली और इसके नौ सहायक निगमों के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली और उसके नौ सहायक निगमों का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिपणियाँ ।

(ग्रंथालय में गखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 144/80)

(2) भारतीय कपास निगम, लिमिटेड, वम्बई के वर्ष 1977-78 और हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड और सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 145/80)

(3) (एक) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) एसोसियेशन के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति ।

ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 146/80)

(4) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदरावाद के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 147/80)

(5) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 148/80)

(6 लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदरावाद के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 149/80)

(7) विद्युत चालित मापक उपकरण डिजाइन संस्थान, बम्बई के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 150/80)

पटसन निर्मात: विकास परिषद्, कलकत्ता का वर्ष 1978-79 को वार्षिक प्रतिवेदन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

(8) पटसन निर्माता विकास परिषद् कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखी गई : देखिये सं० एल० टी० 151/80)

(9) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आयातित सीमेंट नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1979 जो दिनांक 30 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 379 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) आयातित सीमेंट नियंत्रण (चौथा संशोधन) आदेश, 1979 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 555 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) आयातित सीमेंट नियंत्रण (पाँचवां संशोधन) आदेश, 1979 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 879 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) कृत्रिम रेशम कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1979 जो दिनांक 30 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 424(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(पाँच) कागज (नियंत्रण) आदेश, 1979 जो दिनांक 30 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 376 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(छः) सां० आ० 576(ङ) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा कागज (संरक्षण तथा प्रयोग का विनियमन) आदेश, 1974 के खंड 3 के उपबन्धों से विज्ञापन अथवा प्रचार सामग्री आदि के मुद्रण को छूट दी गई है।

(सात) कागज (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1979 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 582(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) पटसन (लायसेंस देना तथा नियंत्रण) सशोधन, आदेश, 1979 जो दिनांक 4 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 507 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) पटसन (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1979 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 784(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 152/80)

दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन तथा समीक्षा

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटासुब्बैय्या) : मैं, श्री पी० सी० सेठी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 153/80)

30 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाली छमाही में रेलों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों में उनके लिए जाने के बारे में प्रतिवेदन और भारतीय रेल अधिनियमके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० सी० के जाफर शरीफ) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :

(1) 30 सितम्बर, 1978 को समाप्त होने वाली छमाही में रेलों पर भर्ती तथा पदोन्नति वाली श्रेणियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों में उनके लिए जाने में प्रगति के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये सं० एल० टी० 154/80)

(2) भारतीय रेल अधिनियम, 1 90 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) चालू लाइनें (भारत में रेल) सामान्य (संशोधन) नियम 1979 जो दिनाँक 15 सितम्बर 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सां०सा० नि० 1175 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेल यात्री (टिकटों का रद्दकरण और किराये का प्रतिदाय) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3556 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) रेल रेड टैरिफ (संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1367 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) रेल रेड टैरिफ (दूसरा संशोधन) 1979, जो दिनांक 17 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1386 में प्रकाशित हुए थे ।

(पाँच) सां० आ० 795 (ङ) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा अधिसूचना में वर्णित रेल स्टेशनों को माल को अविलम्ब हटाने के लिए अधिसूचित स्टेशन घोषित किया गया था ।

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिए सं० एल० टी० 155/80)

1-4-77 से 31-3-78 तक की अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग का अट्ठाइसवाँ प्रदिवेदन आदि, ग्रोवर जांच आयोग का प्रथम प्रतिवेदन और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अनिसूचनाएं

गृह मत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ ।

(1) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) संघ लोक सेवा आयोग का 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1978 की अवधि का 28वाँ प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में सरकार द्वारा आयोग के सलाह न माने जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन ।

(2) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिए सं० एल० टी० 156/80)

(3) कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री देवराज अर्स और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जाँच करने के लिये गठित ग्रोवर जाँच आयोग के प्रथम प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण* की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखी गई देखिये सं० एल० टी० 157/80)

(4) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 1418 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण तथा की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन 23-2-1978 को सभा पटल पर रखे गये थे ।

थी तथा जिसमें दिनांक 25 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 1648 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 14 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 940 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 158/80)

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम आदि दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, दिल्ली पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें विशेष न्यायालय अधिनियम के अन्तर्गत घोषणायें और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

(5) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1979 जो दिनांक 2 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां. नि. 740 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा० सां० नि० 441 (ङ) जो दिनांक 14 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 2 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 740 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(6) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को जारी किये जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 159/80)

(7) दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा को धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एंक प्रति :

(एक) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (सदस्यों का निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 19 अक्तूबर 1979 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 16/12/79 जुडल में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (सदस्यों का सहयोजन) (संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1979 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 16/16/79-जुडल में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए स० एल० टी० 160/80)

(8) सीमा-सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 के अन्तर्गत सीमा-सुरक्षा बल छुट्टी (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 16 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 849 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए स० एल० टी० 161/80)

(9) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) अधिसूचना संख्या एफ० 10/27/76-होम (3) ई. एस. टी. टी. जो 1 दिनांक मार्च, 1979 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंजाब पुलिस नियम, 1934 के कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ० 3/106/77-होम (पी) ई, एस. टी. टी. जो दिनाँक 28 जून, 1979 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंजाब पुलिस नियम, 1934 के दिल्ली पर लागू होने में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) अधिसूचना मख्या एफ० 10/17/79-होम (पी) ई. एस. टी. टी. जो दिनांक 19 जुलाई, 1977 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंजाब पुलिस नियम, 1934 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(चार) अधिसूचना संख्या एफ० 10/29/76-होम (पी) ई. एस. टी. टी. जो दिनांक 30 अगस्त, 1979 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंजाब पुलिस नियम, 1934 में कतिपय सशोधन किया गया है।

(पाँच) अधिसूचना संख्या एफ० 10/29-होम (पी) ई. एस. टी. टी. जो दिनांक 6 सितम्बर, 1979 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंजाब पुलिस नियम, 1934 के दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र पर लागू होने में कतिपय संशोधन किया गया है।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 162/80)

(10) विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 की धारा 13 के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन की गई निम्नलिखित घोषणाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) दिनांक 4 जून, 1979 की घोषणा संख्या 260/2/70-ए० वी० डी० II

(दो) दिनांक 4 जून, 1979 की घोषणा संख्या 260/4/79-ए० वी० डी० II

(तीन) दिनांक 11 जून, 1979 की घोषणा संख्या 260/1/79-ए० वी० डी० II

(चार) दिनांक 22 जून, 1979 की घोषणा संख्या 260/3/79-ए० वी० डी० II

(पाँच) दिनांक 3 जुलाई, 1979 की घोषणा संख्या 260/8/79-ए० वी० डी० II

(ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए सं० एल० टी० 163/80)

(11) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित सभी सूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) सा० सं० नि० 773 जो दिनांक 9 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 5 अप्रैल 1978 की अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 224 (ङ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) द्वितीय संशोधन नियम, 1979

जो दिनाँक 7 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 916 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सा. सां. नि. 917 जो दिनाँक 7 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनाँक 6 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 584 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(चार) अखिल भारतीय सेवाओं (पेंशन का सारांशिकरण) संशोधन विनियम, 1979 जो दिनाँक 14 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 941 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, पंचम संशोधन, 1979, जो दिनाँक 28 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 986 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1979 जो दिनाँक 4 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि· 1016 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1979 जो दिनाँक 8 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सा. नि. 471 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग संख्या का नियतन पाँचवाँ संशोधन विनियम, 1979 जो दिनाँक 11 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 1037 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतन सातवाँ संशोधन नियम, 1979 जो दिनाँक 11 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 1038 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1979 जो दिनाँक 28 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1081 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नवाँ संशोधन नियम, 1979 जो दिनाँक 1 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साँ० सा० नि० 525 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) संशोधन नियम, 1979 जो दिनाँक 8 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा सां० नि० 1122 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) भारतीम पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1979 जो दिनाँक 13 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 537 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्य-सह सेवा निवृत) (लाभ) तीसरा संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 15 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1151 में प्रकाशित हुए थे ।

(पंद्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा निपुक्त) संशोधन विनियम, 1979 जो दिनाँक 5 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 569 (ड.) में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1979 जो दिनाँक 5 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 570 (ड) में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति) सशोधन विनियम, 1979 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 571 (ड) में प्रकाशित हुए थे ।

(अठारह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम 1979 जो दिनाँक 19 अक्तूबर के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 580 (ड) में प्रकाशित हुए थे ।

(उन्नीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1979 जो दिनाँक 19 अक्तूबर 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 581 (ड) में प्रकाशित हुए थे ।

(बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1979 जो दिनाँक 23 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साँ० सां० नि० 582 (ड) में प्रकाशित हुँए थे

(इक्कीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन दसवाँ संशोधन नियम, 1979 जो दिनाँक 24 अक्तूबर 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 591 (ड) में प्रकाशित हुए थे

(बाईस) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1979 जो दिनाँक 26 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 588 (ड) में प्रकाशित हुए थे ।

(तेईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1979 जो दिनाँक 26 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 589 (ड.) में प्रकाशित हुए थे ।

(चौवीस) अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु—सह—सेवा निवृत लाभ) चौथा संशोधन नियम 1979 जो दिनाँक 27 अक्तूबर, 1979, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1292 में प्रकाशित हुए थे :

(पच्चीस) भारयीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) सातवाँ संशोधन

विनियत, 1979 जो दिनाँक 30 अक्तूबर, 1979 में भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 596 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) भारतीय प्रशानिक सेवा (वेतन) ग्यारहवाँ संशोधन नियम, 1979 जो दिनाँक 30 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 597 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) नौवाँ संशोधन विनियम, 1979 जो दिनाँक 17 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 628 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तेरहवाँ संशोधन नियम, 1979 जो दिनाँक 17 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० सां० नि० 629 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

(उनत्तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) आठवाँ संशोधन विनियम, 1979 जो दिनाँक 17 नवम्ब, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1371 (ड.) में प्रकाशित हुये थे।

(तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) बारहवाँ संशोधन नियम, 1979 जो दिनाँक 17 नवम्बर 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० सां० नि० 1372 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कतीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दसवा संशोधन विनियम, 1979 जो दिनाँक 27 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० सां० नि० 649 में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौदहां सशोधन, नियम 1979 जो दिनांक 27 नवम्बर 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 650 (ड.) में प्रकाशित हुये थे।

(तैंतीस) भारतीय पुलिस (सेवा संवर्ग में पद सख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1979 जो दिनांक 30 नवम्बर 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 654 (ड.) में प्रकाशित हुये थे।

(चौंतीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1979 जो दिनाँक 30 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 655 (ड.) में प्रकाशित हुये थे।

(पैंतीस) अखिल भारतीय सेवाएँ (भविष्य निधि) तीसरा संशोधन नियम, 1979 जो दिनाँक 29 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1529 में प्रकाशित हुये थे।

(छत्तीस) भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोवन विनियम, 1979 जो दिनाँक 24 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र सख्या सा० सां० नि० 15 (ड.) मे प्रकाशित हूए थे।

(ग्रन्थालय मे रखी गई। देखिए सं० एल० टी०/164/80)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के विभिन्न भागों में बिजली की कमी का समाचार

श्री रामस्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ऊर्जा और सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ और उससे प्रार्थना करता हूँ कि वह इसके ऊपर एक वक्तव्य दें।

देश के विभिन्न भागों में बिजली की कमी के समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला विभाग मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खाँ चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागों में विद्युत की कमी के बारे में माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए जो चिन्ता और उद्विग्नता व्यक्त की है वैसी ही चिन्ता और उद्विग्नता मुझे भी है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि कुछ राज्यों में जैसे उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में, दक्षिणी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, तथा पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा और बिहार के हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून न आने के परिणामस्वरूप जल विद्युत केन्द्रों से विद्युत की उपलब्धता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति, विशेष रूप से पंजाब में भाखड़ा प्रणाली, उत्तर प्रदेश में रिहन्द, उड़ीसा में बलिमेला तथा कर्नाटक में शरावती के मामले में है। दूसरी ओर, व्यापक क्षेत्र से सूखे की स्थितियों में, विद्युत की माँग में, विशेषत: कृषि के क्षेत्र में, काफी वृद्धि हुई है। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है तथा जहाँ आवश्यकता पड़ी है, उपलब्ध विद्युत को कृषि हेतु लगाया गया है। कृषि क्षेत्र का संबद्ध भार 14,000 मेगावाट है जो 3.5 मिलियन से अधिक पम्पसेटों में वितरित होता है।

ताप विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से लगभग 7 प्रतिशत अधिक है परन्तु इस दिशा में कार्य निष्पादन और बेहतर हो सकता था। ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों की जबरन बन्दी की दर अधिक होने, चालू की गई नई ताप विद्युत यूनिटों के सुस्थिर होने में लम्बा समय लगने, तथा उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ विद्युत केन्द्रों में कोयला पर्याप्त न होने के कारण ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा। इन कठिनाइयों के कारण यह उम्मीद है कि इस वर्ष देश में विद्युत की कमी लगभग 17% रहेगी तथा चालू महीने के दौरान लगभग 20% कमी रहेगी। तथापि, विद्युत की कमी सभी राज्यों में एक जैसी नहीं होगी। सारे वर्ष के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कमी आगे बताए अनुसार होगी।

यद्यपि विद्युत की कमी उत्तरी क्षेत्र में लगभग 14% होगी, दक्षिणी क्षेत्र में 13% तथा पश्चिमी क्षेत्र में 18% होगी परन्तु पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की कमी लगभग 22% होगी। जल विद्युत उत्पादन में कमी हो जाने तथा कृषि संबंधी भारों में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप चालू महीने के दौरान कमियाँ अधिक हैं।

राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र, कोटा को 210 मेगावाट का यूनिट, जो राजस्थान को प्रतिदिन लगभग 4 मिलियन यूनिट विद्युत सप्लाई करता था, 27 जनवरी, 1980 को केन्द्र की कुछ आन्तरिक खराबियों के कारण बन्द करना पड़ा। इस यूनिट के बन्द हो जाने से राजस्थान

में विद्युत सप्लाई की स्थिति और विकट हो गई है जिसके परिणामस्वरूप बड़े उद्योगों पर 100% विद्युत कटौती तथा मध्यम उद्योगों पर 50% कटौती लागू की गई है। तथापि, छोटे उद्योगों पर कोई विद्युत कटौती लागू नहीं है तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई प्रतिदिन लगभग 8 से 12 घन्टे तक सीमित रहेगी।

पूर्वी क्षेत्र में भी विद्युत की स्थिति बहुत ही असंतोषजनक है जिसका प्रभाव कोयला खनन उद्योग और इस्पात उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ा है। हाल ही में, दामोदर घाटी निगम ने विद्युत उत्पादन में कुछ सुधार किया है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में इन सेक्टरों को अधिक विद्युत की सप्लाई करना सभव हुआ है। ताप विद्युत केन्द्रों को अधिक कोयले की सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है और आशा है कि ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले की मासिक प्राप्ति जो 3.00 मिलियन टन से कुछ कम है, बढ़कर अगले महीने के लिए 3.3 मिलियन टन हो जाएगी। यदि यह हो गया तो विद्युत सप्लाई भी इसी सीमा तक सुधर जाएगी।

तथापि जल-विद्युत जलाशयों से प्रत्याशित विद्युत की उपलब्धता कम होने और अप्रैल और मई के महीनों के दौरान विशेष रूप के कम होने के परिणामस्वरूप यह आशंका है कि जून 1980 तक विद्युत की सप्लाई की स्थिति कठिन बनी रहेगी।

वर्तमान सरकार ने हाल ही में कार्यभार संभाला है और मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश में व्याप्त विद्युत की कठिन स्थिति से हम अवगत हैं और देश में विद्युत की स्थिति को सुधारने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

श्री रामस्वरूप राम : मैं माननीय मंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि देश में जो बिजली की कमी है, उस तरफ सरकार काफी गम्भीरता से ध्यान दे रही है, लेकिन मैं दो सवाल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ। इस तथ्य को देखते हुये कि बिहार में कुल सेवाओं के करीब सवा लाख कनेक्शन्स के लक्ष्य के विरुद्ध केवल एक चौथाई उपलब्धि है, सरकार अगले महीनों में इसे बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहती है, अगले तीन महीनों में इसका क्या नतीजा निकलने वाला है और उपलब्ध बिजली का कितना हिस्सा किसानों के लिए निश्चित करने का निर्णय है ?

श्री ए. बी. ए. गनी खां चौधरी : केवल पूर्वी क्षेत्र में ही नहीं अपितु समस्त देश में ही कोयले की उपलब्धता और ढुलाई बिजली उत्पादन की प्रगति में बाधा की मूल समस्या बनी हुई है। बिहार में जल विद्युत का उत्पादन अधिक नहीं है। जहां तक जल विद्युत् का सम्बन्ध है, वर्षा न होने के कारण, संभावनायें अच्छी नहीं हैं। जहाँ कोयले की उपलब्धता और ढुलाई का सम्बन्ध है हम स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमने रेल मंत्री से बात-चीत की है। हमें कोयले की ढुलाई के लिये 2900 माल डिब्बे प्रतिदिन मिला करते थे। हाल ही में हमें बताया गया है कि इस उद्देश्य के लिये प्रतिदिन 3100 माल डिब्बे उपलब्ध कराये जायेंगे। इससे स्थिति में सुधार होगा।

दूसरे हम विभिन्न बोर्डों पर कार्यकुशलता में वृद्धि करने पर बल दे रहे हैं ताकि विद्युत् उत्पादन में वृद्धि हो। प्रत्येक क्षेत्र में लगभग सभी बोर्ड, संभवतया दक्षिण क्षेत्र के बोर्डों को छोड़कर, अपनी अधिष्ठापित क्षमता से नीचे के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में ऐसा

अधिक हो रहा है। मेरा विचार है कि वे भी अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे ताकि वे भी विद्युत् उत्पादन में वृद्धि कर सकें। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, हमने सदैव कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी है और हम ऐसा करते रहेंगे।

श्री रामस्वरूप राम : एक दूसरा सवाल बड़ा महत्व पूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाईये।

श्री हृषिकेश बहादुर (गोरखपुर) : जैसा कि मन्त्री महोदय स्वीकार कर चुके हैं, देश में बिजली का गंभीर संकट है। कुछ दिन पहले केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे थे कि वे राज्यों में बिजली की स्थिति की समीक्षा करें और साथ ही एल्यूमीनियम उद्योग को बिजली में जो कटौती की गई है उसमें कमी की जानी चाहिये। इस वर्ष एल्यूमीनियम का उत्पादन 1,९0 000 टन होने की संभावना है जो गत वर्ष की तुलना में 25,000 टन कम है। यदि इसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो बहुत से उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि एल्यूमीनियम बहुत से उद्योगों के लिये आधारभूत सामग्री है। राज्य विद्युत् बोर्डों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उन्हें बिजली परिषण और वितरण को कार्य रूप देना होता है।

इसीलिये मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि यदि राज्य सरकार ने उचित कदम नहीं उठातीं तो केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे और साथ यदि कुछ राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के साथ सहयोग नहीं करती तो केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या करेगी। द्वेष के कारण कुछ राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर सकती हैं और इसके लिये वे केन्द्रीय सरकार के साथ सहयोग नहीं करेगी। इस गम्भीर बात पर विचार किया जाना चाहिये। अतः मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस संकट से उत्पन्न स्थिति को स्पष्ट करें।

श्री ए० बी० ए० गनी खाँ चौधरी : देश में विद्युत् उत्पादन की आवश्यकता की तुलना में तो रहे कम उत्पादन के महत्व से मैं भली भाँति परीचित हूँ। माननीय सदस्य को देने के लिए इस सम्बन्ध में मेरे पास आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि विद्युत् के कम उत्पादन का उद्योगों पर विशेषतया एल्यूमीनियम उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

जैसा कि मैंने बताया है, मुख्य गतिरोध कोयला है। मैं आज सुबह ही इस मामले पर अधिकारियों से बातचीत कर रहा था। बिजली के उत्पादन में 7 प्रतिशत की तुरन्त ही वृद्धि होगी। मुख्य गतिरोध को हमें दूर करना है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करा सकता हूँ कि हम केवल गतिरोध ही दूर नहीं करेंगे अपितु हम कुछ समय के लिये प्रत्येक बिजली घर में कुछ स्टाक रखने का भी प्रयास कर रहे हैं।

दूसरे, जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, अधिकाँश विद्युत् उत्पादन राज्य बिजली बोर्डों द्वारा ही होता है। हमें उन्हें सहमत कराना है, उन पर जोर देना है और इस मामले में हम उनकी सहायता भी करेंगे। इस समय हम मती कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री चित्तबसु (बारासाट) : देश में बिजली की इतनी अधिक कमी हो गई है कि स्थिति केवल न चिन्ता का ही विषय नहीं अपितु भयावस हो गई है। यह बात प्रमाणित करने के लिए मेरे पास आँकड़े उपलब्ध हैं कि बिजली की आवश्यकता और उत्पादन में बहुत बड़ा अन्तर है।

कुछ अनुमानों के अनुसार आवश्यकता 40 मिलियन मेगावाट है जब कि उत्पादन केवल 115 मिलियन मेगावाट है। इस प्रकार 25 मिलियन मेगावाट की कमी है।

मंत्री महोदय से मैं पहला यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आवश्यकता और उत्पादन के बड़े अंतर को ध्यान में रखते हुये सरकार ने अब तक कौन से दीर्घावधि और अल्पावधि प्रस्ताव स्वीकार किये हैं जिससे कि आवश्यकता और उत्पादन के इतने बड़े अन्तर को कम किया जा सके।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अधिष्ठापित किये गये तापीय बिजली घर कुल अधिष्ठापित क्षमता के 45-50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन की स्थिति में नहीं है। यदि यह सच है तो देश में कुल अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये, जो आज बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त पड़ी है, अब तक क्या विशिष्ठ कदम उठाये गये हैं।

मेरा तीसरा प्रश्न है कि देश में बिजली के वितरण और उत्पादन क्षमता विकसित करने के मामले में भारी क्षेत्रीय असमानतायें हैं। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। उत्तर तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कुल उत्पादन क्षमता की 17 प्रतिशत उत्पादन क्षमता अधिष्ठापित है जब कि इस क्षेत्र में कुल जन संख्या का 33 प्रतिशत भाग है।

अध्यक्ष महोदय : आप पूछना क्या चाहते हैं ?

श्री चित्तबसु : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूँ। इसमें से अधिकांश असमानता श्रीमती इंदिरा गाँधी के कार्यकाल में पैदा की गई और जनता पार्टी के शासन काल में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में 18000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित करने का विचार किया गया। इसमें से पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का भाग केवल 3400 मेगावाट है जब कि पश्चिमी क्षेत्र का भाग 5400 मेगावाट है, उत्तरी क्षेत्र का 4800 और दक्षिणी क्षेत्र का 4200 मेगावाट है। मेरा प्रश्न यह है कि इस असंतुलन को दूर करने तथा विद्युत् उत्पादन के लिये अधिष्ठापित क्षमता का समान वितरण करने की परिस्थितियाँ बनाने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

श्री ए० बी० ए गनी खाँ चौधरी : छठी पंचवर्षीय योजना जनता सरकार द्वारा तैयार की गई थी। असंतुलन है और यह उन्हीं ने पैदा किया है। हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

छठी पंच वर्षीय योजना से पहले हमारा कुल उत्पादन 26000 मेगावाट था। छठी पंच वर्षीय योजना में हम 18500 मेगावाट और जोड़ना चाहते हैं जिससे कुल उत्पादन 45500 मेगावाट हो जायें। वर्ष 1978 में हमने 3000 मेगावाट और जोड़ और 1979 में आज तक केवल 480 मेगावाट हमारे सम्मुख यही स्थिति है। मैं माननीय सदस्यों को इस बात से सहमत हूँ कि हमारा उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में बहुत कम है। यह बहुत पुरानी बीमारी चलती आ रही है। भारत हैवी इलैक्ट्रीकलस के उत्पादन सदस्य को दोषी ठहराना अनावश्यक है। वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। परन्तु इसमें हुआ यह है कि साधारणतया एक यूनिट को चालू होने में पाँच छः वर्ष का समय लगता है जब कि हम इस तीन से चार वर्ष तक में करने के लिये इंजीनियरों पर दबाव डाल रहे हैं। वास्तव में कुछ प्रारंभिक कठिनाईयां हैं। सैट्स को स्थिर बनाने में समय लगता है। इसी कारण हमें पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। हम आतुर हो रहे हैं

और इन्जीनियरों से सारा कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए कह रहे हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि हमने राज्य बिजली बोर्डों से अधिकतम उत्पादन करने के लिये कहा है। हमने उनसे यह अनुरोध भी किया है कि वे हमें अपनी कठिनाईयाँ बतायें। हम भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स के विशेषज्ञों द्वारा उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे संचालन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर कर सकें। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री वक्तव्य देंगे श्री नरसिंह राव...

श्री बूटासिंह (रोपड़) : श्रीमन्, अतः बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरी क्षेत्र की ओर से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम है, कि सूची के अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकता। इसकी अनुमती नहीं दी जा सकती। श्री नरसिंह राव।

लंदन हवाई अड्डे पर श्री रमेश चन्द्र को ब्रिटिस सरकार द्वारा प्रदेश की अनुमति न दिये जाने की घटना के बारे में वक्तव्य

विदेश मंत्री (श्री पी ०वी० नरसिंह राव) : 25 जनवरी को यह खबर मिली कि विश्व शांति परिषद् के अध्यक्ष श्री रमेश चन्द्र को 24 जनवरी को लदन हवाई अड्डा पहुंचने पर ब्रिटेन की सरकार द्वारा नजरबंद कर लिया गया है। विश्व शांति परिषद के लंदन स्थिति मंत्री ने 25 जनवरी को सवेरे लंदन में हमारे हाई कमीशन को इसकी सूचना दी। हमारे कार्यकारी हाई कमिश्नर ने तुरन्त श्री रोमेश चन्द्र की रिहाई के लिए यहाँ के विदेश कार्यालय और गृह-कार्यालय से सम्पर्क किया। उन्हें यह बताया गया कि ब्रिटेन के गृह कार्यालय के विदेश सचिव ने आप्रवासन अधिनियम 1971 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रोमेश चन्द्र के प्रवेश पर इस आधार पर इन्कार कर दिया है कि "उन्हें प्रवेश न देना सार्वजनिक हित के लिए श्रेयस्कर होगा।" हमारे कार्यकारी हाई कमिश्नर को यह भी बताया गया कि श्री रोमेश चन्द्र को पहले ही वारसा के लिए हवाई जहाज में बैठाया जा चुका है।

लेकिन इस सिलसिले में हमें यह मालूम हुआ है कि श्री रोमेश चन्द्र 1979 में दो बार ब्रिटेन हो आए हैं। हमारी जानकारी में यह पहला मौका है जब कि किसी भारतीय को इस आधार पर ब्रिटेन में प्रवेश करने से इन्कार किया गया है कि वह एक राजनीतिक संगठन का पदाधिकारी है।

ब्रिटेन की सरकार को किसी भी अन्य राज्य की भांति यह अधिकार जरूर है कि वह किसी भी विदेशी को अपने यहाँ प्रवेश करने से इन्कार कर दे, लेकिन एक भारतीय नागरिक के साथ जैसा अपमानजनक और अशिष्ट व्यवहार किया गया है उस पर हम अपनी निराशा और चिंता व्यक्त किए बिना नहीं रह सकते। ब्रिटेन के हाई कमिश्नर को हमने इस बारे में सूचित कर दिया है।

हम विश्वास करते हैं कि ब्रिटेन की सरकार इस सम्बन्ध में भारतीय संसद और भारतीय जनता की प्रतिक्रियाओं को समझेगी और भारत और ब्रिटेन के सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों के हित में तत्काल ऐसे उपाय करेगी जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनायें दुबारा न घटें।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : श्रीमन् मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : साधारणतया ऐसा नहीं होता है ।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ·· (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : हमें इसका पता था । इसीलिए हम चाहते थे कि इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत हो । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । आप प्रश्न पूछ सकते हैं । परन्तु अपवाद स्वरूप । श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री रमेशचन्द्र को आदेश दिया गया जिससे मन्त्री महोदय ने उद्धरण दिया है । मेरे पास उस आदेश की एक प्रति है आदेश आप्रवासी अधिनियम 1971 के अधीन है । मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इंगलैंड स्थिति भारतीय उच्चायुक्त से कहा था कि वह ब्रिटिश सरकार से यह कहे कि श्री रमेश चन्द्र के प्रवेश के बारे में वे अन्य आपत्तियाँ उठा सकते हैं परन्तु वह आप्रवासी अथवा ब्रिटेन में आप्रवास के इच्छुक नहीं हैं । क्या सरकार ने इस आधार पर विरोध किया है कि आप्रवासी अधिनियम के अधीन आदेश का दुरुपयोग करके श्री रमेश चन्द्र को ब्रिटेन में प्रवेश करने से वंचित रखा जा रहा है । यह एक बहुत गम्भीर मामला है । यह एक ऐसा आदेश है जो उन लोगों को निकालने के लिए दिया जाता है जिनके बारे में उन्हें ब्रिटेन में बस जाने का सन्देह होता है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मंत्री महोदय के उत्तर देने से पूर्व मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि "क्या औद्योगिक रूप में कोई विरोध किया जाता है ?"

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कानून का दुरुपयोग किया गया है । कानून, जैसा कि माननीन सदस्य ने बताया है, सामान्यतया आप्रवासियों के लिए ही है । परन्तु सैक्रेट्री आफ स्टेट ने निर्देश दिये हैं कि बाहर रखना जनहित में है । इस आधार पर ब्रिटेन में प्रवेश की अनुमति दी जाय । आदेश में यही कहा गया है । उपबन्ध में यह व्यवस्था है कि इस आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती । यह अन्तिम है । अत: तकनीकी रूप से आदेश पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती परन्तु; जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, औचित्य का प्रश्न तो है ही ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने पूछा था कि क्या सरकार ने विरोध किया है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमने भारतीय नागरिक के अपमान के प्रति अपनी निराशा और चिंता व्यक्त की है ।

श्री इन्द्रजीत यादव : मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं, कि जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया है, ब्रिटेन सरकार ने पहली बार किसी भारतीय को निकाला है, और क्या आदेश स्वयं विदेश मंत्री ने पारित किया अथवा किसी ने भी पारित किया तो, उच्चतम अधिकारी कौन है । मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यह पर्याप्त है कि हमारे उच्चायुक्त केवल निराशा और अव्यवस्था प्रकट करें अथवा क्या मंत्री महोदय ब्रिटेन के मंत्री को लिखेंगे क्योंकि पहली बार

ऐसा हुआ है कि एक भारतीय नागरिक को, जो विश्व शाँति परिषद के अध्यक्ष हैं और एक राष्ट्र मडल देश के सदस्य हैं, इस प्रकार निकाला गया है। यह राजनैतिक कारण से किया गया है। क्या मंत्री महोदय इस मामले को उठायेंगे और सम्बन्धित मंत्री को पत्र लिखेंगे। यह एक गंभीर मामला है।

श्री पी० वी० नर्रासिह राव : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक गम्भीर मामला है। परिस्थितियों को देख कर जो पर्याप्त और आवश्यक समझा गया वह किया गया है। मैं माननीय महोदय को यह बताना चाहता हूं कि हमें ब्रिटिश उच्चायुक्त से और जानकारी मिली और हमें बताया गया है कि इसी आधार पर भूतकाल में कुछ और लोग भी निकाले गये हैं यद्यपि वे भारतीय नहीं थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वे राष्ट्रमंडल के नागरिक थे।

श्री पी० वी० नर्रासिह राव : वे राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक नहीं थे। अतः प्रश्न इसलिए उठता है कि राष्ट्रमंडल के नागरिकों को वीसा की आवश्यकता नहीं है। उसे लन्दन पहुंचने पर रोका जाता है इससे पहले नहीं। किसी अन्य देश का नागरिक होने के नाते यदि वह वीसा के लिए आवेदन करता है तो उनका कहना यह है कि वे वीसा नहीं देते और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यह उनका उत्तर है।

जहाँ तक माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है जहाँ तक हमने आवश्यक समझा है अपने विचार और निराशा उनसे प्रकट करदी है। इसके अतिरिक्त क्या किया जा सकता है इस मामले की जाँच करनी पड़ेगी क्योंकि तकनीकी रूप से जो उन्होंने किया है उसे चुनौती नहीं दी जा सकती ऐसी स्थित है।

मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि जब विदेश सचिव लार्ड कैरिंगटन भारत आये तब हमने आप्रवासी अधिनियम तथा उसके क्रियान्वयन स्वरूप के कुछ पहलुओं पर बात की थी। मेरे विचार से इन मामलों पर अब और बातचीत करने का अवसर है और इसलिए ···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप्रवास का इससे क्या सम्बन्ध है।

श्री पी० वी० नर्रासिह राव : मैं बता चुका हूँ कि आप्रवास से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु कार्यवाही आप्रवासी अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत की गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको इस बारे में ही विरोध प्रदर्शित करना चाहिए।

श्री पी० बेंकट सुब्बया : साधारणतया जब कोई वक्तव्य दिया जाता है, प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है। परन्तु मामले की गम्भीरता को देखते हुए आपने प्रश्न पूछने की अनुमति दी है···

अध्यक्ष महोदय : हाँ, ऐसा नहीं किया जाता है परन्तु अपवाद स्वरूप मैंने अनुमति दे दी है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जो उत्तर देना था दे दिया है। यदि आपकी सन्तुष्टि नहीं है तो यह एक अन्य बात है। अब श्री पी. शिवशंकर

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : कूटनीति में विरोध से अधिक कुछ और भी है···*

अध्यक्ष महोदय : जिसकी मैं अनुमति नहीं देता वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो उन्हें कहना था वह कह चुके हैं। श्री शिवशंकर.

भारत रत्न और पद्म उपाधियों को देना पुनः प्रारम्भ करने के बारे में वक्तव्य

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : सरकार ने भारत रत्न और पद्म उपाधियों को पुनः प्रारम्भ करने के विषय में जो विनिश्चय हाल ही में किया है उससे सदन के कुछ वर्गों में गलतफहमी पैदा हो गई है और कुछ लोगों ने यह सन्देह व्यक्त किया है कि यह बात संविधान के और विशेष रूप से उसके अनुच्छेद 18 के अनुरूप नहीं है।

आरम्भ में ही मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक संविधान के प्रति आदर-भाव का सम्बन्ध है, सरकार किसी से पीछे नहीं है और वह इस बात के लिए कृत संकल्प है कि संविधान का केवल शब्दों में ही नहीं अपितु उसकी भावना का भी अनुपालन किया जाए। किन्तु यह देखना आवश्यक है कि अनुच्छेद 18 में जो प्रतिषेध है उसकी प्रकृति ठीक-ठीक क्या है। अनुच्छेद 18 समता-अधिकार से सम्बन्धित अनेक अनुच्छेदों में से एक है। इसमें कहा गया है कि सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधि के सिवाय और कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा।

इस प्रतिषेध की परिधि को समझने के लिए "खिताब" शब्द के अर्थ को सुनिश्चित करना ही आवश्यक नहीं है बल्कि उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है जिनमें यह अनुच्छेद संविधान निर्माताओं द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान निर्माताओं के सामने अन्य संविधान के वे उपबन्ध थे जिनमें संभ्रान्त श्रेणी के द्योतक खिताबों के प्रदान किए जाने को प्रतिसिद्ध किया गया था। हमारे संविधान निर्माताओं का इरादा इससे भी आगे जाकर ऐसे खिताबों के प्रदान किए जाने को प्रतिषिद्ध करने का था जो स्वतंत्रता पूर्व के काल में कुछ हद तक विदेशी शक्ति की अधीनस्थता के प्रतीक बन गए थे। इस प्रकार न केवल सम्भ्रान्त श्रेणी के द्योतक अनुवंशिक खिताबों पर भी पाबन्दी लगा दी गई थी बल्कि "दिवान बहादुर" जैसे खिताबों पर भी पाबन्दी लगा दी गई थी जिसका उल्लेख श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने उस समय अभिव्यक्त रूप से किया था जिस समय इस अनुच्छेद पर विचार विमर्श हो रहा था।

मूल अधिकारों पर सलाहकार समिति की कार्रवाइयों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मुद्दे पर लोगों की राय विभाजित थी और यह कि मूल रूप से इसका आशय केवल आनुवंशिक खिताबों को प्रतिषिद्ध करना था। तथापि यह तय किया गया कि "आनुवंशिक" शब्द को निकाल दिया जाए और खिताबों को समाप्त कर दिया जाए।

फिर भी यह बात महत्वपूर्ण है कि "दाय योग्य" विशेषण को निकाल देने का प्रस्ताव करते समय संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य श्री मसानी ने यह बात बहुत स्पष्ट कर दी थी कि "संघीय सरकार के लिए यह सम्भव हो सकता है कि वह अपने कुछ ऐसे नागरिकों का जिन्होंने विज्ञान और कलाओं जैसे जीवन के अनेक पक्षों में विशिष्टता प्राप्त की है अन्य प्रकार के अलंकरणों से, जो खिताबों की श्रेणी में नहीं आते हैं, सम्मान करे; स्वतंत्र भारत में यह संभव

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं होगा कि कोई व्यक्ति की गई सेवा के लिए पुरस्कार के रूप में अपने नाम के पहले या उसके बाद कुछ शब्द जोड़े।"

इस प्रकार संविधान निर्माता जिस चीज को प्रतिषिद्ध करने का इरादा रखते थे वह ऐसी चीज थी जो आमतौर पर नाम के पूर्व या उसके पश्चात् जोड़ा जाने वाला शब्द कहा जाता है।

"खिताब" शब्द के अनेक अर्थ हैं। प्रसिद्ध शब्द कोषों के अनुसार इस संदर्भ में इसका अर्थ किसी व्यक्ति या परिवार के साथ रैंक, कृत्य, पद या उपलब्धि के आधार पर जोड़ी गई पदवी है।

भारत रत्न तथा पद्म उपाधियाँ पदवियाँ नहीं हैं। संविधान शब्दों द्वारा और भावना में भी राज्य पर यह प्रतिषेध लगता है कि वह किसी व्यक्ति को राज्य से मिले किसी अनुदान के आधार पर अन्य व्यक्तियों से अपने को अलग रखने में समर्थ न बनाए। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो राज्य को किसी ऐसे विशिष्ट नागरिक का समाज के हित के लिए उसके द्वारा की गई सेवाओं के लिए सम्मान करने से रोकती है। इसी प्रयोजन से उन्हीं व्यक्तियों ने जिन्होंने संविधान की रचना में सक्रिय भाग लिया था, इन उपाधियों की बात सोची थी। इसी सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए 25 अगस्त, 1954 को स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि इन उपाधियों का खिताबों से कोई सम्बन्ध नहीं है और ये उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाले सम्मान मात्र हैं तथा यह कि इनकी खिताबों से तुलना करना सही नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यह पहला अवसर नहीं है जब सदन को राष्ट्रीय उपाधियों की संवैधानिकता के प्रश्न पर विचार करना पड़ा है। सन् 1969 में अत्यन्त वरिष्ठ और आदरणीय सदस्य आचार्य कृपलानी ने एक विधेयक पुरःस्थापित किया था जिसका शीर्षक 'व्यक्यिों को अलंकरण प्रदान करना (उत्सादन) विधेयक" था। इस विधेयक का आशय भारत रत्न और पद्म उपाधियों को इस आधार पर समाप्त करना था कि ऐसी उपाधियों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से खिताबों को वापस लाना आशयित है। विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान इन उपाधियों की संवैधानिकता के प्रश्न पर विस्तार के साथ विचार विमर्श किया गया। यह बताया गया कि अब इस विषय पर प्रख्यात न्यायशास्त्री सर बी० एन० राव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा 1948 में सर्वप्रथम विचार किया गया था तब वह समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि "खिताब" पद के अन्तर्गत सभी प्रकार के सम्मान और अलंकरण आवश्यक रूप से नहीं आते" हैं।

यह कहा गया कि विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य की यह मूल उपधारणा कि इन अलंकरणों के प्रदान किए जाने से संविधान के उपबन्धों का अतिलंघन होता है, सही नहीं थी। इस बात का कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया था और वह विधेयक अस्वीकार कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में यह बात सुसंगत है कि 1954 में उपाधियाँ देने की प्रणाली उस समय तैयार और अनुमोदित की गई थी जबकि संविधान सभा के विचार विमर्श लोगों के मस्तिष्क में ताजे थे और यह कि यह प्रणाली उन्हीं व्यक्तियों द्वारा तैयार और अनुमोदित की गई थी जिन्होंने संविधान की रचना में सक्रिय भाग लिया था और जिनमें संविधान की भावना पूरी तौर से भरी हुई थी।

मंत्रिमंडल की जिन बैठकों में इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ था उनकी अध्यक्षता श्री जवाहर लाल नेहरू ने की थी जिनकी लोकतंत्र समाजवाद और समता के सिद्धान्तों में अटूट आस्था थी और जिन्होंने संविधान की रचना में सक्रिय भूमिका अदा की थी। यह उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल की कम से कम चार ऐसी बैठकों में जिनमें इस प्रश्न पर विचार किया गया था, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी जो संविधान की प्रारूपण समिति के एक सदस्य थे, उपस्थित थे।

विपक्षी दल के मेरे माननीय मित्र श्री जगजीवन राम मंत्रिमंडल की उन छह बैठकों में उपस्थित थे जिनमें इस मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ था और वह स्वयं उस सरकार के एक सदस्य थे जिसने इन उपाधियों को प्रारम्भ करने का विनिश्चय किया था।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने इन उपाधियों को समाप्त करने की घोषणा करते हुए 13 जुलाई, 1977 को दिए गए अपने वक्तव्य में यह कहा था कि ऐसा महान्यायवादी की राय के आधार पर किया गया है जिन्होंने यह अभिनिर्धारित किया था कि भारत रत्न और पद्म उपाधियाँ खिताबों के प्रदान किए जाने के प्रतिषेध के अन्तर्गत आती हैं।

तत्कालीन महान्यायवादी का उचित आदर करते हुए मैंने उनकी राय पर रुचि लेकर और आदर के साथ विचार किया है किन्तु मैं उनके निष्कर्ष से सहमत नहीं हो सका हूँ। अपनी राय में काउंसेल ने इस बात को माना है कि "खिताब" शब्द के अनेक अर्थ है और उस शब्द का अर्थ इस बात पर आवश्यक रूप से निर्भर करता है कि उसका प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है। एक अजीब बात है कि उन्होंने इस बात हर ध्यान दिए बिना कि विगत काल में सरकार द्वारा जो कुछ किया जा रहा था उसकी अथवा उसके विधायी इतिहास की पृष्ठभूमि या उत्पत्ति क्या है, उसका अर्थ लगाया है। स्पष्ट है कि संविधान सभा में वाद-विवाद के पूर्व मूल अधिकारों सम्बन्धी सलाहकार समिति की कार्यवाहियों पर काउन्सेल ने वस्तुतः विचार नहीं किया था। यद्धपि इस विधायी इतिहास से संविधान के निर्माताओं के वास्तविक आशय पर काफी प्रकाश पड़ता है।

उसी राय में यह बात भी स्वीकार की गई थी कि अलंकरणों, पदकों आदि के रूप में अनेक ऐसी उपाधियाँ हैं जो विभिन्न क्षत्रों में योग्यता को मान्यता प्रदान करने के लिए किसी राज्य द्वारा यहाँ तक कि लोक तांत्रिक राज्य द्वारा दी जाती हैं। स्वयं काउन्सेल ने इस सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया था कि क्या आशय यह हो सकता था कि राज्य विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता को पारम्परिक रूप में मान्यता प्रदान करे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संदेह इस तथ्य से उत्पन्न हुआ था कि सेवा और विद्या सम्बन्धी खिताब अनुच्छेद 18 (1) में अन्तर्विष्ट प्रतिषेध से अभिव्यक्त रूप से छूट प्राप्त है।

इस तथ्य से कि राज्य भविष्य में किसी समय महा महोंपाध्याय जैसा विद्या सम्बन्धी खिताब प्रदान कर सकता है (जिसकी सम्भावना के प्रति श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में संकेत किया था), यह निष्कर्ष निकलना तर्क संगत प्रतीत नहीं होगा कि विशिष्ट सेवा को मान्यता किसी अन्य रूप में प्रदान नहीं की जा सकती है। खिताब के दिए जाने के सम्बन्ध में अभिव्यक्त अपवादों की बाबत यह नहीं समझा जा सकता कि वे खिताब शब्द के अर्थ पर उक्त अनुच्छेद द्वारा अधिरोपित मूल प्रतिवेष की परिधि बढ़ाने के लिए एक आधार है। वस्तुतः

स्वयं काउन्सेल ने उन विषमताओं को स्वीकार किया है जो अपवाद की परिधि का विस्तार करने से और उस अनुच्छेद में प्रयुक्त "विद्या सम्बन्धी" शब्द का इस प्रकार व्यापक अर्थ लगाने से कि उसके अन्तर्गत कला विधि, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में कोई मान्यता आ जाएगी, उनकी राय से उत्पन्न होगी। सच तो यह है कि काउन्सेल ने अपनी राय के अन्तिम भाग में यह कहा है कि :

"इसके अन्तर्गत सराहनीय लोक सेवा या लोक सिविल सेवाओं की मान्यता नहीं आती है। इसकी बावत यह समझा जाना चाहिए कि यह एक ऐसी खामी है जो पूर्णतः संयोगवश है।"

पूर्व विद्यमान स्थिति को और अन्य लोकतांत्रिक देशों में प्रचलित प्रणाली को देखे बिना, संविधान को बढ़कर जल्दबाजी में यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उसमें कोई खामी है। अनुच्छेद के इतिहास और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचने का कोई कारण नहीं है कि संविधान के निर्माता भारत में राज्य को अपने अत्यन्त विशिष्ट नागरिकों को मान्यता प्रदान करने और उनका सम्मान करने के उस अधिकार से अथवा यूं कहिए कि कर्तव्य से वंचित रखना चाहते थे जो अन्य लोकतांत्रिक राज्यों को प्राप्त है।

इस विषय पर अत्यन्त सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् स्थिति यह है कि इस संबंध में संदेह को कोई गुंजाइश नहीं है कि अपने वर्तमान रूप में संविधान राज्य को भारत माता के किसी विशिष्ट पुत्र को मान्यता प्रदान करने से नहीं रोकता है। ऐसे व्यक्ति को दी गई कोई उपाधि, अलंकरण या पद्क ऐसा खिताब नहीं है जिसे संविधान के निर्माता प्रतिशिद्ध करना चाहते थे।

कार्य मंत्रणा समिति

पहला प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय एवं संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बैय्या) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हुं ; "कि यह सभा, कार्य मंत्रणासमिति के पहले प्रतिवेदन से, जो 29 जनवरी 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : (भुवनेश्वर) महोदय, मैं आदरणीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस सभा में भले ही यह अल्पकालीन सत्र है— हमने प्रायः अपने देश व अन्य देशों से सम्बद्ध सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया। देश के लगभग 17 राज्य सूखे से प्रभावित हैं। उड़ीसा में सूके की स्थिति गंभीर है। इसलिए महोदय हम शुरू से ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने अल्पकालिक चर्चा की भी माँग की है, परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है। इस चर्चा के लिए कम से कम दो घंटे दिए जाएं। सदन में सूखे की स्थिति पर विचार विमर्श किया जाए। मैं आपसे इस बात का अनुरोध करूंगा कि किसी भी दिन सदन का समय दो घंटे, अर्थात् 6 बजे से 8 बजे तक बढ़ दिया जाये, जिससे कि हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही सूखे के सम्बन्ध में काफी चर्चा कर चुके हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री वेंकट सुब्बैया : इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जा चुकी है। हमने कार्य मंत्रणासमिति की भी एक बैठक की थी जिसमें विपक्षी नेता भी उपस्थित थे और उस बैठक में स्थिति को स्पष्ट कर दिया है :— तमाम व्यस्त कार्यक्रम है। वास्तव में, हम स्वयं बहुत चिन्तित हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा कार्य मंत्रणासमिति के पहले प्रतिवेदन जो 29 जनवरी, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मत्री।

श्री जी. एम. बनातवाला : (पोलानो) महोदय' मुझे एक निवेदन करना है. हमने पूरी चर्चा नहीं की थी। मुस्लिम लीग चर्चा से एक दम अलग रखी गई है। ऐसा पहली बार·····।

अध्यक्ष महोदय : हमने 8 घंटे का समय निर्धारित किया था परन्तु हम 9 घंटे ले चुके हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : परन्तु मुस्लिम लींग को चर्चा से क्यों अलग रखा जाना गया? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कम से कम विभिन्न दलों को अनुमति दी जानी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मुझे बताया गया है कि नियम 377 के अधीन कुछ सूचनाएँ गृहीत की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम आपको समय दे सकते हैं। पहले, मैं नियम 377 के तहत नोटिस कर लूंगा। तत्पश्चात् मैं आपको कुछ समय दूंगा।

श्री जी. एम. बनातवाला : पन्द्रह मिनट

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं नियम 377 के तहत नोटिस लूंगा। और उसके बाद कुछ समय दूंगा।

अब मैं श्री मधु दण्डवते को बुलाता हूं। नियम 377 के तहत मामले।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर): मेरा 377 पर प्वाइन्ट आफ आर्डर है। आज तक हाऊस का यह नियम रहा है कि जो विषय कालिंग एटेंशन में नहीं आते हैं और जो महत्व-पूर्ण होते हैं, उन पर बहस होती है... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही समाप्त हो चुका है। मैं काफी समय दे चुका हूं।

श्री रामबिलास पासवान : अध्यक्ष जी, जब हम यहां कुछ कहने के लिए उठते हैं, तो आप कहते हैं कि चेम्बर में मिलिये। मैं दो बार चेम्बर में गया··· (**व्यवधान**)··· मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के इशू पर बहस की जाए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि काश्मीर के इशू को हम उठाएंगे। इस हाऊस में इस मसले पर बहस होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम मामले की चर्चा के लिए काफी समय दे चुके हैं। हमने दो घंटे का समय दिया था। हमने दूसरे अवसर की भी व्यवस्था है, वह आने वाले दो घंटे का है। अब श्री मधु दण्डवते।

श्री राम विलास पासवान : काश्मीर का उस में कहा है।

नियम ३७७ के अन्तर्गत मामले

(एक) **प्रेस आयोग के बारे में**

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर): अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्नलिखित का मामला उठाता हूं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने घोषणा की है कि प्रेस आयोग के विचारार्थ विषयों को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा और आयोग के जिन सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है उनके स्थानों को नए सदस्यों से भरा जाएगा। जब संसद का सत्र चल रहा हो तो ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा सदन में की जानी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि वे सदन को विश्वास में लें और प्रेस के प्रस्तावित व्यापक निर्देश पदों के बारे में एक विस्तृत वक्तव्य दें।

(दो) **3-1-1980 को जनता एक्सप्रेस के एक डिब्बे में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा दो महिलाओं के साथ बलात्कार करने का समाचार**

श्रीमती गीता मुखर्जी (पांसकुरा) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले को आपके नोटिस में लाना चाहती हूं।

तीन जनवरी को जनता एक्सप्रेस में हावड़ा से यात्रा कर रही शियावती और वृंदा नाम की दो महिलाओं के साथ एक महिल डिब्बे के अन्दर रेलवे पुलिस बल के सिपाहियों द्वारा बलात्कार किया गया और वैची स्टेशन के निकट उन्हें उनके नाबालिक बच्चों सहित रेल से बाहर फेंक दिया गया। यह बहुत ही गंभीर मामला है और ...*

अध्यक्ष महोदय : केवल मोहबत ही कार्यवाही में दर्ज की जाएगी कोई दूसरी बात नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : और अपराधियों को दण्ड दिए जाने की आवश्यकता है और इस तरह की पुनरावृति को आगे होने से रोका जाए। (धन्यवाद)

(तीन) **गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न वंशों की सशस्त्र सेनाओं के दिखाये जाने के बारे में**

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : स्पीकर साहब, आप की इजाजत से मैं 377 रूल के अन्दर एक बहुत ही अहम मसले को इस पार्लियामेंट के सामने रखता हूं।

इस साल 26 जनवरी के प्रोग्राम में जहाँ पूरे हिन्दुस्तान के लोग और हर मजहब और बिरादरी के लोग आये हुये थे, वहाँ पर एक प्रोग्राम हिन्दुस्तान की तारीख में किस-किस की फौजों में कैसे कपड़े और हथियार इस्तेमाल किये मसलन गुप्ताखानदान, वर्द्धन खानदान और राजपूत वगैरह दिखाये गये थे। मगर अफसोस की बात है कि मोहतरमा इन्दिरा गाँधी की हुकूमत होते हुए भी इस के अन्दर पठानों, मुगलों या दूसरे मुसलमान हुकमरानों की फौजों ने कैसे कपड़े और हथियार इस्तेमाल किये थे, नहीं दिखाये गये, जिस की वजह से हिन्दुस्तान के सैकुलर जहन रखने वाले लोगों को बहुत तकलीफ हुई।

(चार) **उड़ीसा में भयंकर सूखे की स्थिति का समाचार**

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही (भुवनेश्वर) : महोदय नियम 377 के अन्तर्गत मैं सदन का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करता हूँ।

*कार्यवाही वृन्तान्त में नहीं किया गया।

उड़ीसा में सर्वाधिक भयंकर सूखे की स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की तादाद में लोग अन्यत्र रोजगार की तलाश में अपनी भूमि और घर छोड़ रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी की स्थिति है। चावल का उत्पादन इतना कम हो गया है कि उड़ीसा, जो कि चावल की अतिरिक्त पैदावार करने वाला राज्य है। आज चावल का आयात करने को मजबूर हो गया है। सूखे ने विद्युत् उत्पादन को भी गंभीर क्षति पहुँचाई है और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति राज्य में ऊँची पैदावार देने वाली फसलों को क्षति पहुँचा रही है। और इस प्रकार घटनाओं को समाप्त करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

(पांच) श्री लंका के नौसेना कर्मचारियों द्वारा तमिलनाडु के मछेरों के पकड़े जाने के समाचारों के बारे में

श्री एम० एस० के सत्येन्द्र (रामनाथ पुरम) : महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

कइच टीवू के निकट भारतीय सीमा के अन्दर मछली पकड़ते समय तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंका सरकार के नौसैनिकों द्वारा पकड़ कर हिरासत में ले लिया जा रहा है। वहाँ स्थिति आतंक और तनाव की है। यह घटना इस सप्ताह हुई गरीब मछुआरों को बचाने के लिए मैं तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूँ।

राट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री जी० एम० बनात वाला (पौन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में नई सरकार को अपनी हार्दिक बधाईयाँ देता हूं। श्रीमान् जी लोगों की बहुत बड़ी आशायें हैं और हमें प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण इन संकेतों से भरपूर है कि नई सरकार का इरादा अपने सम्मुख कठोर कार्य को निष्ठा तथा सद्भाव के साथ करने का है। मैं भारतीय मुस्लिम लीग संघ की ओर से सरकार का सही ढंग से चलने तथा हर सफलता की कामना करता हूं।

श्रीमान् जी हम राष्ट्रपति के उन अच्छे शब्दों तथा उस सद्भाव के भी कृतज्ञ हैं जो उन्होंने उन विभिन्न विवाद ग्रस्त विषयों के लिये कहे हैं जिनका अल्प संख्यक विशेष रूप से मुसलमान सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है और मैं उसे उद्धृत करता हूँ :

"सरकार धर्म निरपेक्षता के प्रति पूर्णतया वचन बद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि अल्प संख्यक अपनी विशेष सांस्कृतिक भिन्नता को बनाये रखते हुए राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तथा बराबरी के हिस्सेदारी की भावना का अनुभव करें।

हम इस आस्था का स्वागत करते हैं कि जो उन्होंने व्यक्त की है और आशा करते हैं कि इस आस्था की वास्तविकता में परिवर्तित किया जायेगा। हम सरकार को इस विशेष उद्देश्य के लिये अपने रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देते हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के मुस्लिम अल्प संख्यक स्वरूप को बहाल करने के लिए आगामी सत्र में विधान लाने के सरकार के आश्वासन का भी स्वागत करता हूँ। इस सम्बन्ध में मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे

में अल्प संख्यक आयोग की सिफारिशों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्प संख्यक स्वरूप को वहाल करने के लिए लाये जाने वाले विधान में अल्प सख्यक आयोग की सिफारिशों को विधिवत शामिल किया जाएगा ।

विशेष रूप से विश्वविद्यालय की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें यह स्पष्ट तथा अकाटय रूप से स्वीकार किया जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के मुसलमानों द्वारा की गई है तथा इसलिये वे इसका संचालन करने तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकारी है । किन्तु मैं इस सम्बन्ध में सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि अल्प सख्यकों के साथ भविष्य में अच्छा बर्ताव किया जाएगा । स्थिति गम्भीर है और इस अल्प समय में मैं विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करने में समर्थ नही हो सकूंगा । मैं अब सरकारी सेवा में मुस्लिम अल्प संख्यक के उचित प्रतिनिधित्व का प्रश्न लेता हूँ । सरकारी नौकरियों में लिपिकों की संख्या लीजिए । केन्द्रीय सचिवालय दिल्ली में आज लिपिकों की संख्या 9,6000 है तथा मुस्लिम लिपिकों की संख्या केवल 27 है । मैं समया भाव के कारण विभिन्न अन्य ब्यौरों का विस्तृत विवरण नहीं दे रहा हूं परन्तु इससे बहुत खराब स्थिति दीख पड़ती है ।

इसके पश्चात् अल्प संख्यक आयोग ने काफी सिफारिशें की हैं । भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है । मुझे आशा है कि इन सिफारिशों पर सरकार बहुत अच्छी तरह से गौर करेगी तथा उन्हें क्रियान्वित करेगी । उर्दू के संरक्षण सम्बन्धी गुजरात समिति ने भी अनेक सिफारिशें की हैं तथा आशा करता हूँ कि इन सिफारिशों को भी क्रियान्वित किया जाएगा ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : उन्हें उसको सभा पटल पर रखने के लिए कहिए ।

श्री जी० एम० बनातवाला : जहाँ तक मुझे मालूम है पहली सरकार द्वारा गुजराल समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा चुका है तथा मैं उसके लिए आभारी हूँ परन्तु अब कार्यान्वयन का प्रश्न रहता है । पहली सरकार हिचकिचाहट महसूस करती रही और यह कहा कि मुख्य मंत्रियों की सिफारिशें प्राप्त की जाएगी तथा उनकी राय मालूम की जाएगी परन्तु मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह सरकार इस सदन को स्पष्ट आश्वासन देगी कि गुजराल समिति की सभी सिफारिशों को अल्पतम संभव समय में विधिवत रूप से क्रियान्वित किया जाएगा ।

मुझे खेद है कि भारत के राष्ट्रपति ने उन विभिन्न स्थानों पर मुझे दंगों का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है । मुझे यकीन है कि मामले पर पूर्ण विचार किया जाएगा, अनेक दंगों में विस्थापित लोगों को सुरक्षण प्रदान किया जाएगा और निर्दोष व्यक्तियों को भी पूर्ण पुनर्वास का आश्वासन दिया जाएगा ।

समाप्त करने से पूर्व अफगानिस्तान के मामले में रूप द्वारा वेशर्म तथा स्पष्ट सैनिक हस्तक्षेप की भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्पष्ट भर्त्सना न करने पर मुझे बड़ा खेद और निराशा हुई है ।

एक माननीय सदस्य : क्या इसका अल्प संख्यकों से कोई सम्बन्ध है ?

श्री जी० एम० बनात वाला : रूस की सरकार कहती है कि अफगानिस्तान में नई अफगान सरकार के अनुरोध पर वहाँ रूसी सेना भेजी गई थी परन्तु यह सच नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है 4-6 हजार रूसी सैनिक काबुल में अमीन सरकार के पतन से कम से कम तीन दिन पूर्व दिसम्बर 24 से भेज दिये गये थे। इसमें हमारे अपने राष्ट्रीय हित तथा अन्तर्राष्ट्रीय हित निहित हैं। इस निर्लज्ज घटना की साफ-साफ शब्दों में भर्त्सना की जाए और रूस को वहाँ से अपनी सेना को हटाने के लिए भी कहा जाए। मैं असम की स्थिति के बारे में कुछ और शब्द कहना चाहता था। किन्तु इस विषय पर किसी दूसरे अवसर पर बोलने का प्रयास करूँगा।

अनेक आर्थिक प्रश्न भी हैं जिनको सदन में उठाये जाने का प्रयास किया गया है। बचत, विदेशी मुद्रा तथा खाद्यानों के अधिशेष थे, परन्तु तथ्य यह है कि देशी बाजार में वस्तुओं की कमी आती जा रही है। जब तक कि इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक हमारी अर्थव्यवस्था फिर से सक्रिय नहीं हो सकती है और न ही विभिन्न समस्याओं का समाधान होने वाला हैं।

इन शब्दों के साथ मैं नई सरकार के लिये सभी शुभ कामनाओं के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ और आशा करता हूं कि राष्ट्र के हित में सरकार को उन विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सफलता मिले जो आज वहाँ विद्यमान है। (धन्यवाद)

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी : अध्यक्ष महोदय मैं अपना उत्तर देने से पूर्व क्या विपक्ष के उस माननीय सदस्य के प्रति मैं एक शब्द कह सकती हूँ जिसने गणतत्र दिवस परेड संबंधी एक प्रश्न उठया था ? मैं उन्हें केवल यह बताना चाहती हूँ कि परेड के कार्यक्रम मदो तथा विवरणों को हमारी सरकार के आने से बहुत पहले तय किया जा चुका था। हमने इसमें किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया। वास्तव में उस परेड देखने के समय तक हमें यह मालूम नहीं था कि यह क्या था। किसी भी तरह से सरकार के सामने एन. सी.सी· का भाग नहीं आता है। परन्तु मैं उनसे सहमत हूँ कि ऐसे ब्यौरो की जांच की जानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि वह तथा सभी अन्य माननीय सदस्य परेड तथा स्ट्रीट के शानदार प्रदर्शन के लिए रक्षा सेवाओं को बधाई देने में मुझे सहयोग देगें। हमारे सभी विदेशी अतिथि तथा अन्य लोग अत्यधिक प्रभावित हुये थे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बादविवाद के दौरान, विशेष रूप से विपक्ष के माननीय सदस्यों के भाषणों के दौरान, उपस्थित रहने का प्रयत्न किया है परन्तु कुछ अपरिहार्य व्यस्तता के कारण मैंने उन सब को नहीं सुना है। इसके लिए मुझे खेद है परन्तु प्रति दिन मेरे सम्मुख प्रस्तुत की गयी पुरक मुख्य बातें मेरे पास उपलब्ध हैं।

यह कहते समय मेरा मतलब निरादर से नहीं है कि वाद-विवाद में कैसे भी विपक्ष की ओर से सहृदयता अथवा धारणा की कमी रही है। दी गई, दलीलों में से अधिकांश दमदार नहीं है। आदरणीय सदस्य बहुत से अभी तक आपात की कहानी कह रहे हैं। भूतकाल के मानसिक अघात में अभी तक वे अपना मार्ग खोज रहे हैं। 1975 व 1977 अब इतिहास का विषय है। हमने 1980 के नये दशक में प्रवेश किया है। जो चुनौतिओं तथा बहुत बड़ी समस्याओं से भरा है।

हमारी आन्तरिक समस्यायें आर्थिक एवं सामाजिक हैं। अर्न्तराष्ट्रीय मामलों में गुटनिरपेक्षता तथा हमारी सुरक्षा को भी खतरा है। राष्ट्रपति का अभिभाषण उस समय लिखा गया था जब सरकार बने केवल 4 दिन ही हुये थे। इसलिए सदस्यों को ऐसी आशा रखना वास्तविकता से परे है कि उसमें हम यह बताते कि इन समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जाएगा। उस समय राष्ट्र की सही स्थिति का पता लगा सकना वास्तव में असंभव था।

पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस शासन की जो उपलब्धियां हैं उनका उपहास केवल वास्तविकता की उपेक्षा करके ही किया जा सकता है। 1947 में हम उपनिवेशी शासन की दीर्घ अवधि के बाद स्वतन्त्रता को प्राप्त करके एक नवोदित देश के रूप में उभरे। हमे जो राजनैतिक ढाँचा मिला वह टूटा फूटा था और अर्थ व्यवस्था बहुत खराब थी देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न शताब्दियों की परिस्थितियाँ प्राप्त थी संभवतया माननीय सदस्य को, विशेष रूप से बंगाल के सदस्यों को, गुरुदेव टैगोर द्वारा लिखे गये अन्तिम लेखों में से एक बात याद होगी। उन्होंने कहा था, "मैं जानता हूँ कि अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे। हमारे सामने प्रश्न यह है कि वे देश को किस हालत में छोड़ेगें।" और हम सब उस दशा से अवगत हैं।

हमने राजनैतिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ एक राष्ट्र का निर्माण करने में इन 30 वर्षों में कड़ी मेहनत की है। हमने अपनी विशालता एवं अनेकता के बावजूद भी मजबूत राजनैतिक एकता प्राप्त की है। हमने ऐसी लोकतंत्रात्मक परम्पराएं बनाई हैं जो वर्षों तक चलते रहे राजनैतिक विवाद के बाद भी जीवित हैं। पराधीनता की स्थिति से छुटकारा पाकर हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित हुये जिसकी आवाज विश्व की परिषदों में सम्मानपूर्वक सुनी जाती है। विरोधी दल गड़े मुर्दों को उखाड़ना चाहते हैं। मैं भविष्य पर अधिक गौर कहना पसंद करती हूँ परन्तु क्योंकि उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया है। इसलिये मुझे उन मामलों को बताने के अतिरिक्त उन्होंने मेरे लिए और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है जिनसे वे दूसरी ओर ध्यान नहीं जाने देते हैं। प्रथमतः मैं बहुत संक्षेप में उत्पीड़न के प्रश्न के बारे में बताना चाहूंगी। जनता पार्टी ने चुनाव के बाद क्या किया था, जनता पार्टी में मैं जनता तथा लोक दल जो अब जनता (एस) है दोनों को शामील करती हूँ ? हमारे दल ने राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों तथा जनकल्याण की गतिविधियों में अपना सहयोग दिया था। वास्तव में मेरे विपक्ष के माननीय मित्र तथा भूतपूर्व सहयोगी मुझे क्षमा करेंगे, हमारे विवाद के कारणों मे से एक यह था जो हम महसूस करते हैं कि वह उस समय के सत्तारूढ़ दल को बुरी तरह से समर्थन दे रहे थे।

श्री यशवंत राव चव्हाण (सतारा) प्रश्न !

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : चव्हाण जी : यही मेरी राय थी इस लिये मैंने कहा हमारा मतभेद बना रहा परन्तु जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही ? विरोधी दल के रूप में मेरे दल को कार्य करने की अनुमति देने के स्थान पर मेरे, मेरे परिवार तथा सहयोगियों के विरूद्ध एक दमन चक्र चलाया गया। राजनैतिक आशय से प्रेरित कई आयोग बैठाये गये। कितने थे, मैं समझती हूँ···

माननीय सदस्य : हिसाब कौन रख रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती ईन्दिरा गांधी : आयोगों के अलावा अन्य जाँच प्राधिकरण भी थे। हमें गृह

मंत्रालय से मालूम हुआ कि 34 आयोग थे। उनके समक्ष गलत साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। जैसा कि मुझे अपने व्यक्तिव वातावरण से जानकारी है, इन आयोगों के समक्ष कार्यवाही के दौरान वही वातावरण था जो मध्यकालीन ब्रिटेन के जमाने में था जब अपराधी को सताया जाता था तथा अमेरीका में मकारथीज्म के समय में जब जनता की भावना को दबाया जाता था और सरकार द्वारा नियंत्रित प्रचार के साधनों के माध्यम से मिथ्या वर्णन, कुचक्र तथा डांट-डपट की प्रथा बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। इन आयोगों के प्रमुख, न्यायाधीश तथा अन्य व्यक्ति प्रधान मंत्री तथा गृह मत्री से मिला करते थे। मेरे पुत्र के विरुद्ध दर्जनों मामले शुरू किये गये थे। मेरे निकट के अधिकारियों को सताया गया तथा डराया-धमकाया गया, तथा केवल उन्हीं को नहीं— वे तो दोषी थे ठीक है पर तु उनके रिश्तेदारों उनके बूढ़े माता-पिताओं, उनकी बहनों को सताया गया था जिनके वर्षो से उन सभी चलाये गये, पर मुकदमे उनके साथ निकट के संबंध नही थे। उनके मकानों की अंधाधुंध तलाशियां ली गई। बड़े पैमाने पर बैंक लाकरों को सील कराये गये, रिश्तेदारों के बैंक खातों पर पाबन्दी लगाई गई, पासपोर्टों को जब्त किया गया, रिश्तेदारों के आय कर के मामले उठाये गये तथा अधिकारियों की जाँच-पड़ताल विशेष अदालतों का विषय बन गयी थी। यहाँ तक भी पूछताछ होती थी कि माता-पिताओं से उस व्यय के बारे में बताने के लिये कहा जाता था जो 1947 से पहले किया गया था। मुझसे पूछा गया था कि 1960 में मैं ने कुछ विश्व-विद्यालयों से कुछ चैक कैसे प्राप्त किये। भूतपूर्व मंत्रियों अर्थात श्री गोखले प्रो० चट्टोपाध्याय, श्री बंसीलाल, श्री मालवीय, श्री पी. सी. सेठी तथा अन्य बड़े-बड़े व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया गया। मैं इसको बहुत संक्षेप से बता रही हूँ। यदि मैं विस्तार से बताऊं तो मैं आपको कुछ मर्मभेदी कहानियाँ पता लगेंगी। मार्च, 1977 से जनवरी, 1980 तक 10 सी.बी.आई. अधिकारी 8 सी.बी.आई, के मामलों की पड़ताल के संबंध में विदेशों में गये थे। वे, ब्रिटेन, स्वीजरलैंड (बेरने तथा जेनेवा) स्टाकहोम, फ्रंकफुर्ट, बोन, न्यूयार्क, वांशिगटन, पेरिस, सिंगापुर, बैंकाक, टोकियो तथा ओसाका गये। यह कहा जाता था कि इन दौरों का मुख्य उद्देश्य मेरे, मेरे परिवार तथा मेरे निकट के सहयोगियों के विरूद्ध साक्ष्य प्राप्त करना था। परन्तु आप सब लोग जानते हैं कि नतीजा क्या निकला था। मुझे इसमें कोई सदेह नहीं है कि उन्होंने मनोरजन के लिए यह सब किया। परन्तु इसके अतिरिक्त यह रवैया रहा कि राजदूतों को सरकार के सत्ता में आने के तुरन्त बाद कहा गया कि मेरे अथवा मेरे पिता जवाहरलाल नेहरू के चित्रों तथा लेखों को जला दें...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मैं उस वक्तव्य को चुनौती देता हूँ। यह सच नहीं है। **(व्यदधान)**

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं माननीय सदस्य की परेशानी समझ सकती हूँ। एक राजदूत ने स्वयं मुझे बताया कि उसे ये अनुदेश मिले थे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : किस से।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई) और यदि यह सच है तो आदेश को सभा पटल पर रखा जाए। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यदि यह सिद्ध कर दिया जाए कि मैंने ऐसे अनुदेश जारी किये थे तो मैं कोई भी दंड भुगतने को तैयार हूँ। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांत, शांत, कृपया अपनी सीटों पर बैठिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस राजदूत का नाम बतायें ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मुझे नाम बताने में कोई संकोच नहीं है, मैं उसका नाम श्री वाजपेयी को बता दूंगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केवल मुझे ही क्यों ? सदन को क्यों नहीं जबकि आप सार्वजनिक आरोप लगा रही हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय कृपया शान्त रहिये ।

श्री अटल विहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : इसकी भी एक सीमा होती है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जो आपने किया है उसकी भी सीमा है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : प्रधान मंत्री को इसे कहने का कोई अधिकार नहीं है ।

यदि यह सत्य है तो सभा पटल पर आदेश रखा जाये । (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : मुझे यह पता नहीं है कि आदेश किसने दिया था । मुझे जो कुछ बताया गया था मैं तो उसकी केवल पुनरावृत्ति कर रही हूँ । मेरी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि उन आदेशों को किसने जारी किया था । मुझे यह एक राजदूत ने बताया था तथा उसका अविश्वास करने के लिए मेरे पास कोई कारण नही है । मैं भी इस सूचना की भागीदार बन सकती हूँ । वह काँग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं है ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : तो क्या हुआ ?

श्रीमती इन्द्रा गांधी : उसने यह जवाब दिया गया था कि यदि उसे उनको रखने की अनुमति नहीं दीं गई तो वह उनको जलायेगा नहीं । उसने कहा था कि वह उनको एक अलमारी में बद कर देगा तथा उनको अलमारी में ताला लगा कर रखेगा ।

श्री रवींद्र वर्मा : अलमारी में बंद करना उन्हें और खराब करना होगा ।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : यह केवल विदेशी मामलों में ही नहीं हुआ था । तस्वीरों को फाड़ा गया तथा उन्हें रोंदा गया । एक वायु सेना अधिकारी ने मुझे बताया कि उसके पास पहले मेरी, मेरे पिताजी तथा उसकी अपनी तस्वीरें थी । उसे यह बताया गया था कि कोई व्यक्ति उनको हटाने के लिए कार्यालय में आया लेकिन उसकी पदवी के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं हैं । उसने बताया कि यह पूर्णरूपेण निजी मामला है । मैं इसे एक राजनीतिक मामला नहीं बना रही हूँ, यह एक निजी मामला है । इसके बाद ही उसका जल्दी ही तबादिला कर दिया गया । मुझे यह मालूम नहीं है कि तबादिले का इससे कोई सम्बन्ध था या नहीं । लेकिन उसके मन में यह धारणा थी कि इसका उससे सम्बन्ध था । इस प्रकार का यह एक ही मामला नहीं है । इस प्रकार के हजारों मामले हैं, केवल एक ही नहीं । हर सम्भव तरीके से मेरा अपमान करने की हर प्रकार की कोशिश की गई । विदेशी राजदूतों ने मुझे बताया है । श्री वाजपेयी जी मैं उनके नामों के बारे में नहीं बताऊंगी । केवल यही उचित है कि सदन को इस बात की जानकारी रहे । उनकी उनके देशों में अच्छी स्थिति है तथा वे वहाँ सम्माननीय व्यक्ति हैं ।

उन्होंने मुझे बताया है कि उन्हें मुझसे मिलने के लिये फंसाया गया था । उनमें से जो भी

मुझसे मिलने के लिये आये वह टैक्सियों में या पैदल ही आये। इस प्रकार ऐसा वातावरण तैयार किया गया था। कोई व्यक्ति जो मुझसे मिलना चाहें उसका सरकार से कोई काम था या नहीं। चाहे वे किसी विश्वविद्यालय या किसी विभाग के थे जिनको परोक्ष रूप से सरकारी सहायता दी गयी थी उन्हें लाभ पहुंचाया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (वसीरहाट) : लाभ पहुंचाने से क्या तात्पर्य है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : उनको बुलाकर यह पूछा गया था कि उन्हें इस सरकारी सहायता की बराबर आवश्यकता है या नहीं।

प्रो० मधुदंडवते (राजापुर) : आप आपातकालीन परिस्थितियों का वर्णन कर रहीं हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भी ठीक वही कह रही हूँ। ऐसा उन्हीं व्यक्तियों ने किया जिनका मुख्य नारा यह था कि वे प्रजातंत्र तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। हम आपातकालीन स्थिति को किसी पिछले दरवाजे से नहीं लाये। हमने आपातकालीन स्थिति सब को बताकर लगाई। हमने किसी व्यक्ति को धोखे से गिरफ्तार नहीं किया। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा है यदि कोई गई गलत बात हुई थी। (व्यवधान)

कृपया शान्त रहें क्योंकि मुझे ज्यादा समय लगेगा। यदि आप बैठना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे काफी समय लगेगा। मुझे बहुत कुछ कहना है। आप शान्तिपूर्वक सुनें तो यह जल्दी से खत्म हो जायेगा। आपके चिल्लाने के कारण मैं अपनी बात को छोटा नहीं करूंगा। आपके चिल्लाने के कारण मैं नहीं बैठूँगी यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए।

(व्यवधान)।

मैंने सुना है कि मेरे अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करने की फिल्म को सूचना मंत्रालय ने नष्ट कर दिया था। जहाँ तक मुझे पता है तत्कालीन मंत्री ने यह मान लिया था कि उक्त फिल्में खो गईं थीं। जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने दंगों तथा अन्य विविध प्रकार की घटनाओं के बारे में कहा है उससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रशासन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ था तथा इससे इस बात की भी झलक मिलती है कि शिक्षा प्रशासन पुलिस तथा अन्य विविध क्षेत्रों में उन्होंने विविध अनुकूल परिस्थितियों में घुसपैठ की थी। क्या चुनाव जीतने के बाद तत्काल मुझे संसद से निकाला जाना भी चिकमगलूर की जनता या लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वयं अपमान नहीं था ? क्या ऐसा बहुमत के कारण नहीं किया गया था।

हमने कहा है कि हम प्रतिशोधी नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन तथ्य अवश्य बाहर आने चाहिए।

पूर्व इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया गया। लेकिन वर्तमान इतिहास की चर्चा करने का कोई प्रयास नहीं किया।

हम जनसंघ के माननीय सदस्यों को जानते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हमारा जनसंघ से कोई वास्ता नहीं हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे याद है कि श्री अटल विहारी वाजपेयी के दल के कुछ महानुभाव कुछ वर्षों तक यह सिद्ध करने का प्रयास करने में लगे रहे कि ताजमहल एक हिन्दू मंदिर यह एक चरम सीमा की बात है। लेकिन इनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो भारतीय परम्परा की रक्षा करने में उतनी ही घातक हैं। वह परम्परा संश्लेषण तथा महान सहन शक्ति को प्राप्त करने की है। इस परम्परा में न तो झूठ में ही विश्वास किया जाता है और न ऐसी बातों को ही हटाया जाता है जो भारतीय तसवीर के अनुरूप न होने के कारण नहीं होती। या उनका क्या करने का इरादा है।

अब देश की राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों के प्रबंध में जनता सरकार की दिन प्रति दिन गैर जिम्मेदारी, जनता सरकार की मूलभूत विकास की लापरवाही के अनुरूप है।

सदस्यों ने कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के तेजी से बिगड़ने तथा विशेष तौर से निर्बल वर्गों में असुरक्षा की भावना के बारे में कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महिलाओं के बारे में भी कहा गया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : विशेष तौर से महिलाओं के बारे में मैंने बाहर अपने भाषणों में यह सब कुछ कहा है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि ऐसी स्थिति अब भी चल रही है। निःसंदेह ऐसा अब भी हो रहा है। क्या हम इसमें एक दम परिवर्तन कर सकते हैं मेरा ऐसा विचार है कि इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ है।

पिछले तीन वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों में साम्प्रदायिक घटनाओं में बढ़ोतरी होने के कारण अल्प संख्यकों को परेशानी हुई। वर्ष 1975 में 962 व्यक्ति घायल हुए तथा 33 व्यक्ति मारे गये। वर्ष 1976 में 794 व्यक्ति घायल हुए तथा 39 की मृत्य हुई। 1977 के प्रारम्भ में घायलों की संख्या 1119 तक पहुँच गई 1978 में घायलों की संख्या 1853 थी। 1979 में छः महीनों में घायल हुए व्यक्यिों की संख्या 2,346 थी। तथा इस अवधि में 260 व्यक्तियों की मृत्य हुई।

जातयिता तथा जातिगत भावना सदियों से भारतीय समाज की विशेषता रही है। स्वातंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारम्भ में हमारा विचार था कि इस प्रकार की आक्रामक जातिगत भावना कम होगी लेकिन प्रजातंत्र की शुरूआत के प्रारम्भ में हमने यह महसूस किया कि इस भावना को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि मनुष्यों को जातिगत सहायता प्राप्त करने में विश्वास था फिर भी उन्हें यह आभास हुआ कि अन्य जातियाँ एक हो जाएं तो यह जातिगत सहायता पर्याप्त नहीं है फिर हमें इस विचार धारा में कमी अनुभव होने लगी। लेकिन जनता पार्टी तथा लोक दल के राज्यों में इस भावना का हमें केवल अपने राजनैतिक तथा सार्वजनिक जीवन में अनुभव किया लेकिन हमें जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता का आभास अपने उच्च अध्ययन की संस्थाओं में भी हुआ। हमारी सिविल सेवायें तथा प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को भी बिगाड़ा गया। यहाँ तक की लोक सभा चुनावों में भी जनता को धोखे में रख कर जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता के अधार पर चुनाव जीतने के प्रयत्न किए गए। मेरे विचार से इस चुनाव से यह सिद्ध हो गया है कि हमारी जनता का दृष्टिकोण सीमित नहीं है बल्कि उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय है लेकिन हमारे विरोधी दलों के सदस्य सीमित दृष्टिकोण को ही चाहते हैं।

वर्ष 1975 तथा 1979 की अवधि में अनुसूचित जातियों के साथ अपराध वर्ष 1975 में 7781 मामलों की सूचना मिली मैं बीच के समय को छोड़ रही हूँ। वर्ष 1978 में अपराधों की संख्या 15059 थी। वर्ष 1979 में सितम्बर तक अपराधों की संख्या 10,492 थी। दिल्ली में वर्ष 1976 में अपराधों की संख्ता 23,105 थी जो वर्ष 1979 के पहले छः महीनों में 21,307 हो गई। इस प्रकार फिर अपराधों की सख्या में वृद्धि हुई। कभी-कभी आँकड़े नीरस होते हैं क्योंकि कुछ व्यक्ति कुछ आंकड़े बताते हैं। मैं सोचती हूं कि आँकड़े देकर मैं भी आपको नीरस कर रही हूँ माननीय सदस्य चौधरी चरण सिंह ने खाद्य उत्पादन के बारे में कुछ कहा था। वर्ष 1950-51 में उत्पादन 52-58 मिलियन टन था। सन् 1973-74 में उत्पादन 104-67 मिलियन टन तथा 1975-76 में उत्पादन 121-3 मिलियन टन हुआ। हमने खाद्यान्न का अवश्य ही आयात किया था इसका कारणयह था हमारा यह दृढ़ निश्चय था कि हमारी जनता भूखी नहीं मरे।

प्रो० मधुदंडवते : जनता के शासन काल में उत्पादन 126·5 मिलीयन टन हो गया था।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : उत्पादन बढ़ा है हम उसे घटा नहीं रहे हैं। लेकिन आपके समय में अन्य समयों की अपेक्षा अच्छी वर्षा हुई। हमारे समय भयंकर सूखा पड़ा आपके समय में दो वर्षों में अच्छी वर्षा हुई। इस वर्ष का क्या नतीजा रहा। इस वर्ष सूखा ग्रस्त क्षेत्र में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है जबकि हमने खाद्यानों का भन्डार छोड़ा था। उस समय हमें बताया गया था कि वह खाद्यान्न सूखा के दो वर्षों के लिए पर्याप्त था। तथा देश में खाद्यानों की कोई परेशानी नहीं होगी।

वर्ष 1951 में हमने 226 मिलियन हैक्टर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए सिचाई के साधनों का इस्तेमाल करने की शुरूआत की। वर्ष 1977-78 तक इसमें 26 मिलियन हैक्टर की वृद्धि हुई। हमें इसके बीच के समय के आँकड़े नहीं मिले हैं। वर्ष 1973-74 के आँकड़े 42 मिलियन हैक्टर थे। जनता के शासन काल में इनमें वृद्धि हुई। लेकिन इस बारे में मेरा विचार है कि यह वृद्धि वर्ष 1977 से पहले के वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं पर निवेश के कारण हुई माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे। क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि कितनी नयी सिंचाई परियोजनायें शुरू की गई तथा उनसे तत्काल कितना लाभ हुआ यदि आपने उन्हें सन् 1977 में शुरू किया है। कम से कम एक पुल जिसे हमने बनाया था लेकिन उसे जनता सरकार ने अपनी उपलब्धियों की सूची में शामिल कर लिया था क्योंकि इसका कांग्रेस के शासनकाल में औपचारिक रूप से उद्घाटन नहीं किया गया था।

देश में औद्योगिक शक्ति के साधन कोयला इस्पात तथा तेल के क्षेत्र में विकास करने तथा परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी और औद्योगिकी के विकास के कारण औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई वर्ष 1951 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 100 था वर्ष 1977 में यह बढ़कर 389.2 हो गया। इसी प्रकार कोयले का उत्पादन भी मिलियन टनों में हो गया। वर्ष 1973-74 में यह उत्पादन 81·8 1976-77 में 100.8 1979 में नवम्बर तक यह लगभग 165 मिलीयन टन था। 1973-74 में वेचने योग्य इस्पात का उत्पादन 4.47 मिलीयन टन 1976-77 में 7·41 मि. टन तथा इसके वर्ष 1977-78 के अस्थाई आँकड़े 5.08 मि. टन थे।

रेलवे : 1973-74 में उत्पादन 162 मि० टन था। आरम्भ में यह शुद्ध टन किलो मीटर 109,391 था।

वर्ष 1976-77 में यह 162 से बढ़कर 212 हो गया 1977-78 में यह घटकर 210 हो गया तथा 1978-79 में यह घटकर 199 हो गया 1978 के पहले आठ महीनों में 190 लाख जन दिवसों की हानि हुई तथा 1979 की इसी अवधि में लगभग 300 लाख जन दिवसों की औद्योगिक झगड़ों के कारण हानि हुई।

चौधरी साहब ने यह वक्तव्य दिया था कि 1966 से भारत उत्पादन के मामले में अन्य देशों की सूची में नीचे आ रहा है। मुझे बताया गया है कि यह इसलिए हुआ है कि देशों की संख्या बढ़ी है और यदि आप इसे इस दृष्टि कोण से देखें तो 1976 में इसमें 1973 के मुकाबले काफी सुधार हुआ।

निर्यात व्यापार : वर्ष 1974-75 से 1976-77 तक निर्यात व्यपार की वार्षिक वृद्धि दर 26 8 करोड़ रुपये थी। तथा 1977-78 से 197980 में यह 6.2 करोड़ रुपए की थी।

जनता सरकार ने हमारे आयात बिलों में वृद्धि की है। 1973-74 में आयात 2,955·4 करोड़ रुपये का था तथा 1977-78 में यह 6.025 करोड़ रुपए का था। यह इस्पात, सीमेंट, कोयला तथा अल्यूमिनियम जैसी वस्तुओं की इनकी वर्तमान क्षमता के अकुशल इस्तेमाल के कारण घरेलू उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए आंशिक रूप से किया गया।

इसीलिए हमारे व्यपार का प्रतिकूल अन्तर तेजी से बढ़ रहा है तथा हम आज पेट्रोलियम तथा अन्य कीमती वस्तुओं के जिनको हमें आज बाहर के देशों से आयात करने की बहुत आकश्यकता है भुगतान करने में पूर्णतया समर्थ नहीं है .

यह सच नहीं है कि खाद्यान्य का भारी भन्डार विदेशों से खाद्यान्य का आयात करके बनाया गया था हमने जरूरत होने पर ही खाद्यान्य का आयात किया। लेकिन खाद्यान्य के मामले में आत्म निर्भर होने के लिए भंडार बनाया था तथा जनता सरकार भी शक्ति में आने के तुरन्त बाद निर्यात करने की स्थिति में थी।

मार्च 1977 में राष्ट्रीय खाद्य भंडार 180 लाख टन का था तथा ऐसी भारी मात्रा में देश खाद्यान्न की वसूली के परिणाम पर पहुँचा। इसके लिए सरकार ने ही उस समय भारतीय कृषि को अधिक उत्पादक बनाने के लिए कदम उठाए।

वर्ष 1966-67 से वर्ष 1977 तक जब मेरी सरकार सत्ता में नहीं रही स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय 27,298 करोड़ रुपए से बढ़कर 40,534 करोड़ रुपए हो गई। जिससे 4.03 प्रतिशत को वार्षिक चक्रवृद्धि दर प्राप्त हुई। 1978-79 में वृद्धि दर 4.06 प्रतिशत थी जो 10 वर्षों की वृद्धि दर के बराबर थी। एक अच्छे मानसून के वर्ष में 4·6 प्रतिशत की अपेक्षा 10 वर्षों में 4.03 प्रतिशत की एक दीर्घ कालीन वृद्धि दर की कृषि उत्पादन में घटा बढ़ी होने के कारण प्राप्त करना ज्यादा कठिन होता है।

वर्ष 1974-75 में 356.61 करोड़ रुपये की कीमत का इंजीनियरिंग सामान का निर्यात किया गया जो 1976-77 में बढ़कर 566 करोड़ रुपये का हो गया। अनेक सदस्यो ने वर्ष की समस्यों पर खेद व्यक्त किया है। सदन को मालूम है कि हम इस सम्बन्ध में कितने अधिक चिंतित हैं। चौधरी साहब अपने चुनाव भाषणों में यह बड़ी खुशी से कहते रहे हैं कि मुझे गाय तथा भैंस के भेद की जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य इस प्रकार के गम्भीर आरोपों

के बारे में निर्णय कर सकते हैं। जब मैं प्रधान मंत्री थी मुझे पशु धन तथा गया या भैंस प्रदर्शनियों का न्यायाधीश होने के लिये बुलाया गया था लेकिन उस समय मुझे एक ही चिन्ता होती थी। कि हमारे कृषकों को लाभकारी कीमत मिल रही है या नहीं। उनकी केवल एक ही शिकायत होती थी कि कृषि मूल्य आयोग को के विशेषज्ञों को खेत की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है तथा हमारी सरकार भी उन्हीं की बात को हमेशा मानती है। हमने इसकी बड़े विस्तार से जाँच की है और हमने माननीय सदस्यों के साथ बहुत बार चर्चा की है और इन सबके बाद हमने किसानों के साथ अच्छा बर्ताव करने का प्रयास किया। परन्तु जिस मूल्य पर भी सहमति हुई थी उसी मूल्य को हमने समर्थन मूल्य मान लिया था। परन्तु पिछले दो वर्षों से क्या हुआ ? कृषकों को गन्ने अथवा अन्य फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाया। जब मैं पंजाब के फरीद कोट के चुनाव क्षेत्र में गई तो मैं माननीय सदस्य से नहीं मिल सकी। क्योंकि सफेद नर्मा कपास के ढेर को देख कर मैंने सोचा कि बर्फ पड़ी हुई है। इसे कोई खरीद नहीं रहा था। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पूर्व और अभियान के दौरान किसानों ने मुझे यह बताया था कि सरकार द्वारा घोषित मूल्य उन्हें प्राप्त नहीं हो सका—मैंने यह सरकारी स्रोतों से मालूम नहीं किया है। जब बहुत से किसानों को मजबूर होकर कृषि उत्पादन को बहुत कम मूल्य पर बेचना पड़ा उस समय सरकार इस क्षेत्र में आगे आई तथा उससे अधिक कीमत की घोषणा की। इसका क्या परिणाम निकला ? वे किसान इस कीमत को प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने अपने सामान को पहले ही बेच दिया था। इसलिए वह पैसा चला गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : ऐसा पिछले अनेक वर्षों से होता रहा है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : किसानों ने मुझे बताया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यदि ऐसा पहले हुआ था तो वे मुझे विशेष तौर से बताने के लिए क्यों आये ?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : प्रति वर्ष उन्हें परेशानी हो रही है तो उन्हें आपको क्यों नहीं बताना चाहिये था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी . बहुत से मामलों में लोगों ने यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं की है। कहा है : यह हमारी समस्या है यह बहुत पुरानी समस्या है कृपया इसे देखिये" लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं कहा तथा इस प्रकार की गन्ने के मामले में घटना घटने के कारण किसान आज गन्ना उगाने के लिये राजी नहीं है तथा आगे के मौसम में चीनी की कमी होने का भारी खतरा है। इस प्रकार की बात पहले कभी नहीं हुई। किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा कर रहे थे क्योंकि उनको प्रत्यक्ष रूप से उसकी उचित कीमत मिल रही थी। जब आपको इसकी लाभकारी कीमत नहीं मिलती है तो आप यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि "इस फसल से लाभ नहीं हो रहा है। मैं इसे क्यों उगाऊँ ?"

श्री गुप्त, मैं यही बात तो कह रही हूँ।

मैं जो आपको यह बतलाना चाहती हूँ कि यदि पिछले वर्षों में इसी स्तर पर ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान होतीं तो उन किसानों को उस समय भी यही फसल लगाने के लिए निरुत्साहित किया जाना चाहिए था। परन्तु उन्हें निरुत्साहित नहीं किया गया अपितु उन्होंने अधिक गल्ला उगाया, सभी कुछ अधिक पैदा किया। अब वे पहली बार यह कह रहे हैं कि चूंकि ये लाभप्रद फसल नहीं है, वे गन्ने की खेती नहीं करेंगे। यह एक तथ्य है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यही स्थिति पटसन, तम्बाकू तथा कपास के बारे में है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं।

श्री समर मुखर्जी : चूंकि आपने उस स्थान की यात्रा की थी, उन लोगों ने इस समस्या को सामने रखा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वे लोग यहाँ भी मुझसे मिलने आये थे। मैं यह कह सकती हूँ कि हमें इस समस्या के कारणों का अवश्य ही पता लगाना चाहिये। हम नहीं चाहते कि कितनों को कुछ नुकसान उठाना पड़े। मैं यह स्वीकार करती हूँ कि हमें भविष्य में दीर्घकालीन नीतियों की योजनायें तैयार करनी चाहियें। हम सिर्फ आवश्यक समस्याओं को निपटाते हुये इनके बारे में कुछ तदर्थ तरीका अपनाने की चेष्टा करते हैं। यदि मेरे से कहीं कुछ गलती होती है तो मुझे उसको स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। किन्हीं कारणों से हम स्वयं को सदा अन्तिम समय में ही निर्णय लेने की स्थिति में पाते थे जिसके कारण कुछ समस्यायें उत्पन्न होती थी। अब हमें दीर्घकालीन योजनायें बनाने के प्रयास करने चाहिएँ। मेरे साथी कृषि मंत्री, ने सूखे से पीड़ित क्षेत्रों के अपने लोगों के कष्टों को कम करने के लिए, हमारे द्वारा उठाये जाने वाले उपायों की चर्चा पहले ही कर दी है। मैं यह विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि हमें सूखे की स्थिति की पूरी जानकारी रखने के प्रयास करने चाहिएँ तथा काम के बदले अनाज देने के कार्यक्रमों के सही कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से रुचि लेनी चाहिए। पशुओं की सुरक्षा पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। यह वास्तव में एक गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा यह अन्य बहुत सी उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मूल कारण भी है चाहे वे कानून तथा व्यवस्था की समस्या हो, अथवा हमारे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अत्यन्त गंभीर स्थिति हो। हम अल्पकालिक उपाय तो अवश्य ही कर सकते हैं परन्तु मूलतः रोजगार के अवसर आर्थिक समस्याओं के हल करने के बाद ही उत्पन्न किये जा सकते हैं और केवल तारीखें निर्धारित करने मात्र से ऐसा नहीं हो पायेगा। इस पक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने अनवरत योजना तथा समस्त प्रणाली के बारे में कहा है...

श्री समर मुखर्जी : बेरोजगारी भत्ते के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्रीमती इंदिरा गाँधी : इन सब बातों पर बाद में विचार किया जाएगा। अभी मैं ठोस रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि हमें यह मालूम करना है कि इसमें क्या चीज शामिल है। मेरे इस कथन का कुछ भी फायदा नहीं है कि मैं इस बारे में कुछ कर दूंगी तथा मुझे बाद में पता चले कि मैं यह नहीं कर सकती।

भारतवर्ष में जनसंख्या इतनी अधिक है कि बहुत से कार्यक्रम, जो कि बहुत ही आवश्यक हैं, हमारी सीमा से बाहर हैं, विशेषकर इस समय जबकि हमारी अर्थ व्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति में है। लेकिन हम इस समस्या पर निश्चित रूप से गहराई में विचार करेंगे तथा इस पर अविलम्बनीय ध्यान देंगे। हमने योजना को सदैव ही आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना है। जनता तथा लोकदल शासन की पूरी अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा भी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका, राज्यों से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श

की बात तो छोड़ ही दीजिए। मुझे इस पर हैरानी है जब कोई भारतीय कृषि तथा उद्योग में हुई उपलब्धियों की उपेक्षा करता है। जैसा कि मैंने अपने भाषणों में कहा है, इन सबका श्रेय मुझे नहीं, बल्कि भारतीय जनता को जाता है जिसने अपने परिश्रम और बलिदान से यह प्रगति प्राप्त की है। किशान ने अपने उत्पादन को बढ़ाया है, औद्योगिक मजदूर ने भी अपने कार्य के द्वारा इसमें योगदान दिया है। मैं इनके योगदान को कम नहीं आँकती क्योंकि वही मुख्य बात है। परन्तु वे यह कर पाने में शक्य कैसे हो सके ? इसका कारण यह था कि हमने उन्हें एक निश्चित दिशा-निर्देश तथा एक नीति प्रदान की थी। हमारे युवा वैज्ञानिकों तथा शिल्प-वैज्ञानिकों के साथ भी यही बात है। आज भारत में इजीनियरी क्षेत्र में दक्षता वाले इतने व्यक्ति हैं कि विश्व में भारत का स्थान तीसरा है और हमारी सफलता को उचित परिप्रेक्ष्य में आंकने के लिए हमें अपने चारों ओर देखना होगा तथा अपनी राजनैतिक और आर्थिक स्थिति की तुलना उन देशों से करनी होगी जिन्हें विश्व युद्ध के बाद स्वतन्त्रता मिली है। जो कोई भी हमारी उपलब्धियों का अवमूल्यन करता है, कि इससे उसके मन में राष्ट्रीय गौरव और हमारी जनता के प्रति विश्वास की पूर्ण कमी ही परिलक्षित होती है।

मैंने सूखे-सम्बन्धी सहायता का जिक्र किया है। आज भी, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े दल ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के संसद सदस्यों के साथ जो कि सूखा से पीड़ित रहे हैं, मुझ से मिलने पर यह शिकायत की है कि राहत कार्य पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया गया है और कृषि मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही है। उन्होंने बार-बार इस बात की शिकायत की है कि अनेक आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध नहीं हैं और यह कि किसानों के ऐसी विपदा में ग्रस्त होने पर भी उनसे कर्जों की वसूली की जा रही है।

ऐसे दो मामले हैं जिनका सूखे से संबन्ध नहीं है परन्तु मैं यहाँ उनका उल्लेख अवश्य करना चाहूँगी क्योंकि मध्य प्रदेश से आये हुए बड़े दल द्वारा मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था, राजस्थान के संसद सदस्यों ने तथा कल मेरे माननीय मित्र तथा साथी श्री कमलापति त्रिपाठी ने भी मुझे बताया था कि उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है अर्थात् इन राज्य सरकारों ने नसबन्दी तथा मकानों को गिराने का कार्यक्रम बहुत जोरदार तरीके से शुरू कर दिया है तथा वे यह प्रचार कर रहे हैं कि "हमने तुमको बताया कि जब इंदिरा गांधी सरकार वापस आएगी, नसबन्दी दुबारा शुरू की जाएगी। ये आदेश हमें केन्द्र से प्राप्त हुये हैं।"

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : उन्होंने राहत कार्य भी बद कर दिये हैं। कहते हैं कि जाओ इंदिरा मां के पास।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं सदन को बताना चाहूँगी कि केन्द्र से ऐसा कोई भी आदेश नहीं भेजा गया है। उनका झूठ को फैलाने का तरीका पहले बहुत विचित्र था अब भी वे उसी पर अमल कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र ने राहत कार्य बन्द करने का प्रश्न उठाया है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के दौरान—मुझे यह ध्यान नहीं है कि वह वर्ष 1977 था या 1978 जब मैंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, हमने पाया कि उन क्षेत्रों में, जिन्होंने हमारे सदस्यों को नगर निगम तथा महानगर परिषद के लिए चुना था। वहाँ उनको राशन नहीं बाँटा जा रहा था। हमारे बहुत

प्रयासों के बाद ही वहाँ राशन बंटना शुरू हुआ . मैं उन सभी बातों की चर्चा नहीं कर रही हूं । इनसे उनके व्यवहार का पता चलता है ।

मैं उन सभी सदस्यों के नाम का उल्लेख नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं । परन्तु पूरे वाद-विवाद में संयमता का परिचय देने के लिए, मैं श्री जगजीवन राम की प्रशंसा करना चाहूँगी । उन्होंने गरीबी मिटाने तथा आर्थिक समस्याओं को निपटाने के लिए व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन का जिक्र किया । भारत में पाये जाने वाले लोकतंत्र के अनुरूप वे कौन से मौलिक कदम उठाने के पक्ष में थे, उसके बारे में उनको बताना चाहिए था ।

मार्क्सवादी पार्टी के अन्य मित्र ने व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देते हुये चीन का उदाहरण दिया था । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में होने वाले आश्चर्य जनक परिवर्तनों को देखना रुचिकर होता है । जब वियतनाम में लड़ाई चल रही थी तथा हम वियतनाम का समर्थन कर रहे थे तब संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य पश्चिमी अधिकारियों द्वारा हमें लगातार यह बतलाया जा रहा था कि वे वियतनाम में सिर्फ हमको चीन से बचाने के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं और चूंकि भारत को बड़ा खतरा चीन से है अतएव हमारे लिए वियतनाम की मदद करना अनुचित है क्योंकि चीन भी वियतनाम की सहायता अमेरिका के विरुद्ध कर रहा है । चीन के प्रति हमारी नीति सदैव से ही एक समान रही है । इस तथ्य के बावजूद की हमारे ऊपर हमला किया गया था—उस समय हमारे बीच न बल्कि कोई सम्बन्ध ही थे, अपितु वैर भाव था—हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश का लगातार समर्थन करते रहे हैं जिसका एकमात्र कारण यह था कि "यह एक विशाल देश है जिसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का $\frac{1}{6}$ भाग है तथा किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय फैसले से उसको बाहर नहीं रखा जा सकता । चाहें हमें उनका मत स्वीकार्य है या नहीं, यह एक अलग बात है ।" इसलिए, हमारी नीति अवसरवादी नहीं थी, उसमें एक समानता थी ।

श्री समर मुखर्जी : मैंने आर्थिक प्रणाली के बारे में कहा था **(व्यवधान)**

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं आपको पूरे तथ्य बता रही हूँ । **(व्यवधान)** मैं उस बारे में भी कहूँगी । मैं पूरी स्थिति को इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि अचानक एक ही रात में, हमने पाया कि चीन एक महान मित्र बन गया है तथा हमें सोवियत संघ तथा वियतनाम से अपनी रक्षा करनी पड़ेगी । मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए यह सब समझना जरा कठिन है ।

(व्यवधान)

मैं आर्थिक समस्या के बारे में भी उल्लेख करूंगी ।

श्री समर मुखर्जी : आप एक विषय से हटकर दूसरे विषय पर बोल रही हूँ । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे इस विषय में भी कहेंगी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : पूरी विनम्रता से···**(व्यवधान)**

मुझे यह समझ नहीं आता कि माननीय विपक्षी सदस्य इतने संवेदनशील क्यों हैं । मैंने इनके दल के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा है । मैं तो विशेष स्थिति की पृष्ठ भूमि के बारे में बताने का प्रयास कर रही हूं ।

अब हम समाजवादी व्यवस्था के बारे में विचार करें। पाश्चात्य जगत तथा विपक्ष में बैठे जनसंघ के कुछ प्रिय मित्रों तथा अन्य लोगों ने अपनी चीन के प्रति तीव्र दुर्भावना को सुख-भ्रान्ति में यह कहते हुए कैसे बदल लिया कि चीन में सब कुछ ठीक ठाक है—बेरोजगारी पूर्णतः समाप्त कर दी गई है, प्रत्येक को भरपेट भोजन मिल रहा है और हर चीज पूर्णतया उचित है। इसके कुछ देर बाद हमने पढ़ा कि शंघाई में और चीन के अन्य नगरों में बेरोजगारी को लेकर उपद्रव हुए हैं। जहाँ तक मुझे स्थिति की जानकारी है, वे अधिक औद्योगिक विकास नहीं कर पाये हैं। तत्पश्चात् हमें पता चला कि, चीन, जिसने कि अपना अत्यधिक औद्योगिक विकास कर लिया था। इस समय पश्चिम सहायता पर पूर्णतया निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, अब चीन तथा अमरीका सहयोगी हैं—मुझे नहीं पता कि क्या अमरीका एक समाजवादी देश है। क्या मान्य सदस्य हमें उसी स्थिति में वापस ले जाना चाहते हैं शायद हमने प्रगति धीमे रूप में की है, हम गरीबी को मिटाने में सफल नहीं हो सके हैं और न ही हम यह कहते हैं कि इसे शीघ्र ही समाप्त किया जा सकता है। हम सिर्फ यह कह रहे हैं···(व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी : वे यह बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि क्यों हम कुछ मामलों में चीन की सरकार को अच्छा मानते हैं। मैंने तो उनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में कहा था। उन्होंने बेरोजगारी तथा गरीबी की समस्या को हल कर लिया है। (व्यवधान) प्रश्न यह है कि चीन ने इस शताब्दी का पहला आधुनिक देश बनने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसीलिए वे भारत सहित सभी देशों से तकनीकि सहायता ले रहा है। अतः इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मुख्यतया पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं। यह उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : ये चीनियों से भी अधिक चीन के समर्थक हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह हो सकता है कि माननीय सदस्य को मेरे से अधिक जानकारी हो परन्तु जहाँ तक मुझे स्थिति की जानकारी है, चीनवासी अधिक औद्योगिक विकास नहीं कर पाये हैं। चीन ने अनेक परमाणु बम तो बना लिये हैं परन्तु उनका औद्योगिक आधार मजबूत नहीं है और उन्होंने लघु के क्षेत्र और इस्पात के क्षेत्र में जो अनेक प्रयोग किए हैं वे इतने सफल नहीं हुए हैं जितने कि उन्होंने इस समय सोचे थे।

एक माननीय सदस्य : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। कोई पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसके अतिरिक्त, वे अन्य विपक्षी सदस्य, जो कि अब अफगानिस्तान में सोवियत सेना के बारे में अपनी तीव्र निन्दात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं—मैं इसके बारे में बाद में बोलूंगी अतः अभी प्रश्न न पूछें—उन्होंने उस समय, जब चीनी सेना ने वियतनाम में प्रवेश किया था, एक शब्द भी नहीं कहा था।

हमारे कार्यभार संभालने की छोटी सी अवधि के दौरान ही, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमारे उपयोगी तथा रचनात्मक रवैया अपनाने की योग्यता तथा सहमति के बारे में विदेशी सरकारों के मन में परिवर्तन आया है।

हाल ही के महीनों में, बड़ी शक्तियों को मध्य परमाणु युद्ध की सम्भावनाओं के कारण, विश्व में युद्ध की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। शीत-युद्ध के वातावरण को उसकी समस्त बुराईयों के साथ पुनर्जीवित किया जा चुका है। यहाँ तक कि बहुत जिम्मेदार व्यक्ति भी भावनाओं के आवेश में आकर युद्ध की तैयारियों, सीमित परमाणु-युद्ध, जवाबी कार्यवाही इत्यादि की बातें व करते सुने गये हैं।

हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि इस शस्त्रों से सुसज्जित युग में, थोड़ी सा भी भूल समस्त मानव जाति का अभूतपूर्व विनाश कर सकती है। अतः कुछ भी कहने और करने में हमें सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने तरीके से संकटपूर्ण स्थिति का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि सिर्फ विश्व-शाँति के वातावरण में ही विश्व के वित्तीय तथा तकनीकि संसाधन मानवता के उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अतः हम चाहते हैं कि विश्व के समस्त विचारवान व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयासों से वास्तविक युद्ध की ओर आजकल के झुकाव को रोका जाना चाहिए।

अफगानिस्तान में हो रही गतिविधियों पर और पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार देने के संयुक्त राज्य अमेरीका, चीन और अन्य देशों के निर्णयों पर माननीय सदस्यों का चिन्तित होना उचित ही है। अब मै चाहूंगी कि माननीय सदस्य शाँति रखें क्योंकि यहाँ मैं फिर स्थिति का ब्यौरा देना चाहूंगी। मैं सदन का ध्यान अफगानिस्तान में हो रही गतिविधियों को ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। इसकी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति है। कुछ वर्ष पूर्व—जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे—राजतंत्र को हटाकर अफगानिस्तान को गणतन्त्र घोषित किया गया तथा राष्ट्रपति दाऊद ने सत्ता सम्भाली। अप्रैल 1978 में एक अन्य क्राँति द्वारा राष्ट्रपति तरक्की ने सत्ता संभाली पिछले वर्ष नवम्बर में, उन्हें श्री अमीन द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। पुनः पिछले दिसम्बर में राष्ट्रपति अमीन को अपदस्थ कर दिया गया तथा अब राष्ट्रपति करमाल राष्ट्राध्यक्ष हैं।

अपने मुस्लिम लीग के माननीय मित्र से मैं कहूंगी कि मैं इसके लिए साक्ष्य नहीं दूंगी, परन्तु हमें यह बताया गया है कि खुद श्री अमीन के समय में सोवियत सेना की सहायता माँगी गई थी।

एक माननीय सदस्य : ऐसा किसने बताया ?

श्रीमती इंदिरा गाँधी : हमें सोवियत राजदूत ने यह बताया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच समस्यायें रहीं हैं। ये इस उप महाद्वीप में उपनिवेशवाद की देन हैं। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वह उसका आँतरिक मामला है। पिछले 2 वर्षों में अफगानिस्तान गणतंत्र ने अनेक भीतरी और बाहरी समस्याओं का सामना किया है। उस देश के बाहर स्थित अड्डों से सशस्त्र हमले किये जाने के समाचार मिले हैं। हमें यह बताया गया है कि अफगानिस्तान की सरकार ने सोवियत संघ के साथ जो संधि कर रखी थी उसके उपबन्धों के अनुसार उसने अपने गणतन्त्र के सम्मुख आये खतरे का सामना करने के लिए रूस से सैनिक सहायता मांगी। क्या यह सैनिक सहायता की प्रार्थना ठीक थी या नहीं, क्या सोवियत संघ को सैनिक सहायता देनी चाहिये थी या नहीं। ये ऐसी बातें हैं जिन पर विश्व के विचित्र देशों की विभिन्न राय हैं।

हर एक इस समस्या पर अफगानिस्तान के लोगों की दृष्टि से नहीं अपितु भू-राजनैतिक और सामरिक महत्व की बातों को ध्यान में रखते हुए देख रहा है। इससे कोई हल तो निकलेगा नहीं और ससस्यायें और जटिल होती जाएंगी। मैंने अपनी राय व्यक्त कर दी है और वह यह है कि हम संसार के किसी भी देश में विदेशी तत्वों की उपस्थिति अथवा हस्तक्षेप को पसन्द नहीं करते हैं।

तथापि, हमारा विश्वास किसी एक पक्ष की निंदा करने में नहीं है। इसके साथ ही हिंद महासागर तथा कुछ अन्य देशों में जिस प्रकार से हथियार जमा किये जाते रहे हैं और जिस प्रकार से अब पाकिस्तान को उनकी सप्लाई और भी अधिक तेजी से की जा रही है और उसे एक महत्व-पूर्ण अड्डा बनाया जा रहा है, वह हमारे लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है।

यहाँ तटस्थता की नीति के प्रति हमारी वचन बद्धता को दोहराने और प्रत्येक विषय पर बिना किसी बाहरी दबाव के राय कायम करने की स्वतन्त्रता पर बल देने की आवश्यकता है। हमारी विदेश नीति हमारी भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति, कुछ मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति हमारी वचन बद्धता, हमारे ऐतिहासिक अनुभव, विशेषकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हुए अनुभव और सबसे अधिक यह कि हमारे राष्ट्र हितों को ध्यान में रख कर निर्धारित की जायेगी।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमें जानबूझ कर इस या उस देश का पक्षधर बताया जा रहा है। हम किसी भी देश के पक्षधर नहीं हैं। हम केवल भारत के पक्षधर हैं और सदा बने रहेंगे। जब हम ऐसे विषयों पर कोई निर्णय लेते हैं तो राष्ट्रीय हितों और विश्व शांति को ध्यान में रख कर निर्णय लेते हैं।

हमारे सभी प्रयत्न इस ओर हैं कि अफगानिस्तान से सोवियत सेनाएं शीघ्रता से हट जाएं। इसमें कई छोटे बड़े राष्ट्र सम्बद्ध हैं। सशस्त्र गिरोहों को प्रशिक्षण देना, अड्डे बनाने की सुविधा प्रदान करना, सीमा पार सशस्त्र सेनाएं भेजना और ऐसी ही अन्य कई गतिविधियों से पड़ौसी देशों में विश्वास की भावना पैदा नहीं होती है। इससे सम्बन्धित लोगों की आपदाएं बढ़ती हैं और विभिन्न राष्ट्रों में तनाव की स्थिति पैदा होती है। अफगानिस्तान में हुई घटनाओं पर कुछ देशों की जिस प्रकार से प्रतिक्रिया हुई है उससे हमारा चिंतत होना स्वाभाविक है। खरबों डालर की सहायता माँगी गई है और संयुक्त राज्य अमरीका ने पाकिस्तान को अरबों डालर की सैनिक सहायता देना मंजूर कर लिया है। अन्य देशों को भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अश्त्रागार बनाने में अपना योगदान दें। चीन गणराज्य ने भी पाकिस्तान को हथियार और अन्य आवश्यक सहायता देने का वचन दिया है।

पहले ही समुद्रतटीय देशों की स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध हिन्द महासागर में नौसेना अड्डा बनाया जा रहा है। और अरब सागर में बहुत बड़ा जंगी देड़ा लाया जा रहा है।यह सब औद्योगीकृत पश्चिमी देशों की खाड़ी के देशों से तेल का निर्बाध सप्लाई बनाये रखने के नाम पर किया जा रहा है। इसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है और हमारे क्षेत्र में हिंद महासागर बड़ी शक्तियों का अखाडा बन गया है।

पुरानी संधियों को पुनः लागू किया जा रहा है और नयी संधियाँ की जा रही हैं। बाहरी देशों द्वारा पश्चिमी एशिया के लोगों की धार्मिक भावनाएं जगाई जा रही हैं। हम अपने अनुभव

से जानते हैं कि विगत में किस प्रकार से और किसके विरुद्ध इन हथियारों का प्रयोग किया गया है।

हमने पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ और अन्य देशों की सरकारों को अपने विचारों से अवगत करा दिया है। हमने पाकिस्तानी नेताओं को शिमला समझौते की भावनाओं के अनुकूल मैत्री संबधों और प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की अपनी हार्दिक इच्छा से भी अवगत करा दिया है। हमें आशा है कि पड़ौसी देश किसी एक या दूसरी बड़ी शक्ति के इस भौगोलिक-राजनीतिक खेल में नहीं फसेंगे और मैत्री और सहयोग का जो हाथ हमने बढ़ाया है उसे स्वीकार करेंगे।

हम अपने राष्ट्रीय हितों और शाँतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पंचशील सिद्धान्तों के अनुरूप चीन के साथ सम्बन्धों में सुधार करना चाहते हैं।

जैसा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है, हम सोवियत संघ के साथ अपने मैत्री सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सहयोग को और अधिक बढ़ायेंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि किसी एक देश के साथ हमारे सम्बन्ध किसी अन्य देश के साथ सम्बन्धों को विगाड़ कर स्थापित नहीं किये जाएंगे। एक प्रभुसत्ता सम्पन्न और स्वतंत्र देश होने के नाते हम वही करते हैं जो हमारे लोगों के सर्वाधिक हित में तथा विश्व शाँति और सहयोग के लिए जरूरी होता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस्लामिक बम की बात की है। परमाणु बम और अन्य बम महाविनाश के अस्त्र हैं। बम क्रिश्चियन, इस्लामिक, हिंदु या बौद्ध नहीं होते हैं, हमारे क्षेत्र में किसी विदेश द्वारा परमाणु बम बनाये जाने की प्रतिक्रिया दूसरे देशों पर होना जरूरी है जिससे बम उत्पादकों को उद्देश्यों के प्रति संदेह और भय की भावना बढ़ेगी। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की परमाणु अस्त्र बनाने की कोई इच्छा नहीं है किन्तु साथ ही शाँतिपूर्ण और विकास कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग का अधिकार नहीं छोड़ेंगे। जनरल जियाउल हक ने हमें बताया है कि उनका देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि वह अपने आश्वासन का पालन करेंगे।

दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हम इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं कि किसी एक देश को दूसरे देश को सबक सिखाने का अधिकार है अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए शरणार्थियों को बहाना बनाने के स्थान पर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जानी चाहिए कि जो अपने देश में वापस आने के इच्छुक हों वे लौट सकें। शक्ति प्रदर्शन में शरणार्थियों को मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए तथापि, ऊर्जा की अधिक कीमतों और औद्योगिक उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि के कारण उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में शीतयुद्ध का यह एक नया तरीका है। इस समय वाँछनीय यह है कि पूंजी और प्रौद्योगिकी को निर्बाध रूप से उपलब्ध कराके विश्व अर्थव्यवस्था और निरंतर बढ़ते विश्व बाजार और एक नई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का विस्तार किया जाए किन्तु चरम शीत युद्ध और उसके फल स्वरूप होने वाले युद्ध से ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। इससे विकास शील देशों को सर्वाधिक हानि होगी; उन पर दबाव डाला जायेगा; उन्हें प्रलोभन दिये जाएंगे तथा उनके ही अस्थायित्व

का वातावरण पैदा किया जाएगा, उन्हें सैनिक युद्धों में फंसाया जायेगा। ऐसी स्थिति में यह खतरा बना रहता है कि पिछड़े हुए देश और अतिवादी तत्व जोखिम भरे कदम उठा बैठें। असाधारण रूप से गम्भीर और नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करते हुए हमें इन सभी मामलों को ध्यान में रखना होगा।

हम इस बात में विश्वास करते हैं कि विश्व शाँति स्थापित करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण के टकराव को तोड़ दिया जाए और आर्थिक विकास के लिए सभी राष्ट्रों का पूरा सहयोग लेने का पूरा प्रयत्न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने अल्प संख्यकों के बारे में बात की है। मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहती। हम अल्पसंख्यकों को रोजगार दिलाने और उनकी अन्य समस्याओं के बारे में काफी चिंतित हैं। हम उनके आर्थिक विकास और उर्दू भाषा, जिसे मैं अल्पसंख्यकों की ही भाषा नहीं मानती हूँ, के विकास के प्रति भी समान रूप से सचेत हैं। प्रत्येक राज्य में लोग उर्दू बोलते हैं। आरम्भ में आकाशवाणी से प्रसारित हिंदी अथवा अनेक हिंदी विभाग द्वारा प्रयुक्त हिन्दी समझने में मुझे काफी कठिनाई होती थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : श्री साठे नोट करें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने कहा आरम्भ में अब हमने इसे सीख लिया है।

अल्प संख्यकों में केवल हमारे मुस्लिम भाई ही शामिल नहीं है हालाँकि उनकी संख्या सर्वाधिक है, अन्य अनेक अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं। हम उनकी समस्याओं से तथा उनकी सहायता करने, विशेषकर उनके विकास में सहायता करने की आवश्यकता से भी पूरी तरह अवगत हैं।

जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मेरे सहयोगी श्री शिवशंकर आंध्र प्रदेश ने उर्दू अकादमी के लिए किये गये कार्य के बारे में मुझे बताया था हमने यह कार्यक्रम आरम्भ किया था और आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न नगरों में इसे अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है।

मैं उन युवा सदस्यों विशेषकर श्री के. के. तिवारी, श्री माधवराव सिंधिया और जनरल स्पैरो, जिन्होंने सदन में अपना पहला भाषण दिया है, को बधाई देती हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विपक्ष के सदस्यों के बारे में आपकी क्या राय है ? विपक्ष के अनेक युवा सदस्यों ने भी भाषण दिए हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं उन्हें भी बधाई देती हूँ। मैं अधिक सदस्यों को नहीं जानती हूँ किन्तु मुझे आशा है कि मैं उनसे जल्दी परिचित हो जाऊंगी। कुछ सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि वे भी बाद में काफी योगदान देंगे।

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह आलोचना की है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई दिशा-निर्देश नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी है। हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू पर राष्ट्रिपति के अभिभाषण में सरकारी नीति की नवीन दिशाओं और सरकारी कार्रवाही का उल्लेख किया गया है; चाहे वह कानून पर अमल कराने का मामला हो या राष्ट्र निर्माण के लिए आयोजना का मामला हो या हमारी अर्थ-व्यवस्था के

प्रबन्ध का मामला हो अथवा कमजोर वर्गों के कल्याण का मामला हो। हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं और वे निश्चित ही राष्ट्रीय हित में हैं। मुझे आशा है कि इस सदन के सभी सदस्य, चाहे वे शासक दल के हों या विपक्ष के इस महान कार्य में और देश के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उनका सफलतापूर्वक सामना करने में सरकार को अपना पूरा समर्थन और सहयोग देंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अनेक संशोधन रखे गए हैं। कुछ पर मैंने अपनी टिप्पणी की है। किन्तु उन पर विस्तार से नहीं बोल पाई क्योंकि उस पर काफी समय लगेगा किन्तु आगामी महीनों में सरकार की नीति के अनुसरण में जो सामाजिक आर्थिक कदम उठाये जायेंगे उनसे इन संशोधनों के उत्तर मिल जायेंगे। अतः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इन संशोधनों पर जोर न दें और उन्हें वापस ले लें। महोदय, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भाग लिया ··

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : आसाम के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आसाम के बारे में मैं पहले बता चुकी हूं और कोई विशेष बात नहीं है। हम कुछ ग्रुपों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने उनसे कहा है कि वे राजनैतिक दलों के नेताओं से सम्पर्क स्थापित करें ताकि वे संसद सत्र के समाप्त होने से पहले आ सकें।

शायद आप उस समय सदन में नहीं थे जब मैंने यह सूचना दी थी कि हम श्री समर मुखर्जी के इस सुझाव से सहमत हैं कि समस्या का कोई हल निकालने के लिए विपक्षी नेताओं और हमें आसाम के राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ मिल कर बातचीत करनी चाहिए। हम आसाम के लोगों की कठिनाइयों और समस्याओं से पूरी तरह अवगत हैं और उन्हें जो दुखः सहने पड़े हैं और वहां कुछ लोगों की क्रूर हत्याएं हुईं उसकी भी हमें जानकारी है किन्तु कुछ कहने पर स्थिति और भी गम्भीर हो सकती है। इसीलिए हम यह बेहतर समझते हैं कि इस नाजुक समस्या का कोई हल ढूंढे और लोगों को इस बात के लिए सहमत करें कि समस्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो उसका हल आंदोलन नहीं है। यदि आसाम के किसी भाग को किन्हीं वस्तुओं से वंचित करता है तो अन्य भाग भी उसे अन्य वस्तुओं से वंचित कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि गैर-आसामी लोग भी प्रति क्रिया करने लगते हैं तो उससे कठिनाइयां और बढ़ जायेंगी। अतः इस समय हम सभी को चाहे हम कितना भी अधिक कष्ट महसूस क्यों न कर रहे हों और मैं आप लोगों की पीड़ा को भली भाँति समझती हूं आत्म नियंत्रण बरतना है और अपनी सारी शक्ति भी उन लोगों को समझाने में लगाना है जो गलत काम कर रहे हैं। और उन्हें यह आश्वासन दिलाना है कि जो समस्याएं उनके सामने हैं उन्हें हल किया जायेगा किन्तु यह एक पक्षीय हल नहीं हो सकता है। पूरी परिस्थिति पर विचार करना होगा।

मैं इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय . धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनेक संशोधन रखे गए हैं। मैं सभी संशोधन सभा में मत विभाजन के लिए एक साथ प्रस्तुत कर दूं या कोई माननीय सदस्य किसी संशोधन विशेष पर अलग से मत विभाजन कराना चाहते हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) मैं सशोधन संख्या 6 और 13 पर अलग से मत विभाजन चाहता हूं।

श्री समर मुखर्जी : मैं संशोधन संख्या 4 5 पर अलग से मत विभाजन चाहता हूँ।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं अपने संशोधन, संख्या 150 पर अलग से मत विभाजन चाहता हूं।

श्री बनातवालाजी. एम. (पोन्नानी) महोदय, मैंने 9 संशोधन रखे हैं। अफगानिस्तान में सोवियत संघ द्वारा हस्तक्षेप किये जाने से सम्बन्धित मेरे संशोधन 66 मेरे सभी संशोधन अन्य संशोधनों के साथ मत विभाजन किये जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 6 को सभा में मत दान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है:

"कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :- किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिनों-दिन बढ़ रही महंगाई को रोकने की दिशा में मुक्त व्यापार पर पावंदी लगाने एवं घाटे का बजट नहीं बनाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है और न उपभोक्ताओं को इस बात की गारंटी देने का ही जिक्र किया गया है कि तमाम आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित दामों पर किया जायेगा।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 13 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों और गरीब किसानों में जमीन के बटवारे का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 45 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार के लिए क्रांतिकारी उपाय करने का कोई उल्लेख नहीं हैं।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 66 को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सोवियत संघ द्वारा निर्लज्ज सैनिक हस्तक्षेप की निन्दा नहीं की गई है और सोवियत संघ को अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटाने के लिए भी नहीं कहा गया है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब हम संशोधन संख्या 150 को लेते हैं। अब मैं संशोधन संख्या 150 को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश के लाखों बेरोजगार लोगों को काम देने, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही कार्य का अधिकार तक का उल्लेख भी नहीं किया गया है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सभी संशोधनों को, जिन्हें एक साथ प्रस्तुत किया गया है, सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गए तथा—

अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : अब हम मुख्य प्रस्ताव को लेते हैं। अब मैं मुख्य प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह हैं :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक सम्मावेदन प्रस्तुत किया जाए :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 23 जनवरी 1980 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब श्री फैलीरो।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (भारभुगाव) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय पिछली बार जब हम संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1980 पर चर्चा कर रहे थे, उस समय विधेयक प्रस्तुत करने वाले राज्य मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा था कि यह विधेयक औपचारिक है। अतः श्रीमन् चाहे यह विधेयक औपचारिक है अथवा नहीं, परन्तु यह हमें—संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को—इस बात की ओर ध्यान दिलाने का अवसर प्रदान करता है कि इन संघ राज्य के क्षेत्रों नागरिकों के साथ भेदभाव किया जाता है तथा उन्हें दूसरे दर्जे की नागरिकता प्राप्त है।

(श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

यह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (संशोधन) विधेयक संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने सम्बन्धी उपबन्धों के बारे में राज्यों के मामले में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन लागू किया जाता है। लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का शासन अब संविधान के उपबन्धों के अनुसार लागू नहीं किया जा सकता

इसके लिए विभिन्न अनुच्छेद अलग उपबन्ध हैं जो कि भारतीय राज्य संघ क्षेत्र अधिनियम मे दिए गये हैं। यदि आप इन दोनों उपबन्धों की तुलना करें यानी एक ओर संविधान का अनुच्छेद 356 हो और दूसरी ओर संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 51—तो आप एवं सभा इस बात को देखें जो कि संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों को कम दर्जा दिया गया है । आप देखेंगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के काम न कर पाने की स्थिति में ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 में यही उपबन्ध है। लेकिन सघ राज्य क्षेत्र के बारे में धारा 51 लागू होती है। धारा 51 में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में संविधान में कोई उपबन्ध न होने पर भी, यदि भारत सरकार औपचारिक रूप से राष्ट्रपति ऐसा करना अत्यावश्क समझे तो, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अर्थात् इस बात को भारत सरकार के आत्मापरक सन्तोष पर छोड़ दिया गया है जिसके आधार पर संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है इसके लिए किसी धारणा की आवश्यकता नहीं। इसका तात्पर्य है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत विधान सभा केवल भारत सरकार की मौन अनुमति से ही बरकरार रह सकती है और संघ राज्य क्षेत्र के नागरिकों को चाहे कोई भी लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हों परन्तु भारत सरकार केवल अपने वहन के आधार पर ही कोई कारण बताये बिना इन अधिकारों का अपहरण कर सकती है। हाल ही में गोवा में राष्ट्रपति का शासन लागू होने से कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। मैं गोवा संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं। अतः मैं पूछता हूँ कि गोवा में किस कारण से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इससे पता चलता है कि भारत सरकार संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में किस हद तक बेहद मनमानी से काम कर सकती है। गोवा के मामले में हाल ही में क्या हुआ ? महाराष्ट्र गोवा तक दल की सरकार सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर हार गई जिसके पश्चात् विपक्षी दलों ने मिलकर यह माँग की कि उन्हे सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया जाये। विपक्ष के नेता दिल्ली आकर तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई से मिले और उन्हें बताया कि वे सरकार बनाने की स्थिति में है प्रधान मंत्री इस पर आपत्ति नहीं कर सके। वे यह नहीं कह सके कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनका स्पष्ट बहुमत था तथा सदन में भी यह प्रमाणित हो चुका था। उन्होंने ने इन नेताओं से कहा कि आप मेरे पास क्यों आए हैं क्योंकि संसद में आपके दल के प्रतिनिधि हर कदम पर मेरा विरोध कर रहे हैं ? आपके दल में काँग्रेस (इ) के लोग हैं। जब इससे तक ये लोग आपके दल में हैं तब तक मैं आपको सरकार बनाने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ ? पता चलता है कि भारत सरकार मनमाने ढंग से कार्रवाही कर सकती है। भारत सरकार को लोकतन्त्र में किन सिद्धान्तों का ध्यान रखना चाहिए, इसका पता न होने पर वह उनका दुरुपयोग कर सकती है वह इन लोकतांत्रिक अधिकारों का अपहरण कर सकती है तथा जैसा कि हाल में किया गया, उसी तरह राष्ट्रपति शासन लागूकर सकती है। यह बिलकुल अलग बात है कि चुनाव होनेपर सदन में वही प्रतिनिधि जो कि हमेशा मोरारजी देसाई का विरोध करते थे, पिछले चुनाव से चार गुना अधिक मतों से चुनकर आए। और जिस दल को श्री मोरार जी देसाई ने सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी थीउसी दल ने भारी बहुमत से पुनः सत्ता प्राप्त की। लेकिन उपबन्ध अपनी जगह है। जनता भी यही चाहती थी और इसीलिए उनके प्रतिनिधि दल बदल कर काँग्रेस आई में शामिल हो गए

क्योंकि पिछले चार-पाँच वर्षों के दौरान उन्होंने हमेशा कांग्रेस (आई) का नीति का समर्थन किया था। पिछले दो तीन सालों से वहाँ कांग्रेस (आई) आस्तित्व में आई। आखिरकार जनता की इच्छा ही जीत होती है लेकिन यदि संविधान में संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम का धारा 51 की तरह के असंवैधानिक और आलोकतांत्रिक उपबन्ध रहेंगे तो जन सामान्य की इच्छा की जीत नहीं होगी।

इसके साथ ही मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि संघ राज्य क्षेत्र तथा राज्यों के बीच कितना अधिक भेद-भाव किया गया है। राज्यों के मामले में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर इस सदन की यह आम परम्परा है कि राज्यपाल की रिपोर्ट जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की सिफारिश की जाती है, इस सदन के सभा पटल पर रखी जानी चाहिए। परन्तु संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में यह परम्परा नहीं है। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली अधिसूचना सदन के सभा पटल पर रखी जानी चाहिए परन्तु जब गोआ संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात आयी तो हम लोगों को जो कि उस समय विपक्ष में थे, सरकार को विवश करने के लिए हल्ला मचाना पड़ा था क्योंकि सरकार अधिसूचना की प्रति सभा के पटल पर रखने के लिए तैयार नहीं थी।

अब हम राज्यपाल की रिपोर्ट की बात पर आते हैं। राज्यों के मामले में राज्यपाल की रिपोर्ट सभा पटल पर रखना आवश्यक है। लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में यह बात नहीं। उनके मामले आज तक हमने राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बारे में उप राज्यपाल की रिपोर्ट सदन के सभा टपल पर रखे जाते नहीं देखा। इससे बहुत अधिक अन्तर पड़ता है। जब गोवा विधान सभा भंग करने की बात आयी तो उप राज्यपाल ने रिपोर्ट भेजी थी, यही रिपोर्ट ऐसी थी जिसमें यह कहा गया था कि विपक्ष स्थाई सरकार बना सकता है। और उसे ऐसा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। परन्तु इस मामले में सरकार ने उस रिपोर्ट के विरूद्ध कार्य किया, सरकार ने अपनी ही धारणा के अनुसार कार्य किया तथा उन उद्देश्यों को ध्यान में रखा जिनका नई सरकार बनाये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं था। राष्ट्रपति शासन लागू करके तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने जिस ढंग से कार्य किया, वह उप राज्यपाल की कार्यवाही के विरूद्ध था।

इस प्रकार आप देखते हैं कि जब संघ राज्य क्षेत्रों की बात आती है तो भारत सरकार कितने तरीकों से लोगों की भावनाओं को निस्फल कर सकती है। दूसरा अन्तर यह है कि जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 356 में यह अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का संसद द्वारा दो महीने के भीतर अनु समर्थन कर दिया जाना चाहिए अन्यथा राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं रह सकता। लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में संसद में किसी बात की चर्चा की आवश्यकता नहीं है। संसद को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, वह संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर ध्यान देने के लिए दबाव नहीं डाल सकती।

इस प्रकार कई तरह से हम देखते हैं कि आखिरकार संघ राज्य क्षेत्रों की मूलतः—मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख होता है कि—औपनिवेशिक ढांचे की सी ही स्थिति है। पहले भी कई

उपनिदेशों में विधान मण्डल थे परन्तु उन्हें औपनिवेशिक शक्तियों को सहन करना पड़ता था। आज मामले का मुद्दा दूसरा है तत्त्वतः भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्धों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसे औपनिवेशिक नहीं कहा जा सकता लेकिन ढाँचा अभी तक औपनिवेशिक ही है और इसे इस प्रकार बने रहने नहीं दिया जा सकता ।

संघ राज्य क्षेत्र बड़ी विचित्र परिस्थितियों में अस्तित्व में आये । 1957 में अथवा उसके आस-पास, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई जिसका कार्य राज्यों का भाषायी आधार पर पुनर्गठन करना था । यह पाया गया कि ऐसे बहुत से छोटे-छोटे क्षेत्र थे जिन्हें किसी न किसी कारण से, न तो अलग-अलग राज्यों के रूप में गठित किया जा सकता था न ही उन्हें विद्यमान राज्यों के साथ जोड़ा जा सकता था । ये क्षेत्र थे मणिपुर, त्रिपुरा, नेफा आदि । यह समझा गया कि इन क्षेत्रों का एक निश्चित स्तर तक आर्थिक तथा शैक्षिक विकास हो जाने के बाद इन्हें समीपवर्ती राज्यों में मिलाया जा सकता है । लेकिन हुआ यह कि जैसे-जैसे समय बीतता गया, इन सभी राज्यों ने एक मत से तय किया कि वे विद्यमान राज्यों में से किसी के भी साथ नहीं मिलना चाहते । वे चाहते थे कि उनका अलग राज्य बनाया जाये । इस प्रकार मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड तथा अन्य राज्यों सभी बने ।

गोआ तथा पाण्डिचेरी की बात अलग थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पाण्डिचेरी जो कि फ्रांस के शासनाधीन था, तथा गोआ, दमण और दीव जहां पुर्तगाल का शासन था । भारतीय संघ में सम्मिलित हो गये । इन दो संघ राज्य क्षेत्रों का जो कि क्षेत्र दृष्टि से छोटे थे, बहुत अच्छा आर्थिक विकास तथा तुलनात्मक रूप से उनका शैक्षिक स्तर तथा सत्साक्षरता का प्रतिशत और सांस्कृतिक विकास का स्तर काफी ऊंचा था इन क्षेत्रों में वे लोग थे जिन्होंने हाल ही में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पायी थी । तथा स्वयं के शासन से इंकार कर दिया था । उन्हें ऐसी शासन प्रणाली देना जो कि एक सीमा तक ओपनिवेशक शासन जैसी ही थी, उचित नहीं था ।

आज मैं इस सदन के सदस्यों से अपील करूंगा कि वे यह देखें कि इस प्रकार की स्थिति अर्थात वहां के लोगों को औपनिवेशिक शासन से निकाल कर उन्हें वे सब अधिकार प्रदान न करना जो कि देश के बाकी हिस्से के उनके भाईयों को प्राप्त हैं, चलने नहीं दी जा सकती । यह बात हमारी नीति के सिद्धान्तों के विरूद्ध है तथा इस सदन के सदस्यों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाये कि कम से कम कुछ संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ विनम्रतापूर्वक जोरदार शब्दों में सरकार से अपील करता हूँ—मुझे आशा है कि विभिन्न राज्यों से आये इस संसद के सदस्य मेरा समर्थन करेंगे । अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकूंगा कि गोआ के इस संघ राज्य क्षेत्र को यथा शीघ्र राज्य का दर्जा दिया जाये । यह एक अच्छा संयोग है कि आज हमारी प्रधान मंत्री ऐसा व्यक्ति है जो आज ही नहीं बल्कि हमेशा छोटे राज्यों की पक्षधर रहा है । श्रीमती इंदिरा गांधी काफी लम्बे समय से बल्कि अपने सारे जीवन में यही कहती रही हैं कि छोटे राज्यों को बढ़ावा दिया जाये । इसीलिए नागालैंड, मेघालय तथा अन्य राज्य अस्तित्व में आये ।

एक माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इसमें क्या अन्तर है ? यदि उत्तर प्रदेश का विभाजन किया जाना होगा तो वह भी किया जायेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश के 60-70 सदस्य हैं जो अपने हितों को देख सकते हैं। जहाँ तक गोआ संघ राज्य क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां की एक महिला सदस्य और हैं जो आज सदन में उपस्थित नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी, जो कि हमेशा इस देश की कर्णधार रहीं हैं और आज प्रधान मंत्री हैं,—हमेशा छोटे राज्यों की पक्ष धर रहीं है तथा मुझे यकीन है कि वे हमेशा छोटे राज्यों के पक्ष में रहीं हैं और उन्होंने कई क्षेत्रों के लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए कई छोटे राज्यों का गठन किया है। अतः हमें उनसे बहुत आशायें हैं।

इससे पहले प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देशाई बड़े राज्यों के जोरदार पक्ष धर के रूप में जाने जाते थे। श्री मोरार जी देसाई हमेशा यह कहते रहे हैं कि छोटे राज्यों के बनाये जाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए तथा यह कि बड़े-बड़े राज्य होने चाहिए। अतः हम उनसे यह आशा नहीं कर सकते थे कि वे इस तर्क पर कोई ध्यान देंगे।

श्री एम० रामन्नाराय (केखरगोड़) सदन में गणपूर्ति नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : गणपूर्ति पर आपत्ति करने का यह उपयुक्त समय नहीं है।

सभापति महोदय : अपराह्न भोजन का समय एक बजे से दो बजे म० प० तक है। अब 2-30 बजे हैं। उन्हें गणपूर्ति आपत्ति की है अतः हमें इसको ध्याय में रखना होगा गणपूर्ति के लिए घण्टी बजाई जाए अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य अब अपनी बात आगे कह सकते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं नये उत्साह से अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। चूंकि गोआ से निर्वाचित दूसरे सदस्य भी उपस्थित हैं अतः मैं सक्षेप में आर्थिक पहलू पर बोलूंगा क्योंकि जो शिकायतें और आपत्तियों की गयी हैं, यह उनमें से एक है। यदि गोआ संघ राज्य को राज्य का दर्जा दिया जाता है तो केन्द्रीय सरकार को उसके लिए धन देना होगा क्योंकि यदि इस संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो वह आर्थिक रूप से आत्म निर्भर नहीं होगा। मैंने विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान तथा प्रति व्यक्ति सहायता अनुदान के आंकड़े देखे हैं। परन्तु मैं उन्हें दुर्भाग्य से, यहाँ लाना भूल गया हूँ जहाँ तक मेरी याददाश्त है, मैं इस सदन को यह आश्वासन दिला सकता हूँ कि उड़ीसा, काश्मीर, मणिपुरा, त्रिपूरा, नागालैंड तथा अन्य राज्यों के मामले में इस समय प्रति व्यक्ति जितना सहायता अनुदान दिया जा रहा है, वह उससे कहीं अधिक है जितने अनुदान की आवश्यकता गोआ को राज्य का दर्जा दिए जाने पर होगी। मैं सदन में यह सुस्पष्ट और सुनिश्चित वक्तव्य उन आँकड़ों के आधार पर दे रहा हूँ जो मेरे पास उपलब्ध हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि यह सरकार हमारी इस माँग पर न केवल सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगा। बल्कि इस पर कार्यकाही करके इस संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा प्रदान करेगी। यह न्याय की बात है; यह हमारे उन लाखों भाइयों को उन आर्थिक अधिकारों के प्रदान किए जाने का प्रश्न है जो कि उन्हें इस समय प्राप्त नहीं है जबकि वे सारे देश के नागरिकों को प्राप्त हैं।

मैं अपनी बात इस क्षेत्र की एक ऐसी अत्यन्त ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान दिलाये समाप्त नहीं कर सकता जिसका सम्बन्ध वहाँ के अधिसंख्य लोगों से यानी मछियारा समुदाय से है। सभापति महोदय, आप हमारे पड़ौसी राज्य के हैं और आप जानते हैं कि हम लोगों की अधिक प्रतिशत जनसंख्या मछियारों की है। वे मत्स्यपालन उद्योग से अपनी आजिविका चलाते हैं लेकिन उन वे बहुराष्ट्रिकों की तरह नहीं हैं जो कि अब मछली पकड़ने के व्यवसाय को अपना रहे हैं। वे गरीब और पिछड़े लोग हैं। बड़ी-बडी कम्पनियाँ जिनके पास मछली पकड़ने के ट्रालर हैं तथा सम्पन्न मछियारे हैं मछली पकड़ने के उद्योग के बड़े-बड़े व्यापारी हैं, वे इन लोगों की आजिविका नष्ट करने का प्रयास कर रही हैं। अतः सभी वर्गों के लोग इस बात से सहमत हैं कि परम्परागत मछियारों के लाभ के लिए समुद्र का एक विशेष क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाये ताकि मशीनयुक्त ट्रालय और नावें उस मछली पकड़ने के क्षेत्र में मछलियाँ न पकड़ें, वह क्षेत्र केवल परम्परागत मछियारों के मछली पकड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। ट्रालरों के मालिकों तथा यंत्रकृत नौका उद्योग के व्यक्यिों से बात-चीत करके सर्व सम्मति से यह राय व्यक्ति की गई है कि रेखा समुद्र में पांच फैदम की गहराई तक होनी चाहिए। ऐसी कोई रेखा खींचना वस्तुतः सम्भव नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री कृपया इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें तथा इस सदन को आश्वासन दें कि यह क्षेत्र समुद्र तट से पाँच किलो मीटर तक होना चाहिए ताकि वहाँ केवल मछली पकड़ने वाली परम्परागत नौकाओं को इस्तेमाल करने वाले परम्परागत मछुआरे ही मछली पकड़ सकें। उन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री वी० कुलन्दईवेल् (चिदम्बरम) संघ राज्य क्षेत्रों की, विशेष रूप से पाण्डिचेरी की, अनेक समस्यायें हैं और मैं सभा को इन समस्याओं के कुछ पहलूओं के बारे में बताना चाहूँगा। आल इण्डिया अन्ना डविड़ मुनेय कड़गम मंत्रिमंडल में दल-बदल के कारण पाण्डिचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। जनता पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने भारत के राष्ट्रपति को एक संयुक्त अभ्यावेदन दिया था। जिसमें आल इण्डिया अन्ना डी० एम० के० मंत्रिमंडल पर घोर भ्रष्टाचार का आरोप लगाये गये थे। मंत्रियो में परस्पर समान्वय का नितान्त अभाव था। पाण्डिचेरी तथा तामिलनाडु दोनों ही राज्यों में सरकारी धन को आल-इण्डिया अन्ना डी० एम० के० के क्रिया कलापों के लिये उपयोग किया जाता रहा। तत्कालीन सरकार द्वारा कोई कल्याणकारी योजनायें आरम्भ नहीं की गयी हैं। जनता के हित की पूर्णतः उपेक्षा की जाती रही। कारण और व्यवस्था पर बहुत कम ध्यान दिया गया। शासक दल के सदस्यों द्वारा अपराध और डकैतियों को बढ़ावा दिया गया। हरिजनों पर अत्यधिक और अवर्णनीय अत्याचार किये गये। व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्ना डी० एम० के० में बारबार दल बदलने की घटनायें हो रही। पाण्डिचेरी की जनता अपने को असुरक्षित अनुभव करती थी। तत्कालीन आल इन्डिया अन्ना डी० एम० के० सरसार ने शुरू में अपना बहुमत खो दिया था। इन सब बातों से पाण्डिचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करना आवश्यक हो गया। खेद की बात है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने पाण्डिचेरी की जनता की भावनाओं को समझने का प्रयत्न नहीं किया। जनता को यह बताया गया था कि पाण्डिचेरी को पड़ोसी राज्य में मिला दिया जायेगा। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामचद्रन्न जो कि चालाकी अंकुशलता तथा अविश्वसनीयता के लिये प्रसिद्ध हैं की इस कार्यवाही में सांठ-गाँठ थी

सभापति महोदय, जो व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं हैं उनके सम्बन्ध में ऐसे शब्दों का उगयोग मत कीजिये ।

श्री वी. कुलन्दईवेल् : दोनों ने ही पाण्डिचेरी की जनता की भावना के विरुद्ध चलने की ठान रखी थी । राजनीतिक दलें, विशेषरूप से कांग्रेस (आई) डी. एम. के. तथा मुस्लिम लीग ने इस बात का विरोध किया । इस बीच लोक सभा चुनावों के साथ पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के चुनाव हुये । पाण्डिचेरी की जनता धन्यवाद की पात्र है कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी तथा डाक्टर कलाईगनर करुणानिधि के प्रगतिशील नेतृतत्व में हाल के चुनावों के बाद प्रगतिशील मोर्चा सरकार बनाने में सफल रहा । जनता पार्टी, आल इण्डिया अन्ना डी० एम०के० तथा सी.जी.ई. (एम.) का गठबन्धन बुरी तरह हार गया । विशेषरूप से भूतपूर्व शासक दल, आल इण्डिया अन्ना डी.एम. क. जो कि तथाकथित सिनेमा-अभिनेता चुनाव में अत्यधिक धन-राशि बहाने के बावजूद हाल के चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत सक ।

अन्त में, यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाण्डिचेरी की जनता की यह मांग है कि उनका अलग अस्तित्व बनाये रखा जाये और वर्तमान स्थिति बनी रहे ।

दूसरी बात यह है कि योजना सम्बन्धी नियतन के मामले में पाण्डिचेरी में भारी उद्योगों की स्थापना पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये । धन्यवाद ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करने से पहले इस बात की पूरी ताईद करता हूँ जिसको कि हमारे पूर्व वक्ता ने जो कि उधर बैठे हैं कहा कि गोवा को पूरे राज्य का दर्जा मिलना चाहिए । हमारी पार्टी ने भी अपने घोषणापत्र में इस बात की मांग की है कि पाण्डिचेरी और गोवा जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उन्हें पूरी स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए ।

यह जो संशोधन विधेयक है इससे तो स्थिति और भी भिन्न हो जाती है । आज देश में नये सिरे से केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों पर विवाद चल रहा है । आज राज्य सरकारों द्वारा यह माँग की जा रही है कि उन्हें और अधिक अधिकार मिलने चाहिए । ऐसी स्थिति में जब कि राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं और हमारे पूर्व वक्ता ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की है तो यह जरूरी हो जाता है कि हम फिर से इस बात पर विचार करें कि क्या हम संघ राज्य क्षेत्रों को पुरानी स्थिति में रखेंगे या उन्हें अधिक जनतांत्रिक अधिकार देंगे ? जनतंत्र को कैसे चलाया जाना चाहिए, इसका हमें काफी अनुभव हो चुका है ? ऐसी अवस्था में हमें इन राज्यों को अधिकार देने के बारे में नये सिरे से सोचना चाहिए ।

मंत्री महोदय, जो यह छोटा-सा बिल लाये हैं, और नयी पार्लियामेंट के प्रथम अधिवेशन में ही लाये हैं, अच्छा होता कि वे सघ राज्य क्षेत्रों के बारे में एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाते जिससे कि उनको पूरे राज्य का दर्जा दिया जाता । हमारे देश में दूसरी स्टेट भी हैं, मनिपुर है, अरुणाँचल प्रदेश है । ये छोटे-छोटे राज्य हैं । जब हम उन राज्यों को राज्य स्तर पर लाये हैं तो कोई वजह नहीं है कि पाण्डिचेरी और गोवा जैसे संघ राज्य क्षेत्रों को भी पूरे राज्य के स्तर पर न लाया जाए । इसलिए मैं इस माँग का समर्थन करता हूँ कि इन संघ राज्य क्षेत्रों को पूरा राज्य बनाया जाए । इन क्षेत्रों को पूरे राज्य के स्तर से नीचे रख कर हम अपने जनेतंत्र को विकसित नहीं कर

सकते हैं। वहाँ की जनता की भी यही आशा और तमन्ना है। वे भी यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों की तरह उन्हें भी पूरे राज्य स्तर पर फलने-फूलने का अवसर मिले।

इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि मंत्री महोदय जो यह छोटा-सा बिल लाए हैं और जिसका दायरा बहुत सीमित है उसके स्थान पर एक बड़ा और सम्यक बिल लाएं जिसके जरिए गोवा और पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को भी हिन्दुस्तान की जनतांत्रिक प्रणाली में अन्य राज्यों की तरह फलने-फूलने का अवसर मिले। अभी आप ऐसा बिल नहीं लाए हैं, फिर कभी लाएं। इस बात का मैं आपसे आग्रह करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूँ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : इस विधेयक को पेश करते समय अपने प्रारम्भिक भाषण में मैंने कहा था कि यह एक औपचारिक विधेयक है। यह विधेयक जबकि विधान सभा भंग करदी गई हो तथा संसद का सत्र न चल रहा हो भारतीय संघ राज्य क्षेत्रों की समेकित निधि से व्यय करने का अधिकार प्रदान करता है।

मैंने सभी तीनों सदस्यों के भाषण सुने। तीनों सदस्यों ने गोआ दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने पर जोर दिया है। श्री फैलेरो पारस्परिक मछुओं के लिए समुद्र तट से पाँच किलोमीटर तक मछली पकड़ने की सीमा बढ़ाने की बात भी कही है। मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि सरकार इस बात पर सहानुभूति से विचार करेगी। जहाँ तक राज्य का दर्जा देने का सम्बन्ध है सरकार इस पर उचित समय पर विचार करेगी।

जैसा कि मैंने आरम्भ में ही कहा है, इस विधेयक में राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों की समेकित निधि से व्यय के प्राधिकार की औपचारिकता पूरी करने के अतिरिक्त कुछ और बात नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस विधेयक को पारित करने का निवेदन करता हूँ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : मंत्री महोदय ने फिशरमैन को सुविधाएं देने के बारे में कहा कि सहानुभूति से विचार करेंगे। लेकिन कुछ टैरिटरीज को स्टेटहुड देने के विषय में कहा है कि एप्रोप्रियेट टाइम पर विचार किया जाएगा। अगर वह कह दें कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तो इस में क्या हर्ज है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जो कहा है सही कहा है कि एप्रोप्रियेट टाइम पर इस पर भी विचार किया जाएगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड 2 और 3 के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

•अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 1, 'तीसवें' के स्थान पर इकतीसवें' प्रतिस्थापित किया जाये"

(श्री योगेन्द्र मकवाना)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को सशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की अनुपूरक माँगें 1979-80

सभापति महोदय : अब हम वर्ष 1979-80 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक माँगों पर चर्चा तथा मतदान करेंगे ।

सभापति महोदय : कुछ सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव रखे गए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे उन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम तथा	कटौती का आधार	कटौती की राशि
47	1.	श्री जी० एम० बनतवाला : असम और मेघालय में मतदाता सूचियों से सम्बन्धित हिंसात्मक आन्दोलन में अल्पसंख्यकों को उचित सुरक्षा प्रदान करने में असफलता	भाषायी में से घटा दिये जाये ।	कटौती की राशि 100 रुपये
67	2.	श्री जी० एम० बनतवाला : निष्पक्ष जाँच के बाद असम में मतदाता सूचियां तैयार करने और राज्य में लोक सभा चुनाव कराने में असफलता	तदैव	
67	3.	श्री जी० एम० बनतवाला : लोक सभा चुनावों के लिए समुचित मतदाता-सूचियाँ तैयार करने में असफलता तथा मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नामों का शामिल न किया जाना तथा निकाला जाना ।	तदैव	

क्रम संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम तथा	कटौती का आधार	कटौती की राशि
50	4.	**श्री बापूसाहेब पारुलेकर** : मैं प्रस्ताव करता हूं दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम न रखने में पुलिस और सरकार की असफलता और अक्षमता।	कटौती की राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें	
67	5.	**श्री बापुसाहेब पारुलेकर** : चुनावों के लिए सही-सही मतदाता सूचियां तैयार करने में असफलता और मतदाता सूचियों मे बड़ी सख्या में नामों का शामिल न किया जाना तथा काटा जाना।	तदैव	
77	6.	**श्री बापुसाहेब पारुलेकर** : मुगल लाइंस द्वारा चलाई जाने वाली बम्बई गोवा स्टीमर सेवा के संचालन में अनियमितताएं तथा मुगल लाइंस के कर्मचारियों की समस्याएं।	तदैव	
23	7.	**श्री बापूसाहेब पारुलेकर** : भूतपूर्व सैनिकों को पैंशन तथा अन्य सुविधाएं देने में, ताकि वे सम्मानजनक जीवन बिता सकें, सफलता	तदैव	
47	8.	**श्री गदाधर साहा** : मैं प्रस्ताव करता हूं : आसाम और मेघालय में सुनाव सूचियों के सम्बन्ध में हिंसात्मक आन्दोलन के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों को उचित सुरक्षा प्रदान करने और जो वहाँ भारतीय नागरिकों के रूप में लम्बी अवधि से रह रहे हैं, उनके साथ न्याय करने में असफलता	तदैव	
67	9.	**श्री गदाधर साहा** : मतदाता सूचियों के विरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन के कारण जनवरी, 1980 में भारत के अन्य राज्यों के साथ-साथ आसाम में लोक सभा के लिए चुनाव कराने में असफलता।	तदैव	
41	21.	**श्री गदाधर साहा** : बंगाल सहित अन्य राज्यों को अनुदान देने के सम्बन्ध में, गैर योजना राजस्व तथा गैर योजना अनुदान की राशि के अन्तर को दूर करने तथा सहायता सम्बन्धी व्यय को पूरा करने, राज्यों ओ अन्तरिक की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को आवंटित राशि एवं योजना के कार्यान्वियन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए केन्द्रीय सहायता। अनुदान केन्द्र द्वारा शुरू की गई योजनाओं के अन्तर्गत बीरभूमि के नालहाटी ब्लाकों के क्षेत्रों में रेशम कीट पालन के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को दिये जाने वाले अनुदान के सम्बन्ध में सातवें वित्त आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों को स्वीकार करने के सन्दर्भ में।	तदैव	

क्रम संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम तथा कटौती का आधार	कटौती की राशि
67	10.	**श्री गदाधर साहा** : आसाम में मतदाता सूचियों को लेकर हुए हिंसक आन्दोलन के कारण भारत के अन्य राज्यों के साथ-साथ वहाँ लोक सभा के मध्यावधि चुनाव कराने में असफलता ।	कटौती की राशि 100 रुपये घटा दिये जायें
6	16.	**श्री गदाधर साहा** : गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि दिलाकर उनकी कठिनाइयां दूर करने में सरकार तथा अधिसूचित चीनी मिलों की असफलता ।	तदैव
7	17.	**श्री गदाधर साहा** : अनाज के भण्डार का उपयोग करके सार्वजनिक तथा सामुदायिक निर्माण कार्यों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना ।	तदैव
7	18.	देश के बड़े भाग में पश्चिम बंगाल में तुरन्त रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करना और गैर-योजनागत, चालू, सार्वजनिक तथा सामुदायिक निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को वेतन के रूप में या आंशिक वेतन के रूप में अनाज का आवंटन करना ।	तदैव
29	19.	**श्री गदाधर साहा** : भारत में विशेषकर पश्चिम बंगाल में के गाँवों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने में असफलता ।	तदैव
20	30.	**श्री गदाधर साहा** : पश्चिम बंगाल के बीरभूम में खरेसोली क्षेत्र में बन्द कोयला खानों को खोलने, कोयले के परिरक्षण, उसकी सुरक्षा और वहाँ कोयला खानों के विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए उपाय करने की आवश्यकता ।	तदैव
30	11.	**श्री टी० आर० शमन्ना** : मैं प्रस्ताव करता हूँ, कोयले और कोक का कम उत्पादन, दोषपूर्ण परिवहन तथा असमान वितरण ।	तदैव
52	12.	**श्री टी० आर० शमन्ना** : मद्य-निषेध को सफल बनाने के बारे में सरकार की अनिश्चित तथा निष्प्रभावी नीति ।	तदैव
61	13.	**टी० आर० शमन्ना** : उपभोक्ताओं के लिए सूती कपड़े की कीमतों में असाधारण वृद्धि तथा हथकरघा और रेशमी कपड़ा बुनकरों की दयनीय आर्थिक स्थिति ।	
61	14.	**श्री टी० आर० शमन्ना** : पेट्रोलियम तथा उत्पादों के उत्पादन तथा खरीद की दोषपूर्ण प्रणाली तथा खराब वितरण प्रणाली ।	तदैव
79	15.	**श्री टी० आर० समन्ना** : इस्पात के उत्पादन तथा वितरण के लिये दोषपूर्ण संगठन जिसके कारण सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को बहुत हानि हो रही है तथा उत्पादक को अत्यधिक कीमत देनी पड़ती है ।	तदैव

*श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : सभापति महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) तथा उन पर दिये गये कटौती प्रस्तावों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। महोदय मैं आपकी अनुमति से बंगाली में बोलूँगा।

महोदय, हमारा देश बहुत विशाल है। इसमें सभी प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन, जल-संसाधन, वन सम्पदा और श्रमिक संसाधन मौजूद हैं। यह नितांत आवश्यक है कि वैज्ञानिक-आयोजन के द्वारा देश तथा उसकी जनता की भलाई के लिए इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का समुचित ढंग से उपयोग किया जाये, वर्ग विशेष में रुचि लेने तथा उसके साथ सहानुभूति दिखाने और गलत आर्थिक नीतियों के कारण पिछली सरकार असफल रही। हम वर्तमान सरकार से आशा करते हैं कि वह जनता की भलाई के लिए समुचित वैज्ञानिक आयोजना बना कर विपुल प्राकृतिक ससाधनों का उपयोग करेगी।

हमारे देश में उपजाऊ भूमि बहुत अधिक है। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर कृषि होती है। किन्तु हमारी भूमि व्यवस्था हमारी समाजिक आर्थिक प्रणाली के कारण इतनी उलझी हुई है कि हमारी भूमि का अधिकांश भाग कुछ ही धनी भूस्वामियों के पास है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में हमारे कृषक भूमिहीन हैं। यदि समुचित योजना बनाई जाती, तो हमारे देश में अन्न का अभाव कभी नहीं होता और किसान कभी भी भूख से नहीं मरते अथवा उन्हें कुपोषण का शिकार नहीं होना, पड़ता, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। हमारे देश में घोर गरीबी है। सरकार के आकड़ों के अनुसार 70 प्रतिशत से अधिक लोग गरीब की रेखा से नीचे जी रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित तथा अल्प शिक्षित बेरोजगार युवकों की बहुत बड़ी संख्या है तथा बेरोजगार भूमिहीन कृषि श्रमिक तथा बाटाईदार भी हैं। इन सभी कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अस्थिरता आ गई है। इस स्थिति में कुछ सीमा तक सुधार किया जा सकता है, यदि सरकार कुछ व्यक्तियों द्वारा रखी गई अधिकतम सीमा से अधिक भूमि को अपने अधिकार में ले ले और भूमिहीन लोगों में उसका वितरण कर दे। जिस भूमि पर अभी सिंचाई नही होती है उसे सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिवर्ष विनाशकारी बाढ़ आती है। सभापति महोदय, आपको इस बात की जानकारी है ही कि 1978 में विनाशकारी बाढ़ के कारण कई राज्यों में भूमि के विशाल क्षेत्र और गाँव पूरी तरह तबाह हो गये थे तथा फसलें नष्ट हो गई थी। बदनसीब किसानों को फिर से बसाने के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में सहायता देनी पड़ी। यदि समय पर वैज्ञानिक योजनाएं बना कर उन्हें क्रियांन्वित किया गया होता तो इस महान विपत्ति से बचा जा सकता था। उस समय इस बात की आवश्यकता महसूस की गई थी और अब भी की जा रही है कि गांवों में विकास कार्य आरम्भ किये जाने चाहिए। 'काम के बदले अनाज देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखे तालाबों और टैंकों तथा गाद-भरी नहरों की खुदाई की जानी चाहिए और उन्हें उपयोग में लाने योग्य बनाया जाना चाहिए। इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय भण्डारों से विभिन्न राज्यों को विशेष रूप से पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न दिया। यह लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ। एक ओर जहाँ भूमि-

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

होन तथा वेरोजगार श्रमिकों और बटाईदारों को काम मिला वही दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी विकास हुआ। कई तालाब और टैंक उपयोग में आने योग्य बनाने गये हैं। कई सड़कों का निर्माण किया गया जिनसे और आगे विकास करने में सहायता मिली। यह योजना कुछ समय तक संतोषजनक ढंग से चलती रही, किन्तु समय पर खाद्यान्नों की सप्लाई न हो पाने के कारण इसमें कठिनाई आई। इसके फलस्वरूप उन लोगों को काम के बदले अनाज नहीं दिया जा सका, जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत कार्य किया था अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपने भण्डारों से खाद्यान्न उपलब्ध कराए ताकि इस योजना के कार्यपालन में प्रगति हो सके और विकास कार्य आरम्भ किये जा सकें। सभी प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय भण्डारों से खाद्यान्न आवंटित किये जाने चाहिए। 1979 में समस्त देशभर में भयंकर सूखा पड़ा। यह सूखा इसलिए पड़ा कि विभिन्न वैज्ञानिक-योजनाएँ सही समय पर क्रियान्वित नहीं की गई। हमारे पास पर्याप्त जल ससाधन हैं परन्तु प्रति वर्ष सूखे से हानि होती रहती है। सातवें वित्त आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्वीकृत सिफारिशों के संदर्भ में इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों को राहत व्यय की पूर्ति के लिए सहायक-अनुदान देने हेतु कदम उठाने चाहिए और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटित निधि, योजनाओं की क्रियान्वित के लिए राज्यों को अतरित की जाये। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में मेरा निवेदन है कि बीरभूम जिले में नलहाटी में रेशम उत्पादन फार्मों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता या अनुदान दिया जाये। इन रेशम उत्पादन फार्मों में किसानों की बहुत बुरी दशा है और उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। यह आवश्यभावी है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों के बारे में उन सरकारों का केन्द्रीय सरकार के साथ मूल मतभेद होगा। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार शोषित वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। समाज के निम्न वर्ग के लोगों के प्रति उसे सहानुभूति है। हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार का उनके प्रति वही दृष्टिकोण न हो। किन्तु राष्ट्र-निर्माण के कार्य में इससे कोई विरोध पैदा नहीं होना चाहिए। बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह राष्ट्रीय हित में खुले दिल से राज्य सरकारों की सहायता करे। महोदय, मैं आपका ध्यान एक दूसरी बात की ओर दिलाऊंगा, हम जानते हैं कि समस्त देश के प्रत्येक राज्य में कृषि उत्पादों और निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में भारी अन्तर है। इससे पहले भी ऐसी स्थिति थी और यह अन्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उपयुक्त नीति अपनाकर इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए, अन्यथा किसानों का शोषण होता ही रहेगा। गरीब किसानों को अपने उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे की सरकार बन जाने के पश्चात् वहाँ किसानों को गेहू, चावल आदि के लिए कुछ ऊंचा मूल्य मिल रहा है। महोदय, हम देख रहे हैं कि चीनी मिलों के मालिक दिन-प्रतिदिन चीनी का मूल्य बढ़ा रहे हैं किन्तु गरीब गन्ना-उत्पादक को उसका जायज मूल्य नहीं मिल रहा है। उत्पादकों को देय राशि काफी समय से बकाया पड़ी हुई है। मिल मालिक बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं। इसके अलावा जमाखोर और चोरबाजारिये हैं जिनके आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं। पाँचवीं लोक सभा और छटी लोक सभा में भी हमने देखा है कि निवारक नजरबंदी कानून पारित किये जाने के बावजूद इन जमाखोरों तथा चोरबाजारियों पर नियंत्रण नहीं रखा

जा सका। इसके विपरित इस कानून का प्रयोग राजनीतिक विरोधियों, ट्रेड यूनियन आन्दोलन और छात्र आन्दोलनों का दमन करने के लिए किया गया। ऐसे बहुत ही कम मामले हैं जिनमें चोरबाजारियों को नजरबंद किया गया हो। किसानों का शोषण जारी नहीं रहना चाहिए। किसानों के उत्पाद को जिसे वे धूप और वर्षा में काम करके अपना पसीना बहाकर पैदा करते हैं, अत्यल्प मूल्य पर ले लिया जाता है, जबकि उद्योगपति उससे भारी लाभ कमाते हैं। इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए तथा कृषि और औद्योनिक उत्पादों के मूल्यों के बीच के अन्तर को कम किया जाना चाहिए।

महोदय, भारत में विभिन्न राज्य एक संघीय ढांचे के अन्तर्गत कार्य कर रहें हैं। राज्यों को संवैधानिक ढांचे के भीतर सीमित शक्तियों के साथ कार्य करना होता है, हमारे यहाँ निरन्तर राष्ट्रीय एकता तथा सांस्कृतिक एकता की भावना तथा वातावरण विद्यमान रहा है। इतिहास बताता है कि अलग-अलग भाषायें होने तथा विभिन्न राज्यों के निवासी होने के बावजूद लोगों में एकता की भावना थी। प्रत्येक व्यक्ति में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी, किन्तु आज हम देखते हैं कि आसाम में मेघालय में भाषा और धर्म में भेद होने के कारण एकता पर प्रभाव पड़ रहा है। कुछ महीने बीत जाने के बाद भी हत्या और आगजनी की घटनायें फिर हो रही हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय को, चाहे वह बंगाली हो या पजाबी हो अथवा मद्रासी हो, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है। यह उसका संवैधानिक अधिकार है। किन्तु उन सभी व्यक्तियों को आज "विदेशी" कहा जा रहा है जो लम्बे समय से उक्त राज्यों में रह रहे हैं और उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए भयंकर घटनायें हो रही हैं। ऐसे कई लोगों के नाम मतदाता सूचियों से गायब हैं जिन्हें मत देने का अधिकार था और जिन्होंने पिछली लोकसभा तथा विधान सभा के चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। दूसरी ओर कई अपात्र व्यक्तियों तथा नाबालिगों के नाम मतदाता सूचियों में जोड़े गये हैं। देश भर के सभी राज्यों में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। किन्तु इस वजह से सारे देश में चुनाव स्थगित नहीं कराया गये। आसाम में चुनाव स्थागित कराया गया। इसके कारण स्पष्ट हैं। यह एक गम्भीर स्थिति है। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा और राष्ट्रीय एकता के हित में इस संकट का मुकाबला करना होगा। हमारी मांग है की दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिया जाये।

महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए कृषि का विकास करना बहुत आवश्यक है। हमारी राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग कृषि से आता है। इस संदर्भ में, मैं बीरभूम के नलहाटी क्षेत्र में स्थित कई रेशम उत्पादन फार्मों का पुनः उल्लेख करूंगा, उस क्षेत्र में किसानों और बुनकरों की बहुत बुरी दशा है। यदि उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाये, तो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार किया जा सकता है।

महोदय आज हम देख रहे हैं कि मिट्टी के तेल, कोयले, कपड़ों और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं के मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि मूल्यों में वृद्धि होने का एक महत्वपूर्ण कारण अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि किया जाना और बैंकों द्वारा ऋण देने की नीति का अपनाया जाना है। सबसे मुख्य कारण जमाखोरी और चोर बाजारी है। आज कोयले की कम

सप्पाई हो रही है और कुछ स्थानों में इसके उत्पादन में कमी आ रही है। वीरभूम के जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, खैरसोली क्षेत्र में कई कोयला खानें आज बन्द पड़ी हुई हैं। वे खानें काफी समय से बंद पड़ी हुई हैं। इसके फलस्वरूप उन खानों में काम करने वाले श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। वे घोर संकट में पड़े हुए हैं। कोयले की कमी और बेरोजगारी के इन दिनों में यदि इन कोयला खानों को फिर से चालू किया जाये तो इससे दो लाभ होंगे। इससे इन श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और कोयले की सप्लाई में वृद्धि होगी। कृपया कोयले की परिवहन सुविधाओं में भी सुधार किया जाये। मैं सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं माननीय सभापति का धन्यवाद करता हूँ और इसके साथ ही अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं अनुदानों की पूरक माँगों का समर्थन करते हुए माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान उन महत्वपूर्ण बातों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। यद्यपि यह बजट कवल 2000 करोड़ रुपये का है। हम चुनाव के तत्काल बाद यहां मिल रहे हैं तथा लोगों की हमसे बहुत बड़ी अपेक्षायें हैं। हमने देखा है कि प्याज के ऊंचे मूल्यों के अलावा मिट्टी का तेल और अन्य आवश्यक वस्तुयें भी पूरी तरह बाजार से गायब हो गई हैं, अनुदानों की अनुपूरक माँगों पर चर्चा करते समय इन मामलों पर विस्तार से चर्चा करने की बहुत कम गुंजाइश है, फिर भी यही उचित समय है जबकि माननीय मंत्री महोदय को, जो कुछ समय के लिए योजना आयोग के प्रभारी भी थे, अभी से विचार करना आरम्भ करना चाहिए ताकि कम से कम एक महीने के भीतर देश वासियों के मन में ऐसी भावना पैदा हो जाये कि उन्होंने हमसे जो कुछ अपेक्षा की थी, वह सही है। अतः विचार करना आरम्भ कर देना चाहिए और जनता को यह बात महसूस करायी जानी चाहिए।

मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस बजट में भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता देने की व्यवस्था की गई है। यद्यपि बजट 550 करोड़ रुपये का है, फिर भी मंत्री महोदय ने 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग की है। सच तो यह है कि भारतीय खाद्य निगम पिछले ढ़ाई वर्षों में निष्क्रिय रहा। मैं नहीं जानता कि उसे क्या काम सौंपा गया था। अब समय आगया है जब कि माननीय मंत्री महोदय को भारतीय खाद्य निगम को सुव्यवस्थित करने के बारे में विचार करना चाहिए क्योंकि हमने इस निगम की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कुशलता के साथ चले। गत ढ़ाई वर्षों में जो सरकार यहां पर रही है वह कोई सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं चाहती थी क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली चोरबाजारियों के विरुद्ध है। वे लोग चोरबाजारियों की सत्ता में आये थे और वे नहीं चाहते थे कि देश में कोई राज्य व्यापार निगम अथवा खाद्य निगम रहे।

आप जानते ही हैं कि उड़ीसा में चीनी ऊंचे मूल्य पर बिक रही है। खुले बाजार में इसका मूल्य 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। पिछले महीने अर्थात दिसम्बर में इस आशय का एक आदेश पारित किया गया था कि उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों को लैवी चीनी कि वितरण किया जायेगा। मुझे हाल ही में पता चला है कि लैवी चीनी किसी राज्य में नहीं पहुँची है। भारतीय खाद्य निगम ने इस चीनी को नहीं उठाया। यह चीनी क्यों नहीं उठाई गई ? ऐसी स्थिति में आप 40 करोड़ रुपये की राजसहायता क्यों दे रहे

हैं ? मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय सात दिन के भीतर इस बात की व्यवस्था करेंगे कि लेवी चीनी-जो कि 2.65 रुपये से लेकर 2.85 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिकती है—सभी राज्यों में पहुँच जाये ताकि उन्हें यह चीनी सात दिन के भीतर मिल सके।

मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि राज्यों में आरम्भ किये गये तथा इस समय चल रहे काम के बदले अनाज देने के कार्य-क्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गाँवों में कमजोर वर्गों के लोगों को रोजगार की सुविधायें उपलब्ध हों, जिससे वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। आप जानते हैं कि हाल ही में राजस्थान के सभी संसद सदस्य राष्ट्रप त से मिले थे। उड़ीसा के ससद सदस्यों तथा वहाँ के लोगों का भी यही विचार है। काम के बदले अनाज देने के इस कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री महोदय ने इस बजट में 35 लाख मीटरीटन खाद्यान्न का नियतन करने का निश्चय किया गया है जिसमें से 15 लाख मीटरीटन खाद्यान्य सामान्य कार्यक्रम तथा 20 लाख मीटरीटन खाद्यान्न काम के बदले अनाज देने के विशेष कार्यक्रम के लिए हैं।

मैं इस बारे में माननीय मंत्री महोदय को सराहना करना चाहूंगा और उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि भारत सरकार ने शुरुआत में ही अनुपूरक माँगों में 35 लाख मीटरीटन खाद्यान्न की व्यवस्था की है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मुझे विश्वास है कि लोग भी इसका स्वागत करेंगे। परन्तु महोदय जैसा कि आप जानते हैं यहां केन्द्र का रवैया कुछ राज्यों से भिन्न है। राजस्थान के लोगों ने राष्ट्रपति को जो सपथ दिया है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि केन्द्र से काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब लोगों, हरिजनों आदिवासियों और भूमिहीन किसानों/कृषि श्रमिकों आदि के लिए जो खाद्यान्न भेजे जा रहे हैं उनका क्या किया जा रहा है। इसमें से अधिकांश अन्न ठेकेदारों को दिया जा रहा है जोकि काम के बदले अनाज का कार्यक्रम की नीति के विरुद्ध है। वे राज्य सरकारों, लोकदल सरकार या जनता सरकार जो भी शासन कर रही हो उसके हाथ की कठपुतली होते हैं। हम नहीं जानते कि वे कब तक शासन करेंगे क्योंकि पिछले चुनाव में तो जनता उन्हें अस्वीकार कर चुकी है। इसलिए यह ऐसी समस्या है जिसे माननीय मंत्री महोदय को अवश्य समझ लेना चाहिए। सभी संसद सदस्यों को अपने अपने राज्यों में काम के बदले भोजन कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। हमने राज्य सरकारों को 35 लाख मी॰ टन अनाज दिया है। सम्भवतः इसमें से 75 प्रतिशत वे हड़प लेते हैं और वह गरीबों में बांटा जाता। उड़ीसा पूरी तरह सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। जहाँ लगभग सभी जिले सूखे से प्रभावित हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज इसलिए दिया जाता है ताकि वहां सूखा प्रभावित लोगों को दिया जाए। इन क्षेत्रों में भुखमरी की दशा है। महोदय, आप जानते हैं कि उड़ीसा हमेशा चावल निर्यात करता रहा है, अगर इस साल सूखे के कारण उड़ीसा में चावल की फसल नहीं हुई और इसलिए राज्य के लोगों का पेट भरने के लिए उड़ीसा को चावल आयात करना पड़ रहा है। यह बहुत गम्भीर समस्या है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे। विभिन्न राज्यों से निर्वाचित सभी संसद सदस्यों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम में पूरी तरह शामिल किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार सहायता दे रही है।

अब, राज्य सरकारें संघर्ष के रास्ते पर हैं। आप लेवी चीनी देंगे। मगर वे उसका क्या करते हैं ? आप जानते हैं कि उड़ीसा सरकार के लोग क्या कह रहे हैं ? वे कह रहे हैं कि अब केन्द्र में कांग्रेस (ई०) की सरकार बन गई है, श्रीमती गांधी का शासन आगया है इसलिए चीनी सस्ते दामों पर नहीं बिकेगी। मगर इस बात पर कौन नजर रखेगा कि आम आदमी को केन्द्र द्वारा जारी की गई चीनी 2.80 रुपये प्रति किलो की दर पर मिलती है या नहीं ?

अब देश में गम्भीर राजनैतिक असंतुलन हो गया है। जब भी हम पूरे देश में गरीब लोगों की कोई आर्थिक कठिनाइयाँ सुलझाने की कोशिश करते हैं और सूखा-प्रभावित क्षेत्रों को केन्द्र जो भी सहायता करता है, इस बात पर निगरानी रखी जानी चाहिए कि वह सहायता लोगों तक पहुँचती है। इन पहलुओं पर मैंने ध्यान देना कि केन्द्रीय सरकार ने जो खाद्यान्न दिये हैं वे लोगों तक पहुँचते हैं या नहीं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कारगर हो रही है या नहीं और उससे लोगों को लाभ पहुँच रहा है या नहीं। दरअसल, इन गरीब लोगों ने ही कांग्रेस-आई० को चुनाव में विजयी बनाया है, श्रीमती इन्दिरा गांधी को विजयी बनाया है। इसलिए, अब कतई समय नष्ट नहीं किया जा सकता, 15 दिन भी नहीं खोए जा सकते क्योंकि विपक्षी अपनी स्थिति मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य में जो कुछ होगा वे उनसे फायदा उठाएंगे। चुनाव भी सिर पर हैं।' संभवत: बहुत से राज्यों में भी चुनाव हों क्योंकि जनता इन राज्यों की सरकारों के विरुद्ध है (**व्यवधान**) मैं वहाँ आपके मित्रों के बारे में बात कर रहा हूँ। सर्वहारा वर्ग की पार्टी लाखों रुपये खर्च कर रही है। मैंने देखा है।

इसलिए, महोदय, सरकार के सामने यह एक चुनौती है। उसे इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके इसके लिए उपाय निकालने चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान पुन: इस तरफ दिलाना चाहूंगा···

सभापति महोदय : अभी बहुत से सदस्यों को बोलना है। कृपया बात पूरी करने की कोशिश करें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : कुछ सदस्य अनुपूरक माँगों से बिलकुल अलग हट कर बोले थे। मैं अनुपूरक माँगों सम्बन्धी बातों पर ही बोल रहा हूँ।

मैं राहत कार्य की कमियों को माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हू। इस परियोजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के वृद्ध, अशक्त व्यक्तिओं, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों, गर्भवती और स्तन्यता माताओं और अपसामान्य बालकों के लिए पोषण कार्यक्रमों के लिए धन दे रही है। उड़ीसा गम्भीर रूप से सूखा प्रभावित राज्य है। अनुपूरक बजट में इन सब चीजों के लिए धन की व्यवस्था है परन्तु जो राज्य केन्द्रीय सरकार के विरोधी हैं वहाँ ये राहत कार्य ठीक से नहीं किये जा रहे हैं। इसलिए एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। इस पर विचार किया जाना चाहिए और उचित कार्यान्वयन तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि इस पर निगरानी रखी जा सके कि की गई सहायता दरअसल जरूरतमन्द लोगों तक पहुंच रही है।

इसके बाद आप ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को लीजिए, जिसके लिए आपने इस बजट में धन की व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उड़ीसा में यह काम बहुत धीमी

गति से चल रहा है। आपने इस ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को इतना धन देने की व्यवस्था की है। इसलिए, मैं सोचता हूँ कि इस पर विचार करना चाहिए।

अनुपूरक बजट में यह फैसला किया गया है कि उन 14 राज्यों को, जो आय जनसंख्या समायोजन फार्मूले के अन्तर्गत विशेष श्रेणी में नहीं आते, 400 करोड़ रुपया अंतरित किया जाए। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि उड़ीसा को कितना धन मिल रहा है। अलग से कुछ नहीं बताया गया है। मैं अलग से जानना चाहता हूँ कि विभिन्न राज्यों को कितना धन दिया गया है।

ऐसा अनुमान है कि चालू वर्ष में, सूखा-प्रभावित राज्यों को अग्रिम योजना सहायता उपलब्ध कराने के लिए 125 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये 125 करोड़ रुपये सूखा पीड़ित राज्यों में बराबर बाँटे गये हैं। मैंने देखा है कि कुछ मामलों में वितरण समान नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि क्या वे ज नते हैं कि उड़ीसा में उनकी गम्भीर समस्या है और उड़ीसा को अन्य राज्यों से कम धन मिल रहा है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि इस बजट में उड़ीसा में स्थित इन्डियन रेअर अर्थस् लि· में निवेश करने के लिए 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। यह एक बहुत बड़ा उद्योग समूह है। मैं एक बात जानना चाहूँगा। भारत सरकार ने रेयर अर्थस् से कहा था कि वह वित्तीय संस्थानों से वित्त लें। उसका क्या हुआ ? क्या वित्तीय संस्थानों ने भारत सरकार के इस उपक्रम को कोई सहायता नहीं दी ? क्या माननीय मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि वित्तीय संस्थानों ने इस सरकारी उपक्रम को आवश्यक सहायता क्यों नहीं दी ? क्या वे सोचते हैं कि इन्डियन रेअर अर्थस् लाभप्रद कारबार नहीं है ? मैं मानता हूं कि वित्त की कमी के कारण वहाँ काम बहुत धीमा है। इसमें इन्डियन रेअर अर्थ्स् के साथ साथ गोपालपुर पत्तन का विकास भी शामिल है। मुझे यहाँ उड़ीसा के गंजम जिले में गोपालपुर पत्तन के विकास के लिए कुछ ऐसा नजर नहीं आता जिससे कि रेअर अर्थस् के उत्पाद का निर्यात किया जा सके। यह पत्तन रेअर अर्थस् उद्योग समूह का हिस्सा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बारे में क्या किया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इन्डियन रेअर अर्थस् के लिए कम से कम कुछ व्यवस्था की गयी है।

जहाँ तक उड़ीसा की सूखे की स्थिति का सम्बन्ध है, वह अत्याधिक गम्भीर है। केन्द्रीय का जो दल उड़ीसा गया था उसने सब कुछ देखा है और उसने अधिक सहायता की सिफारिश की है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय दल की सिफाशिों को लागू किया है और क्या भारत सरकार को मामले की जानकारी है और क्या निकट भविष्य में माननीय मंत्री महोदय या कुछ केन्द्रीय अधिकारी यह देखने के लिए राज्य का दौरा करेंगे कि उड़ीसा राज्य को पूरी सहायता पहुँच रही है या नहीं तथा सूखे से प्रभावित और पीड़ित व्यक्तियों को सभी लाभ पहुँचा रहे हैं क्योंकि हजारों लोग रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वे इन बातों पर ध्यान दें और उड़ीसा के लोगों की रक्षा करें।

सभापति महोदय : चूंकि बोलने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है इसलिए मैं प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने भाषण को पाँच सात मिनट तक सीमित करें।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगुल) : सभापति महोदय, मैं द्रविड़ मुनेत्र कडगम पार्टी की ओर से अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास है कि भारत की जनता ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी को सत्ता में वापिस लाकर लोकतन्त्र में अपना विश्वास प्रकट किया है। नई सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करे जो पिछले ढाई वर्षों में जनता सरकार के शासनकाल में तहस नहस हो गई है। अब इस सरकार को जनता सरकार द्वारा की गई भूल-चूकों को ठीक करना है। भारत में अर्थ-व्यवस्था की दशा अत्यन्त खेदजनक है। दरअसल यह पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो गई है। हमें पूरी अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना होगा। हमें अपनी विदेश-नीति की भी पुनर्व्यवस्था करनी होगी। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि पिछले तीन वर्षों में जनता पार्टी ने अपने राज्यकाल में कोई विदेश नीति निर्धारित नहीं की। जनता पार्टी के जमाने में किसी देश में हमारी प्रतिष्ठा नहीं रही, चाहे वह अमेरिका हो, चीन हो या सोवियत संघ या अन्य देश हों।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी के सत्ता में आने और प्रधान मंत्री का पद संभालने के तुरन्त बाद विभिन्न भागों के प्रधान मंत्री और विदेश मन्त्री यहां आ रहे हैं और एक महान देश के रूप में हमारा सम्मान कर रहे हैं जिसका नेतृत्व अब एक महान राष्ट्रीय नेता अर्थात श्रीमती इन्दिरा गांधी कर रही है। भारत के इतिहास में जनता पार्टी का शासन सबसे अंधकार पूर्ण रहा है। 1978 (दिसम्बर) में, मैं यहीं था और मैंने मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियों के अपने अन्य माननीय सहयोगी सदस्यों के साथ वाद-विवाद में भाग लिया था। महोदय, उस समय की सरकार पददलित लोगों, श्रमजीवी वर्ग और सरकारी कर्मचारियों, किसानों तथा अन्य बेरोजगार, लोगों के हितों की रक्षा करने पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे रही थी। वे केवल श्रीमती इन्दिरा गाँधी और उनके सहयोगियों से बदला लेने के चक्कर में रहे।

भारत की जनता ने जब जनता पार्टी को वोट देकर सत्ता दिलाई थी तब उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके सहयोगियों के विरूद्ध ऐसी आपराधिक कार्यकाही की जाएगी। वे भारत की जनता और मतिदाताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी बिलकुल भूल गए थे। इसलिए लोगों ने थोड़ी अवधि में अपनी गलती महसूस कर ली और जनता पार्टी को सरकार से निकलने पर मजबूर कर दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी को इस देश की प्रधान मंत्री के रूप में फिर प्रधान मंत्री बना दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वही इस देश पर शासन करने में समर्थ थीं। 1978 में मेरे इतने सारे हसयोगी—मार्क्सवाद बन्धु तथा अन्य जनता पार्टी के समर्थक प्रजातंत्र की बातें कर रहे थे। मगर इसी सभा में, जब वे चिकमंगलूर में चुनाव जीत कर इस सभा की सदस्य बनीं तो उन्होंने उनके विरूद्ध निष्कासन कार्यवाही आरम्भ कर दी और उन्हें सभा से निष्कासित कर दिया। भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने निष्कासन की दिशा में जो कदम उठाया था वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी. उसके बाद उन्हें इस माननीय सदन द्वारा जेल भेज दिया गया जो किसी भी कानून के अधीन अनैतिक, असंवैधानिक और गैर कानूनी था। मैंने उस समय भी जनता पार्टी को इस निर्दोष महिला को दंडित करने के लिए चेतावनी दी थी। अगर वे श्रीमती गांधी को सभा से निष्कासित करके दंडित करेंगे तो हो

सकता है कि वे पुनः सत्ता में आ जाएं । उस हालत में हो सकता है कि वे अपने शासनकाल में श्री मोरार जी देसाई के खिलाफ आरोप लगाएं ।

सभापति महोदय : श्री तेवर क्या मैं जान सकता हूं कि अब आप किस मांग पर बोल रहे हैं ?

श्री के० मायातेवर : मैं सामान्य मांग पर बोल रहा हूँ । मैं लोगों की मांग पर बोल रहा हूं ; यह एक सार्वजनिक मांग है । वे लोग संसदीय विशेषाधिकारों और लोकतंत्र पर टिप्पणी कर रहे थे, इसलिए मैं उनको बात का जवाब दे रहा हूँ । उस समय उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को इस सभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया और इस तरह दुर्भाग्य से और अभूतपूर्व रूप से इस सभा को एक दान्डिक न्यायालय में बदल दिया । प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के हाथों से यह दोबारा नहीं दोहराया जाएगा ।

महोदय, मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डिस 1973-74 में रेल हड़ताल के जमाने में रेल कर्मचारियों के बोनस और रेलवे विभाग में रोजगार के अवसर कम हो ज ने के मामले के हिमायती थे । उस समय मैं भी इस सभा का सदस्य था । सभा में आधी रात तक चर्चा चलती रही । श्री जार्ज फर्नान्डिस जेल में थे और भूतपूर्व रेल मंत्री श्री मधु दंडवते, रेल कर्मचारियों के हिम यतियों में से एक थे । बाद में 1977 में जब वे रेल मत्री और उद्योग मंत्री के रूप में बैठे हुए थे तब मैंने उनसे पूछा कि अब वे रेल कर्मचारियों को बोनस क्यों नहीं देते जिनके लिए 1973-74 में वे यह दिखावापा कर रहे थे कि वे उनके पक्ष—समर्थक हैं । इस पर उन्होंने मुझे यही उत्तर दिया कि उस समय वे विपक्ष में बैठे थे और वे नहीं जानते थे कि रेल कर्मचारियों के पक्ष में क्या करें और क्या कहें । अब, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से लोगों ने उन्हें मत देकर सत्ता दिलाई है इसलिए वे सरकार में बैठे हैं और अब उन्हें महसूस होता है कि वे कुछ नहीं कर सकते । महोदय, यह तो दोहरे मानदण्ड अपनाना हुआ था दूसरे शब्दों में उनकी कोई नीति ही नहीं थी और इस लिए लोगों ने उन्हें सत्ता से हटा दिया ।

महोदय, तमिलनाडु सरकार के बारे में यह कहना चाहुँगा कि यद्यपि केन्द्रीय सरकार वित्त देगी किन्तु वह तमिलनाडु के माननीय मुख्य मत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन के हाथों में सुरक्षित नहींरहेगा । मैं चाहूंगा कि सरकार, राज्य स कार को दिए जाने बिल वित्त के बारे में बहुत सचेत रहे क्योंकि मद्रास के मुख्य मंत्री किसी मंत्री या अधिकारी पर भरोसा नहीं करते और न ही कोई उन पर विश्वास करते हैं । यहाँ तक कि फाइलें भी आगे नही बढ़ रहीं हैं । श्री के० मनोहरन वहां के वित्त मंत्री हैं । वे इस सभा के सदस्य रह चुके हैं । उनकी मुख्य फाइलें मुख्य मंत्री आगे नहीं बढ़ा रहे हैं । सारी फाइलें स्टोर में पड़ी हैं । यहां तक किमुख्य मंत्री की लापरवाही की वजह से एक जिला स्वासथ्य अधिकारी की मृत्यु हो गई क्योंकि वे फाइलों को नहीं देख पाते । एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री वाक ने जो तमिलनाडु सरकार के सचिव थे और जहाज की घांघली के मामले से सम्बद्ध थे, श्री एम० जी० रामचन्द्रन अयोग्यता के कारण आत्महत्या कर ली । इसीलिए वहाँ कुछ काम नहीं होता । अराजपत्रित कर्मचारियों की लगातार हड़ताल चलने के कारण तमिलनाडु सरकार अपना काम नहीं चला पा रही है । अध्यापक, विद्यार्थी, डाक्टर, और इन्जीनियर, हड़ताल कर रहे थे । इस वर्ष के अधिकांश भाग में सभी कालेज और स्कूल अनिश्चित काल तक के लिए बन्द रहे । वकील भी हड़ताल कर रहे थे ।

सभापति महोदय : श्री माया तेवर, यह सही हो सकता है मगर यह सभा के समक्ष कार्य को देखते हुए इसकी क्या संगति है ?

श्री के० माया तेवर : महोदय मैं भारत की जनता की ओर से बोल रहा हूँ। तमिलनाडु देश का एक हिस्सा है। इसलिए मैं तमिलनाडु की पाँच करोड़ जनता के लिए बोल रहा हूं। भारत सरकार तमिलनाडु सरकार को वित्त देगी। यह वित्त सुरक्षित रहना चाहिए। तमिलनाडु में किसान अन्दोलन कर रहे हैं। किसान संगठन ने एक नौ सूत्री माँग पत्र भी पेश किया है। यह एक नौ सूत्री कार्यक्रम है, जो कृषि संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और कृषि संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत नौ माँगों को स्वीकार करने के बावजूद तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने भारतीय दड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत श्री नारायण स्वामी नायडू पर हत्या का झूठा मुकदमा दायर किया है। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु सरकार को ये सभी मामले समाप्त करने और उन्हें न्यायालयों से वापिस लेने का निदेश दें। यही मेरा निवेदन है। इन के अलावा पुलिस कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे···

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री के० माया तेवर : कृपया मुझे दो मिनट और दें। पुलिस कर्मचारियों की हड़ताल मुख्यत: इन्हीं मुख्य मत्री के कारण हुई जो प्रशासन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं; क्योंकि प्रशासन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. इसीलिए पुलिस कर्मचारियों की यह हड़ताल हुई जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1080 पुलिस कांस्टेबलों और अन्य कर्मचारी नौकरी से निकाले गए, 366 व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया, 40,000 कर्मचारियों में से 20,000 हड़ताल पर थे 3922 कर्मचारी मुअत्तल कर दिए गए हैं। मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं कि वह तमिलनाडु सरकार को निदेश दें कि वह निलंबन आदेशों और बरखास्तगी के आदेशों को रद्द कर सभी पुलिस कर्मचारियों को तुन: बहाल करें और इस प्रकार तमिलनाडु में पुलिस कर्मचारियों के अत्यन्त निर्धन परिवारों को बचाया जा सकता है।

महोदय श्री एम० जी० रामचन्द्रन बस ओनर्स एसोसिएशन से दो करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में लिए हैं। मैं इस ओनर्स एसोसिएशन के इस महासचिव को जानता हूं, जिनसे उन्होंने दो करोड़, रुपए रिश्वत के रूप में प्राप्त किए थे। इसका लेखा जोखा नहीं रखा गया है। आय कर विभाग पर माननीय वित्त मंत्री का नियंत्रण है, इसीलिए मेरा उनसे निवेदन है कि वह अपने आय कर विभाग को सतर्क कर दें, और माननीय मुख्य मंत्री के घर पर छापा डलवाएं। उनके पास इस समय कुल 28 करोड़ रुपये हैं जो कि बस ओनर्स एसोसिएशन, सिनेमा थियेटर एसोसिऐशन जैसी अनेक संस्थाओं से रिश्वत के रूप में प्राप्त हुए हैं। महोदय, इनके अतिरिक्त उन्होंने एम•बी•बी•एस० कालेज में प्रवेश के लिए कई लाख रुपए प्राप्त किये हैं। उन्होंने मनिमन के नाम से एक कोटा आवंटित किया है जिसे मनिमन कोटा कहा जाता है। सभी जानते हैं कि वह तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का राजनीतिक, या गैर राजनीतिक, कानूनी या गैर कानूनी सलाहकार है। क्या आप को मालूम है कि किनके लिए एम• बी० बी० एस० की सीटे आवंटित की गई हैं ? अमेरिकी छात्रों के लिए, तमिलनाडु के छात्रों के लिए नहीं।

उपसभापति महोदय : ये मामले विधान सभा में उठाए जा सकते हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : वह तो किया ही जाएगा और यह भी किया जाएगा।

श्री के० मायातेवर : उन्हें कई करोड़ रुपए सिनेमा मालिकों से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने तमिलनाडु में नारियल के व्यापारियों, कपड़ा मिल मालिकों, उद्योग पतियों, चीनी मिल के संगठनों और अन्य संस्थाओं से भी 2 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। इसीलिए उन्हें अब हर हालत में त्याग पत्र दे देना चाहिए। हम एम० जी० आर० सरकार को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं, किन्तु एम० जी० आर० को चाहिये वह स्वयं ही त्याग पत्र दे दें, और तमिलनाडु की जनता के हित में सरकार से बाहर हो जायें, ताकि अरिन्नार ऊन्ना के चरण चिन्हों पर चलते हुए डा० श्यामामिन्नार करुणानिधि ने जिस ईमानदार प्रशासन को संधरित किया था उसे स्वच्छ और शुद्ध किया जा सके। मेरी कामना है कि एम० जी० आर० अपने गुरू श्री अर्स का अनुसरण करे जिसने आत्म सम्मान और मान-मर्यादा से त्याग पत्र दिया। उन्हें अपने राजनीतिक मित्र द्वारा प्रस्तुत उदाहरण का अवश्य ही अनुसरण करना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता कि वह राजनीति या सिनेमा के क्षेत्र को छोड़ दें। उन्हें तमिलनाडु की जनता के हित में मुख्य मंत्री का पद त्याग कर सिनेमा में अभिनय के लिए जाने दिया जाए, जोकि उनका अपना क्षेत्र है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूँ।

***श्री अनन्थारामुलु माल्लु (नगर करनूल)** : अध्यक्ष महोदय कृपया मुझे तेलुगु में बोलने की अनुमति दी जाए। हम सभी जानते हैं कि पिछले ढाई वर्षों में इस देश की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। दुर्भाग्यवश तत्कालीन सरकार ने स्थिति में सुधार के लिए कोई उपाय नहीं किए। देश की अर्थ व्यवस्था दिन-प्रतिदिन बिगड़ती गई। बिल्कुल अस्त व्यस्त ही हो गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी वर्तमान सरकार बिगड़ती हुई अर्थव्यस्था को बचाने के लिये भरसक प्रयास कर रही है, और साथ ही उसे सही दिशा में ले जाने की भी कोशिश कर रही है।

जब हम अर्थव्यस्था की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हैं, तो पिछले ढाई वर्षों में उसकी स्थिति पर विचार करना भी स्वाभाविक है। मूल्यों में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई थी। एक बार तो मूल्यों में 20% तक वृद्धि हो गई थी। मुद्रा स्फीति अत्याधिक हो गई थी। आवश्यक वस्तुओं का अत्यधिक अभाव हो गया था। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार पिछली सरकार ने विद्युत् और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाधाएँ उत्पन्न कीं। वस्तुतः तत्कालीन सरकार समस्याओं का समाधान खोजने के बजाए समाधानों के लिए समस्याएँ ढूँढ रहीं थीं।

मुझे प्रसन्नता है कि यह सरकार इन बिगड़ी हुई परिस्थितियों का सुधार करने का प्रयास कर रही है। यह अत्यधिक कठिन कार्य है। फिर भी मुझे आशा है कि हमारी सरकार इस प्रयास में सफल होगी। मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना कोई सरल कार्य नहीं है। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे।

यह सरकार अनवरत प्रयास से वर्तमान स्थिति में सुधार लाएगी। हमारी पार्टी जनता के कल्याण के लिए वचन वद्ध हैं, और मुझे इसमें संदेह नहीं है कि हम अपने प्रयासों में अवश्य सफल होंगे।

मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ। क्योंकि ये देश के हित में हैं। (**व्यवधान**) महोदय, मैं एक बार फिर इन मांगों का समर्थन करता हूं।

*मूल तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मैं तीन चार बातें आपके सम्मुख विभिन्न मांगों से सम्बन्ध रखने वाली उठाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित माँग के बारे में एक सवाल उठाना चाहता हूँ, और वह है भारत सरकार के तमाम कर्मचारियों को नवम्बर के बाद से आज तक दो किस्तों में महंगाई भत्ता देने का सवाल ! पता नहीं अब तक सरकारी कर्मचारियों को इन दो किस्तों की अदाएगी क्यों नहीं की गई। आप और हम सभी जानते हैं कि महगाई तेजी के साथ छलांग मारती जा रही है जिसका असर हम तमाम लोगों पर है और खास तौर से जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनकी कठिनाइयों का अनुमान हम और आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि वित्त मत्री महोदय अपने जवाब में इस बात को साफ करें कि अभी तक दो किस्तें क्यों नहीं दी गई और वर्तमान सरकार जो कल्याणकारी राज बनने का दावा करती है वह उनके बारे में क्या करना चाहती है, कब करना चाहती हैं ? ताकि उन्हें संतोष हो सके कि उनका जो वास्तविक अधिकार है, जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, वह मिलेगा। मैं इस बारे में स्पष्ट उत्तर मंत्री महोदय से चाहूँगा।

दूसरा सवाल, सभापति जी, मैं वित्त मत्रालय से ही संबन्धित बोनस के बारे में उठाना चाहता हूँ। बहुत सारे कर्मचारियों को बोनस मिलता है चाहे वे सरकारी हों या गैर-सरकारी हों। कुछ दिनों पहले की सरकार ने रेल कर्मचारियों को भी उत्पादकता की शर्त के साथ बोनस देने की घोषणा की थी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब सरकार बोनस के सिद्धांत को मान चुकी है और यह कहती है कि यह डैपर्ड-वेज हैं, उनका कमाया हुआ पैसा सरकार के पास जमा है, यानी बारह महीने काम करने के बाद उन्हें 13 महीने का वेतन मिलेगा, तो फिर सरकारी कर्मचारियों को, चाहे भारत सरकार के कर्मचारी हों, राज्य सरकारों के कर्मचारी हों, अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी हों, अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी हों, आल-इंडिया रेडियो में काम करने वाले कर्मचारी हों, दूसरे महकमों में काम करने वाले, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में काम करने वाले कारपोरेशनों में, नगर-पालिकाओं में काम करने वाले कर्मचारी हों, बोनस क्यों नहीं ? जब बोनस को आप मानते हैं, तो फिर कुछ लोगों को इससे अलग करके रखना, उन्हें इससे महरुम रखना कहां का न्याय है ? इसलिए मैं यह भी चाहता हूँ कि उन तमाम लोगों को बोनस दिया जाए और वित्त मंत्री महोदय इस सवाल पर भी सरकार का दृष्टिकोण सदन के सामने उपस्थित करें।

तीसरा सवाल मैं कृषि और सिंचाई मंत्रालय से संबंधित उठाना चाहता हूँ। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि अनावृष्टि के कारण इस साल हिन्दुस्तान के बहुत से राज्यों में, वह बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो और दूसरे राज्य हों, तमाम जगह भयानक अकाल की स्थिति है और आपने सुना होगा कि खुद हमारे सूबे में 307 प्रखण्डों को वहाँ की सरकार ने अकाल-पीड़ित और कम उपज वाला क्षेत्र घोषित किया है, लेकिन घोषित तो कर दिया, व्यवस्था कुछ भी नहीं है···(व्यवधान)···

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : वहां की सरकार को हटाइए।

श्री रामावतार शास्त्री : तिवारी जी हम क्या करते हैं, सब जानते हैं। अगर आपको कल का बदला लेना हो, तो कोई हर्ज नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह बदला लेने का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह कह रहा हूँ कि सूखा पीड़ित और अकाल पीड़ित क्षेत्रों में मदद करना भारत सरकार का सबसे प्रथम कर्तव्य है और साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि जो आप पैसा देते हैं, उसका सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है । अगर राज्य सरकारें दुरुपयोग करती हैं तो उनको जरूर रोकना चाहिए । लेकिन उस आधार पर किसी सरकार को गिराने का दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए । मैं यह भी चाहता हूँ कि जो अकाल पीड़ित राज्य हैं, उन राज्यों की पूरी-पूरी मदद की जाए । मेरा यह भी निवेदन है कि बहुत सारे क्षेत्रों को अभी भी अकाल पीड़ित या सूखा-पीड़ित या अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, उनको शीघ्र घोषित किया जाना चाहिए । स्वयं मेरे क्षेत्र के चार प्रखण्डों को, दानापुर, विहटा, विक्रम, नौबतपुर, इन चारों क्षेत्रों को आज तक अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, जबकि वहाँ की सारी फसलें मारी गई हैं और न नहर से समय पर फसलों को पानी मिला रहा है ।

बिजली की हालत बहुत खराब है । न कहीं बिजली मिल रही है और न कहीं डीजल मिल रहा है ..

श्री एम० रामागोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : वहां अकाल नहीं है, इसीलिये अकाल पीड़ित घोषित नहीं किया गया है ।

श्री रामावतार शास्त्री : वहां अकाल है । आप तो शुगर की बात जानते हैं, इसके बारे मैं आपको जानकारी नहीं है ।

मैं निवेदन कर रहा था कि जिन प्रभावित क्षेत्रों को अभी तक अकाल पीड़ित घोषित नहीं किया गया है, उनको भी अकाल पीड़ित घोषित किया जाना चाहिये । वहां की सारी फसल मारी गई है । बिहार में नहरों की बहुत कमी है। गया, पटना, भोजपुर और पुराना चम्पारन के कुछ हिस्सों में ही नहरें हैं, लेकिन उनमें भी पानी नहीं है । पानी न मिलने से धान की फसल सूख गई है और अब गेहूँ की फसल भी सूख रही है—पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । इस तरफ भी कृषि मंत्री तथा सिंचाई मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये कि जितनी नहरें हैं उनमें पानी की व्यवस्था हो तथा बिजली उपलब्ध कराई जाय । नल-कूप बड़ी मात्रा में गाड़े जायं, उन्हें बिजली मिले और दूसरे सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायं । साथ ही जो भूखे खेत मजदूर हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है, अकाल के मारे हुए हैं, उन के भोजन के लिये काम-योजना को बड़ी मात्रा में चालू किया जाय । इसके लिये जो आप ने 35 लाख टन अनाज दिया है, यह पर्याप्त नहीं है, इसे और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि आवश्यकता पड़ने पर आप जरूर बढ़ायेंगे ।

कृषि और सिंचाई की व्यवस्था पर सरकार का सम्यक ध्यान जाना चाहिये । आप पहले 30 वर्षों तक यहां रहे, उस काल में आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद जनता पार्टी आई, उसने भी कुछ नहीं किया, अब आप फिर से आये हैं और दावा कर रहे हैं कि सरकार दो तिहाई मैजोरिटी में है, कुछ करिश्मा दिखायेंगे । में वही करिश्मा देखना चाहता हूँ ताकि हिन्दुस्तान की जनता महसूस करे कि सही मायनों में आपने गद्दी पर बैठ कर जनकल्याणकारी काम करने

शुरू किये हैं। सब से पहले अकाल पीड़ितों को बचाइये, वे भूखे न मरें, उन्हें काम दिया जाय, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायं, अनाज ज्यादा पैदा करवाइये, तब हम समझेंगे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जो वायदे किये हैं, उनकी तरफ आप बढ़ रहे हैं।

आखरी बात लोक-निर्माण से सम्बन्धित है। हमारे मुल्क में बहुत सारी गन्दी बस्तियां हैं, जिनको आप स्लम-एरियाज कहते हैं। मैंने ऐसे बहुत से एरियाज को देखा है और जहां से मैं आता हूँ—जो हमारा पटना क्षेत्र है, तिवारी जी इसके गवाह हैं, वहाँ कितनी हालत खराब है। उसका विकाश यदि राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया जायगा, तो उसका विकास होने वाला नहीं है। यदि कहीं नरक देखना हो, तो पटना में चले जाइये, चारों तरफ गन्दगी है, मच्छरों का उत्पाद है, नालियों की सफाई नहीं होती, पीने को पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, गलियां नहीं हैं। इस तरह की दूसरी बस्तियां भी हैं। आप के मन्त्रालय को इस तरह के शहरों को चुनना चाहिये और चुनते समय पटना को भी जरूर चुनें और इस काम के लिये राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा सहायता दीजिये ताकि पटना शहर, जिसमें हमारे तिवारी जी प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं, एक अच्छा शहर बन सके। ताकि इन्हें भी क्रैडिट मिले कि तिवारी जी यहां आये, तो पटना पर भी कुछ ध्यान दिया जाने लगा है।

मैं चाहूँगा कि वित्त मंत्री महोदय मेरे तीन-चार सवालों के बारे में सरकारी पक्ष का विचार जरूर पेश करेंगे।

श्री एस०ए० दोराई, सेवशियन (करूर) : महोदय मैं आभारी हूँ कि आपने तमिलनाडु को आवंटित धन राशि के बारे में मेरे मुद्दे को प्रस्तुत करने का मुझे अवसर दिया। माननीय वित्त मत्री ने सहानुभूतिवश 15 करोड़ रुपए की राशि बाढ़ राहत कार्य के लिए प्रदान की है, वहां सत्तारूढ़ दल की यह परम्परा रही है कि यह कार्य सही व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। यह कार्य टेंडर के आधार पर आवंटित नहीं किया जाता है। वह पार्टी के ही किसी व्यक्ति को आवंटित कर दिया जाता है, जो कि केवल अपने मामलों में ही हितों में विशेष रूचि रखते हैं। आवंटित निधि उन स्कीमों पर व्यय नहीं की जाती जिनके लिए कि वे निश्चित की जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्ति की सम्पूर्ण योजना में सुधार किया जाए। संसद सदस्यों, विधायकों या उच्च अधिकारियों की ऐसी उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए जो इन तथ्यों की जांच करे और यह सुनिश्चित करें कि निधियों का समुचित वितरण हो। उन्हें उन स्थानों का दौरा करने के लिए कहा जाए जहां काम हो रहा हो, यदि इन स्कीमों पर इस आधार पर कार्य होता है, तो सरकार द्वारा दी गई राशि का निश्चित ही समुचित उपयोग होगा और गरीब लोगों को लाभ होगा, पिछले एक वर्ष से तमिलनाडु में कोयले की सप्लाई ठीक नहीं हो रही है। यदि कोयंबटूर के लघु उद्योग एकको की मांगों पर विचार करें तो रखा जाए तो पूर्ति बहुत सीमित है। कोयंबटूर की लघु उद्योग यूनिटें कृषि पंप सेटो को बनाने तथा ढलाई के लिए कोकर कोयले और कच्चे लोहे का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड कोक और कच्चे लोहे की पर्याप्त सप्लाई नहीं है। यह भी मालूम हुआ है कि दिल्ली, हरियाणा, म. प्र., उ. प्र. आदि राज्यों को पर्याप्त मात्रा में कोयला प्राप्त हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे इसकी जांच करें, ताकि तमिलनाडु के कोयंबटूर और अन्य स्थानों के लिए कोयले और कच्चे लोहे के अधिकाधिक माल डिब्बे प्राप्त हो सकें। यहां तीन या चार हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और इस कार्यवाही

से बेरोजगारी दूर होगी तथा छंटनी को रोका जा सकेगा। मैंने अपने सुझाव प्रस्तुत कर दिए हैं, और मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वे इस पर ध्यान दें तथा यथावश्यक कार्य करें।

श्री टी० आर रामन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं आभारी हूँ कि प्रथम पूरक बजट के मामले में मुझे कुछ कहने का अवसर प्रदान किया गया है। यह पूरक बजट 2144 करोड़ रुपए की मांग के लिए है। यह बहुत बड़ी राशि है। इतनी राशि तो एक बार केन्द्रीय सरकार का कुल खर्च है। पूरक बजट सामान्यतः कुछ सामान्य समायोजनों के लिए ही होना चाहिए। मैं सबसे पहले ऊर्जा मंत्रालय के अन्तर्गत कोयला और लिग्नाइट सम्बन्धी मांगों का उल्लेख करूंगा। इस शीर्ष के अन्तर्गत 33 करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई है। स्वतंत्रता के 33 वर्ष बाद भी हम कोयला जैसे उद्योग का सही प्रबंध नहीं कर पाए हैं। कोयला उद्योग में हमें भारी नुकसान हो रहा है, और 33 करोड़ रुपए की यह राशि 'कोल (इंडिया) लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण देने, प्रगतिशील कोयले उद्योग को वित्तीय सहायता देने तथा कोयला भंडार बनाने के लिए आवश्यक है। सरकार को कोयला उद्योग जैसे महत्वपूर्ण उद्योग का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह एक ऐसा कच्चा माल है जो सभी उत्पादन कार्यों के लिए आवश्यक है और जबकि पर्याप्त वर्षा न होने के कारण जल विद्युत शक्ति में कटौती होने के कारण लोकोमोटिव इंजनों की गति बनाये रखने के लिए भी यह अत्यावश्यक हो गया है। यह बहुत आवश्यक है कि इस उद्योग के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाए, और आप इस बात का ध्यान रखें कि उत्पादन के साथ-साथ कोयले का समुचित वितरण भी हो जिससे देश को अधिकतम लाभ हो सके। बड़े दुर्भाग्य की बात है, कि इस विशाल उद्योग में भारी हानि हो रही है और इसे हमेशा सहायता देकर चलाया नहीं जा सकता, ऐसे उपाय किये जाने चाहिए, ताकि शीघ्र ही यह आत्म निर्भर हो सके, तथा अपने बजट को संतुलित रखने के साथ-साथ अतिरिक्त उत्पादन भी कर सके।

इसके अतिरिक्त श्रमिकों की हड़ताल, परिवहन आदि विभिन्न कारणों से उत्पादन कम हो रहा है, सरकार को इस प्रश्न पर गहराई से विचार करना होगा, और यह सुनिश्चित करना होगा कि इस महत्वपूर्ण उद्योग को इतना विकसित कर दिया जाए, जिससे इतना भारी नुकसान न होने पाये।

यह केवल परिवहन के लिए ही नहीं वरन् उद्योगों के विकास के लिए भी आवश्यक है। कई बार कोयले की कमी होने के कारण रेल विभाग कुशलता से काम नहीं कर सका और कभी-कभी कोयले की कमी के कारण कई गाड़ियां रद्द करनी पड़ी हैं। बहुत से उद्योगों को कोयले की कमी के कारण बंद कर देना पड़ा। यह उस समय और भी जरूरी हो गया जबकि बिजली में 50% से 60% तक की कटौती कर दी गई। इस उद्योग का इतना विकास किया जाए, जिससे उद्योगो की मांग पूर्ति करने के साथ-साथ रेलवे की गति में भी तीव्रता आए। इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए भी कोयला आवश्यक है। इसीलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह गंभीरता से इस ओर ध्यान दे ताकि कोयला उद्योग सही दिशा में गतिशील हो और देश की अर्थव्यवस्था को अधिकाधिक रूप से पूरी कर लाभ कमा सके।

दूसरा परिव्यय मद्यनिषेध से संबंधित है, जिसके बारे में सरकार की नीति बहुत उदासीन रही है। मेरा निवेदन है कि जब श्री राजगोपाल आचार्य द्वारा प्रस्तुत मद्य निषेध कानून कुछ वर्ष

पहले लागू हुआ था, राजस्व की क्षति पूर्ति बिक्री कर से पूरी कर ली गई। मुझे भारत के सभी आंकड़े तो मालूम नहीं हैं, किंतु जहां तक कर्नाटक राज्य का संबंध है हम वहां लगभग 150 करोड़ रुपए तक बिक्री कर तथा 70 करोड़ रुपए उत्पाद शुल्क वसूल कर रहे हैं इसलिए प्रति वर्ष बिक्री कर में वृद्धि हो रही है। दुर्भाग्यवश सरकार ने मद्यनिषेध के बारे में कोई निश्चित नीति नहीं अपनायी है। यह भी दुभाग्य है कि सरकार मद्यनिषेध लागू करती है, और फिर कुछ समय बाद उसे स्वयँ ही रद्द कर देती है। सरकार के लिए यह अत्यावश्यक है कि वह इसके बारे में निश्चित नीति निर्धारित करे। उन्हें जनता के हित के लिए एक बार में ही हमेशा के लिए नीति निर्धारित कर लेनी चाहिए।

जहाँ तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उत्पाद शुल्क लगने से राजस्व में प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये की वृद्धि हो रही है। यदि राजस्व के रूप में सरकार को 70 करोड़ रुपये का कर अदा किया जा रहा हो, तो यह अनुमान लगाया जाता है, कि मद्यपान करने वाले उसका पांच गुना राशि अदा करते हैं, अर्थात् उन्हें 350 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हम उस गरीब जनता के लिए चिंतित हैं जो अपनी कमाई का काफी हिस्सा ताड़ी या एटिंक पीने में खर्च कर देती है। इसलिए जब तक मद्यनिषेध को समुचित रूप से लागू नहीं किया जाता तब तक हमारे देश में गरीब जसता का उद्धार नहीं हो सकता। तमिलनाडु सरकार, जिसने कुछ समय पहले नशाबन्दी लागू की थी उन्होंने भी अब इसमें ढील दे दी है तथा हो सकता है शीघ्र ही वे इसे पूर्ण रूप से हटा दें। हमारे प्रान्त में भी जहाँ दस-पन्द्रह वर्ष से नशाबन्दी लागू थी, सरकार द्वारा अपनाई गई उदासीन नीति के कारण तथा विभिन्न ठेकेदारों द्वारा दबाव डाले जाने से सरकार ने नशाबन्दी समाप्त कर दी है, तथा मद्यपान के इस अभिशाप को वैध रूप दे दिया गया है। अकेले बंगलौर शहर में ही शराब की हजारों दुकानें हैं, यहाँ तक कि आवास- बस्तियों में भी शराब की दुकाने हैं। अवैध शराब पीने से भी अक्सर मृत्यु हो जाती है। यदि वास्तव में जनता के स्वास्थ्य लाभ में आपकी रुचि है और यदि आप वास्तव में कमजोर वर्ग की सहायता करना चाहते हैं तो शराब पीने के इस अभिशाप को दूर करना आवश्यक है। जब तक कमजोर वर्ग के लोग शराब के अभ्यस्त रहेंगे तब तक हमारे लिए उनकी आर्थिकदशा सुधारना असम्भव है। अतः कमजोर वर्ग की सहायता करने के लिए हमारा दायित्व है कि नशाबन्दी लागू की जाए। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि कुछ उपयुक्त कदम उठाए जाए और इस सम्बन्ध मे ऐसी नीतियाँ अपनाई जाएं जिससे गरीब जनता की अधिकाधिक मदद हो सके। जहाँ तक कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध है। घाटे में चल रही कपड़ा मिलों को ऋण देने तथा उन्हें फिर से चालू करने के लिए सरकार अत्याधिक धन व्यय कर रही है यदि हम घाटे में चल रही मिलों पर लगातार धन व्यय करेंगे तो किसी भी सरकार के लिए वित्तीय समायोजन बहुत कठिन हो जाएगा। अतः सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कपड़ा उद्योग सुरक्षित रहे। खाद्यानों के पश्चात कपड़ा ही हमारी आवश्यकता की अनिवार्य वस्तु है। अतः सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे यह उद्योग अच्छी स्थिति में रह सके।

कर्नाटक में सिल्क विनिमय व्यवस्था आरम्भ होने से लगभग दो लाख बुनकर बेरोजगार हो गए हैं तथा लगभग हजार कम्बल बनाने के कारखाने बन्द हो गए हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को यह सुझाव दे, कि वह यह सुनिश्चित करे बुनकरों और धागा बनाने

वाले कारखानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध हो ताकि वे यह उद्योग राष्ट्र के हित में चला सके।

कोयले की भाँति इस्ताप उद्योग से भी हमें भारी नुक्सान उठाना पड़ रहा है। कुछ वर्ष पूर्व इस्पात की लागत 800 से 900 रुपये प्रति टन थी। तथा अब इसकी कीमत 2,000 रुपये से 2,500 रुपये प्रति टन से भी अधिक है।

सभापति महोदय : यह सब बातें आप नियमित बजट पर विचार के लिए सुरक्षित रखें। अब तो ये असंगती हैं। कृपया अब समाप्त करें।

श्री टी. आर. शमन्ना : मैं वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। इस्पात की कीमतों में आकस्मिक वृद्धि के कारण केवल उद्योगों को ही नहीं वरन निर्माण कार्यों में भी अत्यधिक कठिनाइयाँ हो रही हैं। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस्पात उद्योग सुचारू रूप से कार्य करे ताकि इस उद्योग के साथ-साथ ही जनसाधारण को भी इस्पात की कीमतों में आकस्मिक वृद्धि से असुविधा न हो।

अन्त में, मिट्टी के तेल व डीजल सम्बन्धी चर्चा विस्तृत रूप से सदन में हो चुकी है, लेकिन कर्नाटक में मिट्टी का तेल व डीजल मिलने में अनेकों कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, क्योंकि कर्नाटक में मिट्टी के तेल की पर्याप्त सप्लाई नहीं है। हममें से कुछ लोगों को आम जनता से खास तौर पर वोट माँगते समय शिकायतें सुननी पड़ी हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह देखें कि मिट्टी के तेल व डीजल का उचित मात्रा में आयात किया जाए तथा पैट्रोलियम उत्पादनों का उचित प्रयोग किया जाए। यदि अनुत्पादक कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मोटर गाड़ियों के लिए पैट्रोल का राशन कर दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। व्यापार तथा कमजोर वर्ग के लोगों की जो अधिक मात्रा में मिट्टी का तेल उपयोग करते हैं। खपत के लिए मिट्टी का तेल व डीजल की उचित मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि गरीब जनता की अधिक से अधिक मदद की जा सके।

श्री बापूसाहेब परुलेकर—(रत्नगिरी) : क्या वह अपने कटौती प्रस्ताव पर वक्तव्य देगें। उन के बाद मैं वक्तव्य दूंगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव तथा माँगों पर साथ-साथ विचार करने की ही परम्परा है और वह अब यही कर रहे हैं।

श्री सी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मैं केवल पूरक मागें संख्या 47 और 67 पर ही बोलूंगा। मैंने तीन कटौती प्रस्ताव भी पेश किए हैं। मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव सरकार द्वारा लोक सभा चुनावों में पूर्ण तथा विस्तृत मतदाता सूची तैयार करने में सरकार की सामान्य असफलता से सम्बंधित है जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस असफलता के परिणामस्वरूप हजारों की संख्या में नागरिकों के नाम मतदाता सूची में नहीं पाए गए, तथा बड़े पैमाने पर चूक व त्रुटियाँ हुई। हजारों नागरिक मताधिकार से वंचित रहे। यह अत्यंत गम्भीर स्थिति है जिस पर सदन को ध्यान देना चाहिए। (व्यवधान) मैं सरकार पर जोर देना चाहूँगा कि यह एक ऐसी अदभुत घटना है जिसकी गहराई से जाँच की जानी आवश्यक है ताकि यह घटना पुनः न घटे।

यह आश्चर्य जनक है कि गणना अधिकारियों ने क्षेत्र के क्षेत्र भुला दिए तथा मतदाता सूचियों में से नाम गायब हो गए। (व्यवधान) इस स्थिति को देखते हुए ही मैंने जानबूझ कर यह कटौती प्रस्ताव पेश किया है ताकि स्थिति की गम्भीरता को समझा जा सके और सरकार इस घटना की जाँच का आदेश दे तथा इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिन्होंने अपना काम लापरवाही से किया। तथा इस बात का आश्वासन दिया जाए कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में दोबारा नहीं होंगी।

आशाम की स्थिति को ही देखिए। आसाम आजकल विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाने के बहाने हिंसक आन्दोलनों का शिकार बन गया है। इस विषय में कोई दो राय नहीं हो सकती कि विदेशी नागरिक हमारी निर्वाचन प्रकिया का अंग नहीं बन सकते। यह साफ तौर पर समझना आवश्यक है कि आसाम में यह आन्दोलन अत्यंत शरारतपूर्ण और राजनीतिक उद्देश्यों से भरपूर है और सरकार को ऐसे इरादों का शिकार नहीं बनना चाहिए। मैं यह ध्यान दिलाना चाहूगा कि 1971, 1977 और 1980 में हुए तीन आम चुनाव तथा 1974, 1976 में हुए दो पंचायती चुनाव 1971 की (मतगणना) सूची को आधार मानकर कराये गए थे। आखिरकार इन चुनावों में काफी संख्या में चुनाव याचिकाएं दायर की गई। लेकिन आपके सामने कभी ऐसी चुनाव याचिका नहीं आई होगी जिसमें विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूचि में शामिलकिए जाने का आधार लिया गया हो। इस संबध में भी यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि यदि 1978 और 1979 की मतदाता सूचियों की तुलना की जाए तो ज्ञात होगाकि उसमें केवल सात प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है और यह वृद्धि भी केवल उसी जगह द्रष्टव्य है जहाँ एक ही जाति के बहुसख्य निवासियों का आधिकय है। इसके विहरीत जिन क्षेत्रों में अल्प संख्यकों का निवास है वहां की मतदाता सूचियों में बहुत अधिक नाम गायब हैं। इस बात को सिद्ध करते हुए मैं यह कहूँगा कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों जैसे जनिया, बागबार, चेंगा, गोलकगंज, पूर्वी गोहाटी, पश्चिमी गौहाटी, मंगलदोई, नागौंग आदि में मतदाताओं की संख्या घट गई है। जबकि उन क्षेत्रों में जहां बहु- संख्यक, एक ही जाति के निवासी रहते हैं उदाहरणतया पताचारकुची, सरुपथार, जोरहाट, सिबसागर आदि में यह संख्या बढ़ गई है। मैं सरकार पर यह जोर देना चाहूँगा कि इस स्थिति का सामना उचित प्रकार से किया जाना चाहिए।

यह अत्यन्त खेदजनक बात है कि हजारों की संख्या में मतदाता प्रविष्टयों पर आपतियां उठाने पर भी उच्च पुलिस अधिकारी व उप आयुक्त निष्पक्ष नहीं थे। यह सच है कि कुछ मामले तो कल्पित थे तथा कुछ महत्वहीन थे। जब मैं इन सब बातों पर ध्यान आकृष्ट करता हूं तो मेरा यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूचियों में रहने दिए जायें। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ऐसा आन्दोलन जारी है तब भाषाई तथा धार्मिक अल्प-संख्यकों पर अकथनीय अत्याचार नहीं करने चाहिएं। पर, जिनका वे इन दिनों शिकार हुए हैं।

कुछ ऐसे मामले भी हैं। जहां जिन व्यक्तियों के बारे में आपत्ति उठाई गई थी उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। एक मामला तो ऐसा है जिससे 85 मतदाताओं में से केवल एक ही व्यक्ति को नोटिस 18 नवम्बर 1979 को रात्रि के नौ बजे जारी किया गया और उसमें यह आदेश था कि वह अगले दिन 19 नवम्बर 1979 को सुबह ही हाजिर हो। वह व्यक्ति अधिकारी से मिलने गया पर घेराव के कारण मिल नहीं पाया तथा उसी दिन शाम तक उसे सूचना दे दी गई कि

आपत्ति मान ली गई है तथा सभी 85 नाम मतदाता सूची में से हटा दिए गए हैं। वहाँ ऐसी स्थिति हो रही है।

अन्य व्यक्ति जिनके खिलाफ आपत्तियाँ की गई थीं उन्हें पेश नहीं होने दिया गया। उन्हें भयभीत किया गया। उन्हेभगा दिया गया, तथा अधिकारियों के समक्ष उन्हें अपनी बात नहीं कहने दी गई। मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहाँ अधिकारियों का व्यवहार भी पक्षपात पूर्ण था। ऐसी स्थिति में सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

अत्याधिक खेद का विषय है कि इतनी अधिक संख्या में हिंसक घटनायें हो रही हैं। मैं अत्यंत आदर के साथ यह कहना चाहूंगा कि इन अमानवीय अत्याचारों के कारण हुई मृत्यु के सरकारी आँकड़े बहुत कम दिखाए गए हैं। आसाम के कुछ विधायकों द्वारा दिए गए एक प्रतिवेदन के अनुसार इन हिंसक घटनाओं से प्रभावित परिवारों की कुल संख्या 8,000 है। जबकि इन में प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 25,000 है।

आसाम के विधायकों द्वारा दी गई इस रिपोर्ट के अनुसार अनुमानत: 800 और 1,000 के बीच जानें गई और दो करोड़ रुपये की सम्पत्ति की हानि का अनुमान लगाया गया। जहाँ तक मुझे मालूम है उनमें से अधिकाँश विधायक पहले ही सरकार को इसकी सूचना दे चुके हैं। गाँव के गाँव नष्ट कर दिए गए पर आयोग्य सरकार सिर्फ खामोश दर्शक ही बनी रही। केवल आँकड़े ही नहीं वरन् इन अत्याचारों की गम्भीरता का भी अनुमान कीजिए।

दिघलदोंगा गांव में 14 मुस्लिम परिवारों के 70 सदस्यों को अमानवीय यंत्रणाएं देने के पश्चात उन्हें सूखे कुएं में फैंक दिया गया।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, से मेरा अनुरोध है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि वहां अभी स्थिति पूर्णतया शाँत नहीं है और विस्फोटक है और इस प्रकार वह और भी अधिक विस्फोटक हो सकती है।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं इस सम्पूर्ण स्थिति की गम्भीरता पर ध्यान दिला रहा था। उन्हें अमाननीय यातनाए दे कर सूखे कुंए में फैंका गया और निर्दयता से जिंदा जला दिया गया। एक अन्य जगह, चौलकोवा में सात व्यक्ति मारे गए और···

एक माननीय सदस्य : क्या यह सब बातें जो वह बता रहे हैं, उनके व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित हैं या वैसे ही ?

श्री जी. एम. बनातवाला : आसास के विधायकों द्वारा सरकार को पेश की गई रिपोर्ट का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ।

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर. वेंकटारमन : सामान्यत: मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता, पर जैसा कि प्रधान मंत्री भी कह चुकी हैं यह अत्यंत नाजुक मामला है तथा यहाँ पर यह पूर्णतया असंगत भी है और इसका उत्तर देने की मुझसे अपेक्षा नहीं की जा सकती।

श्री जी. एम. बनातवाला : यह कैसे असंगत है ? कृपया माँग संख्या 47 देखें।

श्री आर. वेंकटरमन : माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं तथा अनुदान की पूरक मांगों पर चर्चा की सीमा जानते हैं। सदस्य को केवल यही कहना होता है कि जहाँ इसका

समुचित उपयोग नहीं हुआ है या अधिक व्यय हुआ है या दुरुपयोग हुआ है वहाँ यह राशि प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चूंकि केवल माँग प्रस्तुत की गई है इसी वजह से उस राज्य के कानून और व्यवस्था के पूरे प्रश्न की चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री जी. एम. बनातवाला : यह मांग इस लिए आई है ताकि सरकार स्थिति पर पूरा नियंत्रण कर सके। इसका उल्लेख पृष्ठ 63 पर हो चुका है, मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि सरकार पूर्णतया असफल रही है···

श्री आर. वेंकटारमन : सभापति महोदय, मैं अब इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूं। माननीय सदस्य को इस प्रकार बोलने नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री जी. एम. बनातवाला :-- मैं इस बात पर ध्यान दिला रहा था कि ··

सभापति महोदय : आप किन मांगों का जिक्र कर रहे हैं।

डा सरदीश राय (बोलपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री ने कहा है कि यह राज्य का विषय है।

श्री आर. वेंकटारमन : मैंने यह तो नहीं कहा, माननीय सदस्य ने शायद मेरी बात नहीं सुनी है।

समापति महोदय : उन्होंने केवल यही कहा है कि यह असंगत है।

श्री जी. एम. बनातवाला : मुझे अफसोस है कि मेरी निष्कर्ष टिप्पणियों पर ऐसे शुद्दे उठाए गए, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं माँग की सीमाओं में ही रहूँ जिसका कटौती प्रस्ताव मैंने पेश किया है। आपने मेरा कटौती प्रस्ताव स्वीकार कर कृपा की है। कटौती प्रस्ताव पहले ही पेश किया जा चुका है। अब मैं अपना कटौती प्रस्ताव पढ़ दूँगा।

सभापति महोदय :- कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है। कटौती प्रस्ताव मतदाता सूचियों से संबंधित है।

श्री जी. एम. बनातवाला : अब मैं अपना कटौती प्रस्ताव पढ़ूंगा। मांग संख्या 47 पर स्वीकृत यह कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है— "आसाम और मेघालय में मतदाता सूचियों से उत्पन्न हिंसक आँदोलनों के फलस्वरूप भाषायी अल्पसंख्यों की सुरक्षा करने में असफलता।"

यह (प्रश्न) माँग संख्या 47 से उत्पन्न होता है तथा पृष्ठ 63 के एक विशेष अनुच्छेद में इसका उल्लेख है।

मैं अपनी बात पुष्ट करते हुए समाप्त कर रहा हूँ तथा मैं सरकार से यह कहूँगा कि जो व्यक्ति अपने काम को लापरवाही से करने के दोषी पाये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं यह भी कह चुका हूँ कि विदेशी नागरिकों को हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाना चाहिए। इस विषय में कोई दो मत नहीं हो सकते। पर एक हिंसक आँदोलन शुरू हो चुका है और इसकी आड़ में अकथनीय अत्याचार नहीं किए जा सकते। सरकार केवल यह नहीं कह सकती कि इस विशेष प्रयोजन के लिए हमने एक पुलिस नियंत्रण कक्ष, बना दिया है। इस पूरी स्थिति को अनुपयुक्त, अवास्तविक अकुशलतापूर्वक ढंग से संभाला गया है। मैंने यह महसूस किया कि पिछली सरकार ही इन सबके लिए उत्तरदायी थी। मैं वर्तमान सरकार के लिए

मेरी शुभकामनायें हैं। लेकिन उनके सामने जो कठिन व अतिविशाल कार्य है उसके लिए भी मैं उन्हें सचेत कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि वे अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभायेंगे और भारत की सभी निरीह जनता की सुरक्षा करेंगे। तथा साथ ही यह आश्वासन भी दें कि हमारी मतदाता सूचियाँ यथा संभव ठीक, निष्पक्ष व पूरी की जायें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव सदन की स्वीकृति के लिए रखता हूं।

*श्री ईरा मोहन (उर्फ राम मोहन आर०) (कोयम्बटूर) : माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिभावान तथा योग्य वित्त मंत्री ने इस सदन के सम्मुख अनुदान के लिए पूरक माँगें पेश की हैं। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने तथा अपनी पार्टी द्रविड मुनेत्र कढहगम के कुछ विचार आपके सम्मुख रखने का अवसर दिया।

सम्पूर्ण देश के नागरिको के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध स्थिर व समझदार सरकार हो, वह सरकार किसी भी कीमत पर सत्ता लोलुप न बनें, वरन वह पूरे देश की उन्नति के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करे। ऐसी सरकार केवल केन्द्र में ही नहीं वरन राज्यों में भी होनी चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गाँधी, जिनकी पूरी जिन्दगी ही त्याग की कहानी है, ही केवल एक ऐसी राष्ट्रीय नेता हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार को चलाने की भारी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यही वह राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं जिन्हें लोकसभा के आम चुनावों के समय हमारे नेता डाक्टर कालायिग्नार करुनानिधि ने जनता के समक्ष रखा। जिन्होंने तमिलनाडु की जनता से गहन संबंध स्थापित करके उनकी आवश्यकताओं की पुरजोर वकालत की है। उन्होंने केन्द्र में ऐसी सरकार के लिए लोगों का समर्थन माँगा। तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि देश भर के लोगों ने इस केन्द्रीय सरकार को अपना बिना शर्त समर्थन दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण और इन पूरक मांगों से यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो गयी है कि प्रगतिशील नीतियाँ इस सरकार का आधार होंगी। द्रमुक की ओर से मैं इन पूरक माँगों का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। इस अवसर पर मैं वित्त मंत्री महोदय के विचार के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव रखता हूँ।

कोइम्बटूर और सिंगनलूर के लोग काफी लम्बे समय से यह माँग कर रहे हैं कि वहाँ नगर पालिका के स्थान पर निगम होना चाहिए। राज्य सरकार लोगों से यह कह रही है कि राष्ट्रपति ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर अपनी सहमति अभी नहीं दी है। वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह अपने प्रभाव का उपभोग करें तथा कोइम्बटूर-सिंगनलूर नगरपालिका को निगम में बदलने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करें।

कोइम्बटूर भारत के मानचैस्टर के रूप में विख्यात है। कोयले और कच्चे लोहे की अपर्याप्त तथा धीमी सप्लाई के कारण सैकड़ों ढलाईघर और पम्पसैटों आदि का उत्पादन करने वाले लघु उद्योग समाप्त होने की स्थिति तक पहुँच गये हैं। हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गये हैं। केन्द्र सरकार कोइम्बटूर के इन वंचित लघु उद्योगों को कोयले तथा कच्चे लोहे की सप्लाई को सुनिश्चित करे। इससे हजारों मजदूरों को भूख की इस स्थिति में जीविका मिलेगी।

कोइम्बटूर जिले का तिरुपुर स्थान अपने "बनियान-उद्योग" के लिए देश भर में विख्यात है। 1979-80 के केन्द्रीय बजट द्वारा इस उद्योग पर जो अंधाधुंध उत्पादन शुल्क लगाया गया है,

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उससे यहाँ के 50,000 मजदूरों का सहारा छिन गया है। वित्त मन्त्री महोदय इस पर तुरंत ध्यान दें और आवश्यक कार्यवाही करें। उन्हें इन पीड़ित लोगों की मदद करनी होगी।

पंडियार-पोनमपूझा योजना यदि शीघ्र पूरी कर दी जाये तो कोइम्बटूर जिले का सूखा क्षेत्र हरा-भरा बन सकता है। हरित क्रान्ति को यदि सच्चाई में बदलना है, तो इस योजना, जो कोइम्बटूर के लोगों के जीवन का स्रोत है, पर इसी वर्ष कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।

उत्तरी कोइम्बटूर में रेल फाटक माल तथा जन यातायात के लिए न केवल गंभीर रुकावट बन गया है, बल्कि उनके लिए मुसीबत बन गया है। दिन में दस बार यदि यह फाटक बन्द कर दिया जाये, तो उससे उद्योगों और लोगों को होने वाली कठिनाई का आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि रेलवे ओवर ब्रिज के सर्वेक्षण का और दूसरा कार्य जो कुछ समय पूर्व शुरू किया गया था, क्यों बन्द कर दिया गया है। यहाँ पर रेलवे ओवर ब्रिज बहुत जरूरी है।

कोइम्बटूर में अधिकांश जनसंख्या हथकरघा बुनकरों की है। उचित मूल्य तथा पर्याप्त मात्रा में धागा न मिलने की समस्या उनके सामने सदैव बनी रहती है। उसको धागे का यह कच्चा माल उचित मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने हजारों पुलिस कार्मिकों को उनके हड़ताल में भाग लेने के कारण बर्खास्त कर दिया है। वास्तव में उन्हें बेघरबार और बेसहारा बना दिया गया है। वित्त मंत्री महोदय उनको काम दिलाये जाने को सुनिश्चित करें।

बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार ने 15 करोड़ रुपये की धनराशि दी है। तमिलनाडु में, विशेष रूप से कोइम्बटूर में हुई व्यापक तबाही को देखते हुए यह धनराशि बहुत कम है। वित्त मंत्री महोदय बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए और निधियाँ दें। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि राज्य सरकार ने यह धनराशि उचित तरीके से नहीं बाँटी है। इन निधियों के बाँटने में राजनीतिक पक्षपात मुख्य आधार बन गया है। मैं उच्च स्तरीय जांच की माँग करता हूँ ताकि तमिलनाडु की जनता को इन निधियों से बराबर-बराबर लाभ मिल सके।

मैं काम के लिए अनाज योजना का उल्लेख करना चाहता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत एक मजदूर की दैनिक मजदूरी 9 रुपये है। लेकिन तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर उसे एक दिन के 3 रुपये मिलते हैं और और 9 रुपये पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है। इसकी जाँच की जानी चाहिए।

राज्य सरकार के कर्मचारियों, जो सुबह से शाम तक अनथक परिश्रम करते हैं, को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान और महंगाई-भत्ता दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार के कर्मचारी भी उतना ही उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य कर रहे हैं।

केन्द्र सरकार को कोइम्बटूर में एक चिकित्सा अनुसंधान के केन्द्र भी स्थापित करना चाहिये। तहाँ पर भारी संख्या में स्थित कपड़ा मिलों और दूसरे उद्योगों को देखते हुए यह बहुत जरूरी है।

केन्द्र सरकार ने रेल डिब्बों की मरम्मत के लिए करमदई के समीप एक वर्कशाप का प्रस्ताव किया था। यह स्थान कोइम्बटूर के नजदीक है। मुख्य मंत्री ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली, जिसके परिणामस्वरूप करमदई के समीप वर्कशाप का यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार ने वापस ले लिया। कोइम्बटूर के लोगों को मुख्य मंत्री की इस लापरवाही की सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह वर्कशाप करमदई में बनाई जानी चाहिये।

आम—चुनावों का परिणाम हमारे सामने है। यह केन्द्र में स्थिर सरकार के लिए नहीं बल्कि राज्य सरकारों के नकारा होनी की स्थिति पर भी आपात है। कार्नाटक के मुख्य मंत्री श्री देवराज अर्स ने इस स्थित को समझा और सम्मान पूर्वक और सही तथा लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। अन्य मुख्य मंत्रियों ने इसे नहीं समझा है। उन्होंने केन्द्र सरकार के विरोध में एक सम्मेलन बुलाया है।

श्री सभापति : ये बातें यहां त्पांसगिण नहीं; किसी अन्य अवसर पर आप यह सब कह सकते हैं।

श्री इरा मोहन : जनता ने उन राज्य सरकारों के प्रति अपना असतोष व्यक्त किया है, जो उनके कल्याण के लिए प्रतिवद्ध नहीं हैं। जनता यह चाहती है कि देश में प्रजातत्र फले-फूले, लेकिन ये राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार जिसे भारत की जनता ने चुना है, के लोकतांत्रिक कदमों का हौआ खड़ा कर रही है। 1871 में जब लोक सभा के लिए आम चुनावों की अधिसूचना जारी की गई तो हमारे प्रिय नेता डा० कलाइगर करूणानिधि, जो उस समय तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे, ने विधान सभा को भंग करने का फैसला दिया, ताकि तमिलनाडु की जनता को तोकतांत्रिक विकल्प मिल सके। हमारे प्रिय नेता डा० कलाइंगर करूणानिधि ने जिस साहस का परिचय दिया, राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने जो जनता के फैसले के बावजूद सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, को उससे सवक लेना एाहिए।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूँ। और आपने जो मुझे यह अवसर दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : सभापति महोदय, मैंने कुल मिलाकर चार कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, और मेरा आपसे अनुरोध है···

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात सक्षेप में कहें।

श्री बापु साहिव वरूलेक : महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में कहूँगा। लेकिन मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उन्हें देखते हुये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे समय दें।

सभापति महोदय : यह कटौती प्रस्तावों की रचना पर निर्भर नहीं हैं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैंने जो कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं, उनमें से एक विधि मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 67 के बारे में है यह सही मतदाता सूची तैयार करने और मतदाता सूचियों से नाम काटे जाने और हटाये जाने के बारे में है। इस विषय में मेरे माननीय साथी, श्री बनातवाला ने जो मत व्यक्त किये हैं उनसे मैं सहमत हूँ। लेकिन मेरे विद्वान साथी ने जो कुछ कहा है, उनमें दो-तीन बातें और जोड़ना चाहता हूँ।

मतदाता सूचियों से नाम काटे जाने औरे उनमें गलतियों की बहुत सी शिकायतें मिली

हैं और उनकी ओर निर्वाचन आयोग का ध्यान भी आकर्षित किया गया है। लेकिन आज तक निर्वाचन आयोग के कार्यालय से इसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है मिला। इसलिए इस अवसर पर मैं इस अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और इस सभा के माननीय सदस्यों की जानकारी में लाना चाहता हूँ। इससे स्पष्ट होगा कि ये मतदाता सूचियाँ कैसे तैयार की गयीं। ऐसा समाचार है कि (उत्तर प्रदेश के) मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास के दामाद, जो प्रान्तीय चिकित्सा सेवा के सदस्य है, को मतदाता सूची में मृत दर्शाया गया है। वह ठीक प्रकार से हैं और जीवित हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार इसे गंभीरता से ले। इससे स्पष्ट है कि ये मतदाता सूचियाँ किस प्रकार तैयार की गयीं। समाचार है कि बंगलौर जैसे नगर में हजारों बैध मतदाताओं के नाम या तो शामिल नहीं किए गये है अथवा बगैर किसी उचित जाँच के काट दिए गए हैं। इन समाचारों के अलावा मैं इस सभा की सूचना के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों में एक अर्थात श्री बनारसी दास के वक्तव्य के बारे में प्रेस रिपोर्ट को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा बताते हैं :—

"देश भर में 105 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से मनमाने ढंग से काट दिए गए हैं। सूचियों से भारी संख्या में मतदाताओं के नाम इसलिए काटे गये हैं, ताकि चुनाव में कांग्रेस (आई) की जीत की संभावनाएं बढ़ सकें।"

उन्होंने यह भी कहा है।

"मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री श्यामलाल शकधर ने पक्षपात किया है और केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग 1 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से काट दिए गये हैं।"

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : (सीतापुर) यह सब चीफ मिनिस्टर ने कराया था। इलैक्टोरल रोल से हजारों नाम काट दिए गए।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैंने कोई वक्तव्य नही दिया है।। मैंने केवल यह कहा कि हमारे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक मुख्य मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है। इसीलिए सरकार इस ओर गंभीरता पूर्वक ध्यान दे, और सच्चाई का पता लगाए।

पिछड़े वर्गों के अधिकाँश मतदाताओं के नाम एक निश्चित उद्देश्य से काटे गए हैं, क्योंकि वे एक दल विरोध से संबद्ध हैं। इस सम्बन्ध में अंतिम बात यह है कि यह तो मेरी समझ में आता है कि अधिकारी मतदाताओं के घर गए उन्हें लोग घर पर नहीं मिले अथवा उनका अता-पता उन्हें नहीं मिला, लेकिन मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि मतदाता सूची तैयार किए जाने के बाद नाम क्यों काटे गए। यदि यह सही है, तो मेरे विचार से यह बहुत से मतदाताओं के मताधिकार वचन का जान बूझ कर किया गया प्रयास है और मैं सरकार से अनुरोध करता हू कि वह इस विषय पर वक्तव्य दें।

दूसरी बात पुलिस तथा गृह मंत्रालय से सम्बद्ध माँग संख्या 50 के बारे में है।मैं ने ध्यान आकर्षण प्रस्तावों अथवा स्थगन प्रस्तावों के अथवा अन्य सूचना प्रश्नों माध्यम से दिल्ली में अपराध--स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहा लेकिन दुर्भाग्य से अथवा सौभाग्य से मंत्री महोदय ने इनमें एक भी प्रस्ताव को स्वीकृत करने को तैयार नहीं हुए। दुर्भाग्य से हो अथवा सौभाग्य से जब से नयी सरकार बनी है, राजधानी दिल्ली में अपराध की लहर आ गई है। डकैतियों और चोरियों के कारण राजधानी में रहने वाले लोगों में आँतक छा गया है। लगभग 6 व्यक्ति गंभीर रूप से

घायल हो गए हैं। हमारी राजधानी में दिन दहाड़े अपराधियों ने डकैती डाली और कार द्वारा दूसरे स्थान को चले गए और जौहरियों की दुकानों में डकैती डाली। ये दुकानें पुलिस स्टेशन से केवल एक किलो मीटर दूर हैं और भारी पुलिस गस्त के बावजूद यह सब हुआ है। इसके अलावा एक अध्यापक की हत्या का समाचार है···

श्री ठाकुर शिव कुमारसिंह (खण्डवा) : सभापति महोदय, मेरा प्वाएंट आफ आर्डर है। यह जो कह रहे हैं, वह ला एण्ड आर्डर से सम्बद्ध रखता है और यहां इस समय सप्लीमेन्टरी डिमान्डस पर चर्चा हो रही है। यह चीज इन सप्लीमैंटरी डिमांड्ज से कहां तक सम्बन्ध रखती है ? यह इरेलेवेंट है।

सभापति महोदय : आपने यह बात उठाई है। लेकिन पुलिस के बारे में भी एक मांग है। परुलेकर जी आप अपनी बात जारी रखें।

श्री बापू साहिब परुलेकर : जब वे द्रमुक की आलोचना कर रहे थे, तो व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया गया।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैंने कुछेक मामलों का उल्लेख किया है। लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं। इनसे स्पष्ट है कि दिल्ली के लोगों में आंतक छाया हुआ है। सुबह जब वे काम के लिए घर से निकलते हैं तो उनको पता नहीं होता वे शाम को सही सलामत घर लौटेंगे या नहीं। मैं यह सब इसलिए विशेष रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि हम दिल्ली में नवागन्तुक हैं। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा की चिन्ता है।

एक माननीय सदस्य : आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : पुलिस ने यह स्वीकार किया है कि कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दिल्ली नगर की स्थिति की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें। मैं एक और मांग का उल्लेख करूंगा। यह भूतपूर्व सैनिकों के बारे में है। इस विषय में मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। मैं इन भूतपूर्व सैनिकों की दयनीय स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री आर० वेंकटारमन : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि सभा की स्वीकृति के लिए पूरक प्राक्कलन प्रस्तुत करते समय मैं सभा में रखी गई सभी मांगों का समर्थन नहीं करता। वास्तव में सरकार अनवरन है। मुझसे सरकार के दायित्व पूरे करने के लिए कहा गया है। इसलिए इसका उद्देश्य इस बात की व्यवस्था करना है कि जो व्यय किए गये हैं और जिनके लिए उपबन्ध कराना है, उन्हें अनुदान की मांगों द्वारा विनियमित किया जाये।

माननीय सदस्यों की समझ में यदि यह स्थिति आ जाती तो वे पूरक प्राक्कलनों और मांगों की बहुत आलोचना नहीं करते। वास्तव में अधिकांश आलोचना पिछले प्रशासन से संबद्ध है। पिछले पन्द्रह दिनों से बनी इस सरकार को इस सभा में की गई आलोचना का पात्र नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी, जैसा कि मैंने कहा सरकार अनवरन है और स्थिति को स्पष्ट करना और सही तथा उचित क्या है बताना मेरा कर्त्तव्य है। इन स्थितियों में, मैं सभा में बाद

विवाद के मुद्दे खड़े नहीं करना चाहता। मैं सभा के किसी भी पक्ष को दोष नहीं देना चाहता। मैं उठाई गई कुछ बातों तक ही अपने आपको सीमित रखूंगा और उनका फैसला सदस्यों पर छोड़ दूंगा।

श्री ठाकुर शिव कुमारसिंह : जनता पार्टी के शासन काल में औरतें जेवर, हार आदि पहन कर नहीं जा सकती थीं। अब तो ठीक हो गया है।

सभापति महोदय : वह जहाँ तक संभव होगा, उत्तर देगें।

श्री आर० वेंकटारमन : मैं उसी क्रम के अनुसार चलूंगा, जिस क्रम में सदस्य बोले हैं और स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा।

महोदय, श्री साढा का भूमि सुधार और कुछ राज्यों में भूमि सुधार के क्रियान्वयन में असफलता के सम्बन्ध में दिया गया वक्तव्य बहुत ही अर्थ पूर्ण था। इस सदन के सदस्य इस आलोचना के बारे में अच्छी तरह जानते है। सभी लोग जानते हैं कि भूमि सुधार पूर्णतया लागू नहीं किया है जैसा कि इसे किया जाना चाहिए था परन्तु इस सम्बन्ध में मुझे मिली सूचना तथा अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कोई भी राज्य आलोचना से मुक्त नहीं हैं। वास्तव में भूमि सुधार के मामले में सभी राज्य पीछे हैं।

एक माननीय सदस्य : केरल में यह स्थिति नहीं है।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : जिस ढंग से इसे लागू किया जा सकता है उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। अतः यह सरकार विभिन्न राज्य सरकारों पर अपना प्रभाव डालकर यह सुनिश्चित करेगी कि भूमि सुधारों का अक्षरशः पालन किया जाए ताकि असंख्य भूमिहीन लोगों को उचित संतोष मिल सके।

अब, एक प्रश्न को विशेष रूप से उठाया गया था और वह प्रश्न है "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम। यहाँ मैं सूखे के लिए राहत के पूरे प्रश्न के बारे में बता रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि सातवें वित्त आयोग ने सूखे तथा खाद्यान सम्बन्धी अन्य आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत योजना की व्यवस्था की है। वित्त आयोग ने कहा है कि खाद्य तथा इस प्रकार की अन्य आपदोओं के लिए 75% अनुदान केन्द्र देगा तथा 25% की व्यवस्था राज्य को करनी होगी परन्तु जहां तक सूखे का सम्बन्ध है प्रभावित राज्य को वर्ष के लिए योजना आवंटन का 5 प्रतिशत तक अग्रिम योजना सहायता के रूप में दिया जा सकता है और इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को आवंटन किया गया है। माननीय सदस्य श्री पाणिग्रही ने कहा कि दो बातों के बारे में विभिन्न राज्यों में विषमता है। पहली बात केन्द्र के तत्वाधान योजनाओं के अनुदान के सम्बन्ध में है तथा दूसरी बात बहुत कम राशि के आवंटन अथवा योजना आवंटन के 5 प्रतिशत के संबंध में है। जहां तक योजना परिव्यय का सम्बन्ध है प्रत्येक राज्य की योजना भिन्न है और प्रत्येक राज्य को 5% अग्रिम योजना सहायता देने से अलग-अलग आँकड़े प्राप्त होते हैं और यह सहायता का पहला भाग है। जहां तक सूखे का संबन्ध है हमारे पास काम के बदले अनाज की योजना पहले ही है और यह योजना जारी है। देश के सभी राज्यों को 15 लाख टन अनाज इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सूखा के लिए राहत के रूप में केन्द्र सरकार सूखा

पीड़ित क्षत्रों में काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए 20 लाख टन अनाज और निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ यह होगा कि सूखा सम्बन्धी राहत कार्य के लिए 280 करोड़ रुपये दे दिए जाएंगे। बहुत से राज्यों ने अभी तक अपने व्यय का विवरण नहीं दिया है। इसलिए जो धन राशि उन्हें देय थी वह उन्होंने नहीं ली है। अतएव जहाँ तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है इसने सूखा सम्बन्धी राज्य सरकारों को अधिकार से अग्रिम समाधान लेने की अनुमति दी है। यदि इसके बावजूद भी कुछ राज्य हैं···

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : कृपया एक स्पष्टीकरण दें। क्या आप कृपया उन राज्यों का नाम बताएँगे जिन्होंने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें दिए गए खाद्यान्न तथा सूखे तथा बाढ़ के लिए राहत के रूप में दी गई राशि का विवरण अभी तक नहीं दिया है ? क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने यह विवरण दे दिया है या नहीं ?

श्री आर० वेंकटा रमन : मेरे विचार में अभी तक महाराष्ट्र और राजस्थान केवल दो राज्यों ने ही व्यय का विवरण प्रस्तुत किया है। अन्य राज्यों ने विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। अत: बजाय यह कहना कि कौनसे राज्यों ने विवरण नहीं दिया है इसके बजाय मैं यह कहना अधिक पसन्द करूंगा कि कौनसे राज्यों ने सूचना दी है।

एक माननीय सदस्य : मैं यह जानना चाहत हूं कि क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने विवरण प्रस्तुत किया है अथवा नहीं।

सभापति महोदय : मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की बातचीत जारी रखी जाये। कृपया जब तक वे अपना भाषण समाप्त करें आप प्रतीक्षा करें।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न दिया गया है। मैं यह जान सकता हूँ कि क्या इस अनाज को काम के बदले अनाज देने की बजाय संबंधित राज्य सरकारों ने मत प्राप्त करने के लिए चुनाव से पहले पार्टी संवर्गों तथा पार्टी समर्थकों को दिया था।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय कृपया अपना भाषण पूरा करें। बाद में यदि समय बचा तो प्रश्नों की अनुमति दी जायेगी। अन्यथा इसके लिए तो कोई सीमा ही नहीं है।

श्री आर० वेंकटारमन : मैंने ये सभी बातें इसलिए बताई हैं ताकि जो सदस्य इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं वे अपनी अपनी राज्य सरकारों पर प्रभाव डालें कि वे लेखे के विवरण भेज दें और अपनी धन राशि ले लें। मैं यह धन राशि देना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा वित्त मंत्री नहीं होगा जो यह कहे कि वह धनराशि देगा। यहाँ मैं कह रहा हूं कि मैं यह धनराशि दूंगा बशर्ते कि लेखे के विवरण भेज दिये जाएं। यह सूखा राहत कार्यक्रम के संबंध में है। मैं सदन के विचारार्थ यह प्रस्तुत करता हूं कि बहुत बड़ी मात्रा में आवंटन, अर्थात इस कार्यक्रम के लिए सामान्य 15 लाख टन की बजाय 20 लाख टन खाद्यान्न और योजना आवंटन का 5 प्रतिशत की सहायता को देखते हुए आलोचना की गुंजाइश नहीं रह जाती कि सूखा राहत कार्यक्रम रोक दिया है या इस कार्यक्रम के लिए कंजूसी बरती जा रही है या इसे बहुत घटिया अथवा गलत तरीके से चलाया जा रहा है।

श्री साहा ने अगली बात कोयला उद्योग में सुधार के बारे में कही है। एक अन्य माननीय

सदस्य श्री साम्मन्ना ने भी कोयला उद्योग का जिक्र किया है। महोदय यह सच है कि कोयले का उत्पादन हमारे अनुमान अथवा लक्ष्य और आवश्यकताओं के अनुसार नहीं हुआ है। वास्तव में कोयले का उत्पादन 1000 लाख टन से अधिक नहीं है जबकि हमारी आवश्यकता 8 से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से तेजी से बढ़ रही है। यह खेद की बात है कि कोयला उत्पादन काफी कम हो रहा है।

मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहता। सरकार यह भरसक प्रयास कर रही है कि कोयले का उत्पादन बढ़े और ऐसी योजनाएं आरम्भ करेगी जिनसे कोयले का उत्पादन बढ़े और जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा के उत्पादन में भी वृद्धि हो।

इस समय मैं केवल यही कह सकता हूं। अन्यथा मैं बेकार कि बहस में पड़ जाऊंगा कि पहले कोयले का उत्पादन क्यों नहीं किया गया, इसके क्या कारण थे आदि। मैं बस यही कहना चाहता था।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : कृपया एक स्पष्टीकरण दें। क्या सरकार की नीति में कोई परिवर्तन किया जा रहा है ?

सभापति महोदय : यदि मंत्री महोदय स्वीकार नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : क्या कोयला खानों का राष्ट्रीकरण समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार अपनी नीति बदल रही है ? यह सबसे पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है···

सभापति महोदय : मंत्री महोदय क्या आप स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटारमन : मैं स्वीकार नहीं करता।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय स्वीकार नहीं करते। माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : यह प्रमुख नीति सम्बन्धी मामला है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय को अपना वकतव्य पूरा करने दें। बाद में आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : ···*

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा

श्री आर० वेंकटारमन : श्री पाणिग्रही ने खाद्यान्न के सम्बन्ध में राज्य सहायता देने की बात कही है। हमने गेहूं और चावल दोनों के ही वसूली मूल्य में वृद्धि की है और इसी वजह से अनुपूरक मांग अब सदन के सामने है। इसके परिणाम स्वरूप दी गई राज सहायता में 40 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

जहाँ तक चीनी का सम्बन्ध है यह फिर एक पेचीदा मामला बन गया है। बहुत बड़ी सख्या में लोग चाहते हैं कि लेवी की चीनी एक विशेष दर पर विपरीत की जाए। तब यह प्रश्न उठता है कि क्या खुली चीनी ऊंचे दामों पर बेची जाए। जहां तक चीनी का संबंध है कृषि मंत्रालय से

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

परामर्श करके शीघ्र ही एक नीति निर्धारित की जाएगी और आशा है कि चीनी का मूल्य उसी स्तर, जिस पर कि यह इस समय बिक रही है, के आस पास बनाये रखा जाएगा।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) 60 : प्रतिशत चीनी लेवी चीनी के रूप में बाजार में दी जाती है। परन्तु यह चीनी कब दी जा रही है।

श्री आर० वेंकटारमन : लेवी की चीनी बाजार में उस समय दी जाती है जब इसका जरूरत होती है। सरकार स्थिति पर बराबर निगरानी रखे हुए है। आज कोई भी यह नहीं कह सकता कि बाजार में चीनी की कमी है परन्तु शिकायत इस बात की है कि कम मूल्य पर चीनी दी जाए। संसद सदस्यों को चाहिए कि वे सूखा राहत कार्यक्रमों से अपने आपको सम्बद्ध रखें। यह राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का मामला है और केन्द्र सरकार इस मामले में कोई विशेष निदेश नहीं दे सकती।

अगला मामला ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने का है। अनुपूरक प्राक्कलन में आर. ई. सी. कार्यक्रम के लिए प्रावधान किया गया है और निगम यथासंभव शीघ्र ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण कर सकेगा।

श्री माया तेवर और एक या दो अन्य सदस्यों ने सरकार को भारी समर्थन दिया है। अनुपूरक प्राककलन के किसी मुद्दे पर उन्होंने आलोचना या कोई टिप्पणी नहीं की है। श्री रामावतार शास्त्री ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं। अब पहली बात है केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने की है। वर्तमान नियमों के अनुसार वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 8 प्रतिशत वृद्धि पर सरकारी कर्मचारी मंहगाई भत्ते के भुगतान के हकदार हैं। यह वार्षिक औसत मूल्य सूचकांक नवम्बर, 1979 में 8 प्रतिशत बढ़ गया है। यह बढ़ कर 344 हो गया था। इसका मतलब यह 342 से आगे बढ़ गया है। यह सरकार 15 दिन पहले ही सत्ता में आई है। सरकार इस पर पहले ही विचार कर रही है। यदि श्री शास्त्री इस बात पर नाराज हैं तो उन्हें अपनी नाराजगी इन लोगों पर प्रकट करनी चाहिए जो इस सरकार से पहले, नवम्बर 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच, सत्ता में थे। यह सरकार 14 जनवरी, 1980 से सत्ता में आई है और इसने तुरन्त ही इस मामले में विचार करना शुरू कर दिया था। दूसरी बात है सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने की। जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है इस बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है। वर्तमान समझौता केवल तीन श्रेणियों—रेलवे कर्मचारी, डाक-तार कर्मचारी तथा रक्षा उत्पादन कर्मचारियों के सम्बन्ध में हुआ है। श्री शास्त्री अन्य कर्मचारियों को बोनस देने का केवल दावा कर सकते हैं परन्तु ऐसा बोनस देने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है। और सरकार पहले हुए विभिन्न समझौतों के अनुसार इन तीन श्रेणियों को बोनस देने के लिए बाध्य है और ऐसा ही किया जा रहा है।

बहुत से लोगों ने, उदाहरण तया श्री दोराई सेवस्तोयान और उस क्षेत्र के कुछ अन्य सदस्यों ने लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। निसन्देह : यह सच है कि लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिना विशेष ध्यान दिये वे बड़े उद्योगों का मुकाबला नहीं कर सकते। अतः उनको कोक, कोयला, कच्चा लोहा आदि उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इन चीजों की

आपूर्ति के लिए राज्य सरकारें इस मामले में विचार कर रही हैं। वास्तव में इस ओर राज्य सरकारों को ध्यान देना है। परन्तु लघु उद्योगों को इन तीन आवश्यक चीजों के समान वितरण के लिए केन्द्र अपना प्रभाव तथा अपनी शक्ति का प्रयोग करने का पूरा प्रयत्न करेगा। विशेष मामले सरकार के ध्यान में लाए जा सकते हैं ताकि हम मामले में जाँच करें तथा इस बारे में अपना पूरा प्रयास कर सकें। (व्यवधान) बजट पर भाषण करते समय मार्किट सुविधाओं का उल्लेख किया जाएगा।

श्री शमन्ना ने मद्यनिषेध सहित कुछ प्रश्न उठाए हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर लम्बी चर्चा हो चुकी है और मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मद्यनिषेध चाहते हैं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मद्यनिषेध नहीं चाहते। अतः यह अपनी-अपनी अभिरूचि की बात है। जहाँ तक इससे प्राप्त होने वाले राजस्व की बात है हमें यह देखना होगा कि राजस्व स्रोत अनावश्यक रूप से बन्द न हो जाए। यदि राज्य सरकार इससे होने वाले राजस्व की हानि वहन नहीं कर सकती तो इस मामले पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। यह काम राज्य सरकारों का है। जैसा कि पहले होता रहा है केन्द्र सरकार इस मामले में कोई निश्चित नीति नहीं बनाएगी। यह उल्लेख इसलिए किया जा रहा है कि इस बारे में सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है।

इस्पात उद्योग में हानि का प्रश्न उठाया गया है। यह सच है कि इस्पात उद्योग आशानुसार नहीं चल रहा है। वास्तव में, इस वर्ष बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 70 लाख टन था परन्तु वास्तव में हम 49 लाख टन का उत्पादन कर पायेंगे जिससे बहुत बड़ी वित्तीय कठिनाई उत्पन्न हो गई। इसी कारण इसके लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गई है।

श्री बनातवाला ने मतदाता सूचियों में भारी त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस मामले में भी पिछली सरकार ही जिम्मेदार ठहराई जानी चाहिए। इस मामले में हमें बहुत सी ऐसी शिकायतें मिली हैं कि मतदाता सूचियाँ त्रुटिपूर्ण थीं और चुनाव से पहले बहुत लोगों ने, जिनमें से बहुत से अब सदन में मौजूद हैं, शिकायतें की थी और यहाँ तक निर्वाचन आयोग को तार भी भेजे थे।

एक माननीय सदस्य : क्या आपके चुनाव क्षेत्र में भी ऐसा हुआ था।

श्री वेंकटरामन : मैं कोई वैकल्पिक बात नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री बापुसाहिब परुलेकर : यह सब कैसे हुआ ? हम यह जानना चाहते हैं।

श्री वेंकटरमन : मैं अपना बचाव स्वयं कर सकता हूँ। दो परिकल्पनाएं की जा सकती हैं। एक तो यह कि पिछली सरकार ने यह कार्य किया हो। दूसरी यह कि यह गलती से हो गया हो। अब यह निर्णय दलों पर छोड़ दिया गया है वह इस बात का निर्णय करें कि यह किसने किया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार होनी चाहिएं क्योंकि वे वहीं सत्तारूढ़ थी।

श्री वेंकटारमन : अतः किसी पर उंगली मत उठाए। जो शीशे के मकानों में रहते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए किसी की आलोचना करना उचित नहीं है। परन्तु जहां तक सम्भव होगा भविष्य में इस प्रकार की शिकायत की गुंजाइश नहीं रखी जाएगी क्योंकि स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र की पहचान है और हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के इच्छुक हैं।

श्री बनातवाला ने अल्पसंख्यकों को होने वाली कुछ कठिनाइयों की बात कही हैं। जैसा कि वाद-विवाद के दौरान मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब कोई अन्य सदस्य बोलता है तो मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता और यह बहुत ही गम्भीर मामला है और प्रधान मन्त्री पहले ही कह चुकी हैं कि इस मामले की जांच की जा रही है। अतः यह अच्छा होगा कि इसका उल्लेख न किया जाए।

माननीय सदस्य ने कोयम्बटूर और तमिलानाडु की आवश्यकताओं के लिए बहुत से प्रश्न उठाए हैं। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को वे बजट चर्चा के दौरान उठाएंगे।

अब मैं श्री परूलेकर के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। उन्होंने मतदाता सूचियों के बारे में प्रश्न उठाया है जिसका उत्तर मैं पहल ही दे चुका हूँ। दूसरा प्रश्न उन्होंने दिल्ली अपराधों में वृद्धि के सम्बन्ध में उठाया है। वास्तव में यह एक जटिल प्रश्न है। वास्तव में यदि मैं वाद-विवाद का इच्छुक होता, जोकि मैं नहीं हूं, तो मैंने यही कहना था कि चुनाव हारने के बाद लोग इन कुछ असामाजिक तत्वों को असामाजिक कार्यों की छूट दे देते हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालना अच्छा प्रयास नहीं है विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि मैं 33 महीने प्रशासन उनके हाथ में रहा। दिल्ली में कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति के लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है। जहाँ तक दिल्ली का सम्बन्ध है प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि गत 33 महीनों में कानून और व्यवस्था बिगड़ी।

श्री बापुसाहिब परुलेकर (रत्न गिरी) उस समय कांग्रेस—आई चुनाव हार गई थी।

श्री वेंकटारामन : दिल्ली में कानून और व्यवस्था बिगड़ने तथा देश के अन्य भागों में भी उनकी मूल्य नीति के कारण कानून और व्यवस्था बिगड़ने के कारण ही कांग्रेस—आई ने चुनाव जीता है। यह कहना ठीक नहीं है कि 15 दिन में कानून और व्यवस्था बिगड़ी है जबकि आपने, जो 2 वर्ष, तीन वर्ष तक कानून और व्यस्था के जिम्मेदार रहे हैं, स्थिति को इतना बिगाड़ दिया है कि कार्य-भार ग्रहण करने के अगले दिन ही इसे काबू में करना सम्भव नहीं है। मैं सरकार की ओर से आश्वासन देता हूँ कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाएगा। कि दिल्ली के नागरिक शान्ति से रह सकें। दिल्ली के नागरिक इस शहर में शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। उनके अधिकारों, उनकी सम्पत्ति और जीवन की रक्षा की जाएगी और हमारी ओर से इसके लिए भरसक प्रयास किये जायेंगे।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : यह आपकी और हमारी सुरक्षा का प्रश्न है।

श्री आर. वेंकटारामन : हम दोनों का इससे सम्बन्ध है। प्रत्येक व्यक्ति का इससे सम्बन्ध है। कम से कम कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखे जाने जैसे मामलों पर मैं इस सदन के सभी वर्गों का सहयोग चाहता हूं। मै लगभग उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ जो उठाए गए हैं। (व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उन्होंने सभी मुद्दों को उत्तर दे दिए हैं।

यदि सदन सहमत हों तो मैं अब सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है कि :

"कि संवधित अनुपूरक राशियां, जो आदेश पत्र के तीसरे कालम में दर्शाए गए राजस्व लेखे तथा पूँजी लेखे की राशि से अधिक नहीं होंगी, को उस आदेश पत्र के दूसरे कालम में प्रविष्ट निम्नलिखित माँगों के सबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने, वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को मंजूर की जाएं :—

माँग संख्या : 2,4,6 से 8,10 से 16,18,20 से 23,26,27,29 से 32,35,39,41 से 43, 47,49,50,52,54,58,59,61 से 63,67,68,70,71,75.77 से 79,82,90,92,95,97,98 और 100

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विनियोग विधेयक 1980 पुनः स्थाग्रित

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर. वेंकटारामन) : मैं वित्तीय वर्ष 1979-80 को सेवाओं के लिए भारत की समेकित निधि से भुगतान के प्राधिकृत किए जाने तथा कतिपय अन्य राशियों के विनियोजन किए जाने सम्बन्धी विधेयक को पुरः- स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिए भारत की समेकित निधि से भुगतान के प्राधिकृत किए जाने तथा कतिपय अन्य निधियों के विनियोजन किए जाने सम्बन्धी विधेयक को पुर.स्थापित किए जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. वेंकटारामन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : हम अगले विधेयक पर विचार करें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं एक प्रश्न पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। जब मैं अनपूरक माँगों पर बोल रहा था तब मैंने एक सूचना माँगी थी, मैंने माननीय मंत्री महोदय से निश्चित रूप से चीनी के बारे जानना चाहा था···

श्री आर. वेंकटारामन : माननीय सदस्य मेरे पास आएं, मैं सभी सूचना दूंगा।

सभापति महोदय : अनुपूरक माँगों पर पहले ही मतदान हो चुका है। वह इस पर मंत्री महोदय से बाद में चर्चा कर सकते हैं। माननीय मत्री।

श्री आर. वेंकटारामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत की आकस्मिक निधि, अधिनियम, 1950 को और आगे संशोधित किए जाने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाए।"

अनेक माननीय सदस्य उन विभिन्न निधियों के बारे में जानना चाहेंगे जो हमारे पास हैं। हमारे पास भारत की समेकित निधि है भारत की आकस्मिक निधि भी है। मैं पूरी प्रक्रिय के बारे में बताना चाहूँगा। इस विधेयक में आकस्मिक निधि संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि 22 अक्तूबर, 1979 से 31 अक्तूबर 1980 तक की अवधि के लिए स्थाई तौर पर आकस्मिक धनराशि 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ की जा सके और इस तरह छठी लोक सभा भंग किए जाने के पश्चात बजट के बाद शीघ्र तथा कार्यक्रम से बाहर किए गए वायदे पूरे किए जा सकें। भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण में न बताई गई सेवाओं पर व्यय समेत आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उस निधि से अग्रिम लिए जाते हैं जिनका प्राधिकरण संसद से बाद में लिया जाता है। इन अग्रिमों की संविधान के अनुच्छेद 115 के उपबधों के अनुसार पूरक माँग प्राप्त करके या विनियोजन द्वारा पूर्ति दी जाती है।

प्रचलित प्रणाली के अनुसार वित्त मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए पूरक मांगों की पहलीसूची तैयार की थी। जो 20 अगस्त, 1979 के छठी लोकसभा की कार्यसूची में प्रस्तुत किए जाने के लिए भी सम्मिलित थी। तथापि, छठी लोक सभा के भंग हो जाने के कारण पूरक माँगों पर विचार नहीं हो सका।

देश के विभिन्न भागों में जो व्यापक सूखा पड़ा है उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे केन्द्रीय सरकार को प्रभावित राज्यों के लिए बड़े पैमाने पर सहायता की व्यवस्था करनी है। ताकि ये राज्य राहत कार्य चला सकें। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त अनाज भी राज्यों को देना पड़ेगा ताकि वे सूखे के स्थिति से निपट सकें। आम चुनाव पर किया गया व्यय भी पूरा करना है जिसके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। बजट के पश्चात् इन खर्चों को पूरा करने के लिए आकस्मिक निधि में जमा राशि (50 करोड़ रुपए) अप्रर्याप्त साबित हुई है। इसलिए राष्ट्रपति ने इस निधि के राशि को बढ़ाकर 31 मार्च, 1980 तक अस्थाई तौर पर 150 करोड़ रुपये करने के लिए 22 अक्तूबर 1979 को भारत की आकस्मिक निधि (संशोधन) 1979 अध्यादेश जारी किया था। उक्त अध्यादेश का स्थान लेने के लिए यह विधेयक रखा गया है। विधेयक के खन्ड 2 में यह उपबन्ध है कि भारत की समेकित निधि से 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्थानान्तरित करके भारत की आकस्मिक निधि को 22 अक्तूबर 1979 से 31 मार्च 1980 तक 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दी जाये। इस प्रकार विधेयक में उक्त अवधि के लिए भारत की समेकित निधि से अस्थाई तौर पर 100 करोड़ रुपए निकालने का उपबन्ध है। किन्तु, वास्तविक व्यय आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिमों तक ही सीमित है। संसद के वर्तमान सत्र से पूर्व उक्त निधि से 88·35 करोड़ रुपये

की अग्रिम राशि मंजूर की गई थीं। उक्त अग्रमि राशि में 61.93 करोड़ रुपए अकाल पीडित राज्यों को सहायता पहुँचाने तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए 18 करोड़ रुपये आम चुनाव पर व्यय के लिए राज्यों लेखा पर भुगतान के लिए थे, 4 करोड़ रुपये सार्वजनिक उद्यमयों के लिए थे और शेष राशि अन्य आकस्मिक मदों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए थी। इस प्रकार जो 100 करोड़ रुपये आकस्मिक निधि में स्थानान्तरित किए गये थे। उसकी तुलना में अतिरिक्त व्यय 38·35 करोड़ रुपये हुए।

आकस्मिक निधि में प्रतिपूर्ति के लिए पूरक मांगे पहले ही 23 जनवरी 1980 को सदन में प्रस्तुत कर दी गई हैं। यह अभी-अभी पास किया गया है।

मैं एक गलत फहमी दूर करना चाहूंगा। सरकार का इरादा इस निधि में अधिक धन जमा करने का नहीं है। बल्कि इस आकस्मिक निधि को सिर्फ 31 मार्च, 1980 तक बढ़ाई गई है और उसके बाद आकस्मिक निधि 50 करोड़ रुपये ही होगी। आकस्मिक निधि में अधिक धनराशि होने पर कोई भी सरकार व्यय की पूर्ति हेतु संसद के समक्ष नहीं आएगी। हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं इसलिए हम इसे सिर्फ 50 करोड़ रुपये ही रख रहे हैं, जो छठी लोक सभा के भंग हो जाने के प्रयोजनार्थ आकस्मिक खर्चों के वास्ते है हम संसद के समक्ष इस लिए आए हैं कि इसे बढ़ा कर 150 करोड़ रुपये कर दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : समापति जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसको मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनता रहा हूँ। कुछ बातें तो सरकार ने इन डिमाण्ड्स में डाली हैं, उन बातों के सम्बन्ध में जो यहाँ चर्चा उठी उसका पूरा जवाब नहीं दिया गया। मैं कुछ बातें यहाँ उठाना चाहता हूं।

हमारा उत्तर बिहार बहुत ही पिछड़ा इलाका है। उद्योग के मामले में वहां केवल चीनी उद्योग ही है जो कि ब्रिटिश सरकार के जमाने से चला आ रहा है। इस के अलावा आपके जमाने में बरौनी में कुछ उद्योग खुले हैं। उत्तर बिहार में और भी उद्योग होने चाहिए। आपसे पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि आपने जो निर्णय लिया था पिछड़े हुए इलाकों में सरकारी और गैर सरकारी उद्योग खोलेंगे ताकि लोगों को काम मिल सके, उनका पिछड़ापन दूर हो सके, उस की आपने कोई चर्चा नहीं की है। यह बहुत जरूरी था कि उत्तर बिहार के पिछड़ेपन की ओर आप ध्यान देते। साथ साथ इस बात की भी जरूरत थी कि उत्तर बिहार में जहाँ पर आपके फ्लाइनेंस डिपार्टमेंट ने पहले से ही कर्जा दे रखा है किसी उद्योग को और जो उद्योग चल नहीं रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर रहा है और जिस की वजह से आपका पैसा डूब रहा है, उस उद्योग की तरफ भी आप धयन देते, उसको चलाने की तरफ भी आप ध्यान देते ताकि वह उद्योग चलता, लोगों को काम मिलता, उस में प्रोडक्शन होता और आपका रुपया भी वसूल होता। लेकिन इस ओर आपने ध्यान नहीं दिया है। वहां रामा कास्ट इंजीनियरिंग है जिस को आपने कर्जा दे रखा है और वह डूब रहा है। उस को चलाने की आप व्यवस्था करें ताकि आपका दिया हुआ कर्जा डूबने न पाए उस में प्रोडक्शन हो और लोगों को रोजगार मिले,उस इलाके का विकास हो। शिक्षा विभाग की मांग की भी इस में चर्चा होनी चाहिये बिहार में स्कूल और कालेज टीचर्ज हड़ताल पर जा रहे हैं। उनकी माँगों की तरफ आपका ध्यान चाहिये था। उनकी एक माँग यह भी है कि जो कंस्टिट्युएंट कालेजों के शिक्षक हैं,

उन की जो वेतन मिलना चाहिये नहीं मिल रहा है, इसकी भी आपको इस में चर्चा करनी चाहिये और मांग शिक्षा के बारे में भी रखनी चाहिये थी।

मैं समझता हूँ जिस डायरेक्शन में काम होना चाहिए था उस डायरेक्शन में काम आप नहीं कर रहे हैं। चूंकि उस दिशा में आप नहीं जा रहे हैं इस वास्ते मैं आपके नोटिस में इस चीज को लाना चाहता था और मैं आशा करता हूँ कि आप सही दिशा में चलेंगे।

श्री आर. वेंकटारमन : यदि बिहार में और अधिक उद्योगों की आवश्यकता है तो माननीय सदस्य नियमित बजट प्रस्तुत किए जाने पर उद्योग मंत्रालय की अनुदान माँगों पर बहस के दौरान इसे उठा सकते हैं। शिक्षकों के वेतन संबंधी मामला राज्यों के क्षेत्राधिकार में हैं और यह सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम उक्त विधेयक पर खंड वार विचार करेंगे। खंड 2 और 3 का कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "तीसवाँ" के स्थान "एकतीसवाँ" प्रतिस्थापित किया जाए।

(श्री आर. वेंकटारमन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

श्री आर. वेंकटारमन : मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल) 1979-80

सभापति महोदय : अब हम वर्ष 1879-80 के लिए बजट (रेलवे) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक माँगों पर विचार और मतदान करेंगे।

सभापति महोदय : सदस्यों द्वारा अनेक कटौती प्रस्ताव रखे गए हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या वे उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं :

रेल मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौटी प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव का नाम प्रस्ताव सं.		कटौती का आधार	कटौती की राशि
				माँग की घन राशि
1	6	श्री जी. एम. बनातवाला	कुट्टीपुरम, पोन्नानी, गुरूवयर, कुन्नमकुलम और त्रिचुर (केरल राज्य) को जोड़ने वाली रेल लाइन का शीघ्र सर्वेक्षण करने की आवश्यकता, क्योंकि मालाबार के तट क्षेत्र के लोगों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है तथा गुरूवयूर तीर्थ स्थान के लिए भी इसकी आवश्यकता है।	में से 100 रुपये घटा दिए जाएं
16	17	श्री जी. एम. बनातवाला	बोनस को आस्थगित वेतन मानने के बजाए उत्पादकता के साथ जोड़ा जाए।	तदैव
16	18	श्री जी. एम. बनातवाला	केरल में, विशेषकर सोराना से मंगलौर के बीच रेल सुविधाओं तथा यात्री सुविधाओं में शीघ्र सुधार करने की आवश्यकता।	तदैव
43	7	श्री जी. एम. बनातवाला	बोनस को आस्थगित वेतन मानने के बजाये उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना।	तदैव
4	8	श्री जी. एम. बनातवाला	बोनस को आस्थगित वेतन मानने के बजाये उत्पपादकता के साथ जोड़ा जाना।	तदैव
5	9	श्री जी. एम. बनातवाला	बोनस को आस्थगित वेतन मानने के बजाये उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना।	तदैव
6	10	श्री जी. एम. बनातवाला	बोनस को आस्थगित वेतन मानने के बजाये उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना।	तदैव
7	11	श्री जी. एम. बनातवाला	बोनस को आस्थगित वेतन मामने के बजाये उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना।	तदैव
8	12	श्री जी. एम. बनातवाला	बोनस को आस्थगित वेतन मानने के बजाये उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना।	तदैव

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
10	13	श्री जी. एम. बनातवाला	कि परिचालन व्यय-यातायात के संबंध में 7,65,72,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जाएं। बोनस को आस्थगित वेतन मानने के बजाये उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना। (13) कि परिचालन व्यय-ईंधन के सम्बन्ध में 12,23,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की माँग में 100 रुपये कम किए जायें।	माँग की धन राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाए
11	14	श्री जी. एम. बनातवाला	(बोनस को आस्थगित वेतन मानने के बजाये उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना। (14)) कि कर्मचारी कल्याण तथा सुविधायें के सम्बन्ध में 1,70,32,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।	तदैव
12	15		(बोनस को आस्थगित वेतन मानने के बजाये उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना। (15)) कि विविध सचालन व्यय के संबंध में 66, 16,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।	
3	16		(बोनस को आस्थागित वेतन मानने के बजाये उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना।	तदैव
16	20	श्री मोहम्मद ईस्माइल	कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव के संबंध में 5,01,02,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुदान की मांग 100 कम किये जायें। (रेल कर्मचारियों को आस्थगित वेतन के रूप में बोनस देने में असफलता। (20))	तदैव
23	16	श्री गदाधर साहा	कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 5,01,02,000 रुपये अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की माँग में 100 कम किये जायें। (मुराराय रेलवे स्टेशन के निकट रेल फाटक पर ऊपरी पुल बनाये जाने की आवश्यकता। (23)	तदैव

माँग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
24	16	श्री गदाधर साहा	कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण, निर्माण, और बदलाव के संबंध में 5,01,02,000 रुपये से अनाधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की माँग में 100 रुपये कम किये जायें। (पूर्वी रेलवे की कटवा-अहमदपुर छोटी लाइन पर करभांडगा हाल्ट को पूर्ण स्टेशन में बदलने की आवश्यकता। (24))	तदेव

सभापति महोदय : श्री मोहम्मद इस्माइल अनुदान की मांगों और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा करें।

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) सभापति महोदय, रेल मंत्री द्वारा जो अनुदानों की अनुपूरक मांगें रखी गयी हैं मैं उसमें खास तौर से बोनस के सिलसिले में दो, चार बातें कहना चाहता हूँ। जो ग्रान्ट माँगी गई है इसमें 15 दिन का बोनस और उसके साथ प्रोडक्टिविटी की स्कीमलिंक है। इन दोनों चीजों के लिये ग्रान्ट माँगी है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो बोनस की माँग है यह रेल कर्मचारियों की बड़ी पुरानी माँग हैं, इसके लिए बड़े-बड़े आन्दोलन हुए हैं और आखिर में दोनों सरकारो को, आगे की, बीच की और आखिर की सरकार जो थी उसको स्ट्राइक तक का मुकाबला करना पड़ा था। तब जा कर 15 दिन के बोनस और प्रोडक्टिविटी का सवाल भी रख दिया गया। इतनी लड़ाई के बाद, रेल मजदूरों की जो पहले 2 दिन की स्ट्राइक हुई थी उसमें यह भी एक माँग थी कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स के मुलाजिमों की तरह हमारी भी तनख्वाह हो। लेकिन वह माँग अभी तक पूरी नहीं हुई। बोनस की माँग रह गई थी जो कि लड़ाई के बाद मजदूरों को मिला लेकिन वह भी कंडीशनल मानी गई है। 8.33 परसेंट बोनस का सवाल हिन्दुस्तान के मजदूरों ने सरकार की दया से नहीं बल्कि अपनी ताकत के बल पर लिया है। मालिक और सरकार मजदूर हुई। और हमारे मंत्री महोदय जी शिपिंग के मिनिस्टर थे यह ऐकाग्रेशिया कहते थे। इनको यह भी मालूम है कि उस वक्त तक बोनस नहीं मानते थे। लेकिन इनका तजुर्वा है कि स्ट्राइक हुई। आज रेलवे में 15 दिन का बोनस, 8.33 प्रतिशत का सवाल नहीं है। मिनिमम बोनस का जो सवाल है उसको भी खत्म करने का सवाल यहां पर आया है। यह मजदूरों के सामने मामूली सवाल नहीं है। मेरी माँग है कि 8.33 परसेंट बोनस लागू कीजिये और प्रोडक्टिविटी की जो स्कीम है उसको आप अलग करें। जैसे और इंडस्ट्रीज में होता है वैसे आप अलग से करें और यूनियनों से बात करें तब जा कर काम होगा। बड़े बड़े कारखानों में बोनस को प्राडक्टिविटी के साथ लिंक नहीं किया गया है। बोनस के लिए हिन्दुस्तान के मजदूरों ने बहुत लड़ाइयां लड़ी है। बोनस मजदूर की डेफर्ड वेज है। सुप्रीम कोर्ट की भी यही राय है। जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बोनस को डेफर्ड वेज माना गया था। मंत्री महोदय जानते हैं कि मजदूरों को तनख्वाह बहुत कम मिलती है, जबकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। बोनस को सब जगह डेफर्ड वेज माना गया है, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया है। मजदूर

लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच गये हैं कि अब वे बिड़ला वगैरह के बड़े बड़े कारखानों में भी 20 ,25 परसेंट बोनस पा रहे हैं। अगर सरकार बोनस को प्राडक्टिविटी के साथ लिंक करेगी, तो प्राईवेट कनसर्न्ज भी यही करेंगे।

उत्पादन का बोनस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यह डेफर्ड वेज है। हम यह नहीं चाहते हैं कि इसको प्राडक्शन के साथ सम्बन्धित किया जाये। हम भी चाहते हैं कि प्राडक्शन बढ़े, लेकिन इस बारे में यूनियनों के साथ बैठ कर यह तय करना चाहिए कि कितने प्राडक्शन पर मजदूरों को क्या दिया जायेगा। अभी तक बोनस को प्रोडक्शन के साथ कहीं भी नहीं जोड़ा गया है। अगर जबर्दस्ती ऐसा किया गया, तो नतीजा बुरा होगा। हिन्दुस्तान का मजदूर 33 परसेंट बोनस के अपनेराइट को, जिसका प्राडक्शन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, डिफेंड करेगा, संग्राम करेगा और इस राइट को छीनने की कोशिशों को नाकाम करेगा। हाँ, अगर सरकार जिम्मेदारी सम्भालते ही सबसे पहले मजदूरों को चैलेंज करनाचाहती है, तो वह अलग बात है।

इस लिए मेरा निवेदन है कि सरकार 33 परसेंट बोनस के उसूल को मान ले और प्राडक्शन के सवाल के बारे में यूनियनों से अलग से बात करे। काम चलाऊ सरकार के साथ जो समझौता हुआ उसका श्री ए. पी. शर्मा ने जो मिनिस्टर हैं, इसका समर्थन किया था। इसी तरह श्री भूतलिंगम और कुलकर्णी साहब ने भी इसका समर्थन दिया था। ए. आई. एन. टी. यू. सी, सी. आई. टी. यू और ए. आई. टी. यू. सी वगैरह सब आर्गेइजेशन्ज ने इसका विरोध किया है। मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह इस पद्रह दिन की तनख्वाह को 33 परसेंट बोनस में परिवर्तित कर दें। उत्पादन के सम्बन्ध में आप कोई स्कीम बनायें और केन्द्रीय संस्थाओं से बात चीत करें, ताकि इसका कोई सालूशन निकल सके।

यहाँ पर स्पीचिज दी गई हैं कि जनता पार्टी की सरकार ने यह किया, वह किया। उन्होंने जो किया, लोगों ने उसके लिए उन्हें सबक सिखा दिया। आपके जमाने में जब रेलवे मजदूरों की बीस दिन की स्ट्राइक हुई थी, तो आपने उनके साथ जो बर्ताव किया था, उन्होंने आपको भी उसका सबक सिखाया था। श्री चरण सिंह की केयरटेकर गवर्नमेंट ने स्ट्राइक के नोटिस को मुकाबला न कर के पंद्रह दिन की तन्ख्वाह देने का फैसला किया था, जिसको आपने मान कर लिया है। एक तरफ तो आप उन्हें गालियां देते हैं और दूसरी तरफ उनके इस फैसले को मान लेते हैं। उन्होंने लिंक किया है कि प्रोडक्शन भी साथ में होगा। हम ने उसी वक्त प्रतिवाद किया था। और तमाम जगह से चरण सिंह जी की सरकार के पास प्रतिवाद किया था। तो यह नहीं है कि आप की गवर्नमेंट में नहीं करेंगे। अब जो नई गवर्नमेंट आई है जिस के आप मंत्री हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं आप से खास तौर से कहूँगा, आप को बड़ा तजर्बा है, आप ने बहुत से विभागों को देखा है, जहाज के मंत्री भी रहे हैं, रेल के मंत्री भी रहे हैं, इसलिए मैंने ये तमाम बातें आपके सामने रखीं हैं और मेरी यह माँग हैं कि ऐडहाक अगर देना चाहते हैं तो 15 दिन का दे दें लेकिन 8. 33 प्रतिशत बोनस का जो सवाल है उसको तय करें और प्रोडक्शन की जो स्कीम है उस को इसके साथ न लाएं। अगर करना है तो तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशन्स से बातचीत करके करें, केवल ए. पी. शर्मा से बात करके न तय करें। यही मेरा कहना है और मुझे आशा है कि आप इस को स्वीकार करेंगे।

श्री मलिक एम. एम· ए खां एटा : सभापति महोदय, मैं रेलवे ग्रान्ट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं

श्री रामावतार शास्त्री : बोनस का भी समर्थन करिए।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : उसका भी समर्थन करता हूं और मैं इस पक्ष में हूं कि हिन्दुस्तान के मजदूरों को उनकी मेहनत का मुनासिब फल मिलना चाहिए। मगर मैं अपने दोस्तों से यह निवेदन करूंगा कि इस किस्म की थ्रेट्स और इस किस्म की धौंस मुनासिब नहीं है वह जरा सा अपना मिजाज भी बदलने की कोशिश करें। इस थ्रेट का भुगतान बेचारे मजदूरों को करना पड़ता है जो गरीब और कमजोर हैं। हम चाहते हैं कि उन को ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन आप सिर्फ थ्रेट दे कर काम करना चाहते हैं, यह मुनासिब नहीं है।···(व्यवधान) उनको वह मिलना चाहिए, मगर तरीका मांगने का भी होना चाहिए। ···(व्यवधान)···

पिछले तीस महीनों में सड़कों पर चलना तो दुश्वार था ही, रेलों में भी चलना दुश्वार हो गया। हालत यह हो गई कि जिन लाइनों पर दस दस रेल गाड़ियां चलती थीं वहां उनमें से 6-6, 7-7 बन्द हो गईं और दो दो, तीन-तीन चलती रहीं। जवाब यह दिया गया, कभी कहा गया कि कोयला नहीं है, तो कभी बिजली नहीं है। वही कोयला जो तीस महीने पहले खानों से निकलता था वही इन तीस महीनों में भी निकलता रहा। वही बिजली जो तीस महीने पहले बनती रही वही इन तीन महीनों में भी बनती रही। लेकिन न जाने क्या हो गया जनता सरकार के जमाने में कि कोयला भी गायब और बिजली भी गायब। ···(व्यवधान)··· आप तो उनके समर्थन में थे इस्माइल साहब।

हालत यह हो गई कि आठ-आठ, दस-दस घंटे रेलों का लेट आना मामूली बात हो गई थी। जो पैसेंजर रेल से चलना चाहते थे उन्हें सोचना पड़ता था कि 12-12, 14-14 घटे अवेलेबल रेलों के लिए भी उनको इंतजार करना पड़ेगा। यही नहीं, उन्हें यह भी सोचना पड़ता था कि अपने जान व माल की हिफाजत के साथ उस सफर में जहां पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच भी पायेंगे या नही। लूट और कत्ले आम रेलों के अन्दर इतना हुआ जो कभी न देखा न सुना। मैं एक वाकया बयान करना चाहूँगा। आदरणीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। फर्रूखाबाद सेक्शन के अन्दर कुछ महीने हुए एक ऐसी घटना घटी जो पहले कभी नहीं घटी होगी। रेल को डकैतों ने खड़ी किया। खड़ी करने के बाद इंजन से वह मखसूस डिब्बा जिस में फर्रूखाबाद के कुछ व्यापारी सफर कर रहे थे अलग किया गया, उसको उससे काटकर शंटिंग करके तीन मील दूर ले गए और वहाँ गोलियों से मार कर उनको लूट लिया। लाखों रुपये की प्रापर्टी लूट ली गई और पाँच-सात आदमियों को जान से मार दिया गया। यह फर्रूखाबाद स्टेशन की बात है जो हमारे इलाके में है। उस वक्त रेलों में कत्ल होना, डकैती होना, एक आम बात हो गई थी और और लोग रेलों में सफर करने से डरने लगे थे। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे आदरणीय पंडित जी फिर से यहाँ आगये हैं और रेलों का सारा कारोबार उनके सुपुर्द हो गया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। 30 महीने पहले जब रेलों का चार्ज उनके पास था, लोगों को यकीन हो गया था कि रेलें समय पर चलेंगी। मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ और अब भी मुझे आशा है कि आदरणीय पंडित जी उस पुरानी हिस्ट्री को फिर से दोहराएंगे ताकि रेलों में सफर करने

वाले फिर यह महसूस करने लगें कि हम वक्त पर अपनी जगह पर पहुंच सकेंगे, हिफाजत से अपने जानो-माल को लेकर पहुँचेगे—जहां हम पहुचना चाहते हैं।

चौथी लोक सभा में अन-इकानामिक लाइन्स के सिलसिले में काफी चर्चा हुई थी। मैं भी चौथी लोक सभा का सदस्य था। उस चर्चा में इस बात का जिक्र हुआ था कि किस तरीके से देश के अन्दर जो अन-इकानामिक लाइन्ज हैं, जो घाटे में चलती हैं, उनको मुनाफे की तरफ रूजू किया जाय। उस जमाने में डा० राम सुभाग सिंह रेलवे मिनिस्टर थे। हमने उस चर्चा में कहा था कि बरहन-एटा लाइन जो टूण्डला और हाथरस के बीच में है, वह अन इकानामिक लाइन थी, उसको उखाड़ा न जाय और ऐसा तरीका अपनाया जाय, जिससे वह लाइन जल्दी इकानामिक हो जाय। मंत्री महोदय ने हमें उस वक्त ऐसा आश्वासन भी दिया था, आप चाहें तो उस वक्त की डिवेट को निकाल कर देख लें। मैंने अपने सुझाव में कहा था कि बरहन-एटा लाइन ऐसे जिले से गुजरती हैं जहाँ पैदावार 'निल' है। आदरणीय पंडित जी इस बात को जानते हैं, वह जलेसर तहसील से गुजर कर एटा पहुचती है। वह इलाका ज्यादातर बंजर है, प्रोडक्शन बहुत कम होती है। पैसेन्जर भी उधर से बहुत कम निकलते हैं। एटा जिले में सबसे उपजाऊ तहसील कासगंज है, जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, अगर इस ब्राडगेज लाइन को कासगंज जक्शन से मिला दिया जाय तो मैं यह यकीन दिलाता हूँ कि यह लाइन इकानामिक लाइन हो जायगी, वहाँ पैसेन्जर्स की तादाद भी बढ़ेगी और जिले का जो प्रोडक्शन है, जो आज मीटर-गेज के जरिये से हाथरस और कानपुर में बदली होता है, वह ब्रायरैक्ट क्राडगेज से लोड हो सकेगा और सीधे ब्राड गेज से बिना बदली के चला जायगा। डिब्बा बदली में जो नुकसान होता है, वह बच सकेगा और इससे रेलवे को भी फायदा होगा। वह लाइन जो इस वक्त नुकसान में चल रही है, जरूर फायदे में चलेगी।

इस सिलसिले में रेलवे ने उस जमाने में एक सर्वे कमेटी मुकर्रिर की थी। वह सर्वे कमेटी जानकारी हासिल करने के लिए कासगंज भी गई थी, जहां उन्होंने काफी जानकारी हासिल की थी। इत्तिफाक से उसके बाद में 1971 के इलैक्शन में नहीं आ सका और वह स्कीम वहीं फाइलों के अन्दर पड़ी रह गई। मैं आदरणीय पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वे सर्वे कमेटी की रिपोर्ट को मंगाएं और मेहरबानी कर के उसे देखें और उस लाइन को एटा से कासगंज मिलाने की कृपा करें, जिस से वह इकानामिक बन सके।

एक प्वाईंट मैं और कहना चाहता हूं। हमारे यहां मीटरगेज पर कासगंज से फरूखाबाद को ट्रेन जाती है। वहाँ 'बल्लोपुर' एक हाल्ट है, जहाँ पैसेन्जर ट्रेन्ज रुकती हैं। उस स्टेशन के नजदीक टाउन एरिया भरगैन है, जिस की आबादी 16 हजार है और दूसरा रामपुर है, जिसकी आबादी 14 हजार है। उस एरिये में उत्तर प्रदेश में तम्बाकू की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है। लेकिन वहाँ की हालत यह है कि न स्टेशन पर कोई टिकट लेता है और न देता है। एक बाबू खड़ा हो जाता है और काम चलता है। मेरी दरख्वास्त है कि आप 'बल्लोपुर' का स्टेशन बनवाने की मेहरबानी कीजिये ताकि उस इलाके की 30 हजार की आबादी को फायदा पहुँच सके और वहाँ की प्रोडक्शन रेल के जरिये दूसरी जगहों पर जा सके।

मुझे इजाजत नहीं मिल रही है कि आगे कुछ कह सकूं, लिहाजा शुक्रिये के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूँ कि सभा की बैठक का समय बढाया जाए ।

सभापति महोदय : क्या यह सभा चाहती है कि सभा की बैठक का समय बढाया जाए । आप कितना समय बढवाना चाहते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : 15 मिनट ।

सभापति महोदय : चूंकि वक्ताओं की संख्या अधिक है अतः यह 15 मिनट में समाप्त नहीं हो सकेगा । यदि इसे आधे घंटे के लिए बढाया जाए तो ठीक रहेगा ।

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : हम में से बहुत से लोग बोलना चाहते हैं । यह कैसे सम्भव होगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : इसमें मेरा दोष नहीं है कि वे लोग बैठक से चले गए हैं ।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोनानी. : इस पर शुक्रवार को चर्चा कर लेंगे । बहुत से मामले हैं, हमने कटौती-प्रस्ताव भी दिए हैं ।

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे बताएं कि क्या इस पर शुक्रवार को चर्चा की जा सकती है, क्योंकि वक्ताओं की संख्या बहुत है । अन्यथा हम इसे आज ही निपटाने की चेष्टा करेंगे ।

रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्री (श्री सी. के. जफर शरीफ) : यदि माननीय सदस्यगण सहयोग दें तो इसे आज ही समाप्त किया जा सकता है ।

सभापति महोदय : इस बारे में मानीय सदस्यगण सहमत नहीं हैं; और अब केवल दो से तीन मिनट का ही समय शेष है । **श्री एस. मुरूगैयान**

श्री टी. ए. पाटिल (कुलाबा) : महोदय, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या हम इन पर चर्चा आज समाप्त कर रहे हैं या इस पर शुक्रवार को चर्चा आरम्भ की जाएगी ।

सभापति महोदय : जी नहीं, बैठक आज 6 बजे स्थागित हो रही है ।

श्री टी. ए. पाटिल : हम इस पर चर्चा आज ही समाप्त कर सकते हैं ।

सभापति महोदय : यह संभव नहीं है ।

श्री टी. ए. पाटिल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता, बेकार में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता । **श्री एस. मुरूगैयान**

* **श्री एस. मुरूगैयान (त्तिरूप्पाय्यूद)** : सभापति महोदय, मैं अपने दल, द्रविड़ मुनेत्र कघड़म की ओर से, रेल मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ । ऐसा करने के साथ मैं दक्षिण रेलवे से संबंधित कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा ।

अपने पहले के प्रधान मंत्रित्व काल में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मद्रास के लिए महा-

* तमिल में दिए गए भाषा के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

नगरीय भूमिगत रेल प्रणाली का अनुमोदन किया था। जब 1977 में जनता पार्टी शासन में आई तो उसने उस योजना के काम की गति धीमी कर दी। लोकदल की सरकार ने तो योजना को समाप्त ही कर दिया। मेरी जानकारी के अनुसार इसका मद्रास-कार्यालय 31 जनवरी 1980 तक बन्द हो जाएगा। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मद्रास में महानगरीय भूमिगत रेल प्रणाली योजना को पुनः चालू किया जाए।

इन अनुपूरक माँगों में विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं। जहाँ तक दक्षिणी रेलवे का संबंध है, यदि तूरीकोरीन को एक प्रभावी प्रमुख बन्दरगाह बनाना है, तब इस अन्तः प्रदेश को बड़ी लाईन से जोड़ दिया जाए। तूतीकोरीन-तिरूचिरापल्ली लाईन को तत्काल बड़ी लाईन में बदल दिया जाए। चूंकि तूतीकोरीन और उसके आसपास के क्षेत्र में पैदा होने वाली औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं की अबादी समुद्री जाहजों द्वारा नहीं हो सकती इसलिए माल की आवा-जाही के संबंध में लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है। इसी प्रकार करूर-डिन्डीगुल लाईन को भी बड़ी लाईन में बदल देना चाहिए। पलानी-त्तिरूपपुर को भी बड़ी लाईन में बदल दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना वक्तव्य अगले दिन जारी रखेंगे। सभा शुक्रवार, 1 फरवरी 1980, 11 बजे म. पू. के लिए स्थागित होती है।

मध्याह्न पश्चात् 6·01 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार 1 फरवरी, 1980/12 माघ, 1901 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिये स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472 पुरानी साईकिल मार्किट दिल्ली-6